**Bharat Coking Coal Limited**
A Mini Ratna Company

# ANNUAL REPORT & ACCOUNTS 2019-20

# वार्षिक रिपोर्ट

## 2019-20

**भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

एक मिनीरत्न कंपनी

# विषय


005 संकल्पना और लक्ष्य

006 सूचना

008 वर्ष के दौरान प्रबंधन

009 बैंकर एवं लेखा परीक्षक

011 निदेशक मंडल

012 अध्यक्ष का संदेश

015 परिचालन आंकड़े

016 वित्तीय आंकड़े

025 निदेशकगण का प्रतिवेदन

123 सीएसआर प्रतिवेदन

130 अनुसंधान एवं विकास तथा कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

135 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

144 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

146 सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब

192 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

194 सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

197 तुलन-पत्र

199 लाभ-हानि लेखा

201 नकदी एवं नकदी तुल्य के प्रवाह का विवरण

203 इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

205 कारपोरेट जानकारी

206 महत्वपूर्ण लेखांकन

230 तुलन-पत्र पर टिप्पणियां

255 लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियां

264 लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

297 सेबी का विनियमन-33

299 अन्य विवरण (संलग्नक)

# हमारी संकल्पना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संकल्पना है - "खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के माध्यम से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध संगठन और संस्कृति के साथ देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन करना"।

# हमारा लक्ष्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का लक्ष्य है - "सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता प्रदान करते हुए दक्षतापूर्ण और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना"

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
**Bharat Coking Coal Limited**
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(www.bccl.gov.in)

पं.का.:-कोयला भवन कोयला नगर,
धनबाद- 826005
Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad – 826005
CIN: U10101JH1972GOI000918
दूरभाष: **0326-2230190**/ फ़ेक्स **-0326-2230050**
ईमेल: cos.bccl@coalindia.in

**बोर्ड सचिवालय** / Board Secretariat

**संदर्भ सं.: बीसीसीएल:सीएस:एफ-एजीएम/2020/333** दिनांक: 03.08.2020

# सूचना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सभी शेयर धारकों, निदेशकों, अंकेक्षकों सहित सचिवीय अंकेक्षक को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 49वीं वार्षिक बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, डाकघर-कोयला नगर, धनबाद में दिनांक शुक्रवार 7 अगस्त 2020 को 10:00 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु होगी:

## सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं विवरण सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ निदेशक मंडल, सांविधिक अंकेक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति, विवेचन एवं ग्रहण करने हेतु।
2. **श्री राकेश कुमार,** डीआइएन सं. 08392007, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।
3. **श्री बिनय दयाल,** डीआइएन सं. 07367625 जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त होने के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

## विशेष कार्य:

### मद सं. 4.

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियम सहित), वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक ₹ 20,87,000.00 (बीस लाख सत्तासी हजार रुपए मात्र) (खुदरा खर्च सहित) प्रभावी जीएसटी अतिरिक्त और दिनांक 27.09.2019 को संपन्न 355वीं बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव सं. 355.6डी के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित यथा स्वीकार्य तथा एतद् द्वारा संशोधित, के आलोक में संकल्प पारित किया गया।

## सूचना का परिशिष्ट

### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के लिए व्याख्यात्मक विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 द्वारा आवश्यक है, निम्नलिखित व्याख्यात्मक वक्तव्य, दिनांक 03.08.2020 से संबंधित सूचना के मद सं. 1, 2 एवं 3 के तहत उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्य को निर्धारित करता है।

**मद सं. 4.**

**कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की संपुष्टि।**

निदेशक मंडल ने दिनांक 27.09.2019 को संपन्न अपनी 355वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक (खुदरा खर्च सहित) को भी अनुमोदित कर दिया। कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम 14 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के आलोक में लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लागत लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक को शेयर धारकों द्वारा भी संपुष्टि करने की आवश्यकता होगी।

निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयर धारकों द्वारा संपुष्टि के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की सीमा को छोड़कर उक्त संकल्प से संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते।

बोर्ड के आदेशानुसार<br>
(श्री बी. के. पारूई)<br>
कंपनी सचिव

**पंजीकृत कार्यालय:**

कोयला भवन, पो. कोयला नगर, जिला - धनबाद<br>
दिनांक: 03.08.2020

1. वर्तमान में देश में फैली हुई महामारी कोविद-19 के कारण उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के प्रावधानों, इसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम के नियम 18 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रमश: जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए (उस समय प्रभावी किसी भी सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) और अन्य लागू नियमों व विनियमों के अनुसार शेयर धारक, निदेशक और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सचिवालयीन लेखा परीक्षक समेत लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार होंगे। वे cos.bccl@coalindia.in पर ईमेल करके बैठक में विचारार्थ मुद्दों पर अपनी सहमति और असहमति भेजने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य आडियो विज़ुअल माध्यम (ओवीएएम) से भी बैठक में भाग ले और/या मतदान कर सकते हैं । सदस्यों द्वारा स्थानापन्न को नियुक्त करने की सुविधा नही दी जाएगी। यद्यपि, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ओवीएएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी की अधिकृत ईमेल आईडी से बैठक से पहले ही लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक से जुड़ने की सुविधा बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम पंद्रह मिनट पहले शुरु कर दी जाएगी और निर्धारित समय के पंद्रह मिनट बाद बंद नही की जाएगी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के तहत शेयर धारकों से यह आग्रह किया जाता है कि वे वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु अपनी सहमति यथाशीघ्र प्रदान करें।

**प्रतिलिपि:-**

i. बीसीसीएल के समस्त निदेशकगण<br>
ii. मैसर्स एन.सी. बनर्जी ऐंड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक<br>
iii. मैसर्स जे.के. दास ऐंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक<br>
iv. मैसर्स दत्ता घोष भट्टाचार्य ऐंड एसोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षक

# वर्ष 2019-20 दौरान प्रबंधन

## अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

| | | |
|---|---|---|
| श्री पी. एम. प्रसाद | : | (02.08.2019 से निरंतर) |
| श्री शेखर शरण | : | (18.04.2019 से 02.08.2019 तक) |
| श्री गोपाल सिंह | : | (18.10.2018 से 17.04.2019 तक) |

## पूर्ण कालिक निदेशक

| | | |
|---|---|---|
| श्री आर. एस. महापात्र | : | कार्मिक (22.12.2017 से 31.05.2020) |
| श्री राकेश कुमार | : | तकनीकी (12.03.2019 से निरंतर) |
| श्री समीरण दत्ता | : | वित्त (18.07.2019 से निरंतर) |
| श्री के. आर. वासुदेवन | : | वित्त (01.06.2019 से 18.07.2019 तक) |
| श्री के. एस. राजाशेखर | : | वित्त (01.03.2015 से 31.05.2019 तक) |
| श्री चंचल गोस्वामी | : | तकनीकी (04.11.2019 से निरंतर) |
| श्री जयप्रकाश गुप्ता | : | तकनीकी (14.08.2019 से 04.11.2019 तक) |
| श्री पी. एम. प्रसाद | : | तकनीकी (09.05.2019 से 02.08.2019 तक) |
| श्री के. के. मिश्रा | : | तकनीकी (14.03.2019 से 08.05.2019 तक) |

## अंशकालिक निदेशक

| | | |
|---|---|---|
| श्री बिनय दयाल | : | निदेशक (तक.), सीआइएल, कोलकाता<br>(09.11.2017 से निरंतर) |
| श्री बी. पी. पति | : | संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय,<br>सरकार द्वारा नामित (03.10.2018 से निरंतर) |

## स्वतंत्र निदेशक

| | | |
|---|---|---|
| डॉ. के. एस. खोबरागड़े | : | (06.09.2017 से निरंतर) |
| श्री नरेंद्र सिंह | : | (10.07.2019 से निरंतर) |
| डॉ. ए. के. लोमस | : | (17.11.2015 से 16.11.2019 तक) |
| डॉ. हरि सिंह यादव | : | (17.11.2015 से 16.11.2019 तक) |
| श्री विष्णु प्रसाद दास | : | (02.02.2017 से 01.02.2020 तक) |

# बैंकर एवं लेखा परीक्षक

## बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
आंध्र बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
सिंडीकेट बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
एक्सिस बैंक
कारपोरेशन बैंक
इलाहाबाद बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक

## लेखा परीक्षक

**सांविधिक लेखा परीक्षक**
**मैसर्स एन. सी. बनर्जी एंड कं.**
सनदी लेखापाल, बोकारो

## शाखा लेखा परीक्षक

**मैसर्स सुशील कुमार शर्मा एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल, रांची
**मैसर्स मनमोहन सिंह एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल, पटना
**मैसर्स आरकेजीएसएलवी एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल, धनबाद
**मैसर्स वी. एन. पुरोहित एण्ड कं.**
दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
**मैसर्स अहसान अनिल नेगी एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल, धनबाद
**मैसर्स दत्ता पी. कुमार एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखापाल, गिरीडीह
**मैसर्स एम. रघुनाथ एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल, देवघर
**मैसर्स केडिया अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखापाल, गिरीडीह

## वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल के क्षेत्र/इकाइयों में निरंतर आंतरिक लेखा परीक्षा करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षकों की सूची निम्नलिखित है:-

| क्र. सं. | ऑडिट फर्मों का नाम | आवंटित क्षेत्र / इकाइयां |
|---|---|---|
| 1 | मैसर्स बंदोपाध्याय एण्ड दत्ता | मुख्यालय सहित कोयला नगर में स्थित सभी कार्यालय एवं इसकी इकाइयां एवं बीसीसीएल के प्रमुख लेखा परीक्षक |
| 2 | मैसर्स घोष एण्ड एसोसिएट्स | वाशरी डिविजन (पूर्वी वाशरी जोन एवं पश्चिमी वाशरी जोन सहित) |
| 3 | मैसर्स कर्म एण्ड कंपनी | बरोरा क्षेत्र |
| 4 | मैसर्स कोनार मुस्तफी एण्ड एसोसिएट्स | ब्लॉक-II क्षेत्र |
| 5 | मैसर्स ए. सी. दत्ता एण्ड कंपनी | गोविन्दपुर क्षेत्र |
| 6 | मैसर्स के. पांडेय एण्ड कंपनी | कतरास क्षेत्र |
| 7 | मैसर्स अनिल मिहिर एण्ड एसोसिएट्स | सिजुआ क्षेत्र |
| 8 | मैसर्स आर .सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी | कुसुन्डा क्षेत्र |
| 9 | मैसर्स सरकार एण्ड एसोसिएट्स | पुटकी बलिहारी क्षेत्र |
| 10 | मैसर्स बी. रतन एण्ड एसोसिएट्स | बस्ताकोला क्षेत्र |
| 11 | मैसर्स पी. एस. राय एण्ड एसोसिएट्स | लोदना क्षेत्र |
| 12 | मैसर्स डी. सी. गर्ग एण्ड कंपनी | पूर्वी झरिया क्षेत्र |
| 13 | मैसर्स के. के. चानानी एण्ड एसोसिएट्स | चांच विक्टोरिया क्षेत्र |
| 14 | मैसर्स सुदीप घोष एण्ड एसोसिएट्स | पश्चिमी झरिया क्षेत्र |

## लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स दत्ता घोष भट्टाचार्य एंड एसोसिएट्स,कोलकाता

मैसर्स बी. मुखोपाध्याय एण्ड कंपनी, कोलकाता

मैसर्स के. के. दास एण्ड एसोसिएट्स, दुर्गापुर

मैसर्स कृष्णा एंड कंपनी, धनबाद

मैसर्स मुसीब एण्ड कं., कोलकाता

मैसर्स एस धल एंड कंपनी, भुबनेश्वर

मैसर्स एस. के. भट्ट एंड एसोसिएट्स, दिल्ली

मैसर्स सुभद्रा दत्ता एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता

## सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स जे के दास एंड एसोसिएट्स, कोलकाता

कंपनी सचिव

# 31.07.2020 को प्रबंधन

## अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

*श्री पी. एम. प्रसाद*

## पूर्णकालिक निदेशक

*श्री समीरण दत्ता*
*निदेशक (वित्त))*

*श्री चंचल गोस्वामी*
*निदेशक (तकनीकी)*

*श्री राकेश कुमार*
*निदेशक (तकनीकी)*

*श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव*
*निदेशक (कार्मिक)*

## अंशकालिक निदेशक

*श्री बिनय दयाल*
*निदेशक (तकनीकी), सीआईएल, कोलकाता*

*श्री बी. पी. पति*
*संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित*

## स्वतंत्र निदेशक

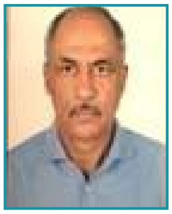

*श्री नरेंद्र सिंह*

*डॉ. के. एस. खोबरागड़े*

## कंपनी सचिव

*श्री बी. के. पारुई*

# अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

**प्रिय मित्रो,**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 49वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षित लेखा को सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षक और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट व समीक्षा के साथ आपके बीच पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। आपकी अनुमति से मैं इनका वाचन करता हूँ।

बीसीसीएल के लिए यह वर्ष बहुत ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा रहा है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही तय किए गए लक्ष्यों के मुक़ाबले उत्पादन और लाभप्रदता की स्थिति चिंताजनक बनी रही। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद, कंपनी द्वारा समुचित उत्पादन और प्रेषण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए गए, और जब कंपनी द्वारा लक्ष्य हासिल करने के लिए गंभीर और अनवरत प्रयास किए जा रहे थे, उस समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक पहले के दिनों में वैश्विक महामारी कोविद-19 का कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा।

## 1. वर्ष 2019-20 में बीसीसीएल के कार्य प्रदर्शन अवलोकन

विभिन्न व्यवधानों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपकी कंपनी ने कोयला उत्पादन में लक्ष्य 36.00 मिलियन टन की तुलना में 27.73 मि. टन और ऑफटेक में लक्ष्य 36.00 मिलियन टन की तुलना में 28.76 मि. टन किया गया है। वर्तमान वर्ष में प्रति मैनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस) के मामले में उत्पादकता 3.22 रही, जो कि वर्ष 2018-19 में 3.26 थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान ऑफटेक में कमी के साथ शुरु बिक्री में कमी आयी है। हालांकि, कंपनी वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर ग्रेड प्राप्ति के कारण 07.03.2019 से प्रभावी कोकिंग कोल V तथा VI ग्रेड की शुरुआत करने हेतु उच्च विक्रय को प्राप्त करके तथा व्यय में कमी कर अपनी लाभप्रदता को बनाये रख सकती है। वर्ष के दौरान कर से पहले लाभ ₹ 991.12 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष ₹ 557.05 करोड़ था।

## 2. परियोजना की रूपरेखा

जैसा की आप जानते हैं, बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की पहली ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा बीओएम कॉन्सेप्ट के तहत स्थापित होने वाली 07 नई कोकिंग कोल वाशरियों में से दो नयी कोल वाशरी, 1.6 एमटीपीए दहीबारी वाशरी एवं 5.0 एमटीवाई पाथरडीह वाशरी शुभारंभ किया जा चुका है। 5 मिलियन टन क्षमता वाली पाथरडीह वाशरी का पीजी टेस्ट वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है।

भावी परिदृष्य को ध्यान में रखते हुए 2017-18 में बीसीसीएल को (i) पीरपैंती बाराहाट (ii) मंदार पर्वत (iii) धूलिया उत्तर; और (iv) मिर्ज़ागांव 4 (चार) कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इन चार कोयला ब्लॉकों में से दो कोल ब्लॉक धूलिया उत्तर और मिर्जागांव कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय को वापस कर दिया गया है। हालांकि, एक नया कोल ब्लॉक पूर्वी दामागोरिया (कल्याणेश्वरी) को कंपनी को आबंटित किया गया है, इसके लिए खनन/परियोजना रिपोर्ट

तैयार की जा रही है। सीएमपीडीआईएल की मदद से कंपनी ने झरिया सीएमएम / सीबीएम ब्लॉक, झरिया कोल फील्ड्स (बीसीसीएल के कोयला खनन पट्टाधारित क्षेत्र के तहत) कोल माइंस मीथेन (सीएमएम) की निकासी उद्यम के क्षेत्र में भी कदम रखा है, इस ब्लॉक को पहले ही लिया जा चुका है और इस दिशा में काफी तेजी से काम किया जा रहा है।

### 3. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय क्षेत्र में उपलब्धियां

जैसा कि आप जानते हैं कि खनन उद्योग में बीसीसीएल विकृत और खनन की जा चुकी भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरुद्धार कार्य के क्षेत्र में अग्रणी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में, आपकी कंपनी ने किए जा रहे विभिन्न खनन एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यों के बारे में विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बहुत से स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थाओं से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए इको माइनिंग पर्यटन भ्रमण का आयोजन कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण खनन उद्योग के क्षेत्र में एक आवश्यक कार्य है और इस दिशा में, वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोयला ढुलाई से से उड़ने वाली धूल को न्यूनतम करने के लिए ओवरहेड स्प्रिंकलर, हॉल रोड पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर को स्थापित किया गया है।

### 4. सुरक्षा उपाय

सुरक्षा के साथ खनन कंपनी के लिए सर्वोपरि है और वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए बीसीसीएल की सभी खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए कंपनी की सभी खदानों में बहु विभागीय अंतर क्षेत्रीय दल द्वारा सुरक्षा संपरीक्षा की गयी। कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सुरक्षा, गुणवत्ता और पर्यावरण संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट को नियमित रूप से इसकी समीक्षा और मूल्यांकन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और बोर्ड के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन पूरी निष्ठा से कंपनी द्वारा किया जाता है।

### 5. उत्पाद और सेवा गुणवत्ता

वर्ष 2018-19 की शुरुआत से ही किए गए विभिन्न गुणता सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, कंपनी में ग्रेड पुष्टिकरण प्रतिशत में (तृतीय पक्ष नमूना) उल्लेखनीय सुधार आया है। संयुक्त नमूना और विश्लेषण के आधार पर घोषित ग्रेड की पुष्टि करने वाले संपूर्ण प्रतिशत में सुधार हुआ है जो कि वर्ष 2018-19 में 98.06% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 98.94% का थोड़ा सा सुधार हुआ है।

### 6. निगम संचालन (कॉरपोरेट गवर्नेन्स)

आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेन्स के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट गवर्नेन्स की लागू शर्तों के साथ ही समय-समय पर जारी डीपीई दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करती है। निदेशकों की रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर एक विशेष भाग दिया गया है। कॉरपोरेट गवर्नेन्स के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डीपीई के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अवगत करा दिया गया है। बोर्ड की वैसी सभी उप समितियां जिन्हें विशेष भूमिकाएं दी गई हैं, वे नियमित रूप से बैठकें करती हैं तथा बोर्ड को अपनी प्रति पुष्टि से अवगत करा रही हैं और बोर्ड को आवश्यक सहायता भी दे रही हैं। बीसीसीएल अपनी कार्यप्रणाली में कॉरपोरेट गवर्नेन्स से संबंधित सर्वश्रेष्ठ विधियों को लागू करने का प्रयत्न कर रही है। और अधिक पारदर्शिता लाने व बेहतर अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार सचिवीय अंकेक्षण किया जा रहा है। बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेन्स के आधार स्तंभ माने जाने वाले स्वतंत्र निदेशकगण अपनी खुद की बैठकें भी करते हैं। बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों को अपने दायित्वों और कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

### 7. पुनरुद्धार और पुनर्वास

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी कंपनी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अग्नि प्रभावित है और बहुमूल्य कोयले की निकासी के लिए झरिया कोलफील्ड्स में निरंतर अग्नि को बुझाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। बीसीसीएल के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धंसान से निपटने और पुनर्वास के लिए अनुमोदित झरिया मास्टर प्लान अभी क्रियान्वित हो रहा है और आपकी कंपनी अपने दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के मामले में मास्टर प्लान में निर्धारित समय से आगे चल रही है और मास्टर प्लान की निर्धारित अवधि से पूर्व 2020 तक अपने प्रभावित कर्मचारियों / परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास करने में सक्षम होगी। बीसीसीएल इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे झारखंड राज्य सरकार, सीएमपीडीआईएल, रेलवे व अन्य के साथ संपर्क कर धनबाद के लोगों के बेहतर जीवन के लिए योगदान कर रहा है।

### 8. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी वंचितों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन

की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविद-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट की घड़ी में सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन आपकी कंपनी के साथ-साथ प्रत्येक कॉरपोरेट का मूलमंत्र बना गया। इस महामारी से निपटने के लिए, केंद्रीय चिकित्सालय बीसीसीएल-धनबाद की जीवन रेखा को पूर्ण सुविधायुक्त कोविद अस्पताल में बदल दिया गया और कोविद रोगियों के उपचार के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध करवायी गयीं। प्रतिबद्ध कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, सभी अग्रिम मोर्चे के कामगारों जिसमें चिकित्सक, नर्स व कंपनी से जुड़े अन्य सहायक कर्मचारी सम्मिलित हैं, ने संकट की घड़ी में अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ सेवा दी। देश के प्रत्येक कोने से वापस लौटने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए संगरोध केंद्रों में पूरे प्रवास के दौरान भोजन, आश्रय और अन्य सुविधाएं प्रदान की गयीं। बीसीसीएल की इन गतिविधियों को कंपनी के विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा बहुत सराहा गया। वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियां निदेशकों की रिपोर्ट में सम्मिलित हैं।

## 9. अपेक्षा

आशा ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो जीवन को बनाए रख सकती है, जब चारों ओर अंधियारा छा जाता है और हम कहते हैं कि आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, उस समय हमें कहना चाहिए कठिन समय खत्म हो रहा है। हमें अपने देश और विशेषकर कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब प्रतीत होता है कि आगे का मार्ग बंद है, वास्तव में यह एक मोड़ होता है और जब यह कंपनी अपनी स्थापना से ही तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बची रही, तो बड़े से बड़े संकट के बावजूद आगे बढ़ने की उम्मीद है। हमारे अनथक प्रयासों से, हम इन विपरीत परिस्थितियों से निपटेंगे और आने वाले समय में एक नई ऊंचाई हासिल करेंगे।

## 10. आभार

मैं बीसीसीएल के निदेशक मंडल की ओर से विभिन्न हमारे सभी हितधारकों जैसे कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों,विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के प्राधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, यूनियनों, हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं ,आपूर्तिकर्ताओं को उनके निरंतर मार्गदर्शन, समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता, कठोर परिश्रम और उनके अनथक प्रयासों के लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनहोने वैश्विक महामारी की स्थितियों में अपनी जान की परवाह न करते हुए अबाधित कोयला उत्पादन में योगदान दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्य के प्रति आपके प्रयासों समर्पण और लगन से कंपनी आने वाले वर्षों में बहुत बेहतर करेगी और अपने सभी हितधारकों की अपेक्षा को पूरा करने में एक सक्रिय भागीदार होगी। मैं बोर्ड के अपने साथी सदस्यों को भी उनकी सतत समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(पी. एम. प्रसाद)
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

# परिचालन आंकड़े

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. (अ) कच्चे कोयला का उत्पादन : ( मिलियन टन)** | | | | | | | | | | |
| भूमिगत | 1.04 | 0.90 | 1.08 | 1.68 | 1.81 | 2.03 | 2.7 | 3.153 | 3.485 | 3.696 |
| खुली खदान | 26.69 | 30.14 | 31.53 | 35.36 | 34.05 | 32.48 | 29.91 | 28.058 | 26.72 | 25.308 |
| **कुल** | 27.73 | 31.04 | 32.61 | 37.04 | 35.86 | 34.51 | 32.61 | 31.211 | 30.203 | 29.004 |
| (ब) मलवा हटाई (ओबीआर) (मिलियन घन मी.) | 82.65 | 103.25 | 110.47 | 131.22 | 148.59 | 103.9 | 85.419 | 84.259 | 81.361 | 83.226 |
| **2. उठाव (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)** | | | | | | | | | | |
| बिजली | 23.63 | 27.24 | 27.52 | 27.49 | 28.99 | 27.43 | 27.07 | 25.34 | 21.37 | 20.16 |
| इस्पात | 0.66 | 2.50 | 2.81 | 4.25 | 3.5 | 2.69 | 3.44 | 3.86 | 4.13 | 4.26 |
| सीमेंट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| खाद (फर्टिलाइजर) | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 1.10 | 1.03 | 0.96 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.11 |
| कोलियरी में खपत | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| अन्य | 3.48 | 2.39 | 2.15 | 2.03 | 2.63 | 2.52 | 2.68 | 2.68 | 3.47 | 3.72 |
| **कुल** | 28.76 | 33.07 | 33.36 | 34.92 | 36.20 | 33.66 | 33.04 | 33.08 | 30.12 | 29.34 |
| **3. औसत श्रमशक्ति** | 44722 | 47383 | 49947 | 52409 | 54861 | 57506 | 60329 | 63291 | 66409 | 69886 |
| **4. उत्पादकता** | | | | | | | | | | |
| (क) औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (टन) | 620.05 | 655.09 | 652.89 | 706.75 | 653.65 | 600.11 | 540.54 | 493.13 | 454.8 | 415.02 |
| (ख) प्रति मैनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस) | | | | | | | | | | |
| (i) भूमिगत (टन) | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| (ii) ओपनकास्ट (टन) | 6.11 | 6.75 | 7.05 | 8.99 | 8.52 | 8.34 | 9.38 | 7.57 | 6.57 | 6.11 |
| (iii) कुल मिलाकर (टन) | 3.62 | 3.87 | 3.56 | 3.46 | 3.20 | 2.96 | 2.64 | 2.45 | 2.2 | 2.06 |
| **5. सूचना - लागत रिपोर्ट के अनुसार** | | | | | | | | | | |
| (i) प्रति मैन शिफ्ट आय (₹) | 4609.92 | 4551.08 | 3979.74 | 3411.03 | 3002.10 | 2844.90 | 2628.66 | 2400.22 | 1960.54 | 1611.13 |
| (ii) शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन की औसत लागत (₹ प्रति टन) | 2987.89 | 2604.93 | 2773.89 | 2136.65 | 2054.10 | 1955.32 | 1906.02 | 2014.89 | 2003.15 | 1646.72 |
| (iii) शुद्ध बिक्री योग्य कोयला के उत्पादन का औसत विक्रय मूल (₹ प्रति टन) | 2998.37 | 2636.39 | 2176.14 | 2171.80 | 2354.34 | 2272.07 | 2383.07 | 2475.68 | 2127.45 | 1936.95 |
| (iv) लाभ प्रति टन (₹) लक्ष्य | 350.49 | -162.13 | -93.65 | 20.33 | 257.88 | 333.26 | 338.27 | 416.74 | | |
| (v) लाभ प्रति टन (₹) वास्तविक | 246.18 | 223.04 | -610.15 | -62.22 | 300.23 | 316.75 | 334.46 | 640.6 | | |

# वित्तीय स्थिति

## (बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

वित्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)
(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 (पुनर्व्यक्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) जो स्वामित्व में है** | | | | | |
| सकल पीपीई | 2,551.68 | 2,459.85 | 2,153.47 | 2,007.83 | 1,913.17 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और हानि | 1,131.35 | 1,025.98 | 796.65 | 490.87 | 229.14 |
| **(1) शुद्ध पीपीई** | **1,420.33** | **1,433.87** | **1,356.82** | **1,516.96** | **1,684.03** |
| (ख) जारी पूंजीगत कार्य | 1,702.26 | 1,542.92 | 1,403.17 | 1,138.98 | 785.75 |
| (ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ | 645.16 | 552.26 | 563.44 | - | - |
| (घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | - | - | - | - | - |
| (ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ | - | - | - | - | - |
| (च) निवेश संपत्ति | | | | | |
| (छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | |
| (i) निवेश | - | - | - | | |
| (ii) ऋण | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.50 | 0.77 |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 706.72 | 389.96 | 297.78 | 303.40 | 197.00 |
| (ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | 573.35 | 549.14 | 856.46 | 387.10 | 285.15 |
| (झ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ | 516.80 | 501.72 | 132.08 | 149.47 | 128.60 |
| **कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (क)** | **5,564.69** | **4,970.02** | **4,610.02** | **3,496.41** | **3,081.30** |
| | | | | | |
| **वर्तमान परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| (क) सूची (इन्वेंटरी) | | | | | |
| (i) कोयले, कोक आदि की सूची | 630.50 | 709.83 | 968.47 | 1,226.98 | 828.60 |
| (ii) भंडार और पुर्जों की सूची | 63.11 | 58.05 | 53.69 | 53.07 | 50.05 |
| (iii) अन्य सूची (इन्वेंटरी) | 7.16 | 6.21 | 6.63 | 9.42 | 9.54 |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | |
| (i) निवेश | 4.00 | 26.40 | 0.77 | 45.99 | 71.90 |
| (ii) व्यापार प्राप्य | 2,414.72 | 613.72 | 1,459.92 | 2,636.38 | 2,637.66 |
| (iii) नकद और नकद समकक्ष | 34.30 | 86.49 | 192.89 | 37.87 | 569.69 |
| (iv) अन्य बैंक शेष | 1,423.31 | 2,015.02 | 900.00 | 1,283.69 | 1,107.73 |
| (v) ऋण | - | - | - | - | - |
| (vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 400.84 | 412.63 | 387.82 | 85.98 | 77.40 |
| (ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | 32.83 | 12.61 | 41.61 | 46.59 | 20.53 |
| (घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ | 1,800.94 | 1,802.60 | 1,355.73 | 1,059.04 | 744.10 |
| **कुल वर्तमान संपत्ति (ख)** | **6,811.71** | **5,743.56** | **5,367.53** | **6,485.01** | **6,117.20** |
| | | | | | |
| **वर्तमान देयताएँ** | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएँ | | | | | |
| (i) उधारियां | 583.07 | - | - | - | - |

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 (पुनर्व्यक्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) व्यापार देय | 1,635.45 | 1,666.59 | 1,343.86 | 983.61 | 877.90 |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 771.68 | 773.42 | 833.45 | 970.23 | 580.96 |
| (ख) अन्य वर्तमान देयताएँ | 2,238.49 | 2,795.20 | 2,019.67 | 1,675.22 | 1,711.83 |
| (ग) प्रावधान | 979.44 | 960.86 | 1,757.68 | 1,663.55 | 1,370.38 |
| **कुल वर्तमान देयताएँ (ग)** | **6,208.13** | **6,196.07** | **5,954.66** | **5,292.61** | **4,541.07** |
| **शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (घ) (ख-ग)** | **603.58** | **-452.51** | **-587.13** | **1,192.40** | **1,576.13** |
| **कुल (क) (क+ख)** | **6,168.27** | **4,517.51** | **4,022.89** | **4,688.81** | **4,657.43** |
| **(ख) जो बकाया है** | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएँ | | | | | |
| (i) उधारियां | - | 2,350.92 | 2,176.78 | 2,015.54 | 1,866.24 |
| (ii) व्यापार देय | - | - | - | - | - |
| (iii) अन्य वित्तीय दायित्व | 88.45 | 82.27 | 65.83 | 63.15 | 38.44 |
| (ख) प्रावधान | 1,777.15 | 1,026.30 | 1,146.70 | 683.04 | 690.84 |
| (ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ | 5.01 | 5.70 | 4.88 | 0.96 | - |
| **कुल (ख)** | **1,870.61** | **3,465.19** | **3,394.19** | **2,762.69** | **2,595.52** |
| **कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)** | **4297.66** | **1052.32** | **628.70** | **1926.12** | **2061.91** |
| **निम्नलिखित के द्वारा निरूपित** | | | | | |
| 1. इक्विटी पूंजी | 4657.00 | 2118.00 | 2118.00 | 2118.00 | 2118.00 |
| 2. अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी भाग | 0.00 | 1057.52 | 1057.52 | 1057.52 | 1,057.52 |
| 3. रिजर्व और अधिशेष | (359.34) | (2123.20) | (2546.82) | (1249.40) | (1113.61) |
| **कुल मूल्य (नेट वर्थ)** | **4,297.66** | **1,052.32** | **628.70** | **1,926.12** | **2,061.91** |
| **नियोजित पूंजी** | **2023.91** | **981.36** | **769.69** | **2709.36** | **3260.16** |

# आय और व्यय विवरणी

## (बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

वित्तीय आंकड़े (₹ करोड़ में)

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 पुनर्व्यक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) से अर्जित:** | | | | | |
| 1. सकल बिक्री | 12,224.47 | 12,899.98 | 10,493.56 | 11,505.53 | 11001.01 |
| घटाएं: लेवी | 3,256.91 | 3,522.30 | 3,193.77 | 2,883.17 | 1936.13 |
| **कुल बिक्री(1)** | **8967.56** | **9377.68** | **7299.79** | **8622.36** | **9064.88** |
| 2. अन्य परिचालन राजस्व | | | | | |
| (क) निकासी सुविधा शुल्क | 143.28 | 167.95 | 51.19 | 0.00 | 0.00 |
| (ख) रेत के भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता | 0.00 | -0.82 | 0.43 | 2.03 | 3.74 |
| (ग) परिवहन और लोडिंग लागत की वसूली | 315.17 | 330.07 | 252.66 | 225.36 | 230.87 |
| **कुल अन्य परिचालन राजस्व (2)** | **458.45** | **497.20** | **304.28** | **227.39** | **234.61** |
| **संचालन से राजस्व (1 + 2)** | **9426.01** | **9874.88** | **7604.07** | **8849.75** | **9299.49** |
| 3. अन्य आय | | | | | |
| (क) जमा आदि पर ब्याज | 159.24 | 153.18 | 137.78 | 140.47 | 181.91 |
| (ख) अन्य गैर-परिचालन आय | 381.62 | 194.07 | 310.31 | 174.74 | 84.05 |
| (ग) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज | 4.13 | 25.63 | 6.71 | 7.17 | 3.32 |
| **कुल (क)** | **9971.00** | **10247.76** | **8058.87** | **9172.13** | **9568.77** |
| **(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:** | | | | | |
| 1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ) | 5761.35 | 5866.95 | 6417.58 | 5143.94 | 4602.90 |
| (क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि | 4155.12 | 4183.93 | 4338.09 | 3361.17 | 3343.58 |
| (ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान | 647.57 | 784.26 | 495.60 | 394.74 | 394.13 |
| (ग) ग्रेच्युटी | 240.04 | 390.23 | 1264.19 | 191.89 | 157.35 |
| (घ) अवकाश नकदीकरण | 220.24 | 163.61 | 40.21 | 223.92 | 101.78 |
| (ङ) अन्य | 498.38 | 344.92 | 279.49 | 972.22 | 606.06 |
| 2. स्टॉक में वृद्धि / कमी | 79.48 | 258.35 | 134.00 | (397.74) | (76.13) |
| 3. उत्पाद शुल्क | 0.00 | 0.00 | 148.11 | 582.58 | 572.4 |
| 4. सीएसआर खर्च | 6.01 | 1.43 | 2.74 | 11.45 | 50.67 |
| 5. खपत सामग्रियों की लागत | 397.15 | 517.78 | 499.84 | 559.81 | 591.2 |
| 6. बिजली और ईंधन | 233.72 | 232.18 | 283.54 | 294.51 | 320.7 |
| 7. मरम्मत | 201.49 | 224.49 | 250.82 | 277.84 | 239.46 |
| 8. संविदागत व्यय | 1,211.50 | 1,312.57 | 1,292.86 | 1,491.93 | 1532.69 |
| 9. वित्त लागत | 221.83 | 200.66 | 189.84 | 173.50 | 163.17 |
| 10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि | 197.53 | 248.52 | 276.03 | 262.80 | 221.38 |
| 11. प्रावधान | (35.11) | 38.92 | 169.15 | 251.31 | 38.98 |
| 12. बट्टे खाते में | 1.07 | 0.85 | - | 6.04 | 137.72 |
| 13. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन | 49.72 | 100.64 | (148.41) | (121.95) | -150.39 |
| 14. अन्य खर्च | 654.14 | 687.37 | 668.02 | 899.19 | 718.34 |
| **कुल (ख)** | **8979.88** | **9690.71** | **10184.12** | **9435.21** | **8963.09** |
| **कर से पहले लाभ / हानि (क - ख)** | **991.12** | **557.05** | **-2125.25** | **-263.08** | **605.68** |
| कर व्यय | 72.44 | 268.28 | (734.03) | (93.10) | -3.39 |
| **अवधि के लिए लाभ / हानि (ग)** | **918.68** | **288.77** | **-1391.22** | **-169.98** | **609.07** |

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 पुनर्व्यक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य व्यापक आय / (व्यय) | -308.64 | 134.85 | 135.74 | 32.88 | 65.38 |
| ओसीआई पर कर | -96.30 | 0.00 | 41.94 | 11.38 | 22.62 |
| **कुल अन्य व्यापक आय / (व्यय) (घ)** | **-212.34** | **134.85** | **93.80** | **21.50** | **42.76** |
| **कुल व्यापक आय / (व्यय) (ग + घ)** | **706.34** | **423.62** | **-1297.42** | **-148.48** | **651.83** |
| **पिछले वर्षों से संचित हानि** | **(2123.20)** | **(2546.82)** | **(1249.40)** | **(1100.92)** | **(1752.75)** |
| **बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि** | **(359.34)** | **(2123.20)** | **(2546.82)** | **(1249.40)** | **(1100.92)** |
| **(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित** | | | | | |
| 1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या | 21180000 | 21180000 | 21180000 | 21180000 | 21180000 |
| (ii) शेयरधारकों का निधि | | | | | |
| क) इक्विटी शेयर पूंजी | 4,657.00 | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,118.00 |
| ख) अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी अंश | 0.00 | 1,057.52 | 1,057.52 | 1,057.52 | 1,057.52 |
| ग) रिजर्व | | | | | |
| घ) संचित लाभ / हानि | (359.34) | (2123.20) | (2546.82) | (1249.40) | (1100.92) |
| **कुल मूल्य (नेट वर्थ)** | **4,297.66** | **1,052.32** | **628.70** | **1,926.12** | **2074.60** |
| 2. दीर्घकालिक उधार | - | 2,350.92 | 2,176.78 | 2,015.54 | 1,866.24 |
| 3. नियोजित पूंजी | 2023.91 | 981.36 | 769.69 | 2709.36 | 3260.16 |
| 4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ | 1420.33 | 1433.87 | 1356.82 | 1516.96 | 1684.03 |
| (ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ | 6811.71 | 5743.56 | 5367.53 | 6485.01 | 6117.20 |
| (iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी) | 603.58 | -452.51 | -587.13 | 1192.40 | 1576.13 |
| 5. वर्तमान देयताएँ | 6208.13 | 6196.07 | 5954.66 | 5292.61 | 4541.07 |
| 6. क) विविध देनदार (शुद्ध) | 2414.72 | 613.72 | 1459.92 | 2636.38 | 2637.66 |
| ख) नकद और नकद समकक्ष | 34.30 | 86.49 | 192.89 | 37.87 | 569.69 |
| ग) अन्य बैंक बैलेंस | 1423.31 | 2015.02 | 900.00 | 1283.69 | 1107.73 |
| 7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक: | | | | | |
| क) स्टोर और पुर्जे (शुद्ध) | 63.11 | 58.05 | 53.69 | 53.07 | 50.05 |
| ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध) | 630.50 | 709.83 | 968.47 | 1226.98 | 828.60 |
| 8. स्टोर और पुर्जो का औसत स्टॉक (शुद्ध) | 60.58 | 55.87 | 53.38 | 51.56 | 52.01 |
| **(ख) लाभ / हानि से संबंधित** | | | | | |
| 1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) | 1410.48 | 1006.23 | -1659.38 | 173.22 | 990.23 |
| ख) सकल लाभ | 1212.95 | 757.71 | -1935.41 | -89.58 | 768.85 |
| ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले) | 991.12 | 557.05 | -2125.25 | -263.08 | 605.68 |
| घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद) | 918.68 | 288.77 | -1391.22 | -169.98 | 609.07 |
| ङ) टीसीआई (कर से पहले) | 682.48 | 691.90 | -1989.51 | -230.20 | 671.06 |
| च) टीसीआई (कर के बाद) | 706.34 | 423.62 | -1297.42 | -148.48 | 651.83 |
| 2. क) सकल बिक्री | 12224.47 | 12899.98 | 10493.56 | 11505.53 | 11001.01 |
| ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद) | 8967.56 | 9377.68 | 7299.79 | 8622.36 | 9064.88 |
| ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य | 8888.23 | 9119.04 | 7041.28 | 9020.74 | 9138.95 |
| 3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ) | 7976.44 | 8820.63 | 9425.04 | 8885.44 | 8459.20 |
| 4. क) कुल व्यय | 8979.88 | 9690.71 | 10184.12 | 9435.21 | 8963.09 |
| ख) वेतन और मजदूरी | 5761.35 | 5866.95 | 6417.58 | 5143.94 | 4602.90 |
| ग) स्टोर और पुर्जे | 397.15 | 517.78 | 499.84 | 559.81 | 591.2 |
| घ) बिजली और ईंधन | 233.72 | 232.18 | 283.54 | 294.51 | 320.7 |
| ङ) वित्त लागत और मूल्यह्रास | 419.36 | 449.18 | 465.87 | 436.3 | 384.55 |
| 5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत | 33.10 | 43.15 | 41.65 | 46.65 | 49.27 |

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 पुनर्व्यक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति | 44722 | 47383 | 49947 | 52409 | 54861 |
| ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित) | - | - | - | - | - |
| ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च | | | | | |
| 7. क) वर्धित मूल्य | | | | | |
| ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य | | | | | |
| **(क) लाभप्रदता अनुपात** | | | | | |
| 1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में | | | | | |
| क) सकल मार्जिन | 15.73 | 10.73 | -22.73 | 2.01 | 10.92 |
| ख) सकल लाभ | 13.53 | 8.08 | -26.51 | -1.04 | 8.48 |
| ग) शुद्ध लाभ | 11.05 | 5.94 | -29.11 | -3.05 | 6.68 |
| 2) कुल व्यय के % के रूप में | | | | | |
| क) वेतन और मजदूरी | 64.16 | 60.54 | 63.02 | 54.52 | 51.35 |
| ख) स्टोर और पुर्जे | 4.42 | 5.34 | 4.91 | 5.93 | 6.60 |
| ग) बिजली और ईंधन | 2.60 | 2.40 | 2.78 | 3.12 | 3.58 |
| घ) वित्त लागत और मूल्यह्रास | 4.67 | 4.64 | 4.57 | 4.62 | 4.29 |
| 3) नियोजित पूंजी के % के रूप में | | | | | |
| क) सकल मार्जिन | 69.69 | 102.53 | -215.59 | 6.39 | 30.37 |
| ख) सकल लाभ | 59.93 | 77.21 | -251.45 | -3.31 | 23.58 |
| ग) कर से पहले लाभ | 48.97 | 56.76 | -276.12 | -9.71 | 18.58 |
| 4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री) | 0.89 | 0.94 | 1.29 | 1.03 | 0.93 |
| **(ख) तरलता अनुपात** | | | | | |
| 1) वर्तमान अनुपात | 1.10 | 0.93 | 0.90 | 1.23 | 1.35 |
| 2) त्वरित अनुपात | 0.98 | 0.80 | 0.73 | 0.98 | 1.15 |
| **(ग) टर्नओवर अनुपात** | | | | | |
| 1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियोजित पूंजी) | 4.43 | 9.56 | 9.48 | 3.18 | 2.78 |
| 2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार | | | | | |
| क) सकल बिक्री | 2.37 | 0.57 | 1.67 | 2.75 | 2.88 |
| ख) शुद्ध बिक्री | 3.23 | 0.79 | 2.40 | 3.67 | 3.49 |
| 3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में | | | | | |
| क) विविध देनदार | 0.27 | 0.07 | 0.20 | 0.31 | 0.29 |
| ख) कोयले का स्टॉक | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| 4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक | | | | | |
| क) औसत / वार्षिक खपत | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक | 1.91 | 1.35 | 1.29 | 1.14 | 1.02 |
| 5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक | | | | | |
| क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में | 0.85 | 0.93 | 1.65 | 1.63 | 1.09 |
| ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत | 0.95 | 0.97 | 1.23 | 1.66 | 1.18 |
| ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री | 0.84 | 0.91 | 1.59 | 1.71 | 1.10 |
| (घ) संरचनात्मक अनुपात | | | | | |
| क) ऋण : इक्विटी | - | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.88 |
| ख) ऋण : नेट वर्थ | - | 2.23 | 3.46 | 1.05 | 0.90 |
| ग) नेट वर्थ : इक्विटी | 0.92 | 0.50 | 0.30 | 0.91 | 0.98 |
| घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ | 0.33 | 1.36 | 2.16 | 0.79 | 0.81 |

# वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)
वीत्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)
(संशोधित अनुसूची के अनुसार)

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(क) जो स्वामित्व में है** | | | | | | |
| सकल अचल परिसंपतियाँ | 5221.04 | 4919.78 | 4796.21 | 4598.80 | 4568.29 | 4333.38 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और हानि | 3724.46 | 3599.27 | 3414.62 | 3240.05 | 3132.35 | 3003.78 |
| **(1) शुद्ध अचल परिसंपतियाँ** | **1496.58** | **1320.51** | **1381.59** | **1358.75** | **1435.94** | **1329.60** |
| (2) पूँजीगत जारी कार्य | 785.61 | 768.71 | 503.85 | 227.10 | 166.92 | 104.95 |
| (3) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ | 285.15 | 113.91 | - | - | - | - |
| (4) गैर-वर्तमान निवेश | - | - | 13.85 | 27.71 | 41.57 | 55.42 |
| (5) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | 130.66 | 134.15 | 56.50 | 41.74 | 39.82 | 41.25 |
| (6) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ | 246.7 | 114.43 | - | 0.00 | 0.87 | 0.72 |
| **(7) वर्तमान परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| (i) (क) कोयले, कोक आदि की सूची | 828.6 | 754.53 | 618.75 | 757.05 | 946.79 | 1025.94 |
| (ख) भंडार और पुर्जों आदि की सूची | 49.33 | 53.97 | 63.68 | 74.02 | 93.85 | 86.12 |
| (ग) अन्य सूची (इन्वेंटरी) | 9.55 | 7.21 | 6.24 | 6.00 | 3.77 | 0.30 |
| (ii) व्यापार प्राप्य | 2638.05 | 1600.60 | 1570.15 | 1372.05 | 951.72 | 618.14 |
| (iii) नकद और बैंक शेष | 1,680.42 | 2578.34 | 2287.72 | 2394.13 | 2102.86 | 1250.98 |
| (iv) वर्तमान निवेश | 71.90 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| (v) अल्पावधि ऋण और अग्रिम | 559.18 | 878.00 | 810.72 | 502.15 | 237.04 | 104.77 |
| (vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ | 448.09 | 314.48 | 375.43 | 315.72 | 180.07 | 163.50 |
| **कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7)** | **6285.12** | **6200.99** | **5746.55** | **5434.98** | **4,529.96** | **3,263.61** |
| **(8) कम वर्तमान देयताएं और प्रावधान** | | | | | | |
| (क) अल्पावधि उधार | - | 649.64 | 481.59 | 1098.70 | 2,500.23 | 3145.08 |
| (ख) व्यापार देय | 94.20 | 80.79 | 65.57 | 88.93 | 127.74 | 95.22 |
| (ग) अन्य वर्तमान देनदारियाँ | 3,098.53 | 2371.67 | 2452.9 | 2222.97 | 2,478.23 | 2144.27 |
| (घ) लघु अवधि के प्रावधान | 1,556.69 | 1722.76 | 1461.26 | 1252.79 | 971.43 | 787.06 |
| **कुल वर्तमान देयताएं (8)** | **4749.42** | **4824.86** | **4461.32** | **4663.39** | **6077.63** | **6171.63** |
| **शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)** | **1535.70** | **1376.13** | **1285.23** | **771.59** | **(1547.67)** | **(2908.02)** |
| **कुल (क)** | **4480.40** | **3827.84** | **3241.02** | **2426.89** | **137.45** | **(1376.08)** |
| **(ख) जो बकाया है** | | | | | | |
| (1) दीर्घकालिक उधार | - | - | - | - | 1083.30 | 1083.30 |
| (2) विलंबित कर उत्तरदायित्व | | | | | | |
| (3) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ | 19.42 | 10.55 | 8.98 | 7.35 | 7.67 | 4.75 |
| (4) दीर्घकालिक प्रावधान | 570.85 | 687.59 | 966.72 | 1868.57 | 2533.31 | 1845.06 |
| **कुल (ख)** | **590.27** | **698.14** | **975.70** | **1875.92** | **3624.28** | **2933.11** |
| **कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)** | **3890.13** | **3129.70** | **2265.32** | **550.97** | **(3486.83)** | **(4309.19)** |
| **निम्नलिखित के द्वारा निरूपित** | | | | | | |
| 1. इक्विटी पूंजी | 2118.00 | 2118.00 | 2118.00 | 2118.00 | 2118.00 | 2118.00 |
| 2. अधिमानी शेयर पूंजी | 2539.00 | 2539.00 | 2539.00 | 2539.00 | - | - |
| 3. रिजर्व और अधिशेष | (766.87) | (1527.30) | (2391.68) | (4106.03) | (5604.83) | (6427.19) |
| **कुल मूल्य (नेट वर्थ)** | **3,890.13** | **3,129.70** | **2,265.32** | **550.97** | **(3486.83)** | **(4309.19)** |
| **नियोजित पूंजी** | **3032.28** | **2696.64** | **2666.82** | **2130.34** | **(111.73)** | **(1578.42)** |

# आय और व्यय विवरणी

**(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)**

**वित्तीय आंकड़े**

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(क) से अर्जित:** | | | | | | |
| 1. सकल बिक्री | 11001.01 | 9947.01 | 10099.92 | 10176.62 | 8583.87 | 6951.77 |
| घटाएं: लेवी (उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क) | 2495.48 | 1905.28 | 1811.93 | 1722.02 | 1303.39 | 794.66 |
| **शुद्ध बिक्री(1)** | **8505.53** | **8041.73** | **8287.99** | **8454.60** | **7280.48** | **6157.11** |
| 2. अन्य परिचालन राजस्व | | | | | | |
| (क) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता | 3.74 | 2.38 | 3.86 | | | |
| (ख) परिवहन और लदाई लागत की वसूली | 217.82 | 215.93 | 183.46 | | | |
| कुल अन्य परिचालन राजस्व (2) | 221.56 | 218.31 | 187.32 | | | |
| **परिचालनों से राजस्व (1 + 2)** | **8727.09** | **8260.04** | **8475.31** | | | |
| 3. अन्य आय | | | | | | |
| (क) जमा आदि पर ब्याज | 172.01 | 233.62 | 223.46 | 232.04 | 138.22 | 84.36 |
| (ख) आरबीआई पावर बॉन्ड पर ब्याज | 0.88 | 2.06 | 3.24 | 4.42 | 5.60 | 6.77 |
| (ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता+B2 | - | - | - | 4.86 | 8.03 | 5.52 |
| (घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली | - | - | - | 154.49 | 156.90 | 150.17 |
| (ङ) अन्य गैर-परिचालन आय | 70.39 | 113.12 | 592.79 | 87.00 | 225.40 | 56.50 |
| (च) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज | 2.44 | - | | | | |
| **कुल (क)** | **8972.81** | **8608.84** | **9294.80** | **8937.41** | **7814.63** | **6460.43** |
| **(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:** | | | | | | |
| 1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ) | 4524.63 | 4593.93 | 4410.83 | 4465.65 | 4211.01 | 3235.35 |
| (क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि | 3343.78 | 3311.12 | 3271.73 | 3006.42 | 2650.72 | 2179.59 |
| (ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान | 393.40 | 383.31 | 380.72 | 361.60 | 275.82 | 278.04 |
| (ग) ग्रेच्युटी | 91.97 | 165.28 | 115.36 | 344.63 | 823.35 | 378.22 |
| (घ) अवकाश नकदीकरण | 101.78 | 138.42 | 112.76 | 182.36 | 99.89 | 140.48 |
| (ङ) अन्य | 593.70 | 595.80 | 530.26 | 570.64 | 361.23 | 259.02 |
| 2. स्टॉक में वृद्धि / कमी | (76.12) | (136.48) | 138.25 | 189.74 | 79.31 | (173.25) |
| 3. कल्याण व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.38 | 164.47 | 138.23 |
| 4. सीएसआर खर्च | 50.67 | 14.33 | 20.00 | - | - | - |
| 5. खपत सामग्रियों की लागत | 592.06 | 580.15 | 564.08 | 497.66 | 467.85 | 445.87 |
| 6. बिजली और ईंधन | 333.59 | 319.45 | 312.03 | 317.14 | 314.8 | 217.82 |
| 7. मरम्मत | 239.46 | 195.71 | 173.30 | 126.28 | 80.51 | 70.05 |
| 8. संविदागत व्यय | 1532.68 | 1031.48 | 815.27 | 747.08 | 665.47 | 643.35 |
| 9. वित्त लागत | 4.07 | 3.42 | 30.22 | 18.97 | 22.84 | 42.01 |
| 10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि | 208.85 | 212.98 | 261.14 | 209.98 | 201.35 | 187.07 |
| 11. प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना | 209.15 | 78.75 | 30.03 | 124.01 | 235.66 | 1.45 |
| 12. ओबीआर समायोजन | (150.39) | (25.03) | (99.03) | (15.38) | 47.72 | 20.57 |
| 13. अन्य खर्च | 718.33 | 585.93 | 553.17 | 509.99 | 503.15 | 544.13 |
| 14. पूर्व अवधि समायोजन / अपवादात्मक मदें / असाधारण मदें | 2.07 | - | (3.50) | 3.85 | (1.87) | (5.91) |
| **कुल (ख)** | **8189.05** | **7454.62** | **7205.79** | **7228.35** | **6992.27** | **5366.74** |

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वर्ष के लिए लाभ / हानि (क - ख)** | **783.76** | **1154.22** | **2089.01** | **1709.06** | **822.36** | **1093.69** |
| कर व्यय | 15.56 | 391.08 | 374.66 | 210.26 | - | - |
| **शुद्ध लाभ** | **768.20** | **763.14** | **1714.35** | **1498.80** | **822.36** | **1093.69** |
| **पिछले वर्षों से संचित हानि** | **(1535.07)** | **(2290.44)** | **(4106.03)** | **(5604.83)** | **(6427.19)** | **(7520.88)** |
| **बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि** | **(766.87)** | **(1527.30)** | **(2391.68)** | **(4106.03)** | **(5604.83)** | **(6427.19)** |
| * 2014-15 में पिछले वर्ष से संचित घाटा, क्रमशः ₹ 140.99 करोड़ के आस्थगित कर और ₹ (-) 39.75 करोड़ के अवमूल्यन के समायोजन के बाद है। | | | | | | |
| **(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित** | | | | | | |
| 1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या | 21180000 | 21180000 | 21180000 | 21180000 | 21180000 | 21180000 |
| (ii) अधिमानी शेयरों की संख्या | 25390000 | 25390000 | 25390000 | 25390000 | - | - |
| (iii) शेयरधारकों की निधि | | | | | | |
| क) इक्विटी शेयर कैपिटल | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,118.00 |
| ख) अधिमानी शेयर पूंजी | 2,539.00 | 2,539.00 | 2,539.00 | 2,539.00 | - | - |
| ग) रिजर्व | | | | | | |
| घ) संचित लाभ / हानि | (766.87) | (1527.30) | (2391.68) | (4106.03) | (5604.83) | (6427.19) |
| **कुल मूल्य (नेट वर्थ)** | **3,890.13** | **3,129.70** | **2,265.32** | **550.97** | **(3486.83)** | **(4309.19)** |
| 2. दीर्घकालिक उधार | - | - | - | - | 1083.30 | 1083.30 |
| 3. नियोजित पूंजी | 3032.28 | 2696.64 | 2666.82 | 2130.34 | (111.73) | (1578.42) |
| 4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ | 1496.58 | 1320.51 | 1381.59 | 1358.75 | 1435.94 | 1329.60 |
| (ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ | 6285.12 | 6200.99 | 5746.55 | 5434.98 | 4529.96 | 3263.61 |
| (iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी) | 1535.70 | 1376.13 | 1285.23 | 771.59 | (1547.67) | (2908.02) |
| 5. वर्तमान देयताएँ | 4749.42 | 4824.86 | 4461.32 | 4663.39 | 6077.63 | 6171.63 |
| 6. क) विविध देनदार (शुद्ध) | 2638.05 | 1600.60 | 1570.15 | 1372.05 | 951.72 | 618.14 |
| ख) नकदी और बैंक | 1680.42 | 2578.34 | 2287.72 | 2394.13 | 2102.86 | 1250.98 |
| 7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक: | | | | | | |
| क) स्टोर और पुर्जे (शुद्ध) | 49.33 | 53.97 | 63.68 | 74.02 | 93.85 | 86.12 |
| ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध) | 828.60 | 754.53 | 618.75 | 757.05 | 946.79 | 1025.94 |
| 8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध) | 51.65 | 58.83 | 68.85 | 83.94 | 89.99 | 86.16 |
| **(ख) लाभ / हानि से संबंधित** | | | | | | |
| 1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) | 996.68 | 1370.62 | 2380.37 | 1938.01 | 1046.55 | 1322.77 |
| ख) सकल लाभ | 787.83 | 1157.64 | 2119.23 | 1728.03 | 845.20 | 1135.70 |
| ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले) | 783.76 | 1154.22 | 2089.01 | 1709.06 | 822.36 | 1093.69 |
| घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद) | 768.20 | 763.14 | 1714.35 | 1498.80 | 822.36 | 1093.69 |
| 2. क) सकल बिक्री | 11001.01 | 9947.01 | 10099.92 | 10176.62 | 8583.87 | 6951.77 |
| ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद) | 8505.53 | 8041.73 | 8287.99 | 8454.60 | 7280.48 | 6157.11 |
| ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य | 8715.38 | 8039.21 | 8149.69 | 8264.86 | 7201.33 | 6330.35 |
| 3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ) | 7721.77 | 6887.51 | 6198.98 | 6745.54 | 6458.12 | 5063.42 |
| 4. क) कुल व्यय | 8189.05 | 7454.62 | 7205.79 | 7228.35 | 6992.27 | 5366.74 |
| ख) वेतन और मजदूरी | 4524.63 | 4593.93 | 4410.83 | 4465.65 | 4211.01 | 3235.35 |
| ग) स्टोर और पुर्जे | 592.06 | 580.15 | 564.08 | 497.66 | 467.85 | 445.87 |
| घ) बिजली और ईंधन | 333.59 | 319.45 | 312.03 | 317.14 | 314.8 | 217.82 |
| ड) वित्त लागत और मूल्यह्रास | 212.92 | 216.40 | 291.36 | 228.95 | 224.19 | 229.08 |
| 5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत | 49.34 | 48.35 | 47.01 | 41.47 | 38.99 | 37.16 |
| 6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति | 54861 | 58875 | 60329 | 63291 | 66409 | 69886 |

| 31 मार्च को समाप्त वर्ष | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित) | - | - | - | 52.36 | 31.55 | - |
| ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च | | | | | | |
| **(क) लाभप्रदता अनुपात** | | | | | | |
| 1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में | | | | | | |
| क) सकल मार्जिन | 11.72 | 17.04 | 28.72 | 22.92 | 14.37 | 21.48 |
| ख) सकल लाभ | 9.26 | 14.40 | 25.57 | 20.44 | 11.61 | 18.45 |
| ग) शुद्ध लाभ | 9.21 | 14.35 | 25.21 | 20.21 | 11.30 | 17.76 |
| 2) कुल व्यय के % के रूप में | | | | | | |
| क) वेतन और मजदूरी | 55.25 | 61.63 | 61.21 | 61.78 | 60.22 | 60.29 |
| ख) स्टोर और पुर्जे | 7.23 | 7.78 | 7.83 | 6.88 | 6.69 | 8.31 |
| ग) बिजली और ईंधन | 4.07 | 4.29 | 4.33 | 4.39 | 4.50 | 4.06 |
| घ) वित्त लागत और मूल्यह्रास | 2.60 | 2.90 | 4.04 | 3.17 | 3.21 | 4.27 |
| 3) नियोजित पूंजी के % के रूप में | | | | | | |
| क) सकल मार्जिन | 32.87 | 50.83 | 89.26 | 90.97 | (936.68) | (83.80) |
| ख) सकल लाभ | 25.98 | 42.93 | 79.47 | 81.12 | (756.47) | (71.95) |
| ग) कर से पहले लाभ | 25.85 | 42.80 | 78.33 | 80.22 | (736.02) | (69.29) |
| 4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री) | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 0.80 | 0.89 | 0.82 |
| **(ख) तरलता अनुपात** | | | | | | |
| 1) वर्तमान अनुपात | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.17 | 0.75 | 0.53 |
| 2) त्वरित अनुपात | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 0.57 | 0.35 |
| **(ग) टर्नओवर अनुपात** | | | | | | |
| 1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियाजित पूंजी) | 2.80 | 2.98 | 3.11 | 3.97 | (65.16) | (3.90) |
| 2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार | | | | | | |
| क) सकल बिक्री | 2.88 | 1.93 | 1.87 | 1.62 | 1.33 | 1.07 |
| ख) शुद्ध बिक्री | 3.72 | 2.39 | 2.27 | 1.95 | 1.57 | 1.20 |
| 3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में | | | | | | |
| क) विविध देनदार | 0.31 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| ख) कोयले का स्टॉक | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| 4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक | | | | | | |
| क) औसत / वार्षिक खपत | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक | 1.00 | 1.12 | 1.35 | 1.78 | 2.41 | 2.32 |
| 5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक | | | | | | |
| क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में | 1.14 | 1.13 | 0.91 | 1.10 | 1.58 | 1.94 |
| ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत | 1.29 | 1.31 | 1.20 | 1.35 | 1.76 | 2.43 |
| ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री | 1.17 | 1.13 | 0.90 | 1.07 | 1.56 | 2.00 |
| **(घ) संरचनात्मक अनुपात** | | | | | | |
| क) ऋण : इक्विटी | - | - | - | - | 0.51 | 0.51 |
| ख) ऋण : नेट वर्थ | - | - | - | - | (0.31) | (0.25) |
| ग) नेट वर्थ : इक्विटी | 1.84 | 1.48 | 1.07 | 0.26 | (1.65) | (2.03) |
| घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 2.47 | (0.41) | (0.31) |

| | |
|---|---|
| संपत्ति का अनुपात (इक्विटी/कुल परिसंपत्तियां) | 0.32 |
| इक्विटी= शेयर पूंजी+आरक्षित एवं अधिशेष | 2,265.32 |
| कुल परिसंपत्तियां= शुद्ध अचल परिसंपत्तियां+वर्तमान परिसंपत्तियां | 7,128.14 |
| नेटवर्थ के लिए शुद्ध अचल परिसंपत्तियां | 0.59 |

# निदेशकगण की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयर धारक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
धनबाद।
महोदय,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखा सहित 49वीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कंपनी ने पिछले वर्ष के लिए कुल व्यापक आय ₹ 423.62 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में ₹ 706.34 करोड़ की कुल व्यापक आय / व्यय अर्जित किया है। अंकेक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

## 1. 2019-20 के दौरान प्रदर्शन का अवलोकन

### 1.1 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल का कच्चे कोयला का उत्पादन, उत्पादकता एवं उठाव से संबंधित कार्य प्रदर्शन

| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2019-20 | | | 2018-19 | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त (%) | | वास्तविक | (%) |
| i | **कच्चा कोयला (खान के प्रकार के अनुसार)** | | | | | | | |
| | भूमिगत | मि. टन | 1.20 | 1.04 | 86.86 | 0.90 | 0.14 | 15.83 |
| | खुली खदान | मि. टन | 34.80 | 26.69 | 76.69 | 30.14 | -3.45 | -11.45 |
| | कुल | मि. टन | 36.00 | 27.73 | 77.03 | 31.04 | -3.31 | -10.66 |
| ii | **कोयले के प्रकार के अनुसार** | | | | | | | |
| | कोकिंग कोल | मि. टन | 30.66 | 25.95 | 84.62 | 24.34 | 1.61 | 6.60 |
| | गैर-कोकिंग कोल | मि. टन | 5.34 | 1.78 | 33.41 | 6.70 | -4.92 | -73.38 |
| | कुल | मि. टन | 36.00 | 27.73 | 77.03 | 31.04 | -3.31 | -10.66 |
| iii | **मलबा हटाई** | मि. ट. घन मी | 125.00 | 82.65 | 66.12 | 103.25 | -20.60 | -19.95 |
| iv | **उत्पादकता (ओएमएस)** | | | | | | | |
| | भूमिगत | टन | 0.31 | **0.24** | 78.21 | **0.20** | 0.04 | 20.00 |
| | खुली खदान | टन | 7.42 | **6.75** | 90.92 | **6.05** | 0.70 | 11.50 |
| | कुल | टन | 4.19 | **3.32** | 79.28 | **3.26** | 0.06 | 1.84 |
| v | **कोयला उठाव** | मि. टन | 36.00 | 28.76 | 79.89 | **33.05** | -4.29 | -12.98 |

## 1.2. वैगन भराई

### वैगन भराई की उपभोक्तावार तुलनात्मक स्थिति

| उपभोक्ता | कुल रैक | | प्रतिदिन का औसत | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 |
| एचपीजीसीएल पानीपत | 124.0 | 69.0 | 0.34 | 0.19 |
| एचपीजीसीएल यमुना नगर | 102.0 | 63.0 | 0.28 | 0.17 |
| एचपीजीसीएल राजीव गांधी (पीएमआरजी) | 147.0 | 82.0 | 0.40 | 0.22 |
| सीएलपी झज्जर | 203.0 | 170.0 | 0.56 | 0.46 |
| पीएसपीसीएल रोपड़ | 75.0 | 17.0 | 0.21 | 0.05 |
| पीएसपीसीएल लेहरा मोहब्बत | 105.0 | 27.0 | 0.29 | 0.07 |
| यूपीआरवीयूएनएल हरदुगंज | 130.0 | 102.0 | 0.36 | 0.28 |
| यूपीआरवीयूएनएल परीछा | 363.0 | 262.0 | 0.99 | 0.72 |
| एनटीपीसी बाढ़ | 103.0 | 67.0 | 0.28 | 0.18 |
| एनटीपीसी ऊंचाहार | 316.0 | 569.0 | 0.87 | 1.55 |
| एनटीपीसी फरक्का | 105.0 | 170.0 | 0.29 | 0.46 |
| एनटीपीसी दादरी | 257.0 | 157.0 | 0.70 | 0.43 |
| एनटीपीसी मौड़ा | 142.0 | 93.0 | 0.39 | 0.25 |
| एनटीपीसी सोलापुर | 150.0 | - | 0.41 | - |
| डीवीसी कोडरमा | 371.0 | 384.0 | 1.02 | 1.05 |
| डीवीसी डीएसटीपीएस | 294.0 | 258.0 | 0.81 | 0.70 |
| डीवीसी बोकारो | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| डीवीसी डीटीपीस वारिया | 7.0 | 8.0 | 0.02 | 0.02 |
| डीवीसी चन्द्रपुरा | 49.0 | 13.0 | 0.13 | 0.04 |
| डीवीसी मीजिया | 1749.0 | 1734.0 | 4.79 | 4.74 |
| डीवीसी रघुनाथपुर | 15.0 | 107.0 | 0.04 | 0.29 |
| डबल्यूबीपीडीसीएल संतालडीह | 696.0 | 545.5 | 1.91 | 1.49 |
| डबल्यूबीपीडीसीएल कोलाघाट | 200.0 | 40.0 | 0.55 | 0.11 |
| डबल्यूबीपीडीसीएल बकरेस्वर | 34.0 | 79.0 | 0.09 | 0.22 |
| डबल्यूबीपीडीसीएल बंडेल | 33.0 | 14.0 | 0.09 | 0.04 |
| डबल्यूबीपीडीसीएल सागरदीघी | 17.0 | 128.0 | 0.05 | 0.35 |
| सीईएससी बज बज | 97.0 | 89.0 | 0.27 | 0.24 |
| दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 200.0 | 234.0 | 0.55 | 0.64 |
| मैथन पावर लिमिटेड | 63.0 | 45.0 | 0.17 | 0.12 |
| डीबी पावर | 21.0 | 19.0 | 0.06 | 0.05 |
| हिरनमये एनर्जी | 11.0 | - | 0.03 | - |
| हलदिया एनर्जी | 9.0 | 11.0 | 0.02 | 0.03 |
| रोजा पावर | 5.0 | - | 0.01 | - |
| जिंदल पावर | 5.0 | - | 0.01 | - |
| एनएफ़एल नागलडैम | 52.0 | 62.0 | 0.14 | 0.17 |
| एनएफ़एल भटिंडा | 79.0 | 91.0 | 0.22 | 0.25 |
| एनएफ़एल दीवाना | 112.0 | 97.0 | 0.31 | 0.27 |
| बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड . | 98.0 | 76.0 | 0.27 | 0.21 |
| बीसीसीएल भोजूडीह वाशरी | 94.0 | 78.0 | 0.26 | 0.21 |
| बीसीसीएल दुग्दा वाशरी | 74.5 | 38.0 | 0.20 | 0.10 |

| उपभोक्ता | कुल रैक | | प्रतिदिन का औसत | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 |
| भिलाई स्टील प्लांट | 7.0 | 35.0 | 0.02 | 0.10 |
| दुर्गापुर स्टील प्लांट | 98.0 | 92.0 | 0.27 | 0.25 |
| बोकारो स्टील प्लांट | 141.0 | 98.0 | 0.39 | 0.27 |
| राऊरकेला स्टील प्लांट | 64.0 | 67.0 | 0.18 | 0.18 |
| बर्नपुर स्टील प्लांट | 18.0 | 27.0 | 0.05 | 0.07 |
| श्री एंटरप्राइजेज़ कोल सेल्स प्रा. लि. | 1.0 | - | 0.00 | - |
| नभा पावर | - | 1.0 | - | 0.00 |
| यूपीआरवीयूएनएल अनपरा | - | 7.0 | - | 0.02 |
| यूपीआरवीयूएनएल ओबरा | - | 27.0 | - | 0.07 |
| एनटीपीसी बोंगाईगांव | - | 6.0 | - | 0.02 |
| एनटीपीसी कुदगी | - | 1.0 | - | 0.00 |
| आधुनिक पावर | - | 5.0 | - | 0.01 |
| भगवती एंटरप्राइजेज़ | - | 2.0 | - | 0.01 |
| एरीज एंटरप्राइजेज़ | - | 1.0 | - | 0.00 |
| गोदावरी कमोडिटीज़ लिमिटेड | - | 1.0 | - | 0.00 |
| **सकल योग** | **7037.5** | **6368.5** | **19.28** | **17.40** |

## 1.3. धुले हुए एवं सीधे भेजे जाने वाले कोयले की आपूर्ति

2018-19 में 6.71 लाख टन की तुलना में 2019-20 में स्टील सेक्टर को धुले हुए एवं डायरेक्टर फीड कोल की आपूर्ति 7.48 लाख टन की गई, जो की गई आपूर्ति की तुलना में (+) 11.38 % की वृद्धि को दर्शाता है।

## 1.4. धुले हुए कोयले एवं विद्युत उद्योग हेतु धुले हुए कोयले का उत्पादन

(मि. टन में)

| प्रकार | 2019-20 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| धुला हुआ कोयला (कोकिंग) | 0.861 | 0.664 | 1.035 | 0.634 |
| विद्युत के लिए धुला कोयला | 1.292 | 0.812 | 0.869 | 0.766 |
| **कुल** | 2.154 | 1.476 | 1.904 | 1.400 |

## 2. प्रबंधन:

(क) 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी के मामलों की देख-रेख बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गई :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पी. एम. प्रसाद<br>अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | : | 02.08.2019 | से | निरंतर |
| 2. | श्री शेखर शरण<br>अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | : | 18.04.2019 | से | 02.08.2019 |
| 3. | श्री गोपाल सिंह<br>अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | : | 18.10.2018 | से | 17.04.2019 |
| 4. | श्री बिनय दयाल,<br>निदेशक | : | 09.11.2017 | से | निरंतर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री बी. पी. पति,<br>निदेशक | : | 03.10.2018 | से | निरंतर |
| 6. | श्री आर. एस. महापात्र,<br>निदेशक | : | 22.12.2017 | से | 31.05.2020 |
| 7. | श्री राकेश कुमार,<br>निदेशक | : | 12.03.2019 | से | निरंतर |
| 8. | श्री समीरण दत्ता,<br>निदेशक | : | 18.07.2019 | से | निरंतर |
| 9. | श्री के. आर. वासुदेवन,<br>निदेशक | : | 01.06.2019 | से | 18.07.2019 |
| 10 | श्री के. एस. राजाशेखर,<br>निदेशक | : | 01.03.2015 | से | 31.05.2019 |
| 11 | श्री चंचल गोस्वामी ,<br>निदेशक | : | 04.11.2019 | से | निरंतर |
| 12 | श्री जयप्रकाश गुप्ता,<br>निदेशक | : | 14.08.2019 | से | 04.11.2019 |
| 13 | श्री पी. एम. प्रसाद,<br>निदेशक | : | 09.05.2019 | से | 02.08.2019 |
| 14 | श्री के. के. मिश्रा,<br>निदेशक | : | 14.03.2019 | से | 08.05.2019 |
| 15 | डॉ. के. एस. खोबरागड़े,<br>स्वतंत्र निदेशक | : | 06.09.2017 | से | निरंतर |
| 16 | श्री नरेंद्र सिंह,<br>स्वतंत्र निदेशक | : | 10.07.2019 | से | निरंतर |
| 17 | डॉ. ए. के. लोमास,<br>स्वतंत्र निदेशक | : | 17.11.2015 | से | 16.11.2019 |
| 18 | डॉ. एच. एस. यादव,<br>स्वतंत्र निदेशक* | : | 17.11.2015 | से | 16.11.2019 |
| 19 | श्री विष्णु प्रसाद दास,<br>स्वतंत्र निदेशक | : | 02.02.2017 | से | 01.02.2020 |

(ख) वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की 12 (बारह) बैठकें हुई थी।

## 3. शिफ्ट ऑवर के संबंध में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग

| उपकरण | 31.03.20 को संख्या (कुल) | 31.03.19 को संख्या (कुल) | सीएमपीडीआई मानक 2018-19 (वास्तविक) | | डब्ल्यू.आर.टी. शिफ्ट घंटे | | | | अंतर % में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2019-20 | | 2018-19 | | | |
| | | | उपलब्धता (%) | उपयोग (%) | उपलब्धता (%) | उपयोग (%) | उपलब्धता (%) | उपयोग (%) | उपलब्धता | उपयोग |
| ड्रैगलाइन | | | 85 | 73 | 82 | 22 | 83 | 22 | -1 | 0 |
| शॉवेल | 111 | 123 | 80 | 58 | 72 | 40 | 73 | 45 | -1 | -11 |
| डंपर | 433 | 473 | 67 | 50 | 71 | 27 | 71 | 30 | 0 | -10 |
| डोजर | 113 | 113 | 70 | 45 | 59 | 16 | 57 | 17 | 4 | -6 |
| ड्रिल | 84 | 88 | 78 | 40 | 65 | 20 | 67 | 22 | -3 | -9 |

## 4. धारक कंपनी-सीआइएल

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बनी रहेगी।

## 5. अवरोध

कोयला उत्पादन में कमी की दृष्टि से वर्ष के दौरान बीसीसीएल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख अवरोध:

### (1) कोयला उत्पादन में कमी

(आंकड़े लाख टन में)

| क्र. सं. | कारण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| i | विद्युत बाधा | 0.614 | 1.284 |
| ii | अनुपस्थिति की प्रवृत्ति | 0.062 | 0.051 |
| iii | वर्षा/ डुबाव | 3.457 | 3.804 |
| iv | यांत्रिक गड़बड़ी | 1.847 | 5.605 |
| v | औद्योगिक संबंध | 1.201 | 3.088 |
| vi | रेत भराई में पिछड़ना | 0.000 | 0.000 |
| vii | भूमि की अनुपलब्धता/ भूमि विवाद आदि | 30.120 | 24.302 |
| viii | आग | 12.101 | 8.514 |
| ix | भूगर्भ-खनन बाधा/ रूफ गड़बड़ी | 0.000 | 0.438 |
| x | डीजीएमएस प्रतिबंध | 6.353 | 15.412 |
| xi | अन्य | 26.957 | 51.572 |
| | **कुल** | **82.711** | **114.071** |

### (2) धुले हुए कोयले की कमी

(आंकड़े लाख टन में)

| क्र. सं. | कारण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| i | विद्युत बाधा | 0.073 | 0.290 |
| ii | विद्युत एवं यांत्रिक गड़बड़ी | 0.997 | 1.859 |
| iii | कच्चे कोयले की कमी | 1.641 | 3.696 |
| iv | सी सी बंकर का भरा होना | 0.000 | 0.066 |
| v | वर्षा/ डुबाव | 0.000 | 0.000 |
| vi | परिचालन संबंधी बाधाएं | 0.748 | 1.285 |
| vii | रखरखाव संबंधी रूकावट | 0.436 | 0.616 |
| viii | माध्यमों की कमी | 0.000 | 0.000 |
| ix | अन्य | 0.099 | 0.339 |
| | **कुल** | **3.994** | **8.151** |

## 6. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

### 6.1. विद्युत की उपलब्धता

| क्र. सं. | औसत विद्युत आवश्यकता (एमवीए) | औसत उपलब्धता (एमवीए) | बाधित घंटे (अवधि) |
|---|---|---|---|
| **2019-20.** | **182.75** | **180.19** | **1449.42** |
| **2018-19.** | **182.75** | **176.94** | **3202.80** |

## 6.2. विद्युत उपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कैप्टिव सेटों का परिचालन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न कैप्टिव डीजी स्टेशनों द्वारा पैदा की गई बिजली का विवरण निम्नलिखित है:

| कैप्टिव डीजी सेट | स्थापित क्षमता | 2019-20 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (एमवीए) | चालू घंटे | उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच) | चालू घंटे |
| मुनिडीह | 2×1.1+4.4 | 4441.5 | 31:25 | 5642 | 20:45 |
| मुरलीडीह/ महुदा | | 240 | 4:45 | 810 | 16:55 |
| **कुल** | | **4681.5** | **35.70** | **6452** | **37:40** |

## 6.3. विद्युत उपलब्धता हेतु वैकल्पिक उपाय

### (1) सीपीपी मुनडिीह (2 X 10 एमवी):

सीपीपी मुनिडीह की स्थापना वाशरी अपशिष्टों का उपयोग करने, मुनीडीह (एक तृतीय डिग्री की खदान) में विद्युत की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने और अबाध्य विद्युत आपूर्ति के लिए की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1986 में इस परियोजना को अनुमोदित किया गया था। फ्लूडाइज्ड बेड कम्बंशन बॉइलर प्रौद्योगिकी पर आधारित सीपीसी के लिए चक्रानुक्रम परियोजना की कुल लागत रु. 49.20 करोड़ थी। परियोजना को चालू होने में विलंब होने के कारण यह लागत बढ़कर रु. 77.42 करोड़ हो गई थी। अंततः 1995 में यह संयंत्र चालू हुआ था और नवंबर, 1996 में विभागीय श्रमशक्ति की मदद से इसका व्यावसायिक परिचालन होने लगा था, जो वर्ष 2003 तक चला था।

पुन: इस संयंत्र को मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) को दिनांक 18.03.2010 को लीज पर दे दिया गया था और अप्रैल, 2011 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। ईंधन आपूर्ति एवं पॉवर-टैरिफ से संबंधित दर का कुछ विवाद होने के कारण पट्टाधारी द्वारा दिनांक 15.04.2014 से विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया। दिनांक 16.12.2015 को बीसीसीएल ने इस सीपीसी को अपने कब्जे में ले लिया।

प्रबंधन ने सीपीसी, मुनीडीह को पुन: चालू करने का निर्णय लिया है और नए सिरे से एनआईटी तैयार करने हेतु सीएमपीडीआई से संपर्क किया गया है। सीएमपीडीआई, रांची ने सीपीसी, मुनीडीह को पट्टे पर देने के लिए एनआईटी के मसौदे की प्रति प्रस्तुति की है और एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि संभावित बोलीदाताओं के साथ एक प्री-एनआईटी बैठक का आयोजन किया जाए।

महाप्रबंधक कार्यालय, मुनिडीह में दिनांक 15.10.19 को सीएमपीडीआई, बीसीसीएल और संभावित बोलीकर्ताओं के बीच पूर्व एनआईटी बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्राप्त सुझावों/संस्तुतियों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीपीपी, मुनिडीह के पुन: परिचालन के लिए सीएमपीडीआई द्वारा अंतिम एनआईटी तैयार की जा रही है।

### (2) सीपीसी मधुबन (1x10 मेगावाट):

सी आई एल और मैसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड के बीच दिनांक 11.01.1995 को हुए समझौते के अनुसार ईंधन के रूप में वाशरी के त्यक्त/अपशिष्ट माल पर आधारित बी.ओ.ओ. योजना के तहत मधुबन में फ्लूडाइज्ड बेड कम्बंशन बॉइलर प्रौद्योगिकी पर आधारित एक 1x10 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। इस प्लांट से 24.06.2002 को बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस प्लांट में 24.06.2002 से 26.06.2007 तक बिजली का उत्पादन हुआ और उसके बाद मैसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड द्वारा 24.06.2007 को बंद कर दिया गया।

प्लांट शुरू होने के बाद पार्टियों के बीच किए जाने वाले भुगतान आदि लागू शुल्क के संबंध में एक विवाद खड़ा हुआ जिसे जेएसईआरसी को भेजा गया। डी एल एफ ने वर्ष 2005 में शुल्क निर्धारण के लिए एक याचिका जेएसईआरसी के समक्ष दायर की। इस विवाद को जेएसईआरसी से एकल विवाचक डॉ. टी. एस. सेतुरत्नम के पास न्याय निर्णयन के लिए भेजा गया। मधुबन में पावर प्लांट शुरू से ही लागू शुल्क, परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट, पूंजीगत लागत, वाशरी अपशिष्ट की गुणवत्ता आदि को लेकर समस्याओं से घिरा रहा है।

वर्ष 2017 में मैसर्स ईआईपीएल ने कैप्टिव पावर प्लांट, मधुबन को दुबारा प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव अध्यक्ष, सीआईएल के समक्ष दिया है, जो सीआईएल में विचाराधीन है। सीआइएल ने, चल रहे विवाद के संदर्भ में विद्युत संयंत्र को पुनः शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सीसीएल तथा बीसीसीएल के विभागाध्यक्ष (विधि) के साथ-साथ महाप्रबंधक (ईईडी), सीआईएल के अलावा सीसीएल तथा बीसीसीएल के विभागाध्यक्ष (वि. एवं यां.) को मिलाकर एक समिति बनायी है। समिति ने मामले की जांच की और इस प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त सरकारी एजेंसियों से अद्यतन वाणिज्यिक जानकारी प्राप्त करने के अलावा सीपीपी को पुनः शुरू करने के लिए कानूनी राय लेने की सलाह दी। विधि फर्म, फॉक्स तथा मंडल से कानूनी राय मांगी गई थी जो संतोषजनक एवं स्पष्ट नहीं थी, इसलिए समिति ने माननीय एएसजी से स्पष्ट राय प्राप्त करने की सलाह दी। माननीय एएसजी ने मैसर्स ईआईपीएल से स्पष्ट प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्देश दिया है।

# 7. वित्त

## 7.1. पूंजीगत संरचना

| प्राधिकृत शेयर पूंजी | रु. करोड़ में |
|---|---|
| रु. 1000/- मूल्य के 5,10,00,000 इक्विटी शेयर | 5,100.00 |
| **कुल** | **5,100.00** |

| सब्सक्राइब्ड एवं प्रदत्त शेयर पूंजी | |
|---|---|
| रु. 1000/- मूल्य के 20330126 इक्विटी शेयर, प्रत्येक नकद में पूर्ण प्रदत्त | 2,033.01 |
| रु. 1000/- मूल्य के 26239874 इक्विटी शेयर, नकद के अलावा प्राप्त पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रदत्त के लिए आबंटित के रूप में | 2,623.99 |
| **कुल** | **4,657.00** |

कंपनी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित इक्विटी शेयर पूंजी का अधिमानी शेयर पूंजी में परिवर्तन के कारण 24 मार्च, 2020 को संपन्न इजीएम बैठक में कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में पुनर्वर्गीकरण के करके वृद्धि की गयी है।

24 मार्च, 2020 को संपन्न इसकी 17वीं इजीएम बैठक में कंपनी द्वारा विधिवत अनुमोदित इक्विटी शेयर पूंजी में अधिमानी शेयर पूंजी के परिवर्तन की वजह से कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है।

## 7.2. वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को पिछले वर्ष की कुल व्यापक आय रु. 423.62 करोड़ की तुलना में रु. 706.34 करोड़ की कुल व्यापक आय/(खर्च) हुई। विवरण निम्नलिखित है:-

**(रु. करोड़ में)**

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास एवं नुकसान, ब्याज, कर तथा परिशोधन (ईबीआईडीए) से पहले लाभ (+)/ हानि (-) | 1,410.48 | 1,006.23 |
| घटाएं: मूल्यह्रास एवं नुकसान | 197.53 | 248.52 |
| ब्याज, कर और परिशोधन से पहले लाभ | 1,212.95 | 757.71 |
| घटाएं: ब्याज | 221.83 | 200.66 |
| टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी) | 991.12 | 557.05 |
| घटाएं: कर व्यय | 72.44 | 268.28 |
| अवधि के लिए लाभ (पीएटी) | 918.68 | 288.77 |
| अन्य व्यापक आय | (308.64) | 134.85 |
| घटाएं: ओसीआई पर कर | -96.30 | - |
| कुल अन्य व्यापक आय | (212.34) | 134.85 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय | 706.34 | 423.62 |

## 7.3. पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स)

**(रु. करोड़ में)**

| विवरण | बजट | वास्तविक खर्च |
|---|---|---|
| वित्त वर्ष 2019-20 | 625.00 | 536.72 |
| वित्त वर्ष 2018-19 | 730.00 | 439.59 |

## 7.4. वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय भुगतान

(रु. करोड़ में)

| विवरण | प. बंगाल | झारखण्ड | केन्द्रीय राजकोष | कुल (2018-19) |
|---|---|---|---|---|
| कोयले की रॉयल्टी | 0.33 | 1051.02 | | 1051.35 |
| जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (डीएमफटी) | 0.10 | 323.51 | | 323.61 |
| राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमइटी) | 0.01 | 22.94 | | 22.95 |
| कोयले पर उपकर | 86.92 | | | 86.92 |
| मूल्य वर्धित कर (वैट) | 0.01 | 4.72 | | 4.73 |
| केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी) | 0.44 | 16.77 | | 17.21 |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क | | | 1.21 | 1.21 |
| आयकर (टीडीएस के छोड़कर) | | | 39.29 | 39.29 |
| बाजार कर (MADA) | | 77.27 | | 77.27 |
| पेशाकर | 0.26 | 8.37 | | 8.63 |
| केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर | 0.46 | 158.76 | | 159.22 |
| राज्य वस्तु एवं सेवाकर | 0.02 | 164.84 | | 164.86 |
| जीएसटी (राज्य को क्षतिपूर्ति) उपकर | 18.24 | 1152.26 | | 1170.50 |
| **कुल** | **106.79** | **2980.46** | **40.50** | **3127.75** |

**टिप्पणी:**

i. झारखंड वैट और सीएसटी का भुगतान अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर करने / मांग के स्थगन उद्देश्य से किया गया है।

ii. केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्युट रिजोल्युशन स्कीम (एसवीएलडीआरएस) के अंतर्गत किया गया है।

iii. आयकर के भुगतान में रु. 20.84 करोड़ अग्रिम कर रु. 15.78 करोड़ मांग के स्थगन के तौर पर और रु. 2.67 करोड़ विवाद से विश्वास योजना के रूप में सम्मिलित है।

iv. सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी उपकर का भुगतान प्रयुक्त जीएसटी-आईटीसी का सकल है।

## 8. दूरसंचार

### 1. ऑनलाइन गतिविधियों के लिए एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्युएएन)

a. वर्तमान में बीसीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय भंडार, केंद्रीय भंडार, वाशरी भंडार, केंद्रीय चिकित्सालय, कर्मशाला, तौलघर और परियोजना कार्यालय में ऑनलाइन गतिविधियों के लिए मैसर्स रेलटेल द्वारा 162 स्थानों पर एमपीएलएस-वीपीएन स्थापित किए गए हैं।

b. नए रोड तौलघर के साथ-साथ डाटा निर्माण केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीसीसीएल के 37 और स्थानों पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए एमपीएलएस-वीपीएन की स्थापना के लिए मैसर्स रेलटेल को आदेश संख्या: बीसीसीएल/ईएंडटी/एमपीएलएस-वीपीएन/2019-20/363 दिनांक 22/10/2019 द्वारा विस्तारित आदेश दिया गया है।

c. बीसीसीएल के 270 स्थानों पर एमपीएलएस-वीपीएन संयोजकता के प्रावधानों के लिए मैसर्स रेलटेल को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।

### 2. 500 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन और इसका वितरण

पूर्व में, बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में 45 एमबीपीएस लीज्ड लाइन थी और केवल कुछ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी।

जैसा कि बीसीसीएल के सुदूर स्थानों पर इंटरनेट सेवा {बेतार द्वारा (अर्थात डोंगल)/तारयुक्त ब्रॉडबैंड} की गति सही नही थी और कार्यालय व भंडार में ईमेल सेवाओं, ई-खरीद, बीसीसीएल वेबसाइट पर डाटा अपलोडिंग, एचआरआईएस व अन्य सेवाओं के लिए सीआईएल वेबसाइट पर जाना, रोड वेब्रिज पर चालान तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष में जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली को देखने आदि के लिए इंटरनेट आवश्यक है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों जैसे मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय भंडार, केंद्रीय भंडार, केंद्रीय चिकित्सालय, रोड वेब्रिज, परियोजना कार्यालय आदि के लिए 500 एमबीपीएस अनकम्प्रेस्ड (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन और इसके वितरण के लिए विस्तृत कार्यादेश मैसर्स रेलटेल को आदेश संख्या: बीसीसीएल/ईएंडटी/ईएलएल/2019-20/370 दिनांक 22.10.2019 द्वारा दिया गया है।

### 3. सीसीटीवी निगरानी प्रणाली

सीसीटीवी निगरानी प्रणाली (क्षेत्रों में) स्थापित कर दी गयी है तथा क्षेत्रीय कार्यालय, भंडार, मैगजीन, बड़े-बेड़े कोल डंप, चिकित्सालय इत्यादि जैसे बीसीसीएल के 136 अतिसंवेदनशील जगहों पर इसे चालू कर दिया गया है।

चूंकि बीसीसीएल के रेलवे साइडिंग की देखरेख के लिए भी निगरानी प्रणाली आवश्यक है, अत: बीसीसीएल के 23 रेलवे साइडिंगों पर सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया गया है और यह चालू है।

क्षेत्रीय कंट्रोल रूम के साथ-साथ मुख्यालय, कोयला भवन से रेलवे साइडिंग के सीसीटीवी फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। बीसीसीएल के रोड वे-ब्रिजों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से कैमरा लगाने के साथ ही रेलवे साइडिंगों से लाइव फुटेज देखने के लिए कोयला भवन के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) में एक एलइडी स्क्रीन लगायी गयी है।

### 4. रोड वे-ब्रिजों पर आर एफ आई डी आधारित बूम बैरियर सिस्टम

वर्तमान में वे ब्रिज स्वचालन तथा निगरानी के उद्देश्य से आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर सिस्टम स्थापित किया गया है जो बीसीसीएल के 48 वे-ब्रिजों पर चालू है। रोड वे-ब्रिजों के आगामी 15 आरएफआईडी सर्विलांस सिस्टम की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनांक 09.12.2019 को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है।

5. बीसीसीएल द्वारा विभिन्न सीएसआर गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कोयला भवन के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) में एक एलईडी स्क्रीन लगायी गयी है।

### 6. बीसीसीएल के अधीनस्थ क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करना

वर्तमान में सीआईएल के विभिन्न अनुषंगियों के साथ-साथ कोयला मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए मुख्यालय, कोयला भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित है। बीसीसीएल में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करने के लिए बीसीसीएल में 22 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की आपूर्ति व प्रतिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है,जो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करेगा और इससे कंपनी की उत्पादकता में सुधार आएगा। दिनांक 26.03.2020 को उक्त प्रणाली को स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

### 7. जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली

आंतरिक कोयला परिवहन के लिए स्थापित वर्तमान जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के किराये की अवधि 31.03.2020 को पूरी होने जा रही है। जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, चालू करने, क्रियान्वयन, प्रशिक्षण एवं रखरखाव के लिए 28.01.2020 को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है तथा इसे स्थापित कर दिया गया है और यह चलाये जाने की प्रक्रिया में है।

## 9. जोखिम प्रबंधन

उद्यम के लिए जोखिम प्रबंधन योजना: जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने का कार्य मैसर्स अर्नेष्ट एण्ड यंग, एलएलपी, कोलकाता को सौंपा गया है। जोखिम प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे कंपनी में लागू किया जा चुका है। समय-समय पर नए सदस्यों को शामिल कर बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित है -

1. श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल, अध्यक्ष

2. श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल, सदस्य
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) संचालन, बीसीसीएल सदस्य
4. श्री समीरण दत्ता, निदेशक (वित्त), बीसीसीएल, सदस्य
5. श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी) यो. व परि., बीसीसीएल, सदस्य

## 10. कंप्यूटरीकरण

1. उच्च उपलब्धता कॉन्फिगरेशन के लिए आरएसी तथा डाटा गार्ड जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ बीसीसीएल 6 (छ:) वर्षों से अधिक समय से केंद्रीकृत सर्वर अवधारणा पर काम कर रहा है। यह कॉन्फिगरेशन पूरी गति के साथ काम कर रहा है और कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में इस कॉन्फिगरेशन को अपनाने में बीसीसीएल अग्रणी है, यह कॉन्फिगरेशन प्रयोक्ताओं को बीसीसीएल मुख्यालय में स्थित "मुख्य डाटा सेंटर" के केंद्रीय सर्वर तक 24 घंटे पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। सूचना की सुरक्षा बीसीसीएल-कोलकाता कार्यालय में अवस्थित 'नियर डाटा सेंटर – एनडीसी' में बैकअप के लिए कॉन्फिगरेशन की गयी डाटा गार्ड तकनीक के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।
2. यह केंद्रीकृत सर्वर कंपनी में विकसित किए गई "कोलनेट" नामक ईआरपी सॉफ्टवेयर को होस्ट करता है। कोलनेट ईआरपी कंपनी के सभी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को बिना किसी कठिनाई के सुगमता एवं प्रभावकारी तरीके से चलाने में सहायक है और इसमें 6 कार्यात्मक मॉड्यूल हैं। हर समय इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह केंद्रीकृत सर्वर 24x7 काम करता है और केंद्रीकृत सर्वर की अवधारणा के अनुरूप यह बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों में कार्यरत सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट सुविधा प्रदान करता है। इसके एकल प्लेटफार्म पर काम करने से आंकडों की विश्वसनीयता बनी रखती है और काम का बोझ भी कम हो जाता है। सभी प्रकार के वित्तीय एवं विक्रय तथा अन्य संबंधित कार्य जैसे वित्तीय लेखा, बिक्री चालान, रिफंड, स्टोर रसीद वाउचर तैयार करना आदि का काम कोलनेट के माध्यम से ही किया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक आवश्यकतानुसार कोलनेट ईआरपी को नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है। कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-
    1. रोड सेल ग्राहकों के लिए सुरक्षा विशिष्टताओं को समाहित करने के उद्देश्य से, क्यु आर कोड युक्त रियल टाइम इनवाइस तैयार की जा रही हैं।
    2. फाइलों के आवागमन पर निगरानी रखने और इसमें देरी को रोकने के लिए फाइल निगरानी प्रणाली को समाहित किया गया है।
    3. पेरोल संबंधित डाटा ई-ऑफिस/ईमेल से प्राप्त किया जा रहा है। इसका प्रयोग वेतन बनाने के लिए किया जाता है।
    4. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद, जीएसटी नियमों के अनुपालन के लिए कोलनेट ईआरपी में लगातार आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। कोलनेट के माध्यम से निर्मित डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा जीएसटी पोर्टल पर फाइल किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रेषण स्थलों पर ई-वे बिल तैयार किए जा रहे हैं।
    5. कैशलेस इलाज सुविधा के मामले में अस्पतालों को सीधा भुगतान करने के लिए भुगतान प्रणाली को सरल बनाया गया है।
    6. अनुसूचियां, लेखा-टिप्पणियां, तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि आदि कोलनेट ईआरपी के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।
    7. तृतीय पीआरसी के अनुपालन में अधिकारियों को भूमिगत भत्ता के भुगतान प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। अधिकारियों के तारीखवार भूमिगत खदान दौरे के रिकार्ड और अधिकारियों को भुगतेय अंकेक्षित और अनुमोदित भूमिगत भत्ता को पारदर्शी तरीके से सिस्टम में सुरक्षित रखा जाता है।
4. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यविधि को बैच से ऑनलाइन मोड में परिवर्तित किया गया है तथा ऑनलाइन एंट्री एवं महत्वपूर्ण इनपुट के अनुमोदन का प्रावधान किया गया है।
5. बीसीसीएल की वेबसाइट "www.bcclweb.in" परिचालित है और कंपनी से संबंधित सूचनाओं को साझा करने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस वेबसाइट पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण वेब अनुप्रयोग प्रयुक्त किए जा रहे हैं:-
    i. विक्रेता अपने बिल के भुगतान की स्थिति को जानने के लिए ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग पोर्टल को विकसित किया गया है। इसमें पैन के प्रयोग से बिल भुगतान स्थिति को जाना जा सकता है और विलंबित भुगतान के लिए शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है।
    ii. ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (समाधान पोर्टल)

iii. बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश आवेदन पोर्टल

iv. समुचित प्रमाणन के बाद वेब बेस्ड पोर्टल के द्वारा कर्मचारियों को वेतन पर्ची सूचना दी जा रही है।

v. उपभोक्ताओं द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौता बिल को रियल टाइम में देखने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

vi. बीसीसीएल वेबसाइट द्वारा कंपनी की अन्य सभी सूचनायें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करायी गयी हैं।

6. पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और इस डिजिटल युग में मोबाइल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीसीसीएल ने निम्नलिखित मोबाइल एप्लीकेशनों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने का काम किया है:-

i. अभया- यह एक महिला सुरक्षा मोबाइल एप है जिसमें सुरक्षा और संरक्षा करने वाली विभिन्न एजेंसियों जैसे स्थानीय पुलिस स्टेशन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि से संपर्क का विवरण दिया गया है। इसमें संभावित असुरक्षित माहौल वाले परिसर की तस्वीर लेने का प्रावधान बनाया गया है।

ii. ऑनलाइन रोड डिस्पैच इन्फार्मेशन (ग्राहक सड़क कोयला वितरण)। बीसीसीएल कंपनी के रोड सेल ग्राहकों के लिए नियमित रूप से रियल टाइम इन्फार्मेशन उपलब्ध करा रहा है और वर्ष 2019-20 में भी सेल ऑर्डर जेनरेशन, लोडिंग शेड्यूल, रोजाना का कोयला प्रेषण सारांश आदि की सुविधा प्रदान की गई।

कंपनी की व्यवसायिक आवश्यकताओं और डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्र के नागरिक केंद्रित अनुप्रयोगों के अनुपालन में सूचनाओं को संसाधित करने के लिए और अधिक विकास करने के सतत प्रयास जारी हैं।

# 11. भूगर्भीय अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

## अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

| क्र. सं. | ब्लॉक | कोलफील्ड | जिला | राज्य | प्रकार | क्षेत्रफल | गहराई सीमा (मीटर | एजेंसी | 31.03.2019 तक ड्रिल मीटर में | 31.03.2019 तक ड्रिल मीटर में | जी आर शिड्युल | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मिर्जागांव | राज महल | भागलपुर | बिहार | एमएमडीआर | 46.17 | 80- 600 | मैसर्स एपीसी | 1335 | 34084 | -कोई नही | ब्लॉक वापस कर दिया गया। |
| 2 | खर खरी | झरिया | धनबाद | झारखंड | सीआईएल | 3.99 | 290-825 | मै. एमएपीएल | - | 8179.15 | 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2020-21 में ड्रिलिंग पूरी कर ली जाएगी। |
| 3 | धरमाबांध | झरिया | धनबाद | झारखंड | सीआईएल | 6.00 | 380-820 | मै. एसडब्ल्युपीईएल | - | 14921.15 | 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2020-21 में ड्रिलिंग पूरी कर ली जाएगी। |
| 4 | पश्चिमी महुदा | झरिया | धनबाद | झारखंड | अतिरिक्त सीआईएल | 11.50 | 200-800 | समझौता ज्ञापन (एमईसीएल) | - | 10122 | 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2020-21 में ड्रिलिंग पूरी कर ली जाएगी। |
| 5 | मधुबन | झरिया | धनबाद | झारखंड | सीआईएल | 8.12 | 290-1180 | - | - | - | 2022-23 | ई-टेंडरिंग प्रक्रियाधीन है और सीएमपीडीआई (मु.) द्वारा ई-टेंडर को अंतिम रूप देने और कार्य आदेश जारी किया जाना है। |
| 6 | झनकुदर ओसीपी | रानीगंज | धनबाद | झारखंड | सीआईएल | 2.10 | 70-700 | - | - | - | 2021-22 | ड्रिलिंग प्रस्ताव अनुमोदन हेतु बीसीसीएल को भेजा गया है। |
| 7 | उत्पादन समर्थित ड्रिलिंग | झरिया | धनबाद | झारखंड | सीआईएल | - | 30-150 | - | - | - | 2021-22 | बीसीसीएल ने दो खदानों में उत्पादन समर्थित ड्रिलिंग के लिए अनुरोध किया है। इसके लिए ड्रिलिंग प्रस्ताव तैयार कर बीसीसीएल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। |

## 11.2 भूवैज्ञानिक मूल्यांकन

| क्र. सं. | कार्य का विवरण | अध्ययन की गयी बड़े व्यास वाले बोरहोल की संख्या | | प्रतिशत वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2018-19 | |
| 1 | पेयजल, कोयला सीम में अग्निमन, पीजोमीटर कुंओं के उद्देश्य से बड़े व्यास वाली बोरहोल की ड्रिलिंग का अध्ययन | 08 | 20 | (-)60 % |

# 12. अनुसंधान एवं विकास

## 12.1 अनुसंधान एवं विकास

### बीसीसीएल के कमान क्षेत्र के तहत आर एण्ड डी/ एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति (31.03.2020 को)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | परियोजना आरंभ होने की तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल अनुमोदित लागत (रु. लाख में) | 31.03.2020 तक कार्यक्रम पर व्यय (रु. लाख में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं** | | | | | |
| **1** | भारत की जोखिम भरी कोयला खदानों के जोखिम का मूल्यांकन एवं निर्धारण कर विस्फोट से होने वाले खतरे की रोकथाम एवं शमन, आपातकाल में निकासी एवं पुनः प्रवेश के लिए दिशानिर्देश एवं प्रोटोकाल बनाना।<br><br>**परियोजना कोड:** CIL/ R&D/1/60/2016 **कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी:** सिंफर धनबाद, आइएसएम धनबाद, एस ऐंड आर डिविजन सीआइएल (मुख्यालय ) कोलकाता एवं सिमटार्स (SIMTARS) ऑस्ट्रेलिया | 15 अगस्त, 2106 | 14 अप्रैल, 2021 | **रु.2413.21 (सिंफर-रु.796.14) (आइआइटी-आइएसएम-रु.1617.07)** | **रु.2267.76 (आईआईटी आइएसएम-रु.1510.00) (सिंफर-रु.757.76)** | आईआईटी-आईएसएम धनबाद में 'भारतीय कोयला खदानों में आकस्मिक स्थिति के दौरान या बाद में वर्तमान खदानों में प्रवेश और पुन: प्रवेश में चूकों की पहचान के लिए जोखिम मूल्यांकन' कार्य प्रगति पर है। कोयला दहन व्यवहार को जानने के लिए इंट्रिंसिक लक्षणों का प्रयोगशाला विश्लेषण और संग्रहीत कोयला नमूनों के पेट्रोग्राफिक लक्षणीकरण का कार्य चल रहा है। कोयला धूल विस्फ़ोट का सिम्युलेशन और 30 मीटर लम्बी प्रोपेगेशन ट्युब में विभिन्न इनरटाइजिंग तत्वों के प्रभाव का अध्ययन आईआईटी-आईएसएम धनबाद में उपर्युक्त सभी उपकरणों की स्थापना और चालू होने के बाद शुरू किया जाएगा। संभावित देरी आईआईटी आई एस एम धनबाद द्वारा उपकरणों की खरीद में देरी से हुई है। आईएसएम द्वारा सिमटार्स, आस्ट्रेलिया से 30 मीटर लम्बी एक्सप्लोजन ट्युब खरीदने की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है। आईआईटी आई एस एम द्वारा तीन उपकरण के लिए खरीद आदेश जारी किया गया था और वे आ चुके हैं। लेकिन अभी तक इनकी स्थापना नही हुई है। सिमटार्स के साथ कुछ मुद्दों की वजह से अभी तक 30 मीटर एक्सप्लोजन चैम्बर का क्रय आदेश नही दिया गया है। |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | परियोजना आरंभ होने की तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल अनुमोदित लागत (रु. लाख में) | 31.03.2020 तक कार्यक्रम पर व्यय (रु. लाख में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | व्यापक उत्पादन तकनीकी के लिए खदानों में हवा की आवश्यकता।<br>**परियोजना कोड:** CIL/ R&D/01/63/2016<br>**कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी:** यूएमडी, सीएमपीडीआई (मुख्यालय ), रांची | 1 नवंबर, 2016 | 31 अक्टूबर, 2020 | रु. 491.27 | रु. 164.33 | आरएंडडी बोर्ड की दिनांक 23.12.2019 को हुई 30वीं बैठक में इसका समय 31 अक्तूबर, 2020 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया, जिसकी सिफारिश शीर्ष समिति द्वारा दिनांक 24.09.2019 को आयोजित बैठक में परियोजना की बची हुई गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया गया था।<br>गैस सर्वेक्षण से संबंधित फील्ड गतिविधियों को आरंभ कर दिया गया है और अब तक बीसीसीएल और ईसीएल की तीन खदानों का पूरा हो चुआ है। पांच और खदानों की पहचान की गयी है, जिनमें गैस सर्वेक्षण जल्द ही पूरा किया जाएगा। |
| 3 | भारतीय कोकिंग कोल एवं गैर-कोकिंग कोल के धुलाई की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किफायती प्रक्रिया बनाने का डिज़ाइन बनाना।<br>**परियोजना कोड:** CIL/ R&D/02/07/2017<br>**कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी:** आइआइटी-आइएसएम, धनबाद एवं सीएमपी विभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय ), रांची, वाशरी डिविजन, बीसीसीएल, धनबाद। | 17 अप्रैल, 2017 | 25 अक्तूबर, 2020 | रु.238.65 (आइआइटी-आइएमएम-रु.223.65) (सीएमपीडीआइ-रु.15.00) [संशोधित परियोजना रिपोर्ट] | रु.223.65 | आर एंड डी बोर्ड की दिनांक 23.12.2019 को हुई 30वीं बैठक में परियोजना के स्कोप में परिवर्तन, समय विस्तार, लागत पुनर्युक्तिकरण और लागत संशोधन पर विचार विमर्श किया गया।<br>सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड ने परियोजना की निरंतरता के लिए सहमति दी [केवल परियोजना का प्रयोगशाला अध्ययन अर्थात केवल भाग-1] और परियोजना के समय विस्तार को दिनांक 25 अक्तूबर, 2020 तक के लिए अनुमोदन दिया, जिसे शीर्ष समिति द्वारा अपनी दिनांक 24.09.2019 की बैठक में परियोजना की बाकी गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए संस्तुत किया गया था। आरएंडडी बोर्ड ने आईआईटी-आईएसएम को परामर्श दिया कि इस परियोजना के अंतर्गत वाशरी ग्रेड V और VI कोयला के प्रयोगशाला अध्ययन को पहली वरीयता दी जाए।<br>संशोधित परियोजना की घटी हुई लागत रु. 238.65 लाख [आईआईटी-आईएसएम धनबाद- रु. 223.65लाख; सीएमपीडीआई, रांची - रु. 15.00 लाख; बीसीसीएल-शून्य] होगी।<br>आईआईटी-आईएसएम धनबाद ने जारी की गयी राशि पर प्राप्त ब्याज और अतिरिक्त राशि दिनांक 12.02.2020 को सीएमपीडीआई को वापस कर दी। { रु. 10.06,63,368(मूल : रु. 926,35,000; ब्याज: रु. 80,28,368)} |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | परियोजना आरंभ होने की तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल अनुमोदित लागत (रु. लाख में) | 31.03.2020 तक कार्यक्रम पर व्यय (रु. लाख में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | कोयला खदानों में सुरक्षा एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी माईन सिमुलेटर (विआरएमएस) को विकसित करना।<br>**परियोजना कोड:** CIL/R&D/01/67/2017<br>**प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी:** यूएमडी, सीएमपीडीआई, रांची, ईसीएल सैंक्टोरिया, एनसीएल, सिंगरौली और सिमटार्स (SIMTARS), ऑस्ट्रेलिया। | 1 सितंबर, 2017 | 28 फरवरी, 2021 | रु.1410.10 आइआइटी-आइएसएम, -1320.10 सीएमपीडीआइ रांची, 90.00 | रु. 1254.97 (आईआईटी-आईएसएम- रु. 1250.00; सीएमपीडीआई- रु. 4.97) | एकाउस्टिक्स समेत सिविल कार्य (जहां प्रस्तावित वीआरएमएस स्थापित किया जाएगा) आईआईटी-आईएसएम धनबाद में पूर्ण होने वाला है। आईआईटी-आईएसएम धनबाद द्वारा अपेक्षित वीआरएमएस सेट और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए सिमटार्स आस्ट्रेलिया को क्रय आदेश दे दिया है। परंतु सिमटार्स के द्वारा कुछ मुद्दे उठाने की वजह से अब तक ये उपकरण आईआईटी-आईएसएम धनबाद में नहीं पहुंचे हैं। आईआईटी-आईएसएम सिमटार्स आस्ट्रेलिया के साथ मामले की पड़ताल कर रहा है। सीआईएल बोर्ड की शीर्ष समिति ने मुनिडीह, भूमिगत, बीसीसीएल धनबाद से झांझरा भूमिगत, ईसीएल को कार्यांवयन स्थल को बदल दिया है। अत: उप कार्यान्वयन बीसीसीएल से बदलकर ईसीएल हो गया है। |
| 5 | रेडियो मैट्रिक तकनीक का प्रयोग करके कोल ड्राइ बेनीफिसिएशन का प्रदर्शन<br>**परियोजना कोड:** CIL/R&D/2/05/10<br>**कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी:** सीएमपी डिवीजन, सीएमपीडीआइएल एवं आरडी हाइटेक प्रा.लि, विशाखापटनम | सितम्बर, 2010 | मार्च, 2020 | रु.2565.70 सीएमपीडीआइएल- रु.1814.40 आरडी हाईटेक रु.751.30 | रु.1424.240 | आरएंडडी बोर्ड की दिनांक 23.12.2019 को हुई 30वीं बैठक में इसका समय 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया, जिसकी सिफारिश शीर्ष समिति द्वारा दिनांक 24.09.2019 को आयोजित बैठक में परियोजना की सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया गया था। इससे पूर्व इस परियोजना को पूर्ण करने की संशोधित समय सीमा जुलाई, 2019 थी।<br>मधुबन वाशरी में अवसंरचनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण नही होने के कारण इस परियोजना के अंतर्गत आर्डीसोर्ट द्वारा विकसित तकनीकी की सक्षमता के मूल्यांकन के लिए फील्ड ट्रायल नही हो सका। इस प्रकार परियोजना को संशोधित समय सीमा में पूरा नही किया जा सका। |
| 6 | ड्रैगलाइन डंप के ऊपर शॉवेल-डंपर डंप के सभी स्तरों की डिज़ाइन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना एवं वर्ष भर ड्रैगलाइन डंप के अंदर फेरेटिक सतह का संरेखण और कोल इंडिआ लिमिटेड की दो ड्रैगलाइन खदानों का पुष्टिकारक अध्ययन<br>**परियोजना कोड:** सीआईएल/आरएंडडी/01/68/2018<br>**कार्यान्वयन एजेंसी :** बीआईटी मेसरा, सुरक्षा एवं बचाव विभाग, सीआईएल (मु.), कोलकाता | 01 मई, 2018 | 30 अप्रैल, 2021 | रु. 75.30 (बीआईटी - रु. 75.30) | रु. 58.00 | इस परियोजना के अंतर्गत, अब तक, फील्ड से जियो-इंजिनियरिंग और हाइड्रो-जियोलॉजिकल के संग्रह की शुरुआत कर दी गयी है और बीआईटी, मेसरा में उनका विश्लेषण जारी है। सस्ती और मुंगोली ओपेनकास्ट, डब्ल्युसीएल और ब्लॉक-2, बीसीसीएल से नमूना संग्रह किया गया है और उनका विश्लेषण जारी है। सस्ती और मुंगोली ओपेनकास्ट, डब्ल्युसीएल के एफओएस की गणना की गयी है। बीना ओसीपी, एनसीएल से जियो इंजिनियरिंग प्राचलों का संग्रह किया गया है। |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | परियोजना आरंभ होने की तिथि | पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | कुल अनुमोदित लागत (रु. लाख में) | 31.03.2020 तक कार्यक्रम पर व्यय (रु. लाख में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ख. | **एस ऐंड टी परियोजनाएं:** | | | | | |
| 1 | भारत के दामोदर बेसिन के शेल गैस क्षमता का मूल्यांकन- सीइ (EoI)/30<br>**कार्यान्वयन समिति:**<br>एनजीआरआइ, हैदराबाद, सिंफर, धनबाद एवं सीएमपीडीआई, रांची। | दिसंबर, 2012 | दिसंबर, 2019 | रु.2038.09 (एनजीआरआइ- रु.813.84) (सिंफर-रु.169.95) (सीएमपीडीआइ- रु.1054.30) | रु.1738.29 (एनजीआरआइ रु.805.74) (सिंफर-रु.157.00) (सीएमपीडीआइ- रु.1005.50) | • परियोजना पूर्ण हो चुकी है। परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।<br>• एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा रांगामाटी, बी ब्लॉक, रानीगंज और झरिया कोलफील्ड्स के राधा नगर पिपरटांड कोलफील्ड्स में 3डी सीस्मिक सर्वे किया जा चुका है।<br>• रानीगंज कोलफील्ड के रांगामाटी बी ब्लॉक और झरिया कोलफील्ड के राधा नगर पिपरटांड ब्लॉक में बोरहोल (दोनों में 4-4) की ड्रिलिंग पूर्ण हो चुकी है। |
| 2 | कोयला खदान कार्यप्रणाली में विभिन्न खनन पद्धतियों के लिए स्तंभों का स्थायित्व/स्तंभों का व्यूह और अभिकल्प<br>**कार्यान्वयन एजेंसी:**<br>सिंफर धनबाद, आईआईटी- आईएसएम धनबाद, सीएमपीडीआई रांची, एसईसीएल बिलासपुर, बीसीसीएल धनबाद, एससीसीएल कोतगुदम | 16.03.2018 | 15.09.2020 | रु. 562.39 (सिंफर- रु. 299.37 आईएसएम - रु. 211.00 सीएमपीडीआई- रु. 51.92) | रु. 475.00 (सिंफर- रु. 265.00 आईएसएम- रु. 200.00 सीएमपीडीआई- रु. 10.00) | • साहित्य सर्वेक्षण का कार्य जारी है।<br>• उपकरणों की खरीद का कार्य जारी है।<br>• चुरचा खंदान से कोयला के एनएक्स आकार के कोर नमूना का परीक्षण पूर्ण हो चुका है।<br>• मुनिडीह और चुरचा में इन सीटू तनाव मापन पूर्ण हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए बीसीसीएल और एसईसीएल में निविदा प्रक्रियाधीन है।<br>• एससीसीएल के आद्रियल पैनल नं. 2 पर खाता निगरानी प्रक्रियाधीन है।<br>• 3 डी न्युमेरिकल मॉडलिंग के इनपुट के लिए जियो टेक्निकल डाटा संग्रहीत किया गया है और स्तंभ व्यवहार का अनुकारित मॉडल प्रक्रियाधीन है। |

## 12.2 आधुनिकीकरण

कंपनी यह प्रयास कर रही है कि भूमिगत खानों के परिचालन में एसडीएल जैसे मध्यम स्तरीय तकनीक को बदलकर उसके स्थान पर लांगवाल एवं कंटीन्यूअस माइनर तकनीक जैसे व्यापक उत्पादन वाली तकनीक को अपनाया जाए।

## 12.3 एसडीएल उपयोग

31.03.2019 को कुल 59 एस डी एल की तुलना में 31.03.2020 को कुल 49 एसडीएल चालू हैं। सभी 49 एसडीएल को केवल उत्पादन कार्य में लगाया गया है। वर्ष के दौरान 30 एसडीएल सर्वे-ऑफ हैं।

## 12.4 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान एसडीएल उत्पादन एवं इनकी उत्पादकता

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 | पिछले वर्ष के दौरन वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| उत्पादन (मि0 टन) | 0.511 | 0.568 | (-) 10.03 |
| उत्पादकता (टन/एसडीएल/दिन) | 31.32 | 31.98 | (-) 2.06 |

## 12.5. एसडीएल उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के कारण

बीसीसीएल की खदानों में आग, अचानक पानी भर जाना तथा एक साथ अनेक सीमों का चालू रहना एवं डीजीएमएस की पाबंदियों जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं, उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के कारण हो सकते हैं।

- वर्ष 2019-20 के मानसून के दौरान भागाबांध, पी. बी. परियोजना, केबी 10/12, गोपालीचक प्रभावित थे।
- भौरा भूमिगत खदान डीजीएमएस के निर्देशों के अनुसार बंद है।
- सभी वर्किंग फेस पर जल भराव के कारण अक्टूबर, 2019 में पुटकी बलिहारी क्षेत्र की भूमिगत खदाने बंद रही हैं।

## 12.6. वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वे ऑफ एसडीएल

वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वे ऑफ हुए कुल एसडीएल 10 थे।

## 12.7. लाँगवाल तकनीक

मुनिडीह कोलियरी के XVI T सीम में लांगवाल फेस का परिचालन सफल रहा है। वर्ष 2019-20 में 0.530519 मि. टन और वर्ष 2018-19 में 0.326151 मि. टन का उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 62.66% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

## 12.8. चालू खनन परयोजनाएं

| क्रम सं. | खदान / परियोजना का नाम | क्षमता (मि.ट) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्लॉक-II कंटिन्यूअस माइनर यूजी परियोजना (एमडीओ) (10 वार्षिक योजना अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन– 5.90 एमटी (कंटिन्यूअस माइनर ) पूंजी- ₹ 113.37 करोड़ | 0.45 | • लागतोपरि आधार पर सीम I/II से दोहन के लिए कंटिन्युअस माइनर को शुरु करने के लिए परियोजना रिपोर्ट को बीसीसीएल बोर्ड की दिनांक 03.01.2019 को आयोजित 262वीं बैठक में रु. 113.37 करोड़ के पूंजी निवेश के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।<br>• बीसीसीएल बोर्ड के दिनांक 03.01.2019 और सीआईएल बोर्ड के दिनांक 22.12.2019 के अनुमोदन के अनुसार न्यूनतम 0.45 मिलियन टन कोयले के गारंटीयुक्त उत्पादन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मैसर्स मिनोप इन्नोवेटिव के नेतृत्व में बने कंसोर्टियम को कार्य सौंपा गया।<br>• कंसोर्टियम के एक सदस्य (एप्लाशियन माइनिंग एंड इंजिनियरिंग इंक. केंटुकी, यूएसए) ने करार पर हस्ताक्षर नही किए थे।<br>• इस प्रकार, एल1 निविदाकर्ता को जारी स्वीकृति पत्र के निरस्तीकरण के लिए प्रकार्य निदेशकों के समक्ष रखा गया।<br>• वर्तमान स्वीकृति पत्र के निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव बीसीसीएल बोर्ड की दिनांक 06.03.2020 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। |

| क्रम सं. | खदान / परियोजना का नाम | क्षमता (मि.ट) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 2 | मुराईडीह यूजी (बरोरा क्षेत्र) (9वीं वार्षिक योजना अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन- 20.435 एमटी)<br>पूंजी : ₹ 339.875 करोड़ | 2.00 | • पूर्ण टर्नकी आधार 9 वार्षिक उत्पादन अवधि में न्यूनतम गारंटीशुदा 20.435 मिलियन टन के लिए व्यापक उत्पादन तकनीकी पैकेज द्वारा मुराइडीह भूमिगत खान के सीम I/III को कोयले तक अभिगम और निष्कर्षण के लिए विकसित करने का अनुबंध मैसर्स मिनोप-माहेश्वरी माइनिंग - बीएचईसी (चीन) कंसोर्टियम को दिया गया। बोर्ड द्वारा यह परियोजना दिनांक 14.02.2011 को अनुमोदित की गयी और करार पर दिनांक 22.06.2012 को हस्ताक्षार हुए।<br>• डीजीएमएस द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण शाफ़्ट सिंकिंग और इंक्लाइन ड्राइवेज का काम दिनांक 20.11.2015 से रुका रहा। कार्य के बंद रहने के दौरान शाफ्ट सिंकिंग 13 मीटर तक की गयी जबकि इंक्लाइन क्रमश: 52 मीटर और 48.5 मीटर चलाई गयी और इसने कोल सीम (III) को छू लिया।<br>• इन दौरान, दिनांक 01.06.2016 से मैसर्स मिनोप संवेदक द्वारा करार में भुगतान की कुछ शर्तों में आशोधन के लिए सभी कार्य लंबित रखे गए। इस मामले की परीक्षा मैसर्स एसबीआई कैपिटल द्वारा और इसके बाद मैसर्स फॉक्स एंड मंडल द्वारा की गयी, जो कि संवेदक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकांश आशोधनों को मानने के लिए तैयार नही हुए।<br>• इसके पश्चात एक अलग मामले में फरवरी, 2017 से मैसर्स मिनोप के साथ व्यवसायिक संबंध 6 महीने तक नही रहे और इसके बाद मैसर्स मिनोप को बीसीसीएल द्वारा दिनांक 18/19.01.2018 के पत्र द्वारा निषिद्ध कर दिया गया यद्यपि, 'व्यवसायिक संबंधों पर प्रतिबंध' को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा दिनांक 28.08.2018 को अमान्य घोषित कर दिया गया।<br>• यह कार्य शुरु करने के लिए मैसर्स मिनोप को पुन: बोला गया। मैसर्स मिनोप द्वारा सितंबर, 2019 में सहायक कार्य के लिए गतिविधियां शुरु की गयीं और खान विकास कार्यक्रम दिनांक 01.01.2020 से शुरू हुआ। |
| 3 | कपूरिया यूजी (कपूरिया क्षेत्र) (पीएसएलडब्ल्यू) (एमओडी) न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन- 9 एपीपी में 20.024 एमटी)<br>पूंजी: ₹ 988.3 करोड़ | 2.00 | • मैसर्स एएमआर-बीबीबी कंसोर्टियम को 9 वर्षों की वाणिज्यिक उत्पादन अवधि के दौरान न्यूनतम गारंटीशुदा उत्पादन 20.024 मिलियन टन करने के लिए रु. 988.354 करोड़ की पूंजी लागत पर कार्य के आबंटन को बीसीसीएल बोर्ड की दिनांक 03.07.2011 को आयोजित 279वीं बैठक और सीआईएल बोर्ड की दिनांक 12.08.2011 को आयोजित 272वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। दिनांक 10.09.2011 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया। करार अप्रैल, 2012 में निष्पादित किया गया।<br>• इस बीच, कपुरिया कोल ब्लॉक (जनवरी-2019) के लिए संशोधित जीआर मैसर्स एमईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई को प्रस्तुत किया गया जो कि इस संपत्ति में अतिरिक्त ड्रिलिंग पर आधारित था। संशोधित जीआर में भूवैज्ञानिक संरचना पूर्व/मूल जीआर (1987) में उल्लिखित से बिलकुल बदली हुई थी जो कि एनआईटी के तकनीकी दस्तावेज का आधार बनी।<br>• बीसीसीएल बोर्ड ने संपत्ति की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलावों को देखते निविदा के निरस्तीकरण को अनुमोदित कर दिया जो कि निविदा जारी करते समय (अप्रैल, 2010) गलतियों की संख्या,गलतियों की दिशा और राशि को ध्यान में रखते हुए किया गया।<br>• सीएमपीडीआई को संशोधित जीआर के आधार पर नयी परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य सौंपा गया है। |
| 4 | मुनीडीह XV सीम यूजी (डब्ल्यू जे एरिया) (पीएसएलडब्ल्यू: (एमडीओ) न्यूनतम गारंटी उत्पादन- 9 एपीपी में 22.5 एमटी) पूंजी- 1230.27 करोड़ रुपये | 2.50 | • दिनांक 03.07.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 279 वीं बैठक तथा दिनांक 12.08.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 272 वीं बैठक में किए अनुमोदन के अनुसार मैसर्स इंदू-एससीसीएल-सीमजीएसई कंसोर्टियम को 9 वर्ष की वाणिज्यिक उत्पादन अवधि के दौरान कुल न्यूनतम 22.50 मिलियन टन गारंटीशुदा उत्पादन, बीमा व माल ढुलाई समेत कुल पूंजी लागत रु. 1230.273 करोड़ पर कार्य सौंप दिया गया है।<br>• प्रारंभ में, भूमि व अन्य समस्याओं के कारण परियोजना में विलंब हुआ। 420.90 मीटर गहराई को पारकर शाफ्ट सिंकिंग पूरी हो गयी है (XV सीम तक पहुंच गये) और 345.5 मीटर की लंबाई के ड्रिफ्ट को XVI सीम से XVसीम तक चलाया गया।<br>■ मोनो-रेल एवं दो सेट बोल्टर माईनर का परिचालन किया जा चुका है।<br>■ *2050 मीटर लंबाई में से, प्रत्येक इंक्लाइन के लिए प्रस्तावित, दिनांक 31.03.2020 तक इंक्लाइन नं-01 में 1554.40 मीटर और इंक्लाइन नंबर-02 में 1592.70 मीटर प्रगति हुई है।* |
| 5 | नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा एक्सपेंशन ओसीपी (6 एमटीवाई) (वैरिएंट- II) | 6.0 | • 6.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली एनटी-एसटी परियोजना ओपेनकॉस्ट परियोजना और मैसर्स आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसकी वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 03.02.2014 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 304 वीं बैठक और तदनुसार, दिनांक 12.02.2014 को हुई सीआइएल बोर्ड की 304वीं बैठक में बोर्ड द्वारा रु. 555,52 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अनुमोदन 18.59% के आईआरआर के साथ पूरी तरह आउटसोर्सिंग आधार पर परियोजना चलाने के लिए किया गया है।<br>• यह परियोजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में, इस परियोजना के अंतर्गत एक हायर्ड एचइएमएम पैच और एक विभागीय पैच काम कर रहे हैं। यहाँ से वर्ष 2018-19 में 2.48 मिलियन टन और वर्ष 2019-20 में दिसंबर, 19 तक 1.28 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया।<br>• सीएमपीडीआई को आरसीई/आरपीआर बनाने का काम सौंपा गया है।<br>■ **उत्पादन:**<br><table><tr><th>वर्ष</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th></tr><tr><td>लक्ष्य (मि.ट.)</td><td>3.133</td><td>3.080</td><td>4.11</td></tr><tr><td>उत्पादन (मि.ट.)</td><td>3.030</td><td>2.480</td><td>2.534 (मार्च, 2020 तक)</td></tr></table> |

## 12.9 त्वरित लदाई पद्धति (रैपिड लोडिंग सिस्टम- आरएलएस)

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (एमटीवाई) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 6 | महेशपुर, गोविंदपुर क्षेत्र में रैपिड लोडिंग पद्धति (आरएलएस) पूंजी- 134.27 करोड़ रुपये | 5.0 | • दिनांक 5.4.2011 को मैसर्स एस. के. सामंता एंड कंपनी (प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में कार्य तथा सेवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया था और करार पर दिनांक 18.05.2011 को हस्ताक्षर हुए थे।<br>• वन अनापत्ति न मिल पाने की वजह से दिनांक 13.03.2015 से 28.09.2018 तक निर्माण कार्य बंद रहा।<br>• रेल ले-आउट को दिनांक 01.11.2018 को पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और 25.988 एकड़ भूमि का सीमांकन प्रक्रियाधीन (60% भूमि सीमांकित हो चुकी है) है और सीमांकन के बाद इस भूमि को बीसीसीएल/ आरआइटीइएस को सौंपा दिया जाएगा।<br>**स्थिति**<br>i. मैसर्स एचसीपीएल-एमबीपीएल (जेवी), देवघर को पत्र संख्या-राइट्स/आरपीओ-कोल/बीसीसीएल/महेशपुर/रेलवे साइडिंग/2017/154 दिनांक 09/10.12.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र सौंपा गया है।<br>ओएचई के साथ रेलवे ट्रैक पर चल रहे प्रारंभिक सर्वेक्षण चल रहा है, जो कि मई, 2021 तक पूरा होगा।<br>ii. एचज़ेडएल बाउंड्री वाल के लिए निविदा सूचना दिनांक 21.02.2020 को जारी की गयी। एचजेडएल बाउंड्री वाल के निर्माण की निविदा दिनांक 19.03.2020 को खुली।<br>iii. क्वैरी फिलिंग पर डब्ल्युबीएम रोड के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति पत्र दिनांक 21.02.2020 को दिया गया। फिलिंग पर डॅब्ल्युबीएम रोड के निर्माण का कार्य चल रहा है। |

## 12.10 नयी स्वीकृत परियोजना

**शून्य**

## 12.11 पूंजीगत परियोजनाएं एवं योजनाएं

i. वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पूरी की गई खनन परियोजनाएं

**शून्य**

ii. अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2019-20 के दौरान रू. 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली खनन परियोजनाएं जो शुरू हुई हैं।

| क्र. सं. | विषय | परियोजना | प्रकार | स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई) | स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में) | 2019-20 में उत्पादन (एम टी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीसीसीएल | मुनीडीह XV सीम | भूमिगत | 2.5 | 1230.27 | 0.0309 |

iii. अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएं

**शून्य**

iv. अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली गैर खनन परियोजनाएं

| क्र. सं. | परियोजनाएं | अनुषंगी | अनुमोदन की तिथि | स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.0 एमटीपीए (भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी) के रेलवे बुनियादी ढांचे का नवीकरण/ सुदृढ़ीकरण | बीसीसीएल | 06.09.2019 | 98.67 |
| 2. | 2.5 एमटीपीए (पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी) के रेलवे बुनियादी ढांचे का नवीकरण/ सुदृढ़ीकरण | बीसीसीएल | 06.03.2020 | 91.27 |
| 3. | 2.5 एमटीपीए मुनीडीह कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना | बीसीसीएल | 06.03.2020 | 468.91 |

v. अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली आरपीआर/आरसीइएस

**शून्य**

vi. वर्ष 2019-20 के दौरान बंद परियोजनायें

**शून्य**

## 12.12. परियोजना एवं योजना विभाग से संबंधित एमओयू पैरामीटर्स : उपलब्धि (2019-20)

| क्र.सं. | परियोजना | क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष) | विशेष उपलब्धि | कार्य पूरा करने का समय | अंतिम उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मुनीडीह XV सीम यूजी | 2.5 | इंक्लाइन नं. 1 ड्राइवेज 780 मीटर | मार्च, 20 | 506.70 मीटर<br>कठोर संस्तर पाये जाने के कारण इंक्लाइन ड्राइवेज का काम धीमा हो गया, जिससे कोई विशेष उप्लब्धि हासिल नहीं हो सकी। |
| 2. | मधुबन एनएल डब्ल्यू वाशरी | 5.0 | निर्माण स्थापना एवं वाणिज्यिक परिचालन का कार्य पूर्ण | मार्च, 20 | 94%<br>मेसर्स एचईसी लि. द्वारा निर्माण गतिविधियों में बहुत धीमी प्रगति और फिर से 31.08.2020 तक का समय बढ़ाने की मांग। |
| 3. | पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी | 5.0 | आरएलएस कंस्ट्रक्शन को कार्य सौंपा गया | मार्च, 20 | **प्राप्त नहीं हुआ**<br>सीआईएल बोर्ड ने बोली के मूल्यांकन में कुछ संशोधन किया है। सीआईएल ने बोली दस्तावेज में कुछ संशोधन भी किया है। एफडी, बीसीसीएल की स्वीकृति अपेक्षित है। |
| 4. | एनटीएसटी ओसीपी | 6.0 | ओबी की पुन: निपटान की तुलना में भूमि अधिग्रहण और कब्जे के आर्थिक पहलू की जांच | मार्च, 20 | **प्राप्त**<br>सीएमपीडीआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह निष्कर्ष निकाला कि बाहरी डंप के लिए अपेक्षित भूमि को कम करना संभव नहीं है क्योंकि आंतरिक डंप की पूरी क्षमता पहले से ही पीआर में ली गई है। |

## 12.13 सीएमएम/सीबीएम परियोजना

### मुनीडीह कोलियरी के XVI सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन

- एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में मुनीडीह कोलियरी XVI टी सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन किया गया।
- सीएमपीडीआई द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तथा ग्लोबल बिड दस्तावेज (जीबीडी) तैयार किया गया था। जिसे बीसीसीएल बोर्ड ने 26.05.2018 को आयोजित अपनी 343 वीं बैठक में 60 करोड़ रू. की पूंजी लागत पर अनुमोदित किया था।
- दो बार निविदा जारी की गई थी, पहली 07.09.2018 को और दूसरी भावी बोलीदाताओं के साथ प्री-एनआईटी बैठक का आयोजन कर एनआईटी में संशोधन के बाद 09.07.2019 को। परंतु दोनों मौके पर निविदा रद्द कर दी गई थी। दो समय विस्तार के बाद भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के बाद 18.10.2019 को पुन: निविदा जारी की गयी। इस पर आगे की कार्यवाही जारी है।

- जारी एनआईटी के लिए संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज तैयार कर लिया गया है तथा 06.03.2020 को बीसीसीएल बोर्ड की 361 वीं बैठक में इसका अनुमोदन कर दिया गया है। 31.03.2020 को निविदा जारी की गयी।

**झरिया सी बी एम/सीएमएम ब्लॉक से मिथेन का दोहन**

- बीसीसीएल में कपूरिया, मुनीडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉकों के खनन पट्टाधारित लगभग 24.32 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वाणिज्यिक विकास के लिए चिह्नित किया गया है।
- 24.32 वर्ग कि.मी. के इस चिह्नित क्षेत्र में 25.22 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के गैस-इन-प्लेस का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक विस्तृत 25 वर्षीय उत्पादन प्रोफाईल तैयार की गयी है।
- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गयी है। परियोजना की कुल पूंजी लागत की गणना यूएस $ 289 मिलियन यानि 1878.50 करोड़ रुपये की गई है, जबकि ओपेक्स की गणना यूएस $ 169 मिलियन यानी 1098.50 करोड़ रुपये की गई है। 368.50 करोड़ रुपये (तीन सौ अड़सठ करोड़ पचास लाख रुपये) के अनुमानित पूंजी व्यय पर एमडीओ कॉन्सेप्ट के तहत परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।
- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को दिनांक 05.07.2018 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 344 वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित किया गया।।
- सीएमपीडीआई मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। करार ज्ञापन अंतिम चरण में है।

## 12.14. बीसीसीएल में कोल ब्लॉक

बीसीसीएल को आवंटित किए गए कोल ब्लॉक की स्थिति निम्नलिखित है:-

### I. एमएमडीआर के तहत आवंटित ब्लॉक

कोयला मंत्रालय के पत्र दिनांक 12.01.2018 और 18.01.2018 के अनुसार बीसीसीएल को चार कोल ब्लॉक पीरपैंती, बरहाट, मंदार पर्वत, धुलिया उत्तर और मिर्जागांव आवंटित किए गए हैं। ये ब्लॉक गोड्डा (झारखंड) के अंतर्गत आने वाले राजमहल कोलफील्ड्स में और भागलपुर (बिहार) में अवस्थित हैं। रिजर्व सीम I से सीम X तक हैं और इन ब्लॉकों में सीम I, II, IX एवं X प्रमुख हैं। इन कोल ब्लॉकों को मिलाकर विक्रमशिला क्षेत्र का गठन किया गया है। इन ब्लॉकों के लिए एमओसी को अग्रिम राशि के तौर पर 500 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। बीसीसीएल को आवंटित किए गए कोल ब्लॉक का विवरण नीचे दिया गया है:-

बीसीसीएल को आवंटित कोल ब्लॉकों का विवरण निम्नलिखित है:

| कोल ब्लॉक | रिजर्व (मिलियन टन में) | | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) | अनुमानित औसत ग्रेड | अधिकतम उत्पादन क्षमता (मि. ट. वार्षिक) |
|---|---|---|---|---|---|
| | सिद्ध | अनुमानित | | | |
| पीरपैंती | | | 18.84 | G-11/G -12 | 25 |
| मंदार पर्वत | 330.73 | | 13.12 | G-12 | 15 |
| धूलिया उत्तर | 1181.25 | | 18.05 | G-11 /G-13 | 35 |
| मिर्ज़ागांव | | 967.74 | 46.18 | G-14 | 30 |
| **कुल** | **2310.54** | **967.74** | | | **105** |

#### क) पीरपैंती बाराहाट कोल ब्लॉक:

पीरपैंती बाराहाट कोल ब्लॉक से संबंधित अन्वेषण पूरा कर लिया गया है। सीएमपीडीआई द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसकी बीसीसीएल द्वारा जांच की गई है तथा कुछ संशोधन के लिए सुझाव दिया गया था जिसे सीएमपीडीआई को सूचित किया गया है। सीएमपीडीआई में परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

सीबीए अधिनियम की धारा 4 (।) के तहत पीरपैंती-बाराहाट ब्लॉक के लिए 2773.639 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना 22.12.2018 को अधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया है। सीबीए अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए भू अभिलेख एकत्रित किए जा रहे हैं।

### ख) मंदार पर्वत कोल ब्लॉक:

इसी प्रकार मंदार पर्वत से संबंधित अन्वेषण पूरा हो चुका है तथा 25.01.2020 को सीएमपीडीआई द्वारा पीआर भी प्रस्तुत कर दिया गया है जिसकी जांच बीसीसीएल में की गई है और कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। सीएमपीडीआई में पीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

मंदार पर्वत कोल ब्लॉक की 888.5565 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए दिनांक 07.09.2019 को सीबीए अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित करवायी गयी है। सीबीए अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए भू अभिलेख एकत्रित किए जा रहे हैं।

### ग) धुलिया नार्थ कोल ब्लॉक:

धुलिया नार्थ कोल ब्लॉक का अन्वेषण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसका जीआर उपलब्ध है। धुलिया नार्थ कोल, ब्लॉक मंदार पर्वत के पूरब में तथा पीरपैंती-बाराहाट कोल ब्लॉक के उत्तर-पूरब में स्थित है। इस प्रकार धुलिया नार्थ कोल ब्लॉक मंदार पर्वत तथा पीरपैंती-बाराहाट कोल ब्लॉक के ढ़ाल की ओर है।

चूंकि धुलिया उत्तरी कोल ब्लॉक का मुख्य कोल सीम, सीम-II है जिसकी मोटाई 45.96 मी. से 64.35 मी. है तथा पीरपैंती-बाराहाट एवं मंदार पर्वत कोल ब्लॉक के ढ़ाल की ओर है, अत: धुलिया उत्तरी कोल ब्लॉक में मंदार पर्वत तथा पीरपैंती-बाराहाट के अवनत (ढ़ाल) विस्तार के रूप में काम किया जा सकता है।

**इस प्रकार धुलिया कोल ब्लॉक में न्यूनतम 20 वर्षों के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है जब तक मंदार पर्वत की खदान अपनी सीमा तक नही पहुंच जाती है। अत: दिनांक 06.03.2020 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 361 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस ब्लॉक का जल्द उपयोग संभव नही होने के कारण भारत सरकार को इस ब्लॉक को वापस करने का निर्णय लिया गया।**

### घ) मिर्जागांव कोल ब्लॉक:

मिर्जागांव कोल ब्लॉक बिहार राज्य में धुलिया नार्थ कोल ब्लॉक के उत्तर में स्थित है। मिर्जागांव कोल ब्लॉक का क्षेत्रफल 46.17 वर्ग कि.मी. है। ब्लॉक में व्यापक खोज के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की जा रही है। 2022-23 में इसकी भूवैज्ञानिक रिपोर्ट आने की अपेक्षा है।

चालू ड्रिलिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि अन्य ब्लॉकों के विपरीत इस ब्लॉक में पर्याप्त मोटाई का सीम नहीं है। इसके अलावा ब्लॉक के मुख्य सीम अर्थात सीम-1 की गहराई 150 मी. – 720 मी. के बीच है। ब्लॉक में औसत 70 मी. तक जमा मिट्टी, गाद, मलबा इस सीम को अभिलक्षणित करते है।

इन नयी परियोजनाओं के लिए मुख्य बाधा भू-अधिग्रहण और पुनर्वास है, साथ ही मिर्जागांव के मामले में ये अधिक है। ये इन कोल ब्लॉकों जनसंख्या, धान खेती वाली भूमि तथा आम के बड़े-बड़े बागान बड़ी मात्रा में हैं। प्रस्तावित डंपिंग क्षेत्र तथा अन्य बुनियादी ढांचे की अवस्थिति भी धान खेती वाली भूमि के अंतर्गत आता है तथा इसमें गांव भी सम्मिलित है। अत: खनन गतिविधियों के संचालन के लिए बड़ी संख्या में निजी घरों को यहाँ से हटाने की जरूरत है।

यहां 34 गांव हैं जिसमें कुछ सघन आबादी वाले हैं जो कोल ब्लॉक क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से पर हैं। इसलिए न केवल आर एवं आर लागत बहुत अधिक होगी, बल्कि बुनियादी ढांचे के साथ इतनी बड़ी आबादी को स्थानांतरित करना भी इस ब्लॉक से कोयले के दोहन में बड़ी बाधा का कारण बनेगा।

ऊपर उल्लिखित कारणों जैसे कि भू-अधिग्रहण एवं आर एवं आर की उच्च लागत, सघन आबादी के कारण भूमि को कब्जे में लेने की दिक्कत, परियोजना के अतिसंवेदनशील वित्तीय व्यवहार्यता को देखते हुए इसे सरकार को वापस करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

**दिनांक 06.03.2020 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 361 वीं बैठक में धुलिया नार्थ तथा मिर्जागांव कोल ब्लॉक के समर्पण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।** सीआईएल से अनुरोध किया गया है कि वह इन कोल ब्लॉकों की वापसी के लिए कोयला मंत्रालय से बात करे और अग्रिम राशि को वापस करवाए।

## II . सीएमएसपी अधिनियम के तहत आवंटित ब्लॉक

### क) दामागोरिया कल्याणेश्वरी का पूर्वी कोल ब्लॉक

कोयला मंत्रालय ने सीएमएसपी अधिनियम-2015 के अंतर्गत बीसीसीएल को पत्र सं.- सीबीए2-13011/1/2017-सीबीए2 दिनांक 03.10.2018

के माध्यम से ईस्ट दामागोरिया कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी) आवंटित किया है। 26.09.2019 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी तथा बीसीसीएल के अधिकृत पदाधिकारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

दिनांक 25.10.2019 को कोयला मंत्रालय को 50% अग्रिम भुगतान के एवज में 62.50 करोड़ रूपये तथा निर्धारित राशि के एवज में 17.341668 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन प्रतिभूति के तौर पर कोयला मंत्रालय को 124.3328 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत किया गया है।

आदेश सं.- एफ.नं. 103/2/2015-एनए-पार्ट (1) दिनांकित 21.11.2019 के माध्यम से कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किया गया और यह 02.12.2019 को प्राप्त हुआ है।

सीएमपीडीआई द्वारा खनन/परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

## 12.15 उत्पादन रोड मैप: बीसीसीएल

बीसीसीएल द्वारा अगले चार वर्षों तक कोयला उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन-योजना बनायी गयी है:-

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन (मि.टन) | 27.729 | 37.13 | 40.00 | 45.00 | 51.00 |
| वृद्धि (%) | - | 33.90 | 7.72 | 12.50 | 13.33 |

## 12.16 विभागीय परिवहन एवं संविदात्मक परिवहन का विवरण

| क्र. सं. | मद का विवरण | 2018-19 में ले जायी गयी कोयले की मात्रा (टन में) | 2019-20 में ले जायी गयी कोयले की मात्रा (टन में) | 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वृद्धि/ह्रास का % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रेत के अलावा कोयला, कोक, स्लरी एवं रिजेक्ट्स का विभागीय परिवहन (एचईएमएम को छोड़कर) | 1771553.81 | 1682833.99 | (-) 5.008 |
| 2. | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोयला, कोक, स्लरी एवं त्यक्त माल (ट्रक द्वारा) का संविदात्मक परिवहन | 19401238.42 | 18828192.69 | (-)2.953 |

# 13. भू-संपदा

**(करोड़ रु. में)**

| वर्ष | दिए गए नियोजन | भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में) | | | क्षतिपूर्ति | | पंजीकरण एवं अन्य लागत | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एल. ए. | सी.बी.ए. | क्रय | भूमि के बदले में | नियोजन के बदले में | | |
| **2019-20** | **13** | **00** | **00** | **7.39** | **2.38** | **0.00** | **0.39** | **2.77** |

1. इस अधिग्रहण प्रक्रिया में, सी.बी.ए. (ए ऐंड डी) अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) के तहत नए कोल ब्लॉक मंदार-पर्वत, विक्रमशिला क्षेत्र के लिए 888.5565 हेक्टेयर (सभी अधिकार) के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है और भारत सरकार के गजट में दिसंबर, 2019 में इसे प्रकाशित किया जा चुका है।

## 14. विदेशी सहयोग

बीसीसीएल में वर्तमान में विदेशी सहयोग से चलने वाली कार्यान्वयन के लिए कोई परियोजना नहीं है।

## 15. विपणन

### 15.2. मांग तथा आपूर्ति

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में क्षेत्र-वार कोयले की वास्तविक मांग एवं आपूर्ति:

**आंकड़ें मलियिन टन में**

| क्षेत्र | मांग* | | वास्तविक** | | मांग की तुलना में संतुष्टि का % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| पॉवर | 27.96 | 29.00 | 23.63 | 27.22 | 84.50 | 93.85 |
| स्टील सीपीपी | 0.05 | 0.60 | 0.01 | 0.02 | 22.20 | 3.35 |
| स्टील | 0.54 | 0.84 | 0.65 | 0.36 | 120.46 | 42.49 |
| उर्वरक | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 0.92 | 88.67 | 83.72 |
| ई-ऑक्शन | 2.05 | 2.61 | 1.24 | 2.23 | 60.63 | 85.47 |
| वाशरी के लिए | 3.80 | 3.44 | 1.72 | 1.58 | 45.31 | 45.90 |
| अन्य | 0.50 | 0.42 | 0.52 | 0.73 | 103.64 | 174.92 |
| कोलियरी उपभोग | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | **36.00** | **38.00** | **28.76** | **33.07** | **79.89** | **87.01** |
| धुला हुआ कोयला | 2.24 | 1.36 | 0.66 | 0.61 | 29.62 | 44.64 |
| मिडलिंग्स/डब्ल्युपीसी | 1.40 | 1.47 | 0.79 | 0.80 | 56.48 | 54.68 |

**टिप्पणी**

*** सीआईएल के एएपी लक्ष्य के अनुसार**

**** सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार (एम-18)(अनंतिम रिपोर्ट)**

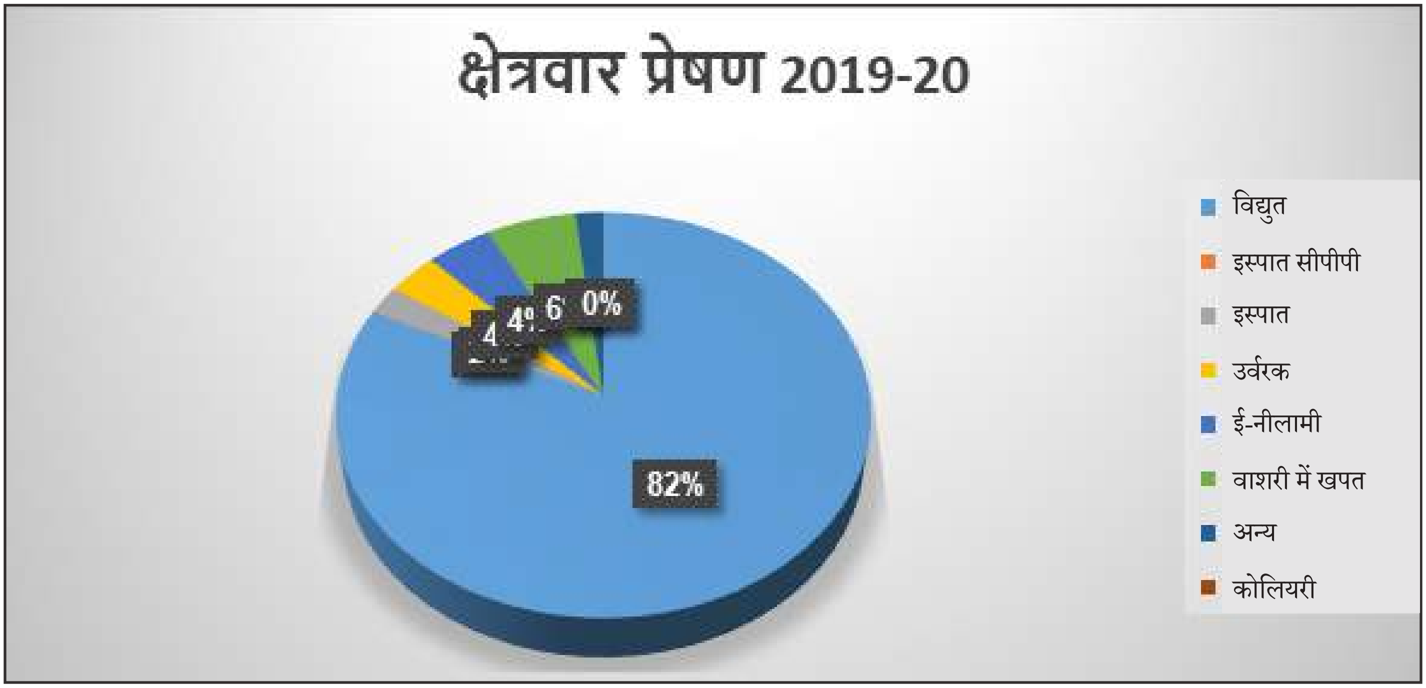

## 15.2.

### क. पुराने बकाया का निपटान

सेल और डीवीसी का निपटान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कर लिया गया।

### ख. बिक्री पर की गई वसूली

| क्र.सं. | वर्ष | टर्नओवर (रु. करोड़ में) | वसूली (रु. करोड़ में) | वसूली का % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 12024.54 | 10091.60 | 83.93% |
| 2 | 2018-19 | 12899.98 | 15046.94 | 116.64% |
| 3 | 2017-18 | 10773.92 | 12056.97 | 111.91% |
| 4 | 2016-17 | 11220.32 | 11300.8 | 101.00% |
| 5 | 2015-16 | 11001.01 | 9983.65 | 90.75% |

## 15.3. ई-विपणन:

बीसीसीएल, सीआइएल में कोयला एवं कोयला उत्पादों के ई-विपणन में अग्रणी है, जिसने वर्ष के दौरान अधिसूचित मूल्य पर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में एक उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे कंपनी को मजबूती प्रदान हुई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कई ई-ऑक्शन योजनाओं का संचालन किया गया था और ई-ऑक्शन के लिए कुल 56.00 लाख टन का प्रस्ताव दिया गया तथा वास्तविक बिक्री 39.30 लाख टन की गई थी। विभिन्न ई-ऑक्शनों का योजना वार प्रदर्शन निम्नलिखित है:

**बीसीसीएल : वर्ष 2019-20 के दौरान योजना वार ई-ऑक्शन प्रदर्शन**

| ई-ऑक्शन के प्रकार | प्रस्ताव की मात्रा (एमटी में) | बुक की गई मात्रा (एमटी में) | उठाव की मात्रा (एमटी में) | अधिसूचित मूल्य पर लाभ (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| विशेष अग्रेषण (विद्युत) | 3.05 | 1.97 | 2.35 | 60.04 |
| विशिष्ट (गैर-विद्युत) | 1.16 | 0.91 | 0.80 | 103.39 |
| स्पॉट | 1.40 | 1.06 | 0.45 | 191.32 |
| **कुल** | **5.60** | **3.93** | **3.59** | **354.75** |

- वर्ष 2019-20 के दौरान विपणन एवं विक्रय विभाग की ओर से बीसीसीएल बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित मामलों को प्रस्तुत किया गया।

| कार्यसूची | बीसीसीएल बोर्ड की बैठक | कृत कार्रवाई |
|---|---|---|
| कोयला मंत्रालय द्वारा चिह्नित 7 स्रोतों से स्पॉट ई-ऑक्शन का प्रारंभ | दिनांक 27.06.2019 को आयोजित 352वीं बैठक | स्पॉट ई-ऑक्शन में लागू |
| जुलाई, 2019 के लिए स्पॉट ई-ऑक्शन से वसूल प्रीमियम की स्थिति रिपोर्ट | दिनांक 31.07.2019 को आयोजित 353वीं बैठक | स्थिति रिपोर्ट अगली बैठक में रखी गयी। |
| नॉन-रेगुलेटेड क्षेत्र के उपभोकताओं के लिए कोकिंग कोल के मूल्य में संशोधन | दिनांक 06.09.2019 को आयोजित 354वीं बैठक | दिनांक 07.09.2018 को 00 बजे से मूल्य में संशोधन किया गया था |
| अक्टूबर, 2019 के लिए स्पॉट ई-ऑक्शन से वसूल किए गए प्रीमियम की स्थिति रिपोर्ट और 07 (सात) स्रोतों समेत बीसीसीएल के सभी स्रोतों से प्रस्तावित स्पॉट ई-ऑक्शन में मात्रा निर्धारित करने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन को सक्षम बनाने का अनुमोदन | दिनांक 15.11.2019 को आयोजित 357वीं बैठक | बोर्ड के निर्णय के अनुसार स्पॉट ई-ऑक्शन किया गया |

# 16. विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय

## 16.1. विदेशी मुद्रा का व्यय

| मद | 2019-20 (रु. करोड़ में) | 2018-19 (रु करोड़ में) |
|---|---|---|
| स्टोर, स्पेयर्स एवं कंपोनेंट | शून्य | शून्य |
| पूंजीगत माल | शून्य | शून्य |

## 16.2 एचईएमएम की खरीद

| विवरण | संख्या | तिथि |
|---|---|---|
| 2.5 क्यू.मी. फ्रंट एंड लोडर | 07 | 27-11-2019 |
| डोज़र 416 एचपी | 16 | 30-12-2019 |
| वाटर स्प्रिंकलर 375 एचपी | 10 | 25-01-2020 |
| डंपर 60 यूएस टोनर | 34 | 07-02-2020 |

# 17. गुणवत्ता नियंत्रण

### i. नमूना एकत्रण (संयुक्त/तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण की स्थिति)

1. जिन बिजली घरों का बीसीसीएल के साथ एफएसए है उनके लिए सिंफर ने बीसीसीएल के लोडिंग प्वाइंट पर तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

2. वर्ष 2019-20 के दौरान, कोयला प्रेषण के सभी माध्यमों के लिए तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण किया गया है। ई-ऑक्शन माध्यम वाले उपभोक्ताओं के लिए तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है।

3. तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए नमूना एकत्रण एवं विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए घोषित ग्रेड के अनुरूप कुल प्रतिशत इस प्रकार है:-

| वित्तीय वर्ष | ग्रेड पुष्टि प्रतिशत (तृतीय पक्ष नमूना एकत्रीकरण) | |
|---|---|---|
| | संदर्भित परिणाम के बिना | संदर्भित परिणाम सहित |
| 2018-19 | 34.17% | 65.91% |
| 2019-20 (जून, 19 तक) | 26.65% (सिद्ध) | 76.14 (सिद्ध) |

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जून,19 से चुनौतीपूर्ण संदर्भित नमूनों का विश्लेषण परिणाम प्राप्त होना बाकी है।
ग्रेड पुष्टिकरण की उपरोक्त प्रवृत्ति ग्रेड उपलब्धि में निरंतर सुधार दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संदर्भित विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने से और ग्रेड में सुधार होने से वसूली में और सुधार आएगा।

1. संयुकत नमूना एकत्रण उन लोडिंग केंद्रों पर किया गया, जहां तृतीय पक्ष नमूना एजेंसियां इस कार्य को करने में सक्षम नहीं थी। संयुक्त नमूना तथा विश्लेषण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 98.06% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान घोषित ग्रेड की पुष्टि 98.94% (अनंतिम) है।

### II. गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

क) वर्ष 2019-20 के दौरान, बीसीसीएल के विभिन्न कोलियरियों के 15 (पन्द्रह) सीमों के आरओएम फ्रैक्शन को गैर-कोकिंग से कोकिंग ग्रेड में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इससे बीसीसीएल में कोकिंग कोल भंडार के साथ-साथ कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ा है।

ख) वर्ष 2019-20 के दौरान, विभिन्न कोलियरियों के 9 सीमों के आरओएम फ्रैक्शन के नये ग्रेड को अधिसूचित किया गया है।

ग) **एसओपी का वितरण:** आईएस:436 (भाग I) 1964 और एफएसए के अनुसार अनुवीक्षण के लिए व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने करने के लिए कि नमूना संग्रह और इसके प्रस्तुति के दौरान तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा उचित उपकरण के साथ उचित नमूना एकत्रण प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं, के लिए नमूना एकत्रण के एसओपी के सख्त अनुपालन हेतु एसओपी की हार्डकॉपी और एमओयू और एफएसए की सॉफ्टकॉपी सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को वितरित किया गया है।

घ) सीसीटीवी को छोड़कर तीसरे पक्ष के नमूने के लिए समर्थकारी स्थिति प्रदान की गई है। सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए दिनांक 15.02.2020 को जीईएम पोर्टल पर निविदा जारी की गई थी। तदुपरांत कार्य सौंप दिया गया।

ङ) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा साईडिंगों और स्टॉकयार्ड की नियमित तौर पर जांच की जाती है और प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्यालय द्वारा ग्रेड का अनुवीक्षण किया जाता है और क्षेत्रीय प्राधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है।

च) प्रत्येक क्षेत्र की ग्रेड स्लिपेज रिपोर्ट मासिक आधार पर संकलित की जाती है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्रों को भेजा जाता है।

छ) प्रत्येक माह सभी क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधकों के साथ गुणवत्ता समन्वय बैठक का आयोजन किया जाता है उन्हें स्रोतवार/सीम-वार, ग्रेड स्लिपेज के विभिन्न कारणों पर नजर रखने तथा मामले दर मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार जरूरी उपचारात्मक उपाय करने के लिए निदेश दिया गया है ताकि बेहतर बिक्री प्राप्ति के लिए अधिसूचित ग्रेड की पुष्टि बनी रहे।

ज) तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण कार्य की निगरानी के लिए सभी लोडिंग केंद्रों पर प्रत्येक पाली में अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों का एक समर्पित दल तैनात किया गया है। टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जाता है कि सिम्फर, आईआईटी (आईएसएम) तथा क्यूसीआई द्वारा नियोजित तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण एजेंसी द्वारा नमूने को एकत्र एवं तैयार किया जाता है।

झ) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाता है।

ञ) उत्पादन एवं डिस्पैच से सीधे तौर पर जुड़े सभी सुपरवाईजरी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे निम्नलिखित माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण कोयले का उत्पादन करें:-

1. चयनित खनन पद्धति अपनाएं
2. उचित ड्रिलिंग/ब्लॉस्टिंग पैटर्न को अपनाए
3. पत्थरों एवं शेल को अपने स्तर पर ही अलग कर दें
4. फेस एवं स्टॉक यार्ड में ट्रकों में लोडिंग के समय सावधानियां बरतें।

ट) कार्यस्थल/कोल डंप/रेलवे साइडिंग में उचित प्रकाश का प्रबंध है।

ठ) सीमों में आग एवं अन्य खनन समस्याओं के कारण समिश्रित कोयले का उचित तरीके से प्रबंध किया जाता है।

ड) फायरी एवं गैर-फायरी कोयले के लिए इनका अलग-अलग भंडार किया जाता है।

**ढ) फायर एवं नन-फायर जोन कोयले के लिए सीम/कोलियरी का ग्रेडेशन अलग-अलग किया जाता है।**

ण) बरोरा, गोविंदपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुंडा, बस्ताकोला, लोदना, पूर्वी झरिया, एवं चांच विक्टोरिया क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में एफएसए के अनुसार कोयले की जीसीवी पता करने के लिए 10 (दस) बॉम्ब कैलोरी मीटर स्थापित किए गए हैं।

त) उपभोक्ताओं की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं से मिलते हैं ताकि उनकी समस्याओं को जान सकें और उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके।

# 18. ऊर्जा संरक्षण

## 18.1. ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

**परंपरागत लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों का प्रयोग**

1. बीसीसीएल ने जीएलएस लैंप, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब लाइट, जीएलएस लैंप एवं अन्य परंपरागत लाइट फिटिंग की खरीद को रोक दिया है और इनके स्थान पर सभी कार्यालय/ औद्योगिक परिसरों में एलईडी लाइट फिटिंग का लगाया जा रहा है।

2. बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों एवं मुख्यालय में पारंपरिक लाइटों की फिटिंग को बदल कर उनके स्थान पर लगभग 17,000 एलईडी आधारित लाइटों को लगाया जा चुका है। विभिन्न वाट की लगभग 5060 एलईडी लाइटें पहली ही खरीदी जा चुकी है और चरणबद्ध तरीके से बीसीसील के विभिन्न क्षेत्रों और टाउनशिप में इनको लगाया जा रहा है।

**बिजली चोरी के लिए उठाए गए कदम :** बीसीसीएल ने गैर-कोयला धारित क्षेत्रों में कंपनी के कर्मचारियों के लिए केंद्रीकृत कॉलोनियों का निर्माण किया है, और कॉलोनियों में कर्मचारियों के शिफ्ट होने के बाद खाली की गई कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जायगा।

ऊर्जा संरक्षण के लिए बीसीसीएल की क्षेत्रीय कॉलोनियों में प्रत्येक दिन समय-समय पर बिजली की कटौती की जाती है।

**कैपेसिटर बैंक:** बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कैपेसिटर बैंक एवं कैपेसिटर यूनिट क्रय किए जा चुके हैं। कैपेसिटर बैंक लगने के बाद, अधिकतम मांग एवं विद्युत क्षति में कमी आएगी, जिससे भविष्य में बिजली-बिल पर बचत होगी।.

## 18.2. वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बीसीसीएल की कुल ऊर्जा खपत एवं विशिष्ट ऊर्जा खपत

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|
| विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/टन) (कोयले के लिए) | 29.50 | 26.50 |
| विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/क्यू.मी.) (कोयले एवं ओबी के लिए) | 7.97 | 6.57 |
| कुल ऊर्जा खपत (एमकेडब्ल्यूएच) | 818.14 | 820.37 |

## 18.3 बीसीसीएल में सोलर प्लांट/ परियोजनाएं लगाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम

| क्र. सं. | कार्य का नाम | स्थिति | अपेक्षित समय |
|---|---|---|---|
| i. | कोयला भवन एवं केंद्रीय चिकित्सालय, धनबाद की छत पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप 350 KWp SPV संयंत्रों की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण एवं चालू करने का कार्य | स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। शीघ्र ही कार्य आदेश जारी किया जाएगा। | अगस्त, 2020 |
| ii. | क्षेत्रीय कार्यालय भवनों की छत पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप 297 KWp SPV संयंत्रों की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और एवं चालू करने का कार्य (तेतुलमारी, सिजुआ के नए क्षेत्रीय कार्यालय भवन; बस्ताकोला क्षेत्रीय कार्यालय भवन और पश्चिमी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय भवन) | स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। शीघ्र ही कार्य आदेश जारी किया जाएगा। | अगस्त, 2020 |
| iii. | कोयला नगर नर्सरी में एलईडी लाइटों के साथ 6 KWp सौर ऊर्जा आधारित रोशनी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण चालू करने का कार्य | जून, 2019 में संस्थापित कर चालू कर दिया गया है। | |
| iv. | बीसीसीएल की 19 इमारतों पर 1.2 मेगावाट सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने का कार्य | एसईसीआई द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है (सीआइएल के समन्वय से) | मार्च, 2021 |

| क्र. सं. | कार्य का नाम | स्थिति | अपेक्षित समय |
|---|---|---|---|
| v. | बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के बारूद घरों में 210 KWp क्षमता के पावर प्लांट (ग्राउंड माउंटेड/रूफ टॉप) एवं सोलर ट्री (हाइब्रिड) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं उसे चालू करने की योजना। | अनुमोदन की प्रक्रिया में | दिसंबर, 2020 |
| vii. | भोजूडीह, पश्चिम बंगाल में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर (25मेगावाट) की संस्थापना | एसईसीआई द्वारा तैयार डीपीआर के अनु-मोदन की प्रक्रिया में | मार्च, 2022 |

## 18.4. बजिली की खपत

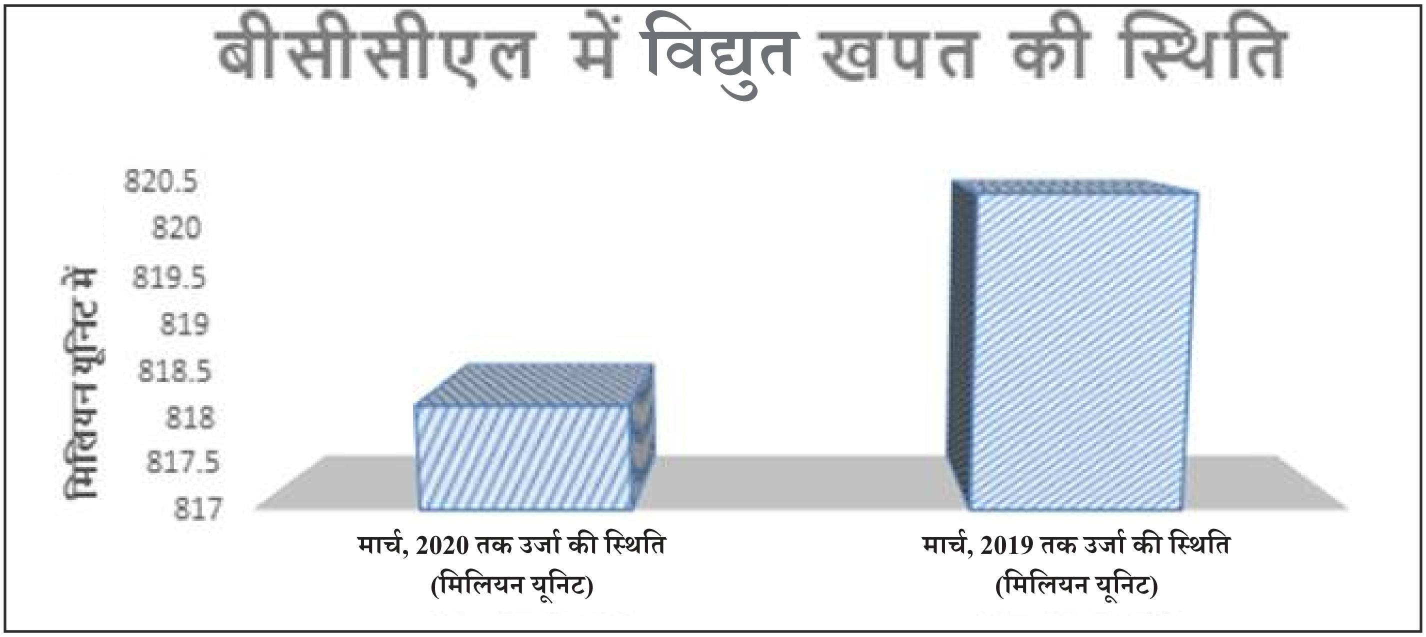


**वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऊर्जा में 2.23 मिलियन यूनिट की कमी आयी।**

## 18.5 ऊर्जा खपत

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 | % वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|
| खरीदी गई यूनिट (एमकेडब्लूएच) | 818.14 | 820.37 | (-) 2.23 |
| कुल बिल राशि (रु. करोड़ में) | 395.55 | 364.87 | 30.68* |

* डीवीसी द्वारा जून, 2019 से शुल्क में वृद्धि और जनवरी, 2019 से विद्युत कर को सम्मिलित करने के कारण बिल राशि में वृद्धि हुई है।

## 18.6 वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में विशिष्ट ऊर्जा खपत

| विवरण | 2019-20 | 2018-19. |
|---|---|---|
| विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/टन) (कोयले के लिए) | 29.50 | 26.50 |
| विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/क्यू.मी.) (कोयले एवं ओबी के लिए) | 7.97 | 6.57 |
| कुल ऊर्जा खपत (एमकेडब्ल्यूएच) | 818.14 | 820.37 |

## 19. सुरक्षा

### 19.1. पिछले 3 वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी कार्यों के आंकड़े

| दुर्घटना का विवरण | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या | 5 | 3 | 1 |
| मृतकों की संख्या | 5 | 3 | 1 |
| गंभीर रूप से घायलों की संख्या | 13 | 10 | 8 |
| मृत्यु दर/एमटी | 0.18 | 0.09 | 0.03 |

### 19.2. रॉक मास रेटिंग

रॉक रूफ के आरएमआर को निर्धारित करने एवं डंप स्लोप की निगरानी के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर एक भूगर्भ तकनीकी सेल स्थापित किया गया है। वर्तमान में मुख्य प्रबंधक (खनन), आइएसओ इसके प्रमुख हैं।

### 19.3. स्टील सपोर्ट

2019-20 एवं 2018-19 के दौरान रूफ सपोर्ट के लिए स्टील सामग्रियों की खपत का ब्यौरा निम्नलिखित है :

| | मद | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| क | 20 एमएम टॉर स्टील | 241.95 टन | 461.94 टन |
| ख | होलो स्क्वायर स्टील ट्यूब | शून्य | शून्य |
| ग | स्टील चॉक | शून्य | शून्य |
| घ | 1.6 एमएम एमएस शीट | 7.08टन | 9.31टन |
| ड. | 6 एमएम एमएस प्लेट | 25.72 टन | 24.27 टन |
| च | 6 एमएमX150 एमएम एमएस फ्लैट | 35.45 टन | 126.75 टन |

टिप्पणी : होलो स्क्वायर स्टील ट्यूब का प्रयोग फैब्रीकेटिंग स्टील कॉग के लिए किया जाता है।

### 19.4. सुरक्षा अंकेक्षण

बीसीसीएल की खानों के सुरक्षा मानक को सुधारने और दुर्घटना की वर्तमान प्रवृत्ति को रोकने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए, बहु-विषयक अंतर क्षेत्रीय दल द्वारा सुरक्षा-जांच की गई है और इसे सभी क्षेत्रों की सभी कार्यशील खानों में किया गया है।

### 19.5. सह-संबंध सर्वेक्षण

सरफेस के साथ भूमिगत खानों में सही समन्वय/संबंध की जांच एवं स्थापना के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएल द्वारा गाइरो थियोडीलाइट (Gyro-theodolite) जैसे आधुनिक प्रणाली का प्रयोग करते हुए सह संबंध सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया। मार्च, 2015 तक 42 खदानों के 71 सीम/होरिजन के 69 पिटों में पूरा कर लिया गया है।

### 19.6. जांच सर्वेक्षण

69 खदानों के जांच सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। आवश्यकतानुसार नियमित जांच सर्वेक्षण प्रगति पर है। बाहरी एजेंसियां द्वारा किए गए जांच सर्वेक्षण का विवरण निम्नलिखित है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बर्रागढ़ | आई. एस. एम द्वारा |
| 2. | कनकनी | सीएमपीडीआईएल द्वारा |
| 3 | केबी5/6 | - वही - |
| 4. | हुरलाडीह | - वही - |
| 5 | पूर्वी भगतडीह | - वही - |
| 6 | भौंरा (द.) | - वही - |

## 19.7. सर्वे उपकरण

कुल 11 इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनों की खरीद की जा चुकी है और इसे क्षेत्रों के बीच वितरित किया जा चुका है। आधुनिक सर्वे उपकरण तथा सर्वे प्रक्रिया के लिए मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल में 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अक्टूबर, 2019 में 2 डीटीएलएस क्रय किए गए हैं और वर्तमान में ये केंद्रीय सर्वेक्षण विभाग, मुख्यालय में हैं।

## 19.8 खदानों के सुरक्षा मानक में सुधार लाने के लिए किए गए अन्य सुरक्षात्मक उपाय

### क. सुरक्षा संबंधी सामान्य सावधानियां

i. फेस से 0.6 मीटर की दूरी तक उचित तरीके से एवं पर्याप्त मजबूती के साथ रूफ बोल्ट फिक्स करने से पहले फेस में कोई ड्रिलिंग न करना।

ii. ऑडियो-विजुअल सूचक के बिना कोई भी यातायात संबंधी मशीन न चलाना।

iii. सार्वजनिक रोड से पृथक कोयला परिवहन के लिए हॉल रोड बनाना और छोटे वाहनों के लिए अलग सड़कों की व्यवस्था करना।

iv. डंप में उचित निर्धारित स्थान पर सीमित व्यक्तियों को नियोजित करना सुनिश्चित किया जाना।

v. प्रतिष्ठापित किए गए बाइंडिंग को चरणबद्ध तरीके से हटाना सुनिश्चित किया जाना।

vi. प्रतिष्ठापित किए गए बाइंडिंग की जांच/परीक्षण कोलियरी इंजीनियर द्वारा दैनिक आधार पर, क्षेत्रीय प्रबंधक (ई एंड एम), क्षेत्रीय प्रबंधक (सुरक्षा), कोलियरी इंजीनियर से मिलकर बनी समिति द्वारा मासिक आधार पर और मुख्यालय की टीम द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित करना।

vii. सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में अनुभवी ऑपरेटरों का नियोजन करें और गर्म ओबी/कोयला निकालने से पहले उसे पानी से बुझाना सुनिश्चित करना।

viii. चार्जिंग से पहले विस्फोट छिद्रों को उचित तरह से 80 डिग्री से नीचे के तापमान तक ठंडा करना और इसे पाइरोमीटर/डिजिटल थर्मामीटर द्वारा सुनिश्चित करना।

ix. ऊँचाई एवं अन्य असुरक्षित स्थानों पर काम करते समय सुरक्षा बेल्ट एवं पीपीई का प्रयोग।

x. निर्माण कार्यों द्वारा चरणबद्ध तरीके से आने-जाने वाले रास्तों में नियमित रूप से **स्टेप कटिंग** एवं सुधार किया जाना ।

xi. हॉलेज सड़कों में अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति न आए-जाए और टब राइडिंग को रोकने (टब पर सवारी) के लिए प्रबंधक/उप प्रबंधक/माइनिंग सुपरवाईजर द्वारा औचक जांच को बढ़ाया जाना ।.

xii. पाली के शुरूआत में **सुरक्षा संबंधी विषयों पर नियमित रूप से चर्चा** करना ।

xiii. श्रमिकों द्वारा खदान के अंदर **प्रतिदीप्ति वाला फीता/जैकेट** का प्रयोग सुनिश्चित करना ।

xiv. उचित आकार के पोर्टेबल **विश्राम स्थल** मुहैया कराना और प्रत्येक बेंच में इसका रख-रखाव करना।

xv. ऑपरेटरों द्वारा **सीट बेल्ट** को पहनना सुनिश्चित करना।

xvi. विद्युत मरम्मत एवं उँचाई पर काम करने के दौरान **हाइड्रोलिक सीढ़ियों** का प्रयोग करना।

xvii. **अल्कोहलमीटर/ब्रीद एनालाइजर** का प्रयोग सुनिश्चित करना ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा काम के दौरान शराब का प्रयोग नहीं किया जा सके।

xviii. काम पर लगाए गए एजेंसी के प्रतिनिधियों को भी सुरक्षा समितियों में शामिल करना।

xix. हाथ में रहने वाला गैस डिटेक्टर, सुरक्षा बत्ती द्वारा भूमिगत खदानों के पर्यावरण की नियमित रूप से जांच करना। बीसीसीएल के उच्च गैसीय खदानों के पर्यावरण की नियमित जांच के लिए 45 एलएमडी उपलब्ध कराये गए है और प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ज्वलनशील एवं खतरनाक गैसों की नियमित जांच के लिए मुनीडीह खान में इटीएमएस प्रतिस्थापित किए गए हैं। मुनिडीह सीम XVI एवं सीम XV में मैन राइडिंग प्रणाली लगाए गए हैं।

### ख. दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानियां:

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बीसीसीएल में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :-

i. मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को समय-समय पर रात्रि पाली में निरीक्षण का निर्देश दिया गया है, ताकि रात्रि पाली में निरीक्षण की संख्या बढ़ाया जा सके।

ii. प्रत्येक मानसून के पहले प्रत्येक खान में सरफेस तथा भूमिगत दोनों स्रोतों से होने वाले जलप्लावन के खतरों की जांच की जाती है।

iii. बीसीसीएल की सभी खानों में **जोखिम आकलन** का कार्य पूरा कर लिया गया है और एसएमपी तैयार कर लिया गया है।

iv. बीसीसीएल की खानों में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

v. आपातकालीन उद्देश्य के लिए पंपों तथा अन्य संबंधित सामग्रियों को मध्य स्थल पर रखा गया है।

vi. भूमिगत नक्शे और भूमिगत चालू कार्य स्थलों में **बचकर निकलने** के मार्गों को चिन्हित किया गया है।

vii. प्रत्येक वर्ष मानसून आने के पहले **पूर्वाभ्यास** किया जाता है।

### ग. छत एवं किनारों के गिरने से बचाव :

i. चट्टानों की भू-यांत्रिकी विशेषताओं का अध्ययन किया जा रहा है और डीजीएमएस द्वारा विधिवत अनुमोदन और आरएमआर के आधार पर सपोर्ट सिस्टम को वैज्ञानिक रूप से अभिकल्पित किया जा रहा है।

ii. भूमिगत खदानों में सपोर्ट के लिए ग्राउटेड रूफ बोल्ट में तुरंत जमने वाले सीमेंट कैप्सूल के स्थान पर रेसिन कैप्सूल का प्रयोग किया जा रहा है।

iii. लकड़ी के सपोर्ट के स्थान पर स्टील सपोर्ट का प्रयोग किया जा रहा है। लांगवाल फेस पर पावर सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है।

iv. कामगारों को ग्रीन रूफ पर एक्सपोजर से बचाने के लिए मैनुअल लोडिंग के स्थान पर एसडीएल/एलएचडी को लाया गया है। सभी हस्तचालित क्षेत्रों को एसडीएल/एलएचडी क्षेत्र में बदला गया है।

v. उत्पादन के साथ ही रूफ बोल्टिंग का रिकार्ड प्रत्येक खदान में रजिस्टर में रखा जाता है।

vi. डिपिलरिंग पैनल में डीजीएमएस की अनुमति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

vii. स्ट्राटा कंट्रोल पर विशेष सुरक्षा अभियान/संगोष्ठी की गयीं।

## 19.9. खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए विशेष प्रयास

1. 41वीं कंपनी स्तरीय त्रिपक्षीएय सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.07.2019 को तल-3 सभागार, कोयला भवन में डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी। इस बैठक में खदानों में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों और मानसून के खतरों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।
2. खदान में विद्युत सुरक्षा पर दिनांक 11.11.2019 को एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में आईएसओ, डीजीएमएस अधिकारियों की उपस्थिति में कामगार और बरोरा, ब्लॉक-2 व गोविंदपुर क्षेत्र के कामगार व पर्यवेक्षक मौजूद रहे।
3. आईएसओ, डीजीएमएस अधिकारियों की उपस्थिति में बरोरा क्षेत्र के कामगारों व पर्यवेक्षकों के लिए दिनांक 06.12.2019 को सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
4. बीसीसीएल के सभी समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में कोलियरी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों में हुई दुर्घटनाओं पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन और इस पर विचार-विमर्श किया गया। यह कार्यक्रम अभी भी जारी है। .

5. बीसीसीएल सुरक्षा बोर्ड और मुख्यालय के अधिकारियों व खदान के अधिकारियों से मिलकर बनी हुई द्विपक्षीय निरीक्षण टीम द्वारा बीसीसीएल की खदानों/वाशरियों निम्नलिखित विवरण के अनुसार निरीक्षण किया गया:- :

| 2019-20 | |
|---|---|
| **निरीक्षण की तारीख** | **निरीक्षण की गयी खदानें** |
| 26.06.2019 | दुग्दावाशरी |
| 12.07.2019 | चांच विक्टोरिया क्षेत्र की खदान |
| 27.07.2019 | सिजुआ क्षेत्र की खदान |
| 06.08.2019 | कुसुंडा क्षेत्र की खदान |
| 16.08.2019 | गोविंदपुर क्षेत्र क्षेत्र की खदान |
| 30.08.2019 | कतरास क्षेत्र की खदान |
| 18.09.2019 | सुदामडीह व भोजूडीह वाशरी |
| 04.10.2019 | पुटकी बलिहारी क्षेत्र की खदान |
| 30.10.2019 | लोदना क्षेत्र की खदान |
| 27.11.2019 | बरोरा क्षेत्र की खदान |
| 09.12.2019 | पूर्वी झरिया क्षेत्र की खदान |
| 24.12.2019 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र की खदान |
| 05.03.2020 | बस्ताकोला क्षेत्र की खदान |
| 18.03.2020 | ब्लॉक -2 क्षेत्र की खदान |

6. सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा समिति की उपस्थिति में क्षेत्रीय स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयीं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

| बैठक की तारीख | क्षेत्र का नाम |
|---|---|
| 30.09.2019 | सिजुआ |
| 16.11.2019 | कतरास |
| 19.11.2019 | बरोरा |
| 11.12.2019 | पश्चिमी झरिया |
| 20.12.2019 | लोदना |
| 21.12.2019 | पुटकी बलिहारी |
| 17.01.2020 | चांच विक्टोरिया |
| 06.02.2020 | बस्ताकोला |
| 18.02.2020 | कुसुंडा |
| 18.03.2020 | ब्लॉक-2 |

7. महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) और आईएसओ के अन्य नोडल अधिकारियों द्वारा किए औचक निरीक्षणों का विवरण निम्नलिखित है: -

| औचक निरीक्षण की तारीख | खदान का नाम | निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम |
|---|---|---|
| 20.08.2019 | आरओसीपी | श्री बी के सिन्हा, श्री ए यादव, श्री एस राय |
| 06.09.2019 | आरओसीपी | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव),श्री ए यादव |
| 09.09.2019 | एना ओसीपी | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) |
| 11.09.2019 | सलानपुर कोलियरी | श्री के यादव |
| 21.09.2019 | केशलपुर कोलियरी | श्री बी के सिन्हा, श्री के यादव |
| 30.09.2019 | एनटीएसटी जीनागोरा | श्री एस मितर, श्री एस राय |
| 16.10.2019 | भौरा (दक्षिण) | श्री एस मितर, श्री एस राय |

| औचक निरीक्षण की तारीख | खदान का नाम | निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम |
|---|---|---|
| 16.10.2019 | तेतुलमारी कोलियरी | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) |
| 21.10.2019 | जोगिडीह कोलियरी | श्री के यादव |
| 28.10.2019 | एकेडब्ल्युएमसी | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव), श्री के यादव |
| 05.11.2019 | बस्ताकोला 3 सीम | श्री ए यादव |
| 09.11.2019 | बेरा कोलियरी | श्री ए यादव |
| 11.11.2019 | एनटीएसटी पैच-बी | श्री एस मितर, श्री एस राय |
| 16.11.2019 | एनटीएसटी पैच-एफ | श्री एस मितर, श्री एस राय |
| 21.11.2019 | एकेडॅब्ल्युएमसी | श्री के यादव, श्री बी के बिमल |
| 03.12.2019 | एनटीएसटी जीनागोरा | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव), श्री एस मितर |
| 03.12.2019 | आरओसीपी | श्री ए यादव |
| 05.12.2019 | बस्ताकोला कोलियरी तीसरी सीम | श्री ए यादव |
| 09.12.2019 | बस्ताकोला कोलियरी विक्ट्री सेक्शन | श्री ए यादव |
| 12.12.2019 | सी के साइंडिंग कुया कोलियरी | श्री ए यादव |
| 14.12.2019 | लोदना क्षेत्र की 09 नंबर साइडिंग | श्री एस मित्तर, श्री सोमेन रॉय |
| 02.01.2020 | एनटीएसटी | श्री एस मित्तर, श्री सोमेन रॉय |
| 09.01.2020 | एनएअकेसी | श्री किशोर यादव |
| 14.01.2020 | केशलपुर | श्री किशोर यादव, श्री मुकेश कुमार |
| 04.02.2020 | आरओसीपी हायर्ड पैच | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव), श्री आदिश यादव |
| 26.02.2020 | आरओसीपी हायर्ड पैच एवं कुया | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव), श्री आदिश यादव |
| 27.02.2020 | एकेडब्ल्युएमसी | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव), श्री किशोर यादव |
| 03.03.2020 | एबीओसीपी | महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव), श्री एस डी ध्रुव |

8. सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों और बीसीसीएल प्रबंधन के बीच कंपनी स्तरीय द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019 और 22.10.2019 को तल-3 सभागार, कोयला भवन में खदानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य आयोजित की गयी। इस बैठक में सभी क्षेत्रों के महाप्रबंधक/ क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

9. आकस्मिक स्थिति की तैयरियों की जांच के लिए कंपनी और डीजीएमएस द्वारा विभिन्न खदानों और सब-स्टेशनों में पूर्व अभ्यास किये गए। इसके विवरण निम्नलिखित हैं:

| पूर्व अभ्यास की तारीख | खदान व उप केंद्र का नाम | आयोजक |
|---|---|---|
| 28.05.2019 | ए एस पी कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 14.06.2019 | सलानपुर कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 26.06.2019 | एना कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 27.06.2019 | बस्ताकोला कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 11.07.2019 | एबीओसीपी | कोलियरी प्रबंधन |
| 13.07.2019 | एनजीके कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 17.07.2019 | ईस्ट बसुरिया कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 09.08.2019 | महेशपुर कोलियरी | डीजीएमएस |
| 14.08.2019 | एडीआई कोलियरी | डीजीएमएस |
| 16.08.2019 | शताब्दी विद्युत उपकेंद्र | डीजीएमएस |
| 26.08.2019 | फुलारीटांड कोलियरी | कोलियरी प्रबंधन |
| 30.08.2019 | पुटकी बलिहारी परियोजना | डीजीएमएस |

10. **बीसीसीएल की कॉलोनियों में सुरक्षा चौपाल/सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी निम्नलिखित विवरण के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजित की गयीं-**

| 2019 | |
|---|---|
| **सुरक्षा चौपाल/कॉलोनी संगोष्ठी की तारीख** | **कॉलोनी का नाम (क्षेत्र)** |
| 09.08.2019 | तिलाटांड कॉलोनी (कतरास क्षेत्र) |
| 20.01.2020 | बालूडीह कॉलोनी (पश्चिमी झरिया क्षेत्र) |
| 21.01.2020 | 2 पिट के मैरिन कॉलोनी (बस्ताकोला क्षेत्र) |
| 22.01.2020 | भीमकनाली कॉलोनी (ब्लॉक-2 क्षेत्र) |
| 23.01.2020 | अवाशिया कॉलोनी म.प्र. कार्यालय, कतरास क्षेत्र |
| 25.01.2020 | निचितपुर कॉलोनी (सिजुआ क्षेत्र) |
| 25.01.2020 | एमओसीपी कॉलोनी (लोदना क्षेत्र) |
| 21.02.2020 | रिवरसाइड कॉलोनी (पूर्वी झरिया क्षेत्र) |

11. दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी असुरक्षित कार्यों और असुरक्षित गतिविधियों और इनसे निपटने के सुरक्षात्मक उपाय से अवगत कराने के लिए सभी संबंधित लोगों को नियमित तौर पर व्हाट्सएप समूह के माध्यम से समूह के सदस्यों को संदेश भेजे जाते हैं। .

12. बीसीसीएल की सभी इकाइयों में दिनांक 28.04.2018 को कार्यस्थल पर विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया गया।

13. दिनांक 04.07.2018 को कल्याण भवन में विद्युत सुरक्षा पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में श्री अजय कुमार सिंह, निदेशक खान सुरक्षा (विद्युत), मध्य क्षेत्र, डीजीएमएस, धनबाद ने विद्युत संस्थापना से संबंधित मुद्दों पर व्याख्यान दिया।

14. दिनांक 03.09.2018 को निदेशक (तकनीकी)/संचालन, उप महानिदेशक, उप महानिदेशक (विद्युत), निदेशक खान सुरक्षा (विद्युत) और डीजीएमएस मध्य क्षेत्र के अन्य अधिकारी गण की मौजूदगी में खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में विद्युत संस्थापना में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श को सुनने के लिए सभी सहायक प्रबंधक (ई एंड एम), ई एंड एम विभाग के अन्य अधिकारी और आईएसओ के अधिकारी मौजूद थे।

15. सुरक्षा बैठकों की बांरबारता/संख्या बढ़ा दी गई है।
    - मुख्यालय में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति बैठक-दो महीने में एक बार
    - मुख्यालय में एएसओ समन्वय की बैठक-महीने में एक बार
    - खान पर महीने में दो बार सुरक्षा समिति की बैठक-(एक बैठक क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा की जा रही है) किराए के एचईएमएम पैचों के ठेका मजदूरों को सुरक्षा समिति की बैठक में नामित किया गया है।

## 19.10. (क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

| क्र. सं. | प्रशिक्षण के प्रकार | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रबंधन प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रशिक्षण | 6354 | 5564 |
| 2 | आईआईसीएम | 435 | 690 |
| 3 | विदेश में कुल प्रशिक्षण | 04 | 01 |
| | **कुल** | **6793** | **6255** |

## (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

| क्र. सं. | प्रशिक्षण के प्रकार | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| 1 | बुनियादी | 340 | 294 |
| 2 | पुनश्चर्या | 6493 | 6821 |
| 3 | विशेष एवं अन्य | 1884 | 1555 |
| 4 | सुरक्षा सम्मेलन के अनुसार | 1994 | 1423 |
| | **कुल** | **10711** | **10093** |

# 20. कार्मिक

## 20.1. श्रमशक्ति से संबंधित सामान्य आंकड़े

बीसीसीएल की श्रमशक्ति 1 अप्रैल, 2019 को 46019 और 31 मार्च, 2020 को 43425 थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें 2594 (5.64%) की कमी आयी है।

**श्रमशक्ति की स्थिति:**

**31.03.2019 की तुलना में 31.03.2020 को कंपनी की तुलनात्मक श्रमशक्ति निम्नलिखित है:-**

| क्र.सं. | श्रेणी | स्थिति | | वृद्धि/ह्रास |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2020 | अप्रैल,2019से मार्च, 2020 तक |
| I | अधिकारी | 2091 | 1989 | -102 |
| II | मंथली रेटेड | 7342 | 6779 | -563 |
| III | डेली रेटेड | 35497 | 34073 | -1424 |
| IV | पीस रेटेड | 15 | 15 | 0 |
| V | अन्य | 1074 | 569 | -505 |
| **कुल** | | **46019** | **43425** | **-2594** |

**01.04.2019 की तुलना में मौजूदा श्रमशक्ति में 2594 (5.64 %) की शुद्ध कमी**

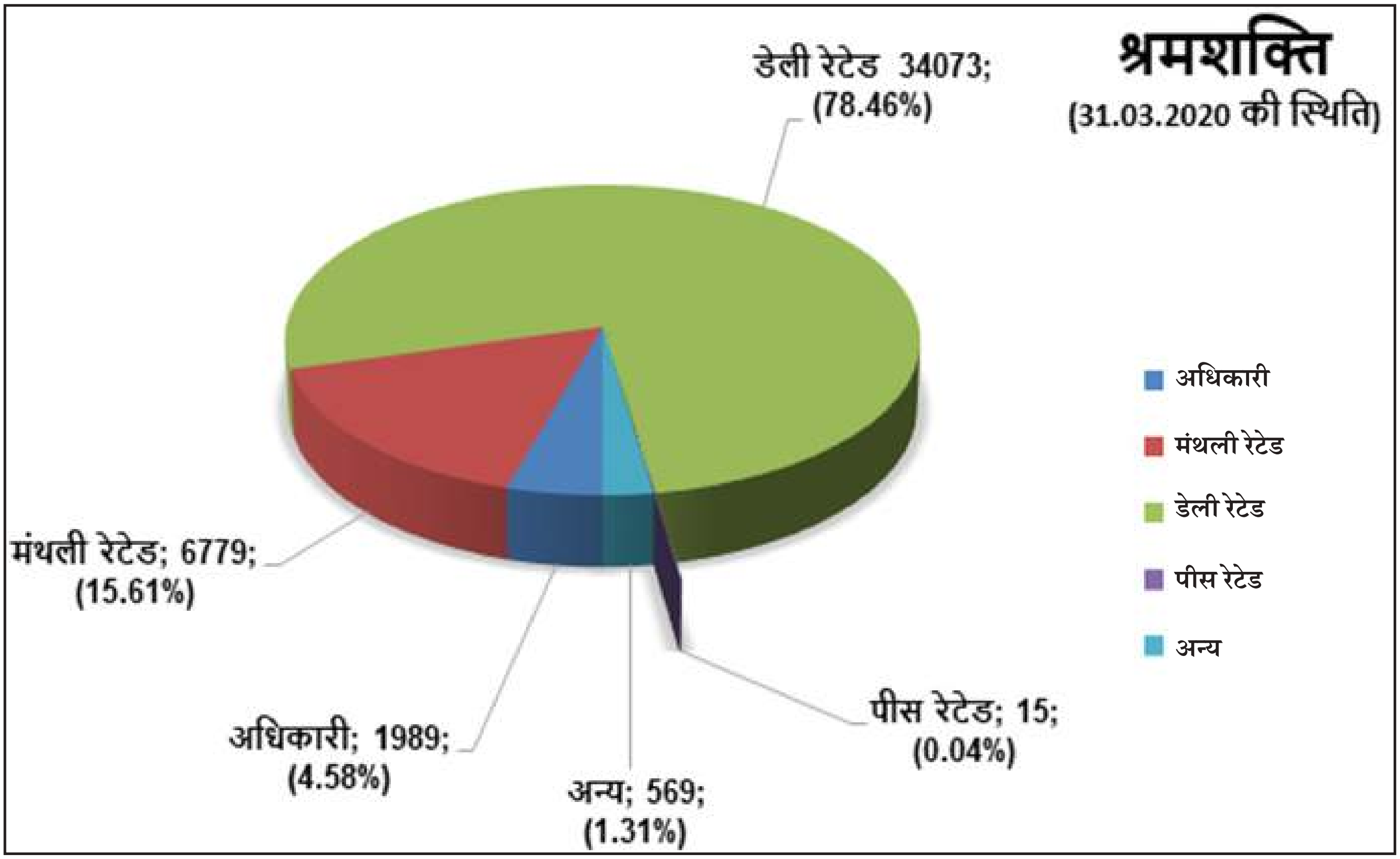

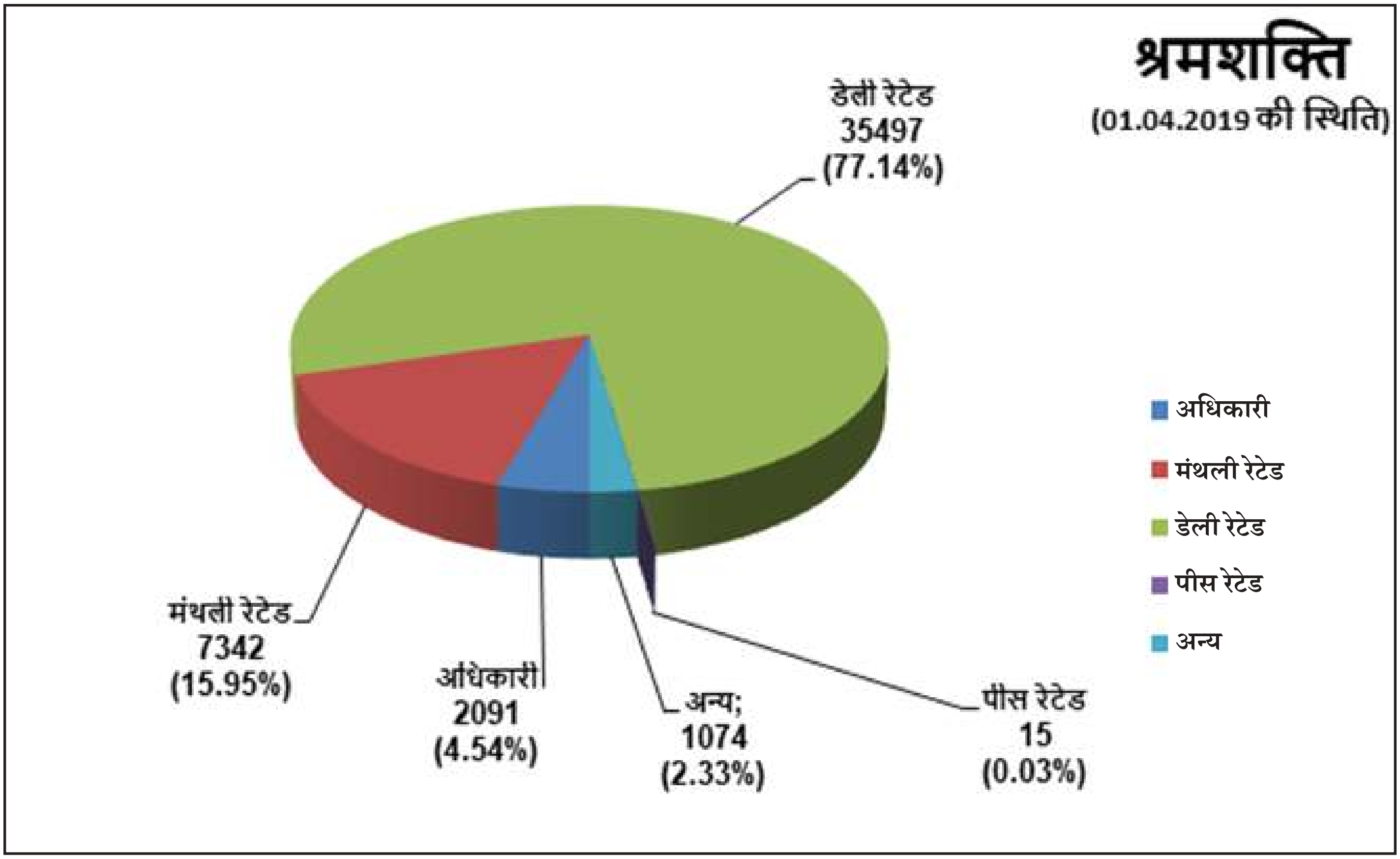


| श्रमशक्ति में हुई कमी का विवरण | |
|---|---|
| **विवरण** | **1 अप्रैल,2019 से 31 मार्च, 2020 तक** |
| सेवानिवृत्त | 2490 |
| कंपनी से अलग होना (बर्खास्त एवं सेवा समाप्ति के कारण) | 44 |
| त्यागपत्र | 26 |
| मृत्यु | 406 |
| चिकित्सकीय अयोग्यता | 1 |
| महिला वीआरएस | 0 |
| अन्य कंपनी मेंस्थानांतरण | 106 |
| निदेशक के रूप में नियुक्ति | 1 |
| **कुल कमी** | **3074** |

| श्रमशक्ति में हुई वृद्धि का विवरण | |
|---|---|
| **विवरण** | **1 अप्रैल,2019 से 31 मार्च, 2020 तक** |
| नई नियुक्ति | 39 |
| एनसीडब्लूए 9.3.0 | 322 |
| एनसीडब्लूए 9.4.0 | 7 |
| जमीन के बदले नियोजन | 14 |
| पुनर्बहाली/काम पर पुनः योगदान | 18 |
| महिला वी आर एस | 46 |
| अन्य कंपनी से स्थानांतरित होकर आना | 34 |
| | |
| **कुल वृद्धि** | **480** |

**शुद्ध कमी (2019-20 के दौरान) = 2594**

कंपनी की श्रमशक्ति के आंकड़े को अद्यतन रखा जाता है एवं इसकी सूचना सीआइएल, कोयला मंत्रालय, सांविधिक निकायों एवं अन्य को नियमित रूप से भेजी जाती है। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना, श्रमशक्ति अनुमान योजना, दीर्घकालिक योजना आदि जैसी योजना प्रक्रियाओं के लिए

समय-समय पर संश्लेषित आंकड़े तैयार किए जाते हैं। क्षेत्र-वार अनुपस्थिति आंकड़ों की मासिक निगरानी की जाती है तथा क्षेत्रों की अनुपस्थिति के प्रतिशत को स्वीकार्य/अनुमत सीमा (यानि 20%) के भीतर रखने के उद्देश्य से विवेचनात्मक विश्लेषण किया जाता है।

## 20.2. श्रमशक्ति बजट

**2019-20 के लिए स्वीकृत श्रमशक्ति बजट का सारांश निम्नलिखित है:**

| क्र.सं. | मद | संख्या |
|---|---|---|
| (i) | 31.01.2019 को वर्तमान में कुल श्रमशक्ति (अधिकारी को छोड़कर) | 44464 |
| (ii) | वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कुल श्रमशक्ति | 40957 |
| (iii) | वर्ष 2018-19 में बजट में कुल श्रमशक्ति आधिक्य | 3507 |

लक्षित उत्पादन कार्यक्रमों के लिए आने वाले वर्षों में खानों में मशीनीकरण के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध मशीनों एवं श्रमशक्ति स्रोतों पर श्रमशक्ति बजट आधारित होता है। प्रत्येक परियोजना अथवा स्थापना में श्रमशक्ति की आवश्यकता के अनुसार **शून्य आधारित बजट** की अवधारणा का पालन किया जाता है।

उत्पादन लक्ष्य और सहयोगी गतिविधियों को पूरा करने के लिए सांविधिक, पैरामेडिकल प्रमुख एवं आवश्यक पदनामों/श्रेणियों के लिए श्रमशक्ति का आवश्यकता आधारित प्रावधान बनाया जाता है। श्रमशक्ति बजट बनाते समय कंपनी में कम्प्यूटरीकरण के स्तर पर भी विचार किया जाता है।

## 20.3 नियुक्ति एवं चयन

i. कंपनी में सांविधिक पदों और ओवरसियर (सिविल) की कमी को भरने के लिए वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निम्नलिखित संख्या में भर्तियां की गई:-

| क्र. सं. | पदनाम | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| 1 | कनिष्ठ ओवरमैन | 07 | 73 |
| 2 | माइनिंग सरदार | 05 | 35 |
| 3 | ओवरसियर (सिविल) | Nil | 23 |
| **कुल** | | **12** | **131** |

ii. वर्ष 2019-20 के दौरान पदोन्नत किए गए कर्मचारियों कुल संख्या – 2658

**iii. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए: आरक्षण/ रियायत/छूट एवं अन्य सुविधाएं**

**iv. 01.01.2020 को श्रम शक्ति:**

अनुसूचित जाति- 18.31%, अनुसूचित जनजाति- 26.32% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग.- 18.99%

**v. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाएं:**

- केंद्रीय अस्पताल धनबाद में संचालित स्कूल ऑफ नर्सिंग, तकनीकी स्कूल द्वारा तीन वर्षीय नर्सिंग एंड मिडवाइफ का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।
- झारखंड राज्य के आरक्षित अनु. जा./अनु. ज. जा. के छात्रों के लिए यह पूरा पाठ्यक्रम प्रति छात्र रू. 30,000/- के मामूली शुल्क पर प्रदान किया जाता है।
- माइनिंग सरदार " प्रशिक्षुओं " का प्रशिक्षण: बीसीसीएल ने एससी/एसटी उम्मीदवारों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए माइनिंग सरदार के प्रशिक्षण हेतु झारखंड राज्य एवं बंगाल से 10 अ.जा. एवं 10 अ.ज. जाति के छात्रों (उममीदवारों) का चयन किया है, ताकि उन्हें सक्षम बनाने हेतु चार वर्ष का माइनिंग सरदार का प्रशिक्षण दिया जा सके। खनन प्राधिकरणों के लिए " प्रशिक्षुओं " के तैयार करने के लिए सीआईएल की योजना के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा गैस-परीक्षण एवं फर्स्ट-एड प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह केंद्र बीसीसीएल के पुटकी बलिहारी क्षेत्र में अवस्थित है।

| | | |
|---|---|---|
| क | बीसीसीएल द्वारा प्रशिक्षण पर होने वाले कुल खर्च का वहन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं- | |
| | (i) | छात्रावास |
| | (ii) | खाद्य सामग्री (खाना) |
| | (iii) | पठन/पाठन सामग्री |
| | (iv) | प्रवेश लेने के लिए यात्रा-भत्ता |
| ख | प्रशिक्षण की अवधि के दौरान " प्रशिक्षुओं " को जेब खर्च हेतु निम्नलिखित दरों पर " मासिक भत्ते " का भुगतान किया जाता है: | |
| | (i) | प्रथम वर्ष के दौरान रू. 1000.00/- प्रतिमाह |
| | (ii) | द्वितीय वर्ष के दौरान रू. 1250.00/- प्रतिमाह |
| | (iii) | तृतीय वर्ष के दौरान रू. 1500.00/- प्रतिमाह |
| | (iv) | चौथे व अंतिम वर्ष के दौरान रू. 1750.00/- प्रतिमाह |

- अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के कैरियर में विकास के लिए आवश्यक कौशल विकास हेतु मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

### vi. शिकायत निवारण तंत्र:

- अ.जाति/अ.जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के (ओबीसी) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एससी/एसटी/ओबीसी प्रकोष्ठ कंपनी मुख्यालय में चल रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों में एसटी कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए सक्षम पदाधिकारियों को नामित किया गया है।
- प्रभावी और समयबद्ध तरीके से अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी समेत सभी कर्मचारियों की समस्याओं के उचित समाधान हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी मुख्यालय में कार्यरत है।
- मुख्यालय में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एसोसिएशन/फेडरेशन के साथ संरचित बैठकें भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा मुख्यालय में संपर्क अधिकारियों द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों की निपटान के लिए उनके साथ नियमित संवाद एवं वार्ता भी आयोजित की जाती है।

### vii. वार्षिक बैठकें:

शिकायतों के निपटान के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के संघ/ महासंघों के साथ मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर वार्षिक संरचित बैठकों का आयोजन किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. परिषद के संघ/महासंघों के साथ आयोजित बैठकों की संख्या- 10

बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे: स्थानांतरण, पोस्टिंग, नया भुगतान-निर्धारण, वेतन-विसंगति, सिविल कार्य, जन्म तिथि से संबंधित, आवास आवंटन इत्यादि।

### viii. कंपनी के सीएसआर के माध्यम से विकासपरक गतिविधियां:

बीसीसीएल उन क्षेत्रों में स्थित है जहां के अधिकांश इलाके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। सीएसआर की तमाम योजनाओं का विस्तार अनुसूचित जाति/जनजातियों तक किया जाता है। सीएसआर के तहत की गई सभी गतिविधियों में समुदाय आधारित कार्यक्रम होते हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलता है। बीसीसीएल ने सीएसआर कार्यक्रमों को ज्यादातर उन इलाकों में कार्यान्वित किया है जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की आबादी अधिक है।

बीसीसीएल ने इन क्षेत्रों में विकासपरक गतिविधियां जैसे- सामुदायिक केंद्र/मसाला चक्की केंद्र/ स्वास्थ्य उपकेंद्र/प्राथमिक विद्यालय/बहुउद्देशीय सभागार/ सार्वजनिक शौचालय/चिल्ड्रेन पार्क/पीसीसी सड़के और नालियां आदि की हैं। ऐसी योजनाओं से लाभान्वित होने वालों व्यक्तियों का विवरण नहीं रखा गया है इसलिए लाभुकों में से एससी/एसटी लाभुकों का विवरण उपलब्ध नही है। कोविड 19 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वाले ग्रामीण इलाकों में खाद्य पैकेजों का वितरण भी किया गया है।

**ix. भर्ती/पदोन्नति में छूट:**

- कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है ताकि अनुसूचित जातियों के रिक्तियों में आरक्षण एवं अन्य रियायतों से संबंधित विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।
- इस विषय पर दिए गए आदेशों के अनुसार सभी पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए रोस्टर का प्रयोग किया जा रहा है।
- सीधी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार शामिल है। साक्षात्कार विधिवत रूप से गठित बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, राज्य सरकार के सदस्य एवं तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहते हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अलग ब्लॉक/बैठकों में लिया जाता है।.
- अन्य छूट एवं आरक्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है-
  - सीधी भर्ती के मामले में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को निम्नानुसार छूट/ रियायत दी गयी:
    1. सीधी भर्ती में आयु में छूट अनुसूचित जाति/जनजाति - 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग-03 वर्ष
    2. परीक्षा शुल्क में छूट - अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई शुल्क नही
    3. लिखित परीक्षा में अर्हता अंक में छूट
    4. अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान से साक्षात्कार स्थल तक द्वितीय श्रेणी रेल किराया (आने और जाने) की प्रतिपूर्ति
  - सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली छूट/रियायतें झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPTs) के कार्यालय द्वारा ज्ञापन सं.- 36017/2/2004-Estt(Res), दिनांक 05.07.2005 के अनुसार समूह ग एवं घ के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो आरक्षण निर्धारित है जैसे- अ.ज.12%, अ.ज.जा.- 26% एवं अ.पि. वर्ग- 12% के अनुसार उन्हें भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है।

| समूह | सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|
| | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.वर्ग |
| समूह- अ | अधिकारियों की भर्ती सीआईएल स्तर पर की जाती है | | |
| समूह- ब | 15.0 | 7.5 | 27 |
| समूह- घ | 12.0 | 26.0 | 12 |

- पदोन्नति में आरक्षण की प्रतिशत- अ.जा.के लिए 15% अनुसूचित ज.जा. के लिए- 7.5%

**x. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर आवास आवंटन समिति में सदस्यता:**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक सदस्य को कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए आवास आवंटन समिति में शामिल किया जाता है।

**xi. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य वीआईपी संदर्भों से प्राप्त अभिवेदन का त्वरित उत्तर** और कार्यान्वयन भी आयोग के आदेशानुसार लिखित रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए उनसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं लिया जाता है।

**xii. वार्षिक उत्सव:** डा. भीमराव रामजी अंबेडकर को कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीसीसीएल द्वारा प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेदकर जयंती और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है।

## 20.4. वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त एमओयू मानदंड

| क्र.सं. | मानदंड | उत्कृष्ट लक्ष्य (100%) | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 8(i) | **परिशिष्ट 'क'** (नीचे दिए गए) की सूची के अनुसार नियमित प्रकृति के मानव संसाधन (एचआर) मानकों की उपलब्धि। | 8 | 8 (100%) |
| 8(iii) | **परिशिष्ट 'ख'** (दिए गए) की सूची के अनुसार महिला कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमता में विकास एवं संतुलित कामकाजी जीवन में सुधार करने के लिए कम से कम 15 पहल। | 31.01.2020 | 31.01.2020 (100%) |

### परिशिष्ट- क:

### नियमित प्रकृति के एचआर मानकों की सूची निम्नलिखित है-

| क्र.सं. | मानक |
|---|---|
| i. | एसीआर/एपीएआर को लिखित रूप में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करते हुए सभी अधिकारियों (ई0 एवं उससे ऊपर) की एसीआर/एपीएआर नियमित रूप से ऑनलाइन जमा करना। |
| ii. | वरिष्ठ अधिकारियों (ई-5 एवं उससे ऊपर) के त्रैमासिक सतर्कता मंजूरी को नियमित रूप से ऑनलाइन अद्यतन करना। |
| iii. | सीआईएल अधिकारियों के प्रतिभा प्रबंधन नीति के अनुसार उत्तराधिकारी योजना का संचालन। |
| iv. | दिनांक 30.09.2019 से 30.10.2019 तक दी गयी (कट-ऑफ-डेट) अंतिम तारीख तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के सभी योग्य उम्मीदवारों के बायोडाटा का सत्यापन एवं अद्यतन। |
| v. | प्रतिभा प्रबंधन एवं व्यवसायिक कैरियर में विकास के लिए कम से कम 5% अधिकारियों (ई0 एवं उससे ऊपर) के लिए भारत के उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे- आईआई_ टी, आईआईएम, एनआईटी, आइसीएआई में एक सप्ताह का नियमित प्रशिक्षण। |
| vi. | मानव संसाधन प्रबंधन पद्धति (एचआरएमएस) का नियमित रूप से ऑनलाइन अद्यतन। |
| vii. | 30 सितंबर, 2019 तक, जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 के तिमाही तक 50 से 55 वर्ष की आयु वाले अधिकारियों से संबंधित मामलों के लिए प्रारंभिक समीक्षा समिति की सिफारिश जमा करना। |
| viii. | एचआर (मानव संसाधन) लेखा सिफारिशों का कार्यान्वयन। |

### परिशिष्ट- ख

### महिला कर्मचारियों के कामकाजी जीवन में संतुलन एवं नेतृत्व क्षमता में विकास हेतु पहल।

| क्र.सं. | पहल | विवरण | समय सीमा | सीआईएल मुख्यालय को सूचना |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कामकाजी एवं घरेलू मोर्चे पर संतुलन कैसे बनाया जाए, इसे प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर हेतु संतुलन विषयवस्तु (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2019 की विषयवस्तु के समान)। | कामकाजी जीवन एवं घर में संतुलन बनाने संबंधी विषय पर सभी महिलाओं को अपने-अपने कहानियों को साझा करने की विषयवस्तु पर अनुषंगी कंपनी (व्यवहार्यता के अनुसार मुख्यालय एवं क्षेत्रों में) द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। | 1 नवंबर, 2019 को कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा तीन सबसे बेहतर कहानियों का चयन (स्थापना दिवस के अन्य कार्यक्रमों के साथ) | 25 अक्टूबर, 2019 तक विवरण प्रेषित करना। |
| 2. | महिला शौचालयों/प्रसाधनों का रखरखाव एवं नवीनीकरण (जहां आवश्यक हो) | महिला शौचालय स्वच्छता दिवस मनाए जाने से पहले शौचालयों के आस-पास सफाई एवं सौंदर्यीकरण। | 30 अक्टूबर, 2019 को मुख्यालय एवं सभी अनुषंगी इकाईयों में महिला शौचालय स्वच्छता दिवस मनाया गया। | 15 नवंबर,2019 को इस दिवस की सभी तस्वीरें प्रेषित करना। |
| 3. | सेनेटरी नैपकिन के निपटान के लिए सभी मुख्यालयों में सेनेटरी वेंडिंग मशीनों की स्थापना। | मुख्यालय में समुचित स्थान पर मशीन की स्थापना और इसकी निपटान व्यवस्था को सुनिश्चित करना | 31 दिसंबर, 2019 तक | 31 दिसंबर, 2019 तक मुख्यालय को विवरण प्रेषित करना। |
| 4. | लैगिक जागरूकता पर कार्यक्रम | महिला कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक मोर्चे पर पुरूषों द्वारा जोर-जबरदस्ती के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम। | 31 दिसंबर, 2019 के पहले | फोटो के साथ 31 दिसंबर, 2019 तक विवरण प्रेषित करना। |

| क्र.सं. | पहल | विवरण | समय सीमा | सीआईएल मुख्यालय को सूचना |
|---|---|---|---|---|
| 5. | शारीरिक स्वस्थता के लिए योगा, मेडिटेशन एवं मार्शल आर्ट पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन। | बीसीसीएल द्वारा निर्धारित तौर तरीके। | उसी महीने के 15 तारीख तक, तथा दिसंबर, 2019 के पहले। | महीने की 30 तारीख तक मुख्यालय एवं सभी इकाईयों से फोटो प्रेषित करना। |
| 6 | तनावरहित जीवन प्रबंधन हेतु मानसिक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम का आयोजन। | बीसीसीएल द्वारा निर्धारित तौर तरीके। | उसी महीने के 15 तारीख तक, तथा दिसंबर, 2019 के पहले। | महीने की 30 तारीख तक मुख्यालय एवं सभी इकाईयों से फोटो प्रेषित करना। |
| 7 | महिला कर्मचारियों के लिए दो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर (नियमित जांच) का आयोजन। | अनुषंगी इकाईयों में पदस्थापित सभी महिला कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ परीक्षण। | 31 दिसंबर, 2019 तक। | फोटो के साथ सभी विवरण 31 दिसंबर, 2019 तक प्रेषित करना। |
| 8 | महिलाओं की जीवन शैली से जुडी बीमारियों जैसे महिलाओं के स्तन कैंसर पीसीओएस, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर या किसी अन्य स्त्री रोग संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम। | अनुषंगी इकाईयों द्वारा कम से कम दो कार्यशाला का आयोजन। | 30 नवंबर, 2019 तक की समय सीमा निर्धारित। | फोटो के साथ प्रतिपुष्टि विवरण सीआईएल मुख्यालय को 5 नवंबर, 2019 तक प्रेषित करना। |
| 9 | सभी अनुषंगी इकाईयों में ई-5 से नीचे की प्रबंधकीय महिला कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। | प्रतिभागियों में अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय ई-5 एवं उससे नीचे की महिला कर्मी । | कार्यशाला आयोजित करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2019 | 5 दिसंबर, 2019 तक प्रतिभागियों की संक्षिप्त प्रतिक्रिया फोटो सहित एक फार्म के माध्यम से प्रेषित करना। |
| 10 | ई-6 एवं उससे ऊपर की प्रबंधकीय महिला अधिकारियों के लिए व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। | प्रतिभागियों में अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय ई-6 एवं उससे ऊपर की महिला कर्मी। | कार्यशाला आयोजित करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर, 2019 | 5 दिसंबर, 2019 तक प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया फोटो सहित संक्षेप में प्रेषित करना। |
| 11 | आपात स्थिति में प्रयोग आने वाले महिला सुरक्षा एप की शुरूआत। | इस सुरक्षा एप की तैयारी और संचालन को पूर्ण करना जिसमें महिलाएं अपनी समस्याओं की जानकारी दो आकस्मिक नंबर पर भेज सकती हैं। | 30 नवंबर, 2019 तक | 15 दिसंबर, 2019 तक विवरण सीआईएल मुख्यालय को प्रेषित करना। |
| 12. | अनुषंगी मुख्यालय में महिलाओं के लिए न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कार्यशाला का आयोजन। | संपूर्ण अनुषंगी से प्रतिभागी। कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी अनुषंगी कंपनियां कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए दो अलग-अलग समूह बनाएं। | कार्यशाला आयोजित करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2019 | 5 अक्टूबर, 2019 तक प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया फोटो सहित संक्षेप में प्रेषित करना। |
| 13 | महिला कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता का विकास। | एक कार्यक्रम का आयोजन करना। | नवंबर,2019 के तीसरे सप्ताह में। | सीआईएल की नीति प्रकोष्ठ को सूचना देना। |
| 14. | महिला कर्मचारियों के कामकाजी जीवन में संतुलन के लिए कार्यशाला का आयोजन। | एक कार्यक्रम का आयोजन करना। | 31 दिसंबर, 2019 तक | सीआईएल की नीति प्रकोष्ठ को सूचना देना। |
| 15. | गैर-अधिकारी महिला कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता कौशल विकास कार्यक्रम। | तीन दिवसीय कार्यक्रम। | अगस्त, 2019 तक। | सीआईएल की नीति प्रकोष्ठ को सूचना देना। |

## 21. मानव संसाधन वकिास

### प्रशिक्षण विवरण-मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल

### 1. सारांश

| स्थान | लक्ष्य | | अर्जित | | % उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| मानव संसाधन विकास विभाग | 3714 | 3564 | 4940 | 5564 | 133% | 156% |
| समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र | 9536 | 10065 | 11609 | 10988 | 122% | 109% |
| कुल | 13250 | 13629 | 16549 | 16552 | 125% | 121% |

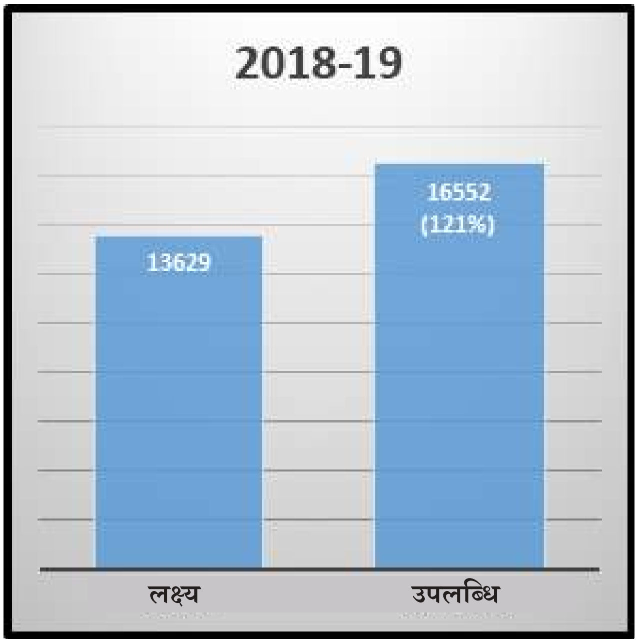


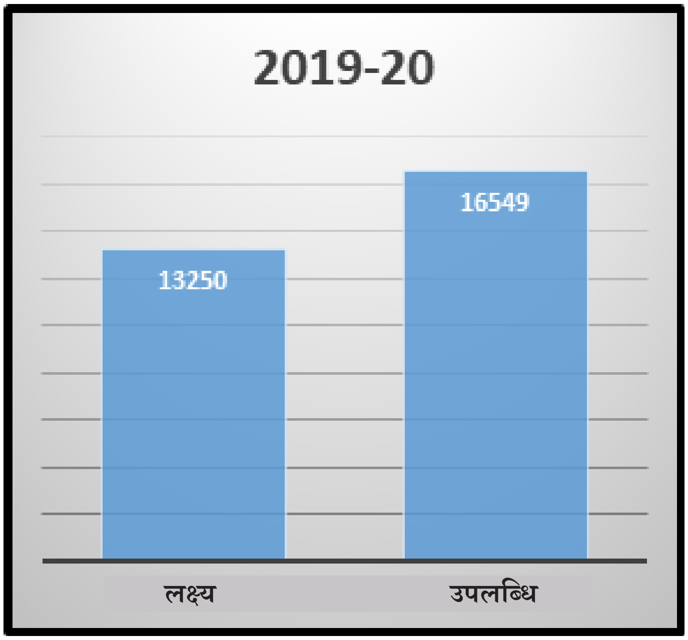


**2. वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू निष्पादन रिपोर्ट :**

1. **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (आईआईटी/एएससीआई) में 5% अधिकारियों का प्रशिक्षण**

   - दिनांक 30.06.2019 को अधिकारियों की संख्या = 2080
   - लक्ष्य : 104 अधिकारी (5%)
   - उपलब्धि: आई आई टी-84 तथा ए एस सी आई-24:कुल-108

| लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|
| 104 | 108 (104%) |

2. **कार्य संतुलन के साथ ही नेतृत्व विकास हेतु महिला कर्मियों के लिए न्यूनतम 15 पहलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम**

   15 पहल कार्यक्रम में से 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम मानव संसाधन विकास विभाग को सौंपे गए। इनका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उपलब्धि 100% रही।

3. **सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या**

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016 - 17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| माइन मैनेजरशिप | 66 | 61 | 48 | 119 | 234 |
| ओवरमैनशिप | 39 | 36 | 33 | 50 | 80 |
| माइनिंग सरदारशिप | 41 | 70 | 105 | 128 | 190 |
| सर्वेयरशिप | 09 | 23 | 18 | 13 | 21 |
| बाइंडिंग इंजन ऑपरेटर | 48 | 18 | 33 | 30 | 19 |
| गैस टेस्टिंग | 327 | 33 | 290 | 69 | 69 |
| इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर | 250 | 140 | 65 | 60 | 88 |
| **कुल** | **780** | **381** | **592** | **469** | **701** |

4. **वर्ष 2019-20 के दौरान आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| प्रशिक्षित किए गए लोगों की सं. | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015 -16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4940 | 5564 | 5787 | 6811 | 7040 |

5. **वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षित की गई महिला कर्मचारियों की संख्या**

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015 -16 |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकारी | 251 | 188 | 127 | 182 | 185 |
| सुपरवाइजर | 91 | 53 | 67 | 61 | 93 |
| श्रमिक | 498 | 225 | 184 | 538 | 143 |
| **कुल** | **840** | **466** | **378** | **781** | **421** |

6. **वर्ष 2019-20 में वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| संस्थान का नाम | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015 -16 |
|---|---|---|---|---|---|
| एम.डी.डी. | 2434 | 2404 | 1957 | 1818 | 3161 |
| एस.डी.डी. | -- | - | 1562 | 1144 | 1097 |
| एम.टी.डी. | 836 | 906 | 527 | 748 | 902 |
| इ.एम.टी.डी. | 1670 | 2254 | 1741 | 1527 | 1880 |
| **कुल** | **4940** | **5564** | **5787** | **5237** | **7040** |

(टिप्पणी:-एसडीडी को बंद कर दिया गया है और इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एमडीडी, एमटीडी और ईएमटीडी में मिला दिया गया है।)

## बाह्य प्रशिक्षण

7. **आईआईसीएम, रांची में बाह्य प्रशिक्षण**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 690 | 338 | 475 | 365 |

8. **देश के अंदर बाह्य प्रशिक्षण**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 508 | 763 | 881 | 1310 |

9. **विदेश में प्रशिक्षण**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 01 | 02 | 11 | 05 |

**कुल बाह्य प्रशिक्षण (7+8+9)**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | 1199 | 1103 | 1367 | 1680 |

10. **जीवीटीसी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| विवरण | 2019-20 का वार्षिक लक्ष्य | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुनियादी | आवश्यकतानुसार | 340 | 294 | 370 | 731 | 895 |
| पुनश्चर्या | 5929 | 6493 | 6821 | 7528 | 7975 | 11916 |
| 5 दिवसीय कार्य आधारित प्रशिक्षण (एमओयू के अंतर्गत) | - | -- | - | -- | - | 5840 |
| विशेष एवं अन्य प्रशिक्षण | 1195 | 1884 | 1555 | 1366 | 1199 | 882 |
| सुरक्षा सम्मेलन की अनुशंसा के अनुसार | 1987 | 1994 | 1423 | 1806 | 1614 | 1794 |
| ठेका मजदूरों का प्रशिक्षण | 425 | 898 | 895 | 1272 | 2765 | 3361 |
| **कुल** | **9536** | **11609** | **10988** | **12342** | **14284** | **24688** |

11. **जीवीटीसी में ठेका मजदूरों का प्रशिक्षण**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 898 | 895 | 1272 | 2765 | 3361 |

12. **तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रम में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क व्यावसायिक/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन औद्योगिक प्रायोगिक प्रशिक्षण**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 875 | 1055 | 1179 | 1230 | 1165 |

13. **अप्रेन्टिस - 2019-20**

| अप्रेन्टिस | अनुमोदित सीट | प्रस्ताव | कार्य योगदान |
|---|---|---|---|
| ग्रेजुएट अप्रेंटिस (पीजीपीटी) पोस्ट ग्रेजुएट प्रायोगिक प्रशिक्षण | गैर-माइनिंग : 110 | 1454 | 46 |
| | माइनिंग : 10 | 10 | 01 |
| | कुल : 120 | 1464 | 47 |
| टेक्निशियन एप्रेंटिस (पीडीपीटी) पोस्ट डिप्लोमा प्रायोगिक प्रशिक्षण | गैर-माइनिंग : 169 | 2367 | 86 |
| | माइनिंग : 250* | 250 | 155 |
| | कुल : 419 | 2617 | 241 |
| ट्रेड अप्रेन्टिस (आईटीआई धारियों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण) | कुल : 863 | 4101 | 1019 |
| **कुल** | **1302** | **8182** | **1307** |

अप्रेन्टिस - 2019-20 : लक्ष्य- 1302; अर्जित- 1307 (100%)

* टिप्पणी: 1. बीसीसीएल कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए पीडीपीटी हेतु 30 सीटों में से 23 पर कार्य योगदान किया।

2. खुली खदान परियोजना के लिए 100 सीटों में से, 12 पीडीपीटी ने कार्य योगदान दिया।

3. उपर्युक्त 130 सीटें कुल लक्ष्य में सम्मिलित नही हैं।

14. **अप्रेंटिस अधिनियम के तहत पीडीपीटी (खनन) प्रशिक्षण**

| 2019 - 20 | 2018 - 19 | 2017 - 18 | 2016 - 17 | 2015 - 16 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 120 | 120 | 185 | 55 |

15. **सीआईएल की विशेष महिला वीआरएस योजना के तहत, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर आदि ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले और बीसीसीएल में नियोजित आश्रित** : 39

16. **एनसीएल में डंपर ऑपरेटरों को दिया गया सिम्युलेटर प्रशिक्षण** : 96

**विद्युत पर्यवेक्षकों की संख्या** : 75

**तैयार एलटी/एचटी इलेक्ट्रिशियन** : 97

ड्राइवर/डोज़र/ड्रिल ऑपरेटर को विकसित करने पर और अधिक केंद्रित किया गया - पीडीपीटी, पीजीपीटी और ट्रेड अप्रेन्टिस को 1414 आरंभिक, अभिविन्यास और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

17. **एनसीडब्ल्युए 9:4:0 ((चिकित्सीय रूप से अयोग्य) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन और महाप्रबंधक (कार्मिक), मुख्यालय को संदर्भित**

| 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 108 | 157 | 170 |

18. **सीआईएल के दिशा-निर्देश के अनुसार माइनिंग सरदार "प्रशिक्षु" की तैयारी हेतु बने प्रशिक्षण योजना** के तहत पुटकी बलिहारी क्षेत्र में 19 अ.जा./ अ.ज.जा. श्रेणी के अभ्यर्थियों (20 आवंटन के बदले) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

**मानव संसाधन विकास विभाग, कल्याण भवन में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यशालाएं**

1. **कार्यक्रम का नाम :** मैनेजमेंट ऑफ इमोशनल कोशंट एंड हाउ टू एक्सेल इन डिफरेंस सिचुएशंस.

**दिनांक:** 07-05-2019

**गणमान्य अतिथि:** श्री रामशंकर महापात्र, निदेशक (कार्मिक), बी.सी.सी.एल

**संकाय:** श्री एस पी सिंह, पूर्व निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, बीसीसीएल

2. मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल द्वारा 93 सुरक्षा प्रशिक्षुओं को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ताकि उनका नियमितीकरण सुरक्षा गार्ड संवर्ग में हो सके। इस कार्यक्रम के संकाय बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी थे।

3. **कार्यक्रम का नाम:** आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और 45001: 2018 पर जागरूकता कार्यक्रम

   **दिनांक:** 28 व 29 जनवरी 2020

   **गणमान्य अतिथि**: श्री रामशंकर महापात्र, निदेशक (कार्मिक), बी.सी.सी.एल

   **संकाय:** सीएमपीडीआईएल, रांची से विशेषज्ञ।

4. **कार्यक्रम का नाम:** ऑपरेशनल एक्सिलेंस - लीन एंड सिक्स सिग्मा

   **दिनांक:** 22-05-2019

   **गणमान्य अतिथि:** निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, बी.सी.सी.एल

   **संकाय:** श्री मनीष कुमार, यूके, ग्रेट ब्रिटेन

5. कार्यक्रम का नाम: हायर्ड एचईएमएम अनुबंध निष्पादन के समय सामान्य अनियमितताओं पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

   **दिनांक:** 10-07-2019, 17-07-2019, 24-07-2019 और 30-07-2019

   **गणमान्य अतिथि:** निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, बीसीसीएल एवं मुख्य सतर्कता पदाधिकारी बीसीसीएल।

   **संकाय:** सतर्कता, कार्मिक एवं सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी।t

6. **कार्यक्रम का नाम:** इंटर्नल कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम (ICCS) रिव्यू ऑडिट एट बीसीसीएल

**दिनांक:** 21-01-2020 और 22-01-2020

**गणमान्य अतिथि:** निदेशक (वित्त), बी.सी.सी.एल

**संकाय:** श्री ए के दास, पूर्व सीएमडी, एन.सी.एल एवं श्री सी वाधवा

7. सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के बीच एमओयू 2019-20 को अंतिम रूप देते समय एचआर पैरामीटरों से संबंधित लक्ष्य पर बीसीसीएल द्वारा सहमति दी गई थी । सक्षम प्राधिकारी द्वारा एमओयू में महिला कर्मचारियों के कामकाजी जीवन को संतुलित करने के साथ-साथ कंपनी में नेतृत्व विकास के लिए 15 सराहनीय पहलों को शामिल किया गया था। कुल 15 पहलों में से 9 मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल को सौंपी गयी थी और प्रत्येक को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

   मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल को सौंपी गई सभी 9 एमओयू पहलों को पूरा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट यथा समय संबंधित अधिकारियों को विधिवत रूप से सौंपी दी गई है।

8. **कार्यक्रम का नाम:** बीसीसीएल के सर्वेक्षकों और सर्वे अधिकारियों के लिए '3डी टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
   **दिनांक:** 03.12.2019 से 07.12.2019 और 03.02.2020 से 07.02.2020

**9. अतिरिक्त गतिविधियां**

(क) दिनांक 03.10.2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए शपथ

(ख) दिनांक 28.10.2019 को सत्यनिष्ठा की शपथ

**10. दिनांक 17.03.2020 से 20.03.2020 के दौरान एनसीएल सिंगरौली में खुली खदान में और प्रशिक्षण केंद्र में अनुभव प्राप्त करने के लिए बीसीसीएल के जीवीटीओ और खदान पर्यवेक्षक कर्मी द्वारा फील्ड विजिट**

## 22 . कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियां

### शैक्षिक सुविधाएं

शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बीसीसीएल ने डीएवी स्कूलों, दिल्ली पब्लिक स्कूलों एवं सरस्वती विद्या मंदिर जैसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ करार करके अनेक प्रोजेक्ट/सेमी प्रोजेक्ट स्कूलों की स्थापना की है। जहां बीसीसीएल द्वारा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थान स्कूल को अपने शिक्षकों एवं स्टाफ की मदद से चलाते हैं। तदनुसार, बीसीसीएल रु. 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता निम्नलिखित 08 प्रोजेक्ट स्कूलों को प्रदान करती है।

## प्रोजेक्ट स्कूल

| क्र. सं. | स्कूल का नाम | स्थान | वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | डीएवी पब्लिक स्कूल | कुसुन्डा | 7,50,000/- |
| 2 | डीएवी पब्लिक स्कूल | अलकुसा | 17,50,000/- |
| 3 | डीएवी पब्लिक स्कूल | लोदना | 950,000/- |
| 4 | डीएवी पब्लिक स्कूल | मुनीडीह | 15,50,000/- |
| 5 | डीएवी पब्लिक स्कूल | दुग्दा | 11,23,158/- |
| 6 | डीएवी पब्लिक स्कूल | कोयला नगर | 20,36,420/- |
| 7 | सरस्वती विद्या मंदिर | भूली | 10,57,826/- |
| 8 | सरस्वती विद्या मंदिर | गोविंदपुर | 7,82,596/- |
| | **कुल** | | **1,00,00,000/-** |

## सेमी प्रोजेक्ट स्कूल

| क्र. सं. | स्कूल का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | डीएवी पब्लिक स्कूल | बरोरा |
| 2 | डीएवी पब्लिक स्कूल | महुदा |
| 3 | दिल्ली पब्लिक स्कूल | धनबाद |

## शिक्षण शुल्क की माफी

केंद्रीय परामर्श समिति (सीएसी) के अध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर निर्धन परिवार के मेधावी विद्यार्थियों का शिक्षण-शुल्क माफ कर दिया जाता है और उन्हें बीसीसीएल के प्रोजेक्ट स्कूलों में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है।

## निजी समिति द्वारा प्रबंधित स्कूलों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

वर्तमान में, सीआईएल द्वारा निर्गत परिपत्र सं. CIL/C-5C/5513 (A) (COOM.PTTN)/56 दिनांक 23 जून, 2011 के अनुसार 75 (पचहत्तर) निजी समिति प्रबंधित स्कूल बीसीसीएल से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

## कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता

वेज-बोर्ड कर्मचारियों के जिन बच्चों ने आइआइटी, एनआईटी या किसी भी सरकारी संस्थान में बी. टेक या एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें वर्ष 2009-10 से ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

## पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता

| वर्ष | संवर्ग | छात्रों की संख्या | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | मेडिकल/इंजीनियरिंग | 114 | 44,96,560.00 |
| 2018-19 | मेडिकल/इंजीनियरिंग | 85 | 39,16,070.00 |
| 2019-20 | मेडिकल/इंजीनियरिंग | 71 | 36,86,047.00 |

## कर्मचारी हितग्राही निधि सोसायटी (2019-20)

- बीसीसीएल इम्पलाइज बिनेवोलेंट फंड सोसाइटी स्कीम के तहत बीसीसीएल लम्बी बीमारी के दौरान एवं मृत्यु हो जाने के मामले में छात्रवृति एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- मृत्यु के मामले में 216 लाभार्थियों को रु. 1,16,90,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- कर्मचारियों के 255 बच्चों को रु. 3,59,600/- की छात्रवृति प्रदान की गई।

- सेवानिवृति पर प्रत्येक कर्मचारी को रु. 1000/- का मानदेय प्रदान किया गया।
- लंबी बीमारी के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

## कोल इंडिया छात्रवृत्ति

कर्मचारी प्रत्येक शैक्षिक-सत्र में अपने बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:-

(क) मेधा छात्रवृत्ति (ख) सामान्य छात्रवृत्ति

### (क) मेधा छात्रवृत्ति

i) यह छात्रवृत्ति उन अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने माध्यमिक/ हाईस्कूल या अन्य राज्य बोर्ड परीक्षा में 1 से 20वें स्थान के बीच रैंक प्राप्त की हो।

ii) आईसीएसई/सीबीएसई/आईएससी (X या XI) बोर्ड के वैसे छात्रों को जिन्होंने 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, जहां मेधा सूची घोषित नहीं की जाती है वहां अधिकतम साढ़े चार वर्ष अथवा अध्ययन पूरा होने की अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो की शर्त के आधार पर।

### (ख) सामान्य छात्रवृत्ति

- यह छात्रवृत्ति कक्षा-V से ऊपर स्नातक/स्नातकोत्तर तक किसी भी विद्या के अध्ययन में लगे विद्यार्थियों के लिए मान्य है।
- अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न क्लास/स्टैण्डर्ड में निर्धारित अंकों में 10% की छूट दी जाती है। .

## खेलकूद एवं मनोरंजन

कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए उनके मनोरंजन के साथ-साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए खेलकूद को कंपनी का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए न केवल कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, बल्कि स्थानीय लोगों एवं उनके बच्चों के साथ-साथ खदानों के आस-पास रहने वाले को भी इसमें शामिल किया जाता है। संबंधित विभाग विभिन्न प्रकार के कोचिंग शिविर का आयोजन करता है, खेल-कूद का सामान/उपकरण मुहैया कराता है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बीसीसीएल के अनेक कर्मचारियों ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लिया है और विजयी होकर कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

ऐसे प्रत्येक आयोजनों में कर्मचारियों को व्यापक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इनमें जो सफल होते हैं, वे बीसीसीएल या अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा द्वारा आयोजित सीआईएल/अखिल भारतीय पब्लिक सेक्टर प्रतियोगिताओं में बीसीसीएल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

## शहीद स्मारक फुटबाल टूर्नामेंट

गजलीटांड खदान में हादसे में मारे गए 64 खनिकों की स्मृति में दिनांक 19.09.2019-26.09.2019 तक गजलीटांड मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए रु. 45,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

## सिजुआ एजुकेशनल ऐंड स्पोर्ट क्लब

बीसीसीएल द्वारा कोल इंडिया फुटबॉल अकादमी के लिए सिजुआ फुटबॉल स्टेडियम के मैदान को तैयार करने और मैदान के माली पर खर्च के लिए रु. 1.50 लाख की राशि की मंजूरी प्रदान की गई।

### अखिल क्षेत्रीय अंचल खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 10 जनवरी, 2020 से निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की गयी:

| क्रम सं. | अंचल | दिनांक | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | अंचल-I | 10 से 11 जनवरी, 2020 | ब्लॉक-2 |
| 2. | अंचल-II | 10 से 11 जनवरी, 2020 | कुसुंडा |
| 3. | अंचल-III | 15 से 16 जनवरी, 2020 | सिजुआ |
| 4. | अंचल-IV | 17 से 18 जनवरी, 2020 | चांच विक्टोरिया |

## अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2019 : खेलकूद की सूची

| क्रम सं. | खेल | दिनांक | स्थान | विजेता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | टेबल टेनिस | 25 अक्तूबर, 2019 | पश्चिमी झरिया | कोई टीम चैंपियनशिप नही |
| 2. | कैरम | 03 से 04 दिसंबर, 2019 | कुसुंडा क्षेत्र | -वही- |
| 3. | ब्रिज | 23 से 24 अक्टूबर, 2019 | बस्ताकोला क्षेत्र | -वही- |
| 4. | लॉन टेनिस | 30 अक्टूबर, 2019 | ब्लैक डायमंड क्लब, कोयला नगर | -वही- |
| 5. | बैडमिंटन | 6-7 नवंबर, 2019 | नेहरू कॉम्प्लेक्स कोयला नगर | -वही- |
| 6. | हॉकी (चयन ट्रायल) | 8-9 नवंबर, 2019 | चांच विक्टोरिया | -वही- |
| 7. | क्रिकेट | 19-27 नवंबर, 2019 | लोदना | लोदना |
| 8. | कबड्डी | 28-29 नवंबर, 2019 | कतरास | कतरास |
| 9. | शतरंज | 6-7 जनवरी, 2020 | बरोरा | कोई टीम चैंपियनशिप नही |
| 10. | वॉलीबाल | 26-27 दिसंबर, 2019 | पूर्वी झरिया | कतरास |
| 11. | केंद्रीय खेलकूद | जनवरी, 2020 का अंतिम सप्ताह | लोदना | अंचल-1 |

बीसीसीएल के अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं की झलकियां

बीसीसीएल अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन/हॉकी प्रतियोगिता

बीसीसीएल अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता/बीसीसीएल अंतर क्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ

बीसीसीएल अंतर क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता

बीसीसीएल अंतर क्षेत्रीय ब्रिज प्रतियोगिता

**कल्याण बोर्ड की बैठकें:**

वर्ष 2019-20 में कल्याण बोर्ड की बैठकें

| क्र. सं. | दिनांक | स्थल | टिप्पणियां/एजेंडा |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2019 | निदेशक (का.) कार्यालय में अवस्थित मिनी सभागार | कल्याण उपाय- आवास, स्वास्थ्य, सीएसआर, जल, स्कूल एवं अन्य। |
| 2 | 13.06.2019 | तल-III सभागार | कल्याण उपाय- आवास, स्वास्थ्य, सीएसआर, जल, स्कूल एवं अन्य। |

| क्र. सं. | दिनांक | स्थल | टिप्पणियां/एजेंडा |
|---|---|---|---|
| 3 | 26.06.2019 | म.प्र. (का.)/कल्याण का कार्यालय कक्ष | सामान्यत: कल्याण उपाय |
| 4 | 03.01.2020 | म.प्र. (का.)/कल्याण का कार्यालय कक्ष | सामान्यत: कल्याण उपाय |

### क्षेत्रों में कल्याण बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक

विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे कार्यस्थल पर सुविधाएं, जल, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों में बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की गयीं।

| क्र.सं. | दिनांक | क्षेत्र | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2019 | ब्लॉक-2, बरोरा | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 2 | 19.04.2019 | सीवी | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 3 | 22.04.2019 | बस्ताकोला | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 4 | 24.04.2019 | सिजुआ, कतरास | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 5 | 26.04.2019 | पूर्वी झरिया | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 6 | 03.05.2019 | पुटकी बलिहारी और पश्चिमी झरिया | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 7 | 14.05.2019 | कुसुंडा | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 7 | 28.05.2019 | गोविंदपुर | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 8 | 30.05.2019 | लोदना | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |

### विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों जैसे कार्यस्थल पर सुविधाएं, जल, स्वास्थ्य आदि पर विभिन्न क्षेत्रों में बोर्ड सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक

| क्र.सं. | दिनांक | क्षेत्र | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2020(शुक्रवार) | पूर्वी झरिया, पूर्वी वाशरी जोन(भोजूडीह), लोदना | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 2 | 11.01.2020(शनिवार) | गोविंदपुर | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 3 | 13.01.2020(सोमवार) | पश्चिमी वाशरी जोज़ (दुग्दा, महुदा) | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 4 | 16.01.2020(गुरुवार) | पश्चिमी झरिया , पुटकी बलिहारी | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 5 | 18.01.2020(शनिवार) | मुख्यालय | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 6 | 20.01.2020(सोमवार) | कुसुंडा, बस्ताकोला | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 7 | 21.01.2020(मंगलवार) | चांच विक्टोरिया | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 7 | 23.01.2020(गुरुवार) | ब्लॉक -II, बरोरा | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |
| 8 | 24.01.2020(शुक्रवार) | सिजुआ, कतरास | 9.00 बजे पूर्वाह्न से |

### वर्ष 2019 में कल्याणकारी उपायों पर क्षेत्रीय उप समिति के साथ विभाग द्वारा क्षेत्रवार आयोजित अन्य बैठकें

| क्र. सं. | दिनांक | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 16.07.2019(मंगलवार) | चांच विक्टोरिया |
| 2 | 19.07.2019 (शुक्रवार) | बरोरा, ब्लॉक-II, गोविंदपुर |
| 3 | 22.07.2019(सोमवार) | कतरास, सिजुआ |
| 4 | 26.07.2019(शुक्रवार) | पुटकी, पश्चिमी झरिया, पश्चिमी वाशरी जोन |
| 5 | 29.07.2019(सोमवार) | लोदना, पूर्वी झरिया, पूर्वी वाशरी जोन |
| 6 | 13.08.2019(मंगलवार) | बस्ताकोला और कुसुंडा |

## मई दिवस समारोह

पिछले वर्षों की तरह इस साल भी बीसीसीएल ने 1 मई, 2019 को मई दिवस को धूमधाम से मनाया गया। श्रमिक चौक, रांगाटांड़ पर स्थित खनिक मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कोयला नगर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर प्रात: 08.30 बजे से सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गयी, जिसमें सभी क्षेत्रों के शहीद हुए कर्मियों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकगण, उपमहानिरीक्षक, के.औ.सु.ब, बीसीसीएल इकाई और क्षेत्रों व मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गयी।

## बीसीसीएल में स्वतंत्रता दिवस, 2019 का उत्सव

इस साल भी बीसीसीएल के सिजुआ स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बीसीसीएल के विभिन्न परियोजना स्कूलों के स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति नृत्य, नाटक का प्रदर्शन किया गया। सीआइएसएफ, बीसीसीएल इकाई द्वारा भी प्रस्तुति दी गयी।

## सीआइएल स्थापना दिवस, 2019 का आयोजन

बीसीसीएल में 1 नवंबर, 2019 को सीआइएल स्थापना दिवस, 2019 का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से पूरे कंपनी में किया गया।

कोयला भवन में ध्वजारोहण

सर्व धर्म प्रार्थना सभा

## अंबेडकर जयंती

बीसीसीएल द्वारा कोयला नगर में डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 128 वीं जयंती 14 अप्रैल, 2019 को मनायी गयी। इस अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशकगण एवं बीसीसीएल के अन्य अधिकारियों द्वारा डॉ. भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सिस्टा (कोल इंडिया एससी/एसटी एम्प्लाइज एसोसिएशन) के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे और इसका आयोजन बहुत उत्साह के साथ किया गया।

### क्षेत्र वार दौरा / निरीक्षण (17 अप्रैल-30 मई, 2019)

कल्याण बोर्ड के सदस्यों द्वारा जल उपचार संयंत्रों और अस्पतालों/औषधालयों के निरीक्षण के साथ-साथ कैंटीन, पेयजल आपूर्ति, शौचालय, रैम्प और अन्य कार्यस्थल सुविधाओं के निरीक्षण के लिए फील्ड का दौरा किया गया। इस दौरे का आयोजन दिनांक 17.04.2019 से 30.05.2019 तक किया गया था।

### सभी क्षेत्रों में कल्याण उपायों पर चर्चा के लिए चरणबद्ध जागरूकता समीक्षा बैठकें

महाप्रबंधक (कार्मिक) की अध्यक्षता में कल्याण विभाग ने उन सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध जागरूकता बैठकें आयोजित की थी, जहाँ कल्याणकारी उपायों के तहत विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई और साथ ही साथ विशिष्ट मुद्दों का विश्लेषण भी किया गया था। इस सत्र में संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय कल्याण उप-समिति के साथ महाप्रबंधक ने भाग लिया था।

### प्रोजेक्ट और सेमी-प्रोजेक्ट स्कूलों का निरीक्षण (नवंबर-दिसंबर, 2019)

महाप्रबंधक (कार्मिक)-कल्याण की अध्यक्षता में कल्याण विभाग द्वारा बीसीसीएल के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत चलने वाले प्रोजेक्ट और सेमी प्रोजेक्ट स्कूलों में दौरा किया गया। इसमें 08 डीएवी, 02 सरस्वती विद्या मंदिर और 01 डीपीएस सम्मिलित है। निरीक्षण के दौरान स्कूल प्राधिकारियों से स्कूलों के संपूर्ण विकास और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गयी।

## महिला कर्मियों के लिए योग व मार्शल आर्ट (20-21 दिसंबर, 2019)

समझौता ज्ञापन 2019-20 के अनुसार, महिला कर्मियों के लिए 15 पहल के अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा महिला कर्मियों के लिए मार्शल आर्ट, योग आदि पर विशेष ध्यान देते हुए शारीरिक स्वास्थ्य हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

## मुख्यालय में सैनिटरी वेंडिंग मशीन की स्थापना और सैनिटरी नैपकीन के निपटान के लिए व्यवस्था

समझौता ज्ञापन लक्ष्य 19-20 में उपलब्धि के लिए बीसीसीएल द्वारा स्वीकार की गयी महिला कर्मियों के लिए 15 सराहनीय पहल के रूप में कोयला भवन के तल-1 में महिलाओं के सामूहिक कक्ष में 19 मार्च, 2020 को एक सैनिटरी - नेपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की गयी है।

**कल्याणकारी उपायों पर अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता**

## क्षेत्रवार दौरे/शोधन संयंत्र और अस्पताल/डिस्पेंसरियों का निरीक्षण

कल्याणकारी उपायों पर एक अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें कामगारों के कार्यस्थल और निवास स्थान की स्थिति के मूल्यांकन हेतु जल शोधन संयंत्र, अस्पताल/डिस्पेंसरियों, एम्बुलेंस आदि के निरीक्षण के लिए क्षेत्रों के दौरे/निरीक्षण किये गये। यह दौरे सभी 12 क्षेत्रों, वाशरी और मुख्यालय में दिनांक 10.01.2020 से 24.01.2020 के दौरान किए गए। निरीक्षण दल में बीसीसीएल कल्याण बोर्ड के सदस्य (यूनियन) महाप्रबंधक (का./कल्याण) के साथ ही संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक (कार्मिक), क्षेत्रीय प्रबंधक (सिविल), क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित थे। सभी क्षेत्रों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निरीक्षण के पश्चात पहले व दूसरे स्थान पर आने वाले क्षेत्रों को **गणतंत्र दिवस, 2020** के अवसर पर सम्मानित किया गया।

### प्रतियोगिता में क्षेत्रों की श्रेणीवार स्थिति

| क्र.सं. | श्रेणी | स्थान | क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | सर्वेश्रेष्ठ क्षेत्र (समस्त मानकों में ) | **प्रथम** | **पश्चिमी झरिया** |
| | | द्वितीय | चांच विक्टोरिया |
| 2 | जल शोधन संयंत्र | **प्रथम** | **ब्लॉक-2** |
| | | द्वितीय | पुटकी बलिहारी |
| 3 | अस्पताल | **प्रथम** | **बरोरा- क्षेत्रीय अस्पताल बाघमारा** |
| | | द्वितीय | कोयला नगर अस्पताल |
| 4 | डिस्पेंसरी | **प्रथम** | **लायकडीह चांच विक्टोरिया** |
| | | द्वितीय | गोविंदपुर डिस्पेंसरी |
| 5 | एम्बुलेंस | **प्रथम** | **भीमकनाली डिस्पेंसरी ब्लॉक-2** |
| | | द्वितीय | गोविंदपुर डिस्पेंसरी |
| 6 | शौचालय | **प्रथम** | **बरोरा** |
| | | द्वितीय | सिजुआ |
| 7 | स्वच्छता | **प्रथम** | **बस्ताकोला** |
| | | द्वितीय | कतरास |

## 23. पेंशन

### 1. बीसीसीएल द्वारा सीएमपीएफ ऑफिस में जमा किए गए पेंशन दावों के आंकड़े

| **2019-20 में प्रस्तुत किये जाने वाले पेंशन दावे** | **2019-20 में प्रस्तुत किये जाने वाले पेंशन दावे** |
|---|---|
| **2961** | **3922*** |

*** इनमें 2019-20 से पूर्व के कुछ मामलें शामिल हैं**

### 2. सीएमपीएफ ऑफिस द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों के आंकड़े

| 2019-20 के दौरान प्रस्तुत पेंशन दावे | वर्ष के दौरान पेंशन दावों का निपटान |
|---|---|
| 3922 | 4206* |

### 3. उपलब्धियां

| | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 |
|---|---|---|
| उपलब्धि % (प्रस्तुतिकरण बनाम निपटान) | **91.47%** | **97.29%** |

### पेंशन लागू होने की तिथि से मार्च, 2020 तक हुई प्रगति

(क) मार्च, 2020 तक उत्तरोत्तर प्रस्तुत : 124047

(ख) मार्च, 2020 तक उत्तरोत्तर निपटान : 123928

### 5. विशेष उपलब्धियां

(क) सभी इकाइयों/क्षेत्रों से संबंधित सीपीई 03/19 का वाईवाई स्टेटमेंट संबंधित क्षेत्रों को उनके कर्मचारियों में वितरण के लिए भेजा जा चुका है।

**(ख) सेमिनार/कार्यशालाएं/समन्वय बैठकें:**

सीएमपीएफओ की समन्वय बैठक के अलावा पेंशन प्रकोष्ठ ने क्षेत्रीय स्तर पर 3 (तीन) समन्वय बैठकों का आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के सभी शंकाओं एवं शिकायतों का समाधान पेंशन प्रकोष्ठ दल द्वारा किया गया।

पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों में पीएफ एवं पेंशन संबंधी मामलों में मदद के लिए 13 (तेरह) क्षेत्रीय दौरा किया गया।

पेंशन प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने सीएमपीएफओ के अंचल कार्यालयों एवं मुख्यालय का नियमित दौरा कर सीएमपीएफ अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए संपर्क किया है।

**(ग) पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हेतु जागरूकता:**

पेंशनभोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक बनाने के लिए बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों को कहा गया। पेंशनभोगियों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यूएसबी फिंगर प्रिंट स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है।

**(घ) 'मिशन बस्वास' के तहत सेवानिवृत्ति माह में पीएफ एवं पेंशन दावों का निपटान:**

मिशन बस्वास के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत 1792 पीएफ एवं पेंशन दावों का निपटान / चालू माह में सीएमपीएफओ को अग्रेषण कर दिया गया है।

**(ङ) पीएफ एवं पेंशन दावों के लिए 'सहज' प्रपत्र का प्रयोग शुरू करना:**

पीएफ एवं पेंशन दावों को केवल 'सहज' प्रपत्र के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है।

**(च) पीएफ/पेंशन दावों के साथ "पूर्व या उत्तरजीवी" खातों का क्रियान्वयन:**

सीएमपीएफओ को भेजे जा रहे पीएफ/पेंशन के सभी दावे केवल उन संयुक्त बैंक खातों के साथ संसाधित किया जा रहा है, जिसे कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी द्वारा अपने जीवनसाथी के साथ "पूर्व या उत्तरजीवी" परिचालन-विधि से परिचालित किया जा रहा है। दावाकर्ता के लिखित संपुष्टि के उपरांत केवल कुछ ही ऐसे दावों को भेजा गया है, जिसमें दावाकर्ता परिचालन-विधि वाले बैंक खाते को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

**(छ) सॉफ्ट कॉपी में पीपीओ जमा करना:**

सीएमपीएफओ के अंचल कार्यालय से प्रत्येक महीने सॉफ्ट कॉपी में पीपीओ प्राप्त किए जा रहे हैं, जिसे बाद में सभी क्षेत्रों को ई-मेल द्वारा पेंशन निपटारे के रिकार्ड को अद्यतन बनाये रखने हेतु भेजा जाता है।

**(ज) पेंशन में संशोधन:**

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण सीएमपीएफओ को पेंशन संशोधन मामले भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिन्हें सीएमपीएफओ द्वारा निपटान किया जा रहा है।

## 24 . वर्ष 2019-20 में बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृश्य

सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध मधुर सद्भाव पूर्ण तथा शांतिपूर्ण बना रहा और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच परस्पर सद्भाव की समझ विकसित हुई।

परस्पर संवाद तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, कल्याण, नियोजन तथा अन्य कार्मिक संबंधी मामलों के निराकरण के लिए प्रबंधन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक द्विपक्षीय फोरम का गठन किया गया है। पूरे वर्ष में पहले ही ट्रेड यूनियनों के साथ संरचनात्मक बैठकों के लिए एक कलेन्डर जारी किया गया है, तदनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसके द्वारा कार्यस्थल पर प्रभावकारी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने तथा संगठनात्मक लक्ष्य व व्यक्तिगत लक्ष्य के बीच एक असाधारण संतुलन बनाने के लिए इकाई, क्षेत्र एवं कॉरपोरेट स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान लक्षित 24 संरचनात्मक बैठकों की तुलना में मुख्यालय स्तर पर सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ 17 संरचनात्मक बैठकें हुई थी, जिसका इकाई, क्षेत्र तथा मुख्यालय स्तर पर यूनियनों द्वारा उठाये गए मामलों का निपटान एवं निष्पादन किया गया। कार्य के सुचारू संचालन हेतु नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर केंद्रीय सलाहकर समिति की 07 बैठकें आयोजित की गई है। चुनाव आचार संहिता और COVID-19 से उत्पन्न महामारी के कारण बैठकों की संख्या प्रभावित एवं स्थगित हुई। यद्यपि, विवादों एवं शिकायतों के निपटान एवं समाधान के लिए प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश के साथ सकारात्मक पहल की गयी है। बीसीसीएल में एक ऑनलाइन और मोबाइल अनुकूल शिकायत निवारण पद्धति प्रचलित है जहां प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है तथा समय सीमा के अंदर संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है। बीसीसीएल में दैनिक आईआर रिपोर्टिंग प्रणाली लागू है, जिसके तहत संबंधित क्षेत्रों से पूर्वाह्न में आई आर रिपोर्ट जमा लिया जाता है तथा किसी प्रतिकूल परिस्थिति के मामले में घटना के पहले ही उचित कदम उठाए जाते हैं ताकि दैनिक उत्पादन कार्य में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं हो।

## 25. चिकित्सा

**बीसीसीएल के चिकित्सा विभाग की गतिविधि एवं उपलब्धियां:**

**मिशन: स्वस्थ कार्यबल स्वस्थ समाज**

- वर्ष 2019 में 13,364 कर्मचारियों का आवधिक चिकित्सा परीक्षण (पीएमई) किया गया।

- पिछले 7 वर्षों से कोयला श्रमिकों में 'न्यूमोकोनियोसिस' का कोई नया मामला नहीं पाया गया है।
- रक्त दान शिविर: दिनांक 14.06.2019 को क्षेत्रीय चिकित्सालय बाघमारा, बरोरा क्षेत्र में एक रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय चिकित्सालय , धनबाद और पीएमसीएच, धनबाद की ओर से दो टीमों का गठन किया गया था, प्रत्येक टीम में एक पैथोलॉजिस्ट और एक तकनीशियन को शामिल किया गया था। इस शिविर का आयोजन बीसीसीएल द्वारा किया गया था। बीस (20) लोगों ने रक्त दान किया। रक्त दाताओं को हॉर्लिक्स, बिस्कुट, फल और कोल्ड ड्रिंक प्रदान किए गए। दिनांक 26.06.2019 को मूनिडीह अस्पताल, पश्चिमी झरिया क्षेत्र में दूसरे शिविर का आयोजन किया गया, लाभुकों की सं. 15 थी।
- स्कूल स्वास्थ्य शिविर: 30.04.2019 को क्षेत्रीय चिकित्सालय बाघमारा, बरोरा क्षेत्र में एक स्कूल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बीसीसीएल द्वारा आयोजित किया गया था। पंचानवे (95) स्कूली लड़कियों की जांच, उचित उपचार और मुफ्त दवा वितरित की गई।
- बहुजन हिताय (स्वास्थ्य शिविर): बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में बीसीसीएल के चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। इससे लगभग 3,256 लोग लाभान्वित हुए।

  1. मधुमेह-जांच
  2. उच्च रक्तचाप-जांच
  3. न्यूरोपैथी-जांच
  4. 203 लोगों को 'नि:शुल्क चिकित्सा' प्रदान की गई।
  5. नवंबर, 2019 को कोल डंप कम्यूनिटी हॉल, कुसुंडा क्षेत्र में स्तन कैंसर एवं पीसीओएस जागरूकता शिविर आयोजित की गई थी। इस शिविर में लगभग 92 लाभार्थियों ने भाग लिया।
  6. बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 3 मेगा कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। इससे लगभग 1062 लोग लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय चिकित्सालय धनबाद के अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इन शिविरों में लाभार्थियों की जांच एवं उपचार किया।
  7. ग्राम स्वास्थ्य जांच शिविर: बीसीसीएल के कमान क्षेत्रों में 3 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 329 थी।
  8. बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामान्य स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया है। लाभार्थियों की संख्या 351थी ।
  9. बीसीसीएल के विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से बच्चों को एमएमआर टीकाकरण किया जा रहा है।
  10. बंदे मातरम- प्रत्येक माह के 7 एवं 21 तारीख को मुनिडीह अस्पताल, पश्चिमी झरिया क्षेत्र नि:शुल्क एएनसी किया जाता है।

**केंद्रीय चिकित्सालय, धनबाद में निम्नलिखित सुधार किये गए हैं।**

- ईएनटी सर्जिकल माइक्रोस्कोप की खरीद की गई है।
- 7 पीएफटी मशीन स्पाइरोमीटर की खरीद की गई है और संबंधित क्षेत्र के अस्पताल / औषधालयों को उपलब्ध करा दी गई है।
- सीएचडी में 1 डेंटल एक्स-रे मशीन लगाई गई है।
- पीएमई / आईएमई केंद्र के लिए 7 प्योर टोन ऑडोमीटर की खरीद की गई है।
- विकसित आरवीजी सेंसर की खरीद की गई है और इसे सीएचडी में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है।
- कार्य को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए 19 एचपी लेज़रजेट प्रिंटर सहित 35 एसीईआर (ACER) कंप्यूटर सिस्टम की खरीद की गई है।
- मेडिसिन, सर्जरी और गायनोकोलॉजी के क्षेत्र में डीएनबी कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

## 26. राजभाषा

### बीसीसीएल में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में उल्लेखनीय प्रगति की। राजभाषा अधिनियम और नियमों की विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, हमारी कंपनी ने सभी के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और सर्वोत्तम संभव सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने और उपयोग करने की पहल की है। हमारी कंपनी ने अपने वार्षिक

कार्यान्वयन कार्यक्रम 2019-20 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अच्छी तरह से संरचित वार्षिक कार्य योजना तैयार की। हमारी कंपनी विभिन्न स्तरों पर निरंतर निगरानी और नियमित प्रयासों के माध्यम से वार्षिक कार्यक्रम के सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही। कंपनी के सभी कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से यूनिकोड मानक के साथ समर्थित हैं और द्विभाषी टाइपिंग सुविधायुक्त हैं। हर साल विभाग द्वारा एक विस्तृत वार्षिक राजभाषा कैलेंडर तैयार किया जाता है, जिसमें सभी कार्यक्रम पूर्व नियोजित होते हैं।

### त्रैमासिक समीक्षा बैठकें

कंपनी के कॉर्पोरेट स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकें अपने निर्धारित समय पर आयोजित की गई। समीक्षा वर्ष 2019-20 के तहत कुल चार नियमित बैठकें 04 मई 2019, 30 जुलाई 2019, 12 नवंबर 2019 और 04 फरवरी 2020 को तिमाही आधार पर आयोजित की गई। ये बैठकें आमतौर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में होती हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्राप्त मार्गदर्शन और सुझावों के तहत, वर्ष के दौरान कई नई पहलों की शुरुआत की गई। इनमें से एक मुख्य पहल के रूप में हमारी कंपनी द्वारा नए शामिल सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। हमने सभी संवर्गों के लिए मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण केंद्र) द्वारा संचालित अभिप्रेरण/आरम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा प्रशिक्षण का एक सत्र अनिवार्य रूप से रखने का निर्णय लिया है। राजभाषा कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक क्षेत्र के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई।

### कार्यशालाएं

हमने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 अप्रैल, 19 से 31 मार्च, 20 तक कुल 62 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की हैं ताकि वे आसानी से हिंदी में अपना नियमित काम कर सकें। 50 कार्यशालाएँ बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों आयोजित की गईं तथा शेष 12 मानव संसाधन विकास विभाग और कंपनी मुख्यालय में आयोजित की गई। मानव संसाधन विकास विभाग में आयोजित कार्यशालाएँ विशेष रूप से नए भर्ती किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और नए शामिल अधिकारियों के लिए थीं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 2000 कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया । इन सभी कार्यशालाओं में हिंदी में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग, बोलकर टाइप करने, हिंदी ओसीआर, फ़ॉन्ट परिवर्तक, मशीन अनुवाद, ई-शब्दकोश आदि शामिल हैं।

### सेमिनार और सम्मेलन

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद के सहयोग से कंपनी के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 16-17 जनवरी, 2020 को एक दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न सरकारी संगठनों और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। यह सम्मेलन पांच सत्रों में आयोजित किया गया था जिसमें प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों और शिक्षाविदों ने अपने व्याख्यान दिए थे।

अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस के अवसर पर दिनांक 21 फरवरी 2020 को एक अन्य विशेष कार्यक्रम विभागीय 'कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया। बीसीसीएल विभिन्न विभागों और क्षेत्रों से कुल आठ हिंदी कवियों ने इस कार्यक्रम में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। चार घंटे तक चले इस कार्यक्रम में 250 से अधिक श्रोता उपस्थित थे।

### प्रकाशन

हमारी कंपनी द्वारा अपनी अर्ध-वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'कोयला भारती' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जाता है। कोयला भारती देश में कॉर्पोरेट पत्रिकाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। हमने वर्ष 2019-20 के दौरान इसके 31वें और 32वें अंक प्रकाशित किए हैं। पत्रिका के दोनों अंको का विमोचन क्रमशः 14 सितंबर 2019 और 21 फरवरी 2020 को किया गया था।

हमने वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्ध-वार्षिक पत्रिका "धनबाद राजभाषा संदेश" के भी दो अंको का प्रकाशन किया है।

इन प्रकाशनों के अलावा, बीसीसीएल के लोदना और बस्ताकोला क्षेत्र से भी दो अन्य हिंदी पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं । 'लोदना दर्पण' हिंदी पत्रिका हमारे लोदना क्षेत्र से और दूसरी हिंदी पत्रिका 'कोल रश्मि' राजभाषा विभाग बस्ताकोला क्षेत्र से प्रकाशित होती है।

### राजभाषा पखवारा

राजभाषा पखवारा (पखवाड़ा) 2 सितंबर '19 से 16 सितंबर '20 तक मनाया गया था। पखवारा समारोह के दौरान, विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजित किया गया; जैसे 'टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता' (हिंदी और गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग), निबंध प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। अधिकारियों / कर्मचारियों की गृहिणियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता, स्व-रचित हिंदी कविता प्रतियोगिता और सबसे महत्वपूर्ण राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए धनबाद के विभिन्न स्कूलों के छात्र/छात्राओं के लिए 'हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया था। राजभाषा पखवारे

का मुख्य आकर्षण हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे महान हिंदी साहित्यकारों को हर रोज श्रद्धांजलि देना था। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों / कर्मचारियों, उनकी गृहिणियों और उनके बच्चों ने भाग लिया। हर प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

वर्ष के दौरान अपने कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तीन क्षेत्रों और कंपनी मुख्यालय के तीन विभागों को "स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति" से सम्मानित किया गया । इन कार्यालयों को कॉर्पोरेट स्तर की राजभाषा निरीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार चुना गया। बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र को प्रथम, लोदना क्षेत्र को द्वितीय और कुसुंडा एवं सिजुआ क्षेत्र को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और इन सभी क्षेत्रों को एक कॉर्पोरेट स्तर की शील्ड से सम्मानित किया गया। कोयला भवन, मुख्यालय के कर्मचारी स्थापना विभाग, औद्योगिक संबंध विभाग और भू-संपदा विभाग को क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में मुख्यालय स्तर की शील्ड से सम्मानित किया गया। उपरोक्त सभी सम्मान, शील्ड और पुरस्कार 14 सितंबर 2019 को "हिंदी दिवस" के अवसर पर आयोजित राजभाषा पखवारा के समापन समारोह के मुख्य कार्यक्रम में वितरित किए गए। इस अवसर पर, रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉ. रवि भूषण को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदानों के लिए **"बीसीसीएल कोयला भारती राजभाषा सम्मान- 2020"** से सम्मानित किया गया ।

बीसीसीएल में पहली बार, इस वर्ष एक नया पुरस्कार उस छात्र के लिए शुरू किया गया जो बीबीएमके विश्वविद्यालय धनबाद से हिंदी विषय में उच्चतम अंक प्राप्त करेगें और इस अवसर पर सुश्री प्रेरणा मिश्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय

हमारी कंपनी में राजभाषा विभाग के प्रशासन के तहत एक अच्छी तरह से स्थापित केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय है। वर्तमान में साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, कंप्यूटर, जीवन प्रबंधन एवं कई अन्य विषयों से संबंधित कुल 4577 मानक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर साल सैकड़ों महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। इस वर्ष हमने विभिन्न प्रकाशनों से प्रसिद्ध लेखकों के कुल ₹ 2062/- मूल्य की 11 पुस्तकें भी खरीदी हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों के इस संग्रह के अलावा हमारे पास दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि की सदस्यता भी है।

## नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास):

हमारी 'कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – नराकास' के मंच के माध्यम से भी राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार में अग्रणी रही है। हमारी कंपनी के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भी पहचान और सम्मान दिया गया है। नराकास की बैठक छमाही आधार पर निर्धारित है। वर्ष 2019-20 की पहली बैठक 24 जून 2019 को और वर्ष की दूसरी बैठक 20 नवंबर 2019 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/ निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान नराकास के बैनर तले कई हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर जनवरी 2020 को राष्ट्रीय स्तर के एक हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था।

## निरीक्षण

हमने नियमानुसार कंपनी में आंतरिक राजभाषा निरीक्षण भी किया है। वर्ष के दौरान आंतरिक राजभाषा निरीक्षण समिति द्वारा चांच विक्टोरिया, बस्ताकोला, कुसुंडा,बरोरा, ब्लॉक-II, कतरास, सिजुआ, पुटकी बलिहारी और मुख्यालय के 12 विभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।.

## पुरस्कार और अन्य उपलब्धियां

- बीसीसीएल की अध्यक्षता में ''नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति'', धनबाद के तहत किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यो के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा नराकास, धनबाद को वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया।
- 24 जून, 2019 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद की छमाही समीक्षा बैठक के अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार (राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान) से सम्मानित किया गया।
- बीसीसीएल और नराकास, धनबाद ने 21-22 अगस्त, 2019 को नराकास (उपक्रमों), दिल्ली द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के राजभाषा सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर, एक राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और हमारी कंपनी एवं नराकास, धनबाद को सम्मानित किया गया था।

## 27. सतर्कता

### निरोधात्मक सतर्कता, दंडात्मक कार्रवाई, निगरानी का पता लगाने तथा अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण:

**प्रस्तावना**

किसी भी संस्थान में सतर्कता विभाग प्रबंधन का एक अभिन्न अंग होता है तथा यह नैतिकता, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता में मूल्य आधारित उन्नयन के जरिए संस्था को इसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इससे समाज में संस्था/कंपनी की बेहतर सार्वजनिक छवि निखारने में मदद मिलती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ट्रांसपैरेंसी इंडेक्स को वर्तमान में विशेष महत्व दिए जाने के कारण यह किसी संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने लेनदेन या कार्यो में साफ सुथरी छवि के सूचक के रूप में अति उच्च पैमाने पर अपनी पहचान बनाए। कंपनी के ध्येय एवं मिशन को पूरा करने के खयाल से सतर्कता विभाग/बीसीसीएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत भ्रष्टाचार से लड़ने, इसकी रोकथाम, अनियमितताओं को दूर करने और समता, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उन्नयन के लिए तीन स्तरीय रणनीति अपनायी है। जो इस प्रकार है : -

1. **निरोधात्मक-** जैसा कि यह शब्द स्वयं संकेत करता है यह एक ऐसी पहल है जिससे सतर्कता के दृष्टिकोण से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। इस प्रविधि में जागरूक करने तथा अन्य व्यावहारिक उपाय जैसे जहां आवश्यक हो प्रबंधन के साथ मिलकर प्रणाली विकास के लिए समुचित दिशानिर्देश जारी कर भ्रष्टाचार से बचने के रास्ते बंद करना, विभिन्न स्तरों पर संस्था के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, परामर्श देना शामिल है।
2. **दण्डात्मक-** इस पहल के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जो भी "सतर्कता" के दृष्टिकोण से किसी गलत कार्य के लिए दोषी पाये जाते हैं। दण्डात्मक कार्रवाई प्रायः समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत है।
3. **निगरानी-** यह तरीका समाचार पत्र आदि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित औचक निरीक्षण करने से संबंधित है। ऐसे निरीक्षण का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे भ्रष्ट कार्यो को रोका जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा अपने उपर्युक्त क्षेत्रों में की गई गतिविधियों का संक्षेप में नीचे वर्णन दिया गया है :-

### 1. निरोधात्मक सतर्कता

**क. औचक जांच:**

वित्तीय वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 31.03.2020) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने बत्तीस (32) औचक जांच किए। औचक निरीक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

i. रेलवे साइडिंग से कोयले के परिवहन में अनियमितताएं
ii. सिविल टेंडरिंग/मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं
iii. वजन घर (वे-ब्रिज)
iv. कोल स्टॉक का मापन
v. डीजल की चोरी
vi. आउटसोर्सिंग पैच/सी एम सी में निविदा प्रक्रिया
vii. आईटी (IT) कार्यों का क्रियान्वयन

**ख. गहन जांच:**

कार्यों के सी टी ई प्रकार की गहन जांच का महत्व एक प्रभावी निरोधात्मक सतर्कता तथा प्रणाली सुधार का उपाय है। सतर्कता विभाग ने सीटीई प्रकार की 8 जांच पूरी की। ये सभी विवेचनाधीन हैं।

**ग. जागरूकता लाने के लिए सतर्कता संबंधी आयोजन:**

सचिव, सीवीसी द्वारा निर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. 019/VGL/029 दिनांकित 02.08.2019 के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक मनाया गया। इस जागरूकता सप्ताह की थीम "ईमानदारी- जीवन जीने का एक तरीका" थी।

इस सप्ताह के दौरान कई तरह की कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बीसीसीएल मुख्यालय में एक समारोह में 'सत्य निष्ठा' शपथ ली गयी और इसी प्रकार से यह सप्ताह सभी क्षेत्रों/इकाइयों /कोलियरियों में मनाया गया, जिसमें बीसीसीएल के 45000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2019 के कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 28.10.2019 की सुबह बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलन कर और भारत के गणतंत्र के संस्थापक नेताओं में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस अवसर पर बीसीसीएल के कार्यकारी निदेशकों सहित समस्त महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने सतर्कता विभाग की विभागीय पत्रिका ''चेतना'' (11 वें संस्करण) का विमोचन किया, जिसमें सतर्कता मामलों पर संवेदनशील लेख थे। इस अवसर पर सतर्कता रथ को भी रवाना किया गया। सतर्कता रथ एक चार पहिया वाहन है, जिसे सभी तरफ से सतर्कता संदेशों से कवर किया गया था और इसमें एक सार्वजनिक ऑडियो डिवाइस लगाया गया, यह वाहन पूरे सप्ताह के दौरान धनबाद शहर भर में घुमाया गया, ताकि आम जनता को भ्रष्टाचार और इससे संबंधित मुद्दों से अवगत कराया जा सके।

ग्राम पंचायतों में जागरूकता के प्रसार के लिए 10 ''जागरूकता ग्राम सभा'' का आयोजन किया गया ताकि भ्रष्टाचार के बुरे प्रभाव पर नागरिकों को जागरूक किया जा सके। सार्वजनिक जीवन में अखंडता, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने और लोगों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार के रोकथाम तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करना हेतु सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2019 का आयोजन पूरे जोश एवं उत्साह के साथ किया गया।

संबंधित अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजित किया गया।

**हायर्ड एचइएमएम संविदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

| क्र. सं. | क्षेत्र | स्थान एवं तिथि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | बरोरा, ब्लॉक-II, गोविंदपुर | कल्याण भवन, मा.सं. वि., बीसीसीएल मु., दिनांक 10-07-2019 | हायर्ड एचइएमएम संविदा प्रबंधन |
| 2. | कतरास, सिजुआ, कुसुंडा | कल्याण भवन, मा.सं. वि., बीसीसीएल मु., दिनांक 17-07-2019 | हायर्ड एचइएमएम संविदा प्रबंधन |
| 3. | बस्ताकोला, लोदना, पूर्वी झरिया | कल्याण भवन, मा.सं. वि., बीसीसीएल मु., दिनांक 19-07-2019 | हायर्ड एचइएमएम संविदा प्रबंधन |
| 4. | सीवी, डब्ल्यू जे, वाशरी डिविजन | कल्याण भवन, मा.सं. वि., बीसीसीएल मु., दिनांक 24-07-2019 | हायर्ड एचइएमएम संविदा प्रबंधन |

**"ईंधन प्रबंधन प्रणाली" और डीजल वितरण इकाइयों के स्वचालन पर प्रशिक्षण:**

| क्र. सं. | विवरण | स्थान एवं तिथि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | ईंधन प्रबंधन प्रणाली पर कार्यशाला | तल-III सभागार, बीसीसीएल मु., दिनांक 17.05.2019 | यह कार्यशाला सतर्कता विभाग के समन्वय में आईओसीएल और बीपीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में बीसीसीएल के सीएमडी सहित सीवीओ, निदेशक (वित्त), डी (टी) पी एंड पी, सीआईएसएफ के डीआईजी, मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्खनन) और क्षेत्रीय डिपो अधिकारियों ने भाग लिया। |
| 2. | "ईंधन प्रबंधन प्रणाली" और डीजल वितरण इकाइयों के स्वचालन पर प्रशिक्षण | बरोरा क्षेत्र, बीसीसीएल दिनांक 11.06.2019 | एचएसडी तेल के निस्तारण, प्राप्ति एवं भंडारण से निपटने सहित डीजल वितरण इकाइयों के "स्वचालन" पर बरोरा, ब्लॉक- II एवं गोविंदपुर क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। |
| | | कतरास क्षेत्र, बीसीसीएल दिनांक 18.06.2019 | एचएसडी तेल के निस्तारण, प्राप्ति एवं भंडारण से निपटने सहित डीजल वितरण इकाइयों के "स्वचालन" पर कतरास, सिजुआ एवं कुसुंडा क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। |
| | | लोदना क्षेत्र, बीसीसीएल दिनांक 26.06.2019 | एचएसडी तेल के निस्तारण, प्राप्ति एवं भंडारण से निपटने सहित डीजल वितरण इकाइयों के "स्वचालन" पर बस्ताकोला, लोदना एवं सीवी क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। |

### सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर कार्यशाला:

| क्र. सं. | प्रतिभागिता का स्तर | व्यक्तियों की सं. | स्थान एवं तिथि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | समस्त क्षेत्रीय मु.महा.प्र./ महा. प्र./ मुख्यालय के विभागाध्यक्ष | 62 | कल्याण भवन, मा.सं. वि. बीसीसीएल मु. दिनांक 29.10.2019 | डा. नंदितेश निलय, टीआरएएनसी, नई दिल्ली और सीएमडी एवं कार्यकारी निदेशकों सहित सीवीओ ने अधिकारियों को संबोधित किया। |
| 2. | समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एवं सतर्कता अधिकारी गण | 100 | मुनिडीह धनबाद, प.झ. क्षेत्र दुबराडीह दिनांक 01.11.2019 | क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया। |
| 3. | समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एवं सतर्कता अधिकारी गण | 41 | वीटीसी, गोविंदपुर क्षेत्र दिनांक 30.10.2019 | क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया। |
| 4. | समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एवं सतर्कता अधिकारी गण | 100 | झरिया, बस्ताकोला क्षेत्र दिनांक 21.11.2019 | क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया। |
| 5. | समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी एवं सतर्कता अधिकारी गण | 120 | पीबी क्षेत्र दिनांक 02.11.2019 | क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया। |

### जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अन्य गतिविधियाँ:

- बीसीसीएल के लगभग 100 कर्मचारियों और सिजुआ क्षेत्र, बीसीसीएल के बालिका उच्च विद्यालय मुनिडीह के छात्रों द्वारा मानव श्रृंखला का बनाया गया था। इसी तरह की श्रृंखला एरिया ऑफिस गेट से मुनिडीह बाजार तक डीएवी स्कूल के छात्रों और पश्चिमी झरिया क्षेत्र, बीसीसीएल के कर्मचारियों की मदद से बनाई गई थी।
- दिनांक 26-10-2019 को नेपाल रवानी स्मारक हाई स्कूल, गोधर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था और यह सिजुआ क्षेत्र में भी आयोजित किया गया था, जिसमें बीसीसीएल के कर्मचारी और बालिका उत्थान विद्यालय मुदिडीह के छात्रों ने भाग लिया था। दिनांक 23.10.2019 को डी.ए.वी. स्कूल, बनियाहीर से लोदना क्षेत्रीय कार्यालय तक भी प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था।
- दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को लोदना क्षेत्रीय कार्यालय से 'एकता की दौड़, विकास ओर' थीम के साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। बीसीसीएल मुख्यालय के सभी कार्यालयों, सभी 12 क्षेत्रों और वाशरी के सभी कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आधारित बैनर एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे।
- बीसीसीएल द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों / स्थानों कुल 8 शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया:
- ब्लॉक- II क्षेत्र में -1 शिविर, बरोरा क्षेत्रीय कार्यालय में 1 शिविर, पश्चिमी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय में 1 शिविर, सालनपुर में 1 शिविर, एकेवीएमसी में 1 शिविर, गोविंदपुर जीएम / एपीएम कार्यालय में 1 शिविर और पीबी क्षेत्र में 2 शिविर।
- सतर्कता जागरूकता फैलाने और समाज से भ्रष्टाचार मिटाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक (नुक्कड़-नाटक) का आयोजन किया गया।
- निम्नलिखित स्कूलों में 6 सत्यनिष्ठा क्लब का गठन किया गया:

  डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, बरोरा क्षेत्र में 1, नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, बरोरा में 2, डी.ए.वी. अलकुसा, पी.बी. क्षेत्र में 2 और आदर्श श्रमिक उच्च विद्यालय, बस्ताकोला क्षेत्र में 1

### घ. प्रणाली सुधार

कार्यक्षेत्रों, प्रणालियों में समग्र सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग की सिफारिश पर कार्यक्षेत्र / कार्यक्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए गए थे:

1. ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं को समय पर भुगतान - विभिन्न प्रकार के बिलों के लिए अधिकतम समयसीमा का एसओपी विवरण निर्गत।
2. बीसीसीएल में एचएसडी तेल के इंडेंटिंग / रसीद / भंडारण और हैंडलिंग / निर्गम के संबंध में प्रणाली में सुधार से संबंधित एसओपी।.
3. जाली दस्तावेजों के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में धोखाधड़ी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्गत किया गया है ताकि ईडीपी में वेतन अद्यतन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रमाणिक एवं पारदर्शी बनाया जा सके।
4. एनसीडब्ल्यूए के प्रावधानों के तहत अनुकंपा के आधार पर मिलने वाले नियोजन प्रक्रिया को सरल बनाना। समयसीमा का ब्यौरा और 6 महीने की अधिकतम समयसीमा से संबंधिम एसओपी प्रक्रियाधीन है।

5. अनधिकृत कब्जे वाली कंपनी के आवासों में सिविल कैपिटल / रेवेन्यू के काम को नहीं करने से संबंधित प्रणाली सुधार को लागू किया गया है और निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत किया जा चुका है।
6. बीसीसीएल की खदानों, अवैध खनन, कोयला चोरी आदि से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रणाली सुधार किया गया है और इस संबंध में एसओपी निर्गत किया जा चुका है।
7. कोयला परिवहन में लगे अनट्रेक्ट, कार्यशाला, ऑफ रोड वाहनों के संबंध में सुझाव दिये गए हैं। मुख्यालय ने इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किया है।
8. ईंधन के नुकसान रोकने के लिए एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) से संबंधित प्रणाली सुधार लागू किया गया है। एचईएमएम में ईंधन प्रबंधन की अवधारणा के प्रमाण के लिए कार्यकारी निदेशकों ने अनुमोदन कर दिया है और जारी किए गए एचएसडी ऑयल के इंडेंट, प्राप्ति, भंडारण, निर्गम एवं लेखा के लिए एसओपी निर्गत कर दिया गया है।
9. फीडर ब्रेकर के माध्यम से कोयले की 100% पिसाई सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था। 100% कोयले की पिसाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव को सौंप दी है और आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
10. कोल डंप से साइडिंग / वाशरी तक परिवहन के दौरान कोयले का वजन दोनों तरफ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था। कोयला मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों को यथाशीघ्र लागू करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को प्रस्ताव भेजा गया है।
11. सिविल, एचईएमएम और अन्य अनुबंधों के ईएमडी-मूल्य में वृद्धि से संबंधित प्रणाली-सुधार के उपाय का सुझाव दिया गया है और तद्नुसार सीआईएल के प्रासंगिक मैनुअल में संशोधन किया गया है और विचार के लिए सीआईएल को भेजा गया है।

### 2) दण्डात्मक सतर्कता:

वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसंधान/जांच-पड़ताल के लिए लिये गये मामलों के विवरणों का समेकित ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| अनुसंधान के लिए लिए गए मामले | | 11 | |
| पूरा हो चुके अनुसंधान की सं. | | 01 | |
| अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लिये गये मामलों की सं. | | **मामलें** | **व्यक्तियों की सं.** |
| i) | बड़े | 07 | 07 |
| ii) | छोटे | 06 | 12 |
| | पूरी की गयी विभागीय जांच की सं. | **मामलें** | **व्यक्तियों की सं.** |
| | | 04 | 41 |
| | वैसे मामले जिसमें दण्ड लगाए गए | **मामलें** | **व्यक्तियों की सं.** |
| i) | बड़ा दण्ड | 07 | 52 |
| ii) | छोटा दण्ड | 06 | 08 |
| औचक निरीक्षण/ निरीक्षण की संख्या | | 32 | |
| कार्यो/संविदा की गहन जांच | | 08 | |
| मंजूर अभियोजन की संख्या | | 03 | |

उपर्युक्त के अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सी.बी.आई. ने बारह (03) अधिकारियों के विरूद्ध गैरकानूनी परितोषण, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार आदि से संबंधित पांच ( 02) मामले दर्ज किए।

### 3) निगरानी जांच

एस.पी., सीबीआई, धनबाद के परामर्श के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल के संदिग्ध लोगों की सूची (एग्रीड लिस्ट) तैयार की गई। उक्त अवधि में संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की भी सूची तैयार की गयी।

### 4) सतर्कता अनापत्ति/ स्वीकृति

बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 31.03.2020) के दौरान 8962 अधिकारियों (अधिकारी एवं कर्मचारी) के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

## 28. बीसीसीएल में ट्रांजेक्शन ऑडिट पारास और सूचना का अधिकार मामलों की स्थिति

(संदर्भ: भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 24.01.2018)

**क. 31.03.2020 तक लंबित भाग IIA IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण**

| क्र.सं. | क्षेत्र | आईआर की अवधि | पैरा सं. | पैरा का संक्षिप्त विवरण | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बरोरा | 2015-17 | 1 | संविदा का लापरवाही से प्रबंधन | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 2 | सिजुआ | 2012-15 | 1 | सीईएनवीएटी क्रेडिट के प्रयोग का अवसर गंवाने के कारण ₹ 27.72 करोड़ की परिहार्य हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 3 | लोदना | 2013-16 | 1 | मार्क अनुबंध के तहत उपकरणों के कम उपयोगिता के कारण ₹ 7.16 करोड़ की हानि हुई। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 4 | लोदना | 2013-16 | 2 | निविदा के रद्द नहीं करने और असामान्य रूप से उच्च दरों पर मैसर्स देवप्रभा (जेवी) को कार्य देने के कारण ₹ 32.96 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 5 | सीवी | 2016-19 | 1 | दहिबारी वाशरी में कच्चे कोयले की कम फीडिंग के परिणामस्वरूप निजी ठेकेदार को प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में रु. 6.06 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 6 | पश्चिमी झरिया | 2012-17 | 1 | सीपीपी का परिचालन नहीं होने के कारण ₹48.70 करोड़ मूल्य की परिसंपत्ति बेकार पड़ी रही। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 7 | डी(टी)ओपी | 2017-19 | 1 | वे-ब्रीज को स्थापित करने में देरी के परिणामस्वरूप सेल द्वारा ₹35.41 करोड़ का शॉर्ट क्लेम स्वीकार किया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 8 | एम.एम. | 2014-16 | 1 | सेनवैट क्रेडिट के प्रयोग का अवसर गंवाने के कारण ₹18.81 करोड़ की परिहार्य हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 9 | एम.एम. | 2014-16 | 2 | वैट क्रेडिट के प्रयोग का अवसर गंवाने के कारण ₹8.71 करोड़ की परिहार्य हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 10 | डी (एफ) | 2014-17 | 2 | ₹ 5.32 करोड़ के सेवा कर के भुगतान में सीईएनवीएटी क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 11 | डी (पी) | 2016-19 | 1 | किराए के वाहन मालिक को ₹ 14.15 करोड़ का अत्यधिक भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |

**ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) को जवाब दिए गए भाग IIA IR पैरा का विवरण**

| क्र.सं. | क्षेत्र/इकाई | आईआर का वर्ष | पैरा सं. | विषय | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कतरास | 2014-17 | 1 | वॉशरियों को सब-ग्रेड कोयले की आपूर्ति करने के परिणामस्वरूप रु. 10.84 करोड़ की रॉयल्टी का परिहार्य भुगतान किया गया। | पत्र सं. BCCL/Katras/GM/C&AG/2019/2265 दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 2 | सीवी | 2013-16 | 1 | किराए पर दिए गए एचईएमएम अनुबंध के पुरोबंध के कारण रु. 51.21 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय। | पत्र सं. 483-484(H) दिनांक 26.03.2020 | निपटान के लिए लंबित। |

| क्र.सं. | क्षेत्र/इकाई | आईआर का वर्ष | पैरा सं. | विषय | स्थिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | सीवी | 2013-16 | 2 | बसंतीमाता भूमिगत खदानों में श्रमशक्ति के अधिशेष परिनियोजन के फलस्वरूप भूमिगत भत्ता और व्यर्थ मजदूरी के रूप में रु. 51.48 करोड़ अलाभकारी भुगतान। | पत्र सं. 483-484(H) दिनांक 26.03.2020 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 4 | एमएम | 2014-16 | 1 | वार्षिक अनुबंधित मात्रा से अधिक कोयले के प्रेषण के कारण रु. के अतिरिक्त राजस्व का नुकसान। | पत्र सं. 702-703(H) दिनांक 19.04.2019 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 5 | एमएम | 2014-16 | 2 | वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कोयले की आपूर्ति के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन अधित्याग के कारण रु. 89 करोड़ के राजस्व की हानि। | पत्र सं. 702-703(H) दिनांक 19.04.2019 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 6 | डी (डीएफ) | 2014-17 | 1 | धुले पावर कोल की कीमत में संशोधन में देरी करने के कारण रु. 96.74 करोड़ का नुकसान। | पत्र सं. 480-482(H) दिनांक 26.03.2020 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 7 | डी (टी) ओपी | 2015-17 | 1 | रु. 19.85 करोड़ रुपये के फंड की रुकावट और लगभग रु. 8.73 करोड़ की ब्याज हानि। | पत्र सं. 354-355(H) दिनांक 18.03.2020 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 8 | डी (टी) ओपी | 2017-19 | 2 | सीएमएफआर के दोषपूर्ण ग्रेड विश्लेषण की स्वीकृति और संदर्भ तक नहीं पहुंचने के कारण रु. 52.98 करोड़ की हानि। | पत्र सं. 485-487(H) दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |
| 9 | डी (टी) ओपी | 2017-19 | 3 | बाहरी उपभोक्ताओं को वाशरी -II ग्रेड कोयले की अविवेक पूर्ण आपूर्ति के परिणामस्वरूप रु. 95.89 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर की हानि हुई। | पत्र सं. 1253-56(H) दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से जवाब दिया। | निपटान के लिए लंबित। |

**ग. दिनांक 31.03.2020 को उत्तर के लिए लंबित भाग IIB IR पैरा का विवरण**

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | बरोरा | 2012-15 | 4 | समुचित विश्लेषण एवं जरूरतों के बिना बसों को किराए पर लेने के परिणामस्वरूप 66.72 लाख का अविवेक पूर्ण व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| **2** | बरोरा | 2012-15 | 7 | लोडिंग तथा विलंब शुल्क के तहत अत्यधिक भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 3 | बरोरा | 2015-17 | 1 | उचित आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना फीडर ब्रेकर के खरीद की गई। परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ है। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 4 | बरोरा | 2015-17 | 2 | खदान बंदी योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधान का पालन नहीं करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 5 | बरोरा | 2015-17 | 3 | दामोदा कोलियरी में लगाये गए श्रमशक्ति को ₹44.79 करोड़ का वेतन/मजदूरी तथा ओवरटाइम का व्यर्थ भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 6 | बरोरा | 2015-17 | 4 | पूर्व में निर्दिष्ट छोटी लीड के बजाय उच्चतर स्तर पर ओवरबर्डन के डंपिंग के कारण ₹14.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | बरोरा | 2015-17 | 5 | संविदा कर्मी के भुगतान से संबंधित सीआइएल अनुदेश का गैर-अनुपालन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 8 | बरोरा | 2015-17 | 6 | क्षेत्रीय स्टोर, बरोरा क्षेत्र की खराब सुरक्षा एवं स्वच्छता उपाय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 9 | बरोरा | 2015-17 | 7 | ग्राउंडेड ऑफ एचईएमएम के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप राजस्व में ₹ 0.99 करोड़ को ब्लॉक किया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 10 | बरोरा | 2015-17 | 8 | जले हुए ऑयल की कम रिकवरी के कारण ₹ 25.14 लाख का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 11 | बरोरा | 2015-17 | 9 | बरोरा क्षेत्र के कोलनेट में डुप्लीकेट मैटेरियल कोड्स। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 12 | बरोरा | 2015-17 | 10 | ऑफ-रोड वाहनों के गैर-पंजीकरण (पंजी से निकालने) में देरी। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 13 | बरोरा | 2015-17 | 11 | समय के लगातार विस्तार के परिणामस्वरूप अनसुलझे भूमि समस्याओं का निरंतर मुद्दा तथा डीजल का परिहार्य भुगतान एवं आउटसोर्सिंग अनुबंध के कारण वेतन वृद्धि और नियोजन खंड की शर्तों का गैर-अनुपालन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 14 | बरोरा | 2015-17 | 12 | आउटसोर्सिंग अनुबंधों में अनियमितताएं। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 15 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 1 | ₹ 24.92 करोड़ के कोयले की कमी। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 16 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 2 | पुर्जों की खरीद पर 35.44 लाख ₹ का अतिरिक्त भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 17 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 3 | संतोषजनक स्तर तक प्रदर्शन न करने वाली 160 मि.मी. ड्रिल मशीन की खरीद। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 18 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 4 | फिक्स फीडर ब्रेकर के गुणवत्ता पैरामीटर को सुनिश्चित किए बिना भुगतान करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 19 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 5 | वाशरी में कच्चे कोयले को भेजना तथा इसे वाश्ड पावर कोयले के रूप में बेचना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 20 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 6 | डंपर की जब्ती और उसके परिणामस्वरूप नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 21 | ब्लॉक-II | 2015-18 | 7 | (क) ईसी मंजूरी के बगैर अतिरिक्त उत्पादन के कारण जुर्माना<br>(ख) ईसी शर्तों के उल्लंघन में अत्यधिक मात्रा में धूल पैदा करना<br>(ग) ठोस कचरा, ई-कचरा तथा ई-प्रबंधन में कमी<br>(घ) ब्लॉक-II क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 22 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 1 | ब्लॉक- IV खदान में ₹ 1.61 करोड़ के डिजल का अधिक उपभोग। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 23 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 2 | आइओसीएल द्वारा दिये गए ऑफर का लाभ नहीं लेना | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 24 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 3 | जले हुए ऑयल की कम रिकवरी के कारण ₹ 23.43 लाख का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 25 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 4 | कोयले की कमी के कारण ₹ 91 लाख का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 26 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 5 | जीएम कार्यालय को नवनिर्मित केंद्रीकृत कार्यालय में शिफ्टिंग नहीं करने के कारण रु. 3.48 करोड़ का व्यर्थ व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 27 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 6 | लगभग रु. 34.11करोड़ का व्यर्थ व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 28 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 7 | रु. 98.52 करोड़ का अनुचित खर्च। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 29 | गोविन्दपुर | 2016-19 | 8 | रुपये 3.11 लाख की के स्पेयर पार्ट्स की खरीद नहीं करने के कारण रु. 1.41 करोड़ की पूंजीगत लागत वाली मशीन का संचालन नहीं हुआ। | जवाब प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | सिजुआ | 2012-15 | 1 | 12 टिपरों की खरीद पर रुपये 8.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 31 | सिजुआ | 2012-15 | 2 | ठेकेदारों को 26.8 लाख की राशि का अतिरिक्त भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 32 | सिजुआ | 2012-15 | 3 | भूमिगत भत्ते का अनियमित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 33 | सिजुआ | 2012-15 | 4 | हायर्ड एचइएमएम अनुबंध श्रमिकों को देय विभिन्न मजदूरी की गलत गणना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 34 | सिजुआ | 2012-15 | 5 | समुचित विश्लेषण एवं जरूरतों के बिना बसों को किराए पर लेने के परिणामस्वरूप रु.94.03 लाख का अविवेक पूर्ण व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 35 | सिजुआ | 2012-15 | 6 | पानी के छिड़काव के लिए पाइप बिछाने के स्थान पर पानी के टैंकर का उपयोग करने के कारण प्रति वर्ष रु.58.05 लाख का परिहार्य व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 36 | सिजुआ | 2012-15 | 7 | अग्रिम रजिस्टर का अनुचित रखरखाव। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 37 | सिजुआ | 2012-15 | 8 | क्षेत्र की विभिन्न भूमिगत खदानों में तैनात श्रमिकों को भुगतान पर रु.83.26 लाख का परिहार्य व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 38 | कुसुंडा | 2014-17 | 1 | खदान क्षमता और उत्पादन योजना के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप रु. 179.44 करोड़ की लागत पर एचईएमएम अनुबंध किया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 39 | कुसुंडा | 2014-17 | 2 | गोंदुडीह पैच 'पी' में एचईएमएम अनुबंध के पुरोबंध के कारण रुपये 111.78 करोड़ का परिहार्य व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 40 | कुसुंडा | 2014-17 | 3 | क) विश्राम दिन नहीं देने के कारण रविवार के उत्पादन एवं रखरखाव का परिहार्य भुगतान।<br>ख) रविवार के उत्पादन और हायर्ड एचईएमएम के रखरखाव में तैनाती के लिए अनियमित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 41 | कुसुंडा | 2014-17 | 4 | अंतर मजदूरी की गलत गणना के कारण रुपये 68.29 लाख का अत्यधिक भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 42 | कुसुंडा | 2014-17 | 5 | मोबाइल फीडर ब्रेकर की खरीद पर रुपये 2.29 करोड़ का अनुचित खर्च । | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 43 | कुसुंडा | 2014-17 | 6 | माइनर्स क्वाटर के निर्माण पर रुपये 22.70 करोड़ का अनुचित खर्च। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 44 | कुसुंडा | 2014-17 | 7 | एचईएमएम ठेकेदारों को रुपये 29.47 लाख का अनुचित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 45 | कुसुंडा | 2014-17 | 8 | ग्रेड स्लिपेज के कारण परिहार्य नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 46 | बस्ताकोला | 2015-18 | 1 | निजी ठेकेदार द्वारा कार्य के अनुचित क्रियान्वयन के कारण ग्रेड में कमी और विलंबन शुल्क और ठेकेदारों से इसकी वसूली नहीं करने के कारण कंपनी को रु. 175.58 करोड़ की हानि हुई। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 47 | बस्ताकोला | 2015-18 | 2 | कोयले की कमी के कारण रु. 7.31 करोड़ की हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 48 | बस्ताकोला | 2015-18 | 3 | दीर्घकालिक अनुबंध के स्थान पर अल्पकालिक अनुबंध जारी करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 49 | बस्ताकोला | 2015-18 | 4 | हिंडरेंस रजिस्टर को नहीं रखने/अनुचित रखरखाव के कारण ₹ 547.34 करोड़ का अर्थदंड नहीं लगाया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 50 | बस्ताकोला | 2015-18 | 5 | परिवहन ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अनियमित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 51 | बस्ताकोला | 2015-18 | 6 | क्रियान्वित कार्य की मात्रा मापे बिना ठेकेदार को भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 52 | बस्ताकोला | 2015-18 | 7 | अनुचित तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | बस्ताकोला | 2015-18 | 8 | भूमिगत भत्ते का अनियमित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 54 | बस्ताकोला | 2015-18 | 9 | अवैध खनन का संचालन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 55 | बस्ताकोला | 2015-18 | 10 | अंडर लोडिंग शुल्क के मद में ₹ 8.32 करोड़ का अर्थदंड। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 56 | बस्ताकोला | 2015-18 | 11 | उपलब्धता की उच्च दर के बावजूद एचईएमएम का कम उपयोग। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 57 | बस्ताकोला | 2015-18 | 12 | उपलब्ध क्षमता के साथ कम दूरी पर साइडिंग होने के बावजूद लंबी दूरी के रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन के कारण ₹ 10.504 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 58 | बस्ताकोला | 2015-18 | 13 | क्वार्टरों पर अवैध कब्जे और बिजली के अवैध दोहन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 59 | पीबी | 2011-14 | 1 | क्षेत्र के विभिन्न यूजी माइंस में तैनात श्रमिकों के लिए ₹ 1.62 करोड़ का परिहार्य व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 60 | पीबी | 2011-14 | 2 | संडे मेन्टेनेंस कार्य में मैन शिफ्ट के अतिरिक्त तैनाती के कारण ₹ 5.73 करोड़ का अत्यधिक भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 61 | पीबी | 2011-14 | 3 | बसों के किराए के लिए के लिए ₹ 1.51 करोड़ का अनियमित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 62 | पीबी | 2011-14 | 4 | कुस्तौर क्षेत्रीय अस्पताल का अनुचित उपयोग। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 63 | पीबी | 2011-14 | 5 | लंबे समय तक स्क्रैप आइटम का निपटान नहीं करने के कारण धन का रुकावट। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 64 | पीबी | 2011-14 | 6 | सिविल कार्यों के निष्पादन में अनियमितता। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 65 | पीबी | 2011-14 | 7 | अग्रिम रजिस्टर का अनुचित रखरखाव। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 66 | पीबी | 2015-18 | 1 | डंपिंग स्थानों को सुनिश्चित किए बिना अनुबंध देने के कारण गोपालीचक चरण -I पैच का ₹ 17.36 करोड़ का नुकसान हुआ। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 67 | पीबी | 2015-18 | 2 | सिविल कार्यों, ई एंड एम के मरम्मत एवं रखरखाव और खनन उपकरण/ मशीनों के कलपूर्जों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न अनुबंधों को अनियमित रूप से देना और भुगतान करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 68 | पीबी | 2015-18 | 3 | बॉयलर और आंतरिक खपत में कोयले के उच्च ग्रेड के उपयोग के कारण ₹ 42.91 करोड़ की हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 69 | पीबी | 2015-18 | 4 | ब्रेकडाउन ऑफ-रोड वाहनों के रोड टैक्स एवं बीमा भुगतान के मद में ₹14.84 लाख का परिहार्य व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 70 | पीबी | 2015-18 | 5 | ईसी मंजूरी के बिना अतिरिक्त उत्पादन के कारण जुर्माना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 71 | पीबी | 2015-18 | 6 | ईसी मंजूरी की शर्त के उल्लंघन में अनुपचारित खदान के पानी का निर्वहन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 72 | पीबी | 2015-18 | 7 | क) आवर बर्डन डंपिंग शर्तों का अनुपालन नहीं करना।<br>ख) सीआइएल के निदेशक मंडल के निर्देशों का पालन नहीं करना।<br>ग) नवनिर्मित क्वार्टरों में कर्मचारियों की शिफ्टिंग नहीं करना | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 73 | लोदना | 2013-16 | 1 | श्रमशक्ति की अनुचित तैनाती के कारण प्रति वर्ष ₹ 41.86 करोड़ का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 74 | लोदना | 2013-16 | 2 | वैसे एचईएलएम (स्कैनिया ट्रक) की खरीद की गई जो सीआईएल द्वारा अनुशंसित नहीं है और उपयोग के लिए इन ट्रकों का खराब प्रदर्शन। | जवाब प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | लोदना | 2013-16 | 3 | प्रबंधन द्वारा समय पर कार्रवाई करने में देरी के कारण ₹ 15.59 करोड़ की राशि के ब्लॉकिंग, उत्पादन में कमी और कोयले के उत्पादन की प्रति टन लागत में वृद्धि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 76 | लोदना | 2013-16 | 4 | बीसीसीएल के आवासों पर अवैध कब्जे के कारण ₹ 5.88 करोड़ का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 77 | पू.झ. | 2010-13 | 13 | वाहनों के लिए अर्थदंड एवं जुर्माना के रूप में ₹ 34.29 लाख का ₹ भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 78 | पू.झ. | 2015-18 | 1 | बाहरी उपभोक्ताओं को वाशरी-II ग्रेड कोयले की अविवेकी आपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹ 87.88 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर की हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 79 | पू.झ. | 2015-18 | 2 | एचइएमएम मशीनों की क्षति। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 80 | पू.झ. | 2015-18 | 3 | सेल के साथ काउंटर दावों का लंबित निपटान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 81 | पू.झ. | 2015-18 | 4 | दामोदर नदी के पास ओवर बर्डन को डंप करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 82 | सीवी | 2013-16 | 1 | सरफेस परिवहन शुल्क (एसटीसी) नहीं वसूलने के कारण ₹ 11.40 करोड़ का राजस्व नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 83 | सीवी | 2013-16 | 2 | सीवी क्षेत्र में ₹ 4.92 करोड़ की लागत से 60 टन क्षमता के तीन डंपरों की खरीद पर व्यर्थ निवेश और उसका न्यून उपयोग। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 84 | सीवी | 2013-16 | 3 | सीइएनवीटी (CENVAT) एवं वैट (VAT) का लाभ नहीं लेना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 85 | सीवी | 2013-16 | 4 | कम लोडिंग के कारण ₹ 9.78 करोड़ के राजस्व का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 86 | सीवी | 2013-16 | 5 | बर्न ऑयल की कम रिकवरी के कारण ₹ 42.68 लाख के राजस्व का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 87 | सीवी | 2013-16 | 6 | भूमिगत भत्ता के मद में ₹ 11.30 लाख का अनुचित भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 88 | सीवी | 2013-16 | 7 | कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम की वसूली में अत्यधिक देरी। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 89 | सीवी | 2016-19 | 1 | ₹ 14.92 करोड़ के अंडर-लोडिंग शुल्क का भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 90 | सीवी | 2016 | 2 | ₹ 1.71 करोड़ के अधिक डीजल की खपत। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 91 | सीवी | 2016 | 3 | गैर-पंजीकृत भूमि के बदले नियोजन | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 92 | सीवी | 2016 | 4 | ₹ 41.76 लाख की रॉयल्टी का दोहरा भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 93 | प.झ.क्षे. | 2012-17 | 1 | मुनीडीह प्रोजेक्ट से निकले मिथेन गैस के प्रयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 94 | प.झ.क्षे. | 2012-17 | 2 | सेवाकर की वापसी का दावा नहीं करने के कारण ₹ 18.15 का अलाभकारी व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 95 | प.झ.क्षे. | 2012-17 | 3 | कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम की वसूली में अत्यधिक देरी। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 96 | प.झ.क्षे. | 2012-17 | 4 | सामान्य अनियमितताएं। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 97 | वाशरी, मु. | 2010-14 | 2 | वाशरी में प्राप्त कच्चे कोयले के ग्रेड में गिरावट | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 98 | वाशरी, मु. | 2010-14 | 3 | सुदामडी वाशरी में ₹ 93.51 करोड़ के धुले कोयले एवं धुले पॉवर कोयले का निष्क्रिय भंडार। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 99 | वाशरी, मु. | 2010-14 | 7 | वाशरी का खराब प्रदर्शन और प्राईसिंग फर्मूले पर सेल के साथ विवाद। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 100 | वाशरी, मु. | 2010-14 | 10 | विविध अग्रिम बकाया। | जवाब प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | वाशरी, मु. | 2010-14 | 11 | सामान्य अनियमितताएं। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 102 | प.वा.जो. | 2012-14 | 1 | प.वा.जो. क्षेत्र में वाणिज्यिक संगठन तथा बाहरी लोगों से ₹ 68.74 लाख की राशि के किराए का लंबे समय से बकाया देय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 103 | प.वा.जो. | 2012-14 | 2 | प.वा.जो. क्षेत्र में स्थापित ₹ 71.00 लाख के संयंत्र एवं मशीनरी का उपयोग नहीं करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 104 | प.वा.जो. | 2012-14 | 3 | हाथ से चुने गए रिजेक्ट पर माल भाड़ा शुल्क के भुगतान के कारण ₹ 274.98 लाख राजस्व का नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 105 | प.वा.जो. | 2012-14 | 4 | दुग्दा वाशरी में टेलिंग का गैर-तरलीकरण। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 106 | प.वा.जो. | 2012-14 | 5 | धुले हुए कोयले की एकतरफा निश्चित बढ़ी हुई कीमत पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मद में परिहार्य भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 107 | प.वा.जो. | 2012-14 | 6 | कम क्षमता के उपयोग के बावजूद रविवार, अवकाश और ओवरटाइम के लिए मजदूरी का भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 108 | प.वा.जो. | 2012-14 | 7 | इन्वेंटरी का अत्यधिक भंडार। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 109 | प.वा.जो. | 2012-14 | 8 | सामान्य अनियमितताएं। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 110 | डी(टी)ओपी | 2012-14 | 2 | वाहनों के विपंजीकरण में देरी के कारण ₹ 419.48 लाख के पथकर जुर्माने का परिहार्य भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 111 | डी(टी)ओपी | 2012-14 | 3 | मूनडीह XVI सीम में परियोजना के निष्पादन में देरी- ₹ 414.54 करोड़। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 112 | डी(टी)ओपी | 2017-19 | 1 | रिवर्स नीलामी के साथ या इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग के लिए सेवा प्रदाता को अनुचित तरीके से कार्यादेश देने के परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया का गलत निष्पादन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 113 | डी(टी)ओपी | 2017-19 | 2 | एल.बी.सिंह और उनसे जुड़े व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना एवं फर्मों को ब्लैकलिस्टिंग करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 114 | डी (एफ) | 2010-12 | 6 | अस्थायी अग्रिम के समायोजन में अनियमितता। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 115 | डी (एफ) | 2012-13 | 7 | अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी पात्रता से उपर के आवासों पर कब्ज़ा- कम किराए की वसूली के कारण संभावित नुकसान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 116 | डी (एफ) | 2012-13 | 8 | एस्क्रो अकाउंट खोलने में देरी। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 117 | डी (एफ) | 2012-13 | 13 | सेवा कर की अनुचित प्रतिपूर्ति की वसूली और आगे की प्रतिपूर्ति पर रोक। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 118 | डी (एफ) | 2013-14 | 1 | मुनिडीह में सीपीसी के पट्टे समझौते में सेवा कर खंड के शामिल करने के कारण ₹ 1.66 करोड़ के सेवा कर का परिहार्य भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 119 | डी (एफ) | 2013-14 | 2 | ₹ 57.70 लाख के दंड ब्याज सहित ₹ 480.10 लाख तक के सेवा कर के भुगतान की देयता। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 120 | डी (एफ) | 2013-14 | 4 | रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ 547.36 लाख की हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 121 | डी (एफ) | 2013-14 | 7 | सामान्य अनियमितताएं (अंक संख्या 1,2,3,4 एवं 6) | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 122 | डी (एफ) | 2014-17 | 2 | बग़ैर क्षतिपूर्ति विश्राम दिन दिये रविवार को श्रमिकों को काम में लगाने के कारण रविवार ओटी के रूप में ₹ 25.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 123 | एम.एम. | 2014-16 | 1 | ₹ 126.29 करोड़ की लागत से अतिरिक्त डम्पर की विवेकहीन खरीद के कारण डंपरों की उपयोगिता कम हुई। | जवाब प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | क्षेत्र/ इकाई | आईआर (IR) की अवधि | पैरा सं. | विषय | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | एम.एम. | 2014-16 | 2 | स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देने के परिणामस्वरूप एकल बोलीकर्ता मैसर्स बीईएमएल का एकाधिकार बना रहा। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 125 | एम.एम. | 2014-16 | 3 | ₹ 0.67 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का गैर-नकदीकरण। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 126 | एम.एम. | 2014-16 | 4 | स्कैनिया टिपर की खरीद में बोली लगाते समय अयोग्य ठेकेदार का पक्ष लिया गया। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 127 | एम.एम. | 2016-17 | 1 | 160 मिमी की छः ड्रिल मशीनों की विवेकहीन खरीद। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 128 | एम.एम. | 2016-17 | 2 | मोबाइल फीडर ब्रेकर के नहीं चालू होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ के इनपुट क्रेडिट हानि सहित ₹ 2.29 करोड़ का व्यर्थ निवेश हुआ। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 129 | सीएमसी | 2016-18 | 1 | एक अयोग्य ठेकेदार को एचईएमएम अनुबंध देने के कारण असंतोषजनक प्रदर्शन एवं उत्पादन का नुकसान हुआ। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 130 | सीएमसी | 2016-18 | 2 | ₹ 11.43 करोड़ का निष्फल व्यय और परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ के ब्याज की हानि। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 131 | डी (पी) | 2016 -19 | 1 | धनबाद नगर निगम को होल्डिंग टैक्स का भुगतान न करना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 132 | डी (पी) | 2016-19 | 2 | सरकारी / गैर-पंजीकृत भूमि के बदले में नियोजन देना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 133 | डी (पी) | 2016-19 | 3 | घाटे की अधिकता में प्रोजेक्ट स्कूलों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 404.18 लाख का भुगतान। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 134 | डी (पी) | 2016-19 | 4 | प्रशिक्षुओं की भर्ती में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 5.17 करोड़ का हर्जाना। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 135 | डी (पी) | 2016-19 | 5 | झरिया एक्शन प्लान के तहत अग्निशमन गतिविधियों के लिए निधि का गैर- लेखा। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 136 | डी (पी) | 2016-19 | 6 | कोल इंडिया की सीएसआर नीति का उल्लंघन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 137 | डी (पी) | 2016-19 | 7 | भूमि के मुआवजे के लिए ब्याज की बड़ी राशि का संचय। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 138 | डी (पी) | 2016-19 | 8 | अनुचित श्रमशक्ति योजना के कारण श्रमशक्ति का निष्क्रिय नियोजन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 139 | डी (पी) | 2016-19 | 9 | अवैध खनन का संचालन। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 140 | डी (पी) | 2016-19 | 10 | विविध अनियमितताएँ। | जवाब प्रक्रियाधीन |
| 141 | डी (पी) | 2016-19 | 11 | केएनटीए में दुकानों का अनुचित आवंटन। | जवाब प्रक्रियाधीन |

### घ. निपटान के लिए लंबित वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए गए जवाब भाग IIबी आइआर पैरा का विवरण

| क्र.सं. | क्षेत्र/ इकाई | आइआर वर्ष | पैरा सं. | विषय | स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कतरास | 2014-17 | 1 | ₹ 79.58 करोड़ की राशि के अंडरलोडिंग चार्ज का परिहार्य व्यय। | पत्र सं. 629 दिनांक 25.04.2019 के माध्यम से कतरास क्षेत्र जवाब | निपटान के लिए लंबित |
| 2 | कतरास | 2014-17 | 2 | कीमत में संशोधन के बावजूद स्पॉट नीलामी में पूर्व संशोधित दर पर W-IV ग्रेड के कोयले की आपूर्ति के कारण 16.21 करोड़ ₹ का नुकसान। | वही | निपटान के लिए लंबित |

| क्र.सं. | क्षेत्र/ इकाई | आइआर वर्ष | पैरा सं. | विषय | स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | कतरास | 2014-17 | 3 | विलंब शुल्क के कारण 4.23 करोड़ रुपये की हानि। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 4 | कतरास | 2014-17 | 4 | बिजली शुल्क के भुगतान के लिए शीघ्र भुगतान पर छूट का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप 4.18 करोड़ की बचत करने का मौका खत्म हो गया। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 5 | कतरास | 2014-17 | 5 | सामान्य प्रेक्षण। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 6 | कुसुंडा | 2017-19 | 1 | एचईएमएम संविदा को अनियमित रूप से देना। | पत्र सं. 961 दिनांक 27.12.2019 के माध्यम से जवाब | निपटान के लिए लंबित |
| 7 | कुसुंडा | 2017-19 | 2 | कोयला परिवहन संविदा को अनियमित रूप से देना। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 8 | कुसुंडा | 2017-19 | 3 | बिना पिसे कोयले का प्रेषण। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 9 | कुसुंडा | 2017-19 | 4 | आइओसीएल द्वारा दिये गए छूट का लाभ नहीं लेना | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 10 | कुसुंडा | 2017-19 | 5 | जले हुए तेल के खराब रिकवरी के कारण ₹ 10.29 लाख के राजस्व का नुकसान। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 11 | कुसुंडा | 2017-19 | 6 | क) विश्राम दिन नहीं देने के कारण रविवार के उत्पादन एवं रखरखाव का परिहार्य भुगतान।<br>ख) रविवार के उत्पादन और हायर्ड एचईएमएम के रखरखाव में तैनाती के लिए अनियमित भुगतान। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 12 | एस ऐंड एम | 2014-16 | 1 | एडीआरएम के समक्ष वाशरी रिकवरी प्रभार के चौथे औचित्य को रखने में विफलता के कारण ₹ 374.01 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व का नुकसान। | पत्र सं. 700-701 (एच) दिनांक 19.04.2019 के माध्यम से जवाब | निपटान के लिए लंबित |
| 13 | एस ऐंड एम | 2014-16 | 2 | वर्ष 2014-15 से 2016-17 (दिसंबर 2016 तक) के दौरान बिजली घरों द्वारा की गई गुणवत्ता कटौती के कारण ₹ 234.10 करोड़ का नुकसान। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 14 | एस ऐंड एम | 2014-16 | 3 | कोयले की अंडर लोडिंग के कारण ₹ 361.38 करोड़ के राजस्व का नुकसान। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 15 | एस ऐंड एम | 2014-16 | 4 | ई-नीलामी के तहत कम मात्रा की बिक्रि के कारण अतिरिक्त राजस्व का नुकसान। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 16 | एस ऐंड एम | 2014-16 | 5 | सेल्स बिल निर्गत करने में देरी के कारण ₹ 6.39 करोड़ के ब्याज का नुकसान। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 17 | एस ऐंड एम | 2014-16 | 6 | ₹ 614.62 करोड़ की संचित अनिश्चित बकाए के साथ विवादित बकाये की स्थिति। | वही | निपटान के लिए लंबित |
| 18 | डी (टी) ओपी | 2017-19 | | क) एचइएमएम का खराब प्रदर्शन<br>ख) डिजल की अधिक खपत | पत्र सं. 1336-39 (एच) दिनांक 09.12.2019 के माध्यम से जवाब | निपटान के लिए लंबित |

### ङ. वर्ष 2019-20 के लिए आरटीआई के आंकड़े

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| प्राप्त आवेदन की सं. | 1810 |
| उत्तर दिये गए आवेदन की सं. | 1693 |

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| अस्वीकृत आवेदन की सं. | 117 |
| प्राप्त अपील की सं. | 155 |
| निपटान किए गए अपील की सं. | 151 |
| नामित सीपीआईओ की सं. | 16 |
| नामित एफएए की संख्या | 16 |

**च. आरटीआई अधिनियम के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नानुसार है**

1. अनुकंपा नियुक्ति 9.4.3, 9.4.0 तथा भूमि के बदले रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न।
2. निविदा विवरण से संबंधित।
3. पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि सेवाओं से संबंधित मामले।
4. पेंशन/सीएमपीएफ मामलों का भुगतान।
5. आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संबंधित विवरण।
6. स्थानांतरण/पोस्टिंग से संबंधित विवरण।
7. सतर्कता विभाग द्वारा कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संबंधित।

## 29. बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

### वर्ष 2019-20 में उपलब्धियां

- कोकिंग कोल को 14% राख स्तर तक धोने के लिए बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 06.03.2020 को 2.5 एमटीपीए मुनिडीह वाशरी की स्थापना के लिए वैचारिक रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी। यह वाशरी कोल इंडिया लिमिटेड में पहली वाशरी होगी जो भारत में कोकिंग कोयले के आयात को कम करने की सुविधा के लिए 14% राख के स्तर पर कोकिंग कोल धोने के लिए स्थापित की जाएगी।
- दिनांक 21.04.2020 को 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी के लिए प्रदर्शन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

### परिचय

- बीसीसीएल अपने उपभोक्ताओं (स्टील प्लांट एवं पावर प्लांट) को बेहतर गुणवत्ता वाला एवं समान आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।
- बीसीसीएल स्वदेशी धुलाई वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- बीसीसीएल ने 2022-23 तक अपनी कोयला धुलाई क्षमता को बढ़ाकर 18.6 एमटीपीए करने की योजना बनाई है।
- बीओएम अवधारणा के तहत 05 वाशरियों चालू होने के विभिन्न चरणों में हैं।

### बीओएम आधार पर लागू होने के लिए बनने वाली नयी वाशरियों की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, बीसीसीएल 16.1 एमटीपीए धुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए 05 वाशरियों को स्थापित करने में जुटा हुआ है। इन 5 वाशरियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | वाशरी | क्षमता (एमटीपीए) | बीओएम ऑपरेटर | वाशरी चालू होने की अपेक्षित तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मधुबन | 5.0 | एचईसी लि. | अगस्त, 20 | कार्य प्रगति पर है (94% पूरा हो चुका है)। |
| 2 | पाथरडीह I | 5.0 | एमआइईएल | अप्रैल, 20 | पीजी जांच सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। व्यावसायिक परिचालन शुरू होगा। |
| 3 | पाथरडीह II | 2.5 | एसीबी (इंडिया) लि. | जुलाई, 21 | निर्माण कार्य प्रगति पर है। |

| क्र.सं. | वाशरी | क्षमता (एमटीपीए) | बीओएम ऑपरेटर | वाशरी चालू होने की अपेक्षित तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | भोजूडीह | 2.0 | एसीबी(इंडिया) लि. | जनवरी, 21 | 30.03.2019 को अनुबंध हस्ताक्षर हो गया। साइट सर्वेक्षण, मृदा की जांच कार्य पूरा हुआ। डिजाईनिंग तथा इंजीनियरिंग, सिविल एवं स्ट्रेक्चरल, उपकरणों की खरीद का काम प्रगति पर है। |
| 5 | मुनिडीह | 2.5 | अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है | अगस्त, 22 | बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 14% राख स्तर पर धुलाई के लिए वैचारिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। |
| | कुल | 16.1 | | | |

### वर्ष 2019-20 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

**बी.ओ.एम. (बिल्ड-ऑपरेट-मेनटेन) भाग**

**5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी**

***(5.0 एमटीपीए पाथरडीह कोल वाशरी का प्रदर्शन गारंटी परीक्षण***
*भारत में सर्वोच्च क्षमता की कोकिंग कोल वाशरी एवं बी.ओ.एम अवधारणा के तहत सीआइएल में दूसरी यानी बीसीसीएल में 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी का प्रदर्शन गारंटी परीक्षण)*

**2.0 एमटीपीए भोजूडीह वाशरी**

साइट सर्वेक्षण हो चुका है।
मृदा की जांच हो चुका है।
निमार्ण कार्य पूरा हो चुका है।

**2.5 एमटीपीए मुनिडीह वाशरी**

बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 14% राख स्तर पर धुलाई के लिए वैचारिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। .

### पर्यावरण संबंधी अनुमति/अनापत्ति

- 5.0 एमटीपीए मधुवन वाशरी
  - एमओईएफसीसी ने 10 जनवरी, 2020 को 25 जनवरी, 2012 की वैधता को 25 जनवरी, 2012 तक के के विस्तार के लिए 5.0 एमटीपीए मधुवन वाशरी की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी।

### बीसीसीएल में नये वाशरियों के निर्माण की स्थिति

**5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी**

**नवनिर्मित 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी**

5.0 एमटीपीए निर्माणाधीन मधुवन वाशरी

थिकेनर सहित वाशरी बिल्डिंग

प्रोडक्ट सिलोस
2.0 एमटीपीए भोजूडीह वाशरी का साइट

## 30. झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति

### इतिहास

अतीत में अवैज्ञानिक खनन के कारण झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोलफील्ड आग, भूधंसान और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्याओं का सामना कर रहा है। झरिया कोयला क्षेत्र में आग का इतिहास दशकों पहले है। वर्ष 1916 में भौरा कोलियरी के सीम XIV में आग लगने की पहली घटना सामने आई थी। तब से भूमिगत कार्यस्थलों, ओपेनकास्ट पिटों और ओपेनकास्ट ओवरबर्डन मलबे में कई जगहों पर आग लग हुई हैं।

**झरिया, धनबाद में खदानों से निकलता हुआ धुंआ एवं भूमिगत आग**

**झरिया कोलफील्ड्स में आग**

### झरिया मास्टर प्लान

भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को झरिया कोलफिल्ड के लिए ₹ 7,112.11 करोड़ के अनुमानित निवेश साथ बीसीसीएल के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धसान एवं पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए बनाये गए मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया था। दो वर्षों की पूर्व-कार्यान्वयन अवधि के बाद कार्यान्वयन अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

मास्टर प्लान को लागू करने के लिए ₹ 7112.50 करोड़ की निधि निर्धारित की गई है। जिसे सीआइएल के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹ 350 करोड़ और इसके उपर की राशि सीसीडीए के तहत उपकर संग्रह (स्टोविंग उत्पाद शुल्क) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित किया गया था कि सीसीडी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन कर एसईडी की दर को मौजूदा दर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति टन किया जाए जो अधिनियम के तहत ऊपरी सीमा है।

**मास्टर प्लान का उद्देश्य:**

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मास्टर प्लान को अनुमोदित किया गया था:

- आग से निपटान
- बीसीसीएल कर्मचारियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन
- खतरनाक क्षेत्रों में रह रहे गैर-बीसीसीएल (अधिकृत/निजी एवं अनधिकृत/अतिक्रमणकारी) लोगों और अन्य (धार्मिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, डाकघरों एवं पुलिस स्टेशनों आदि) का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन।
- अस्थिर स्थलों से रेलवे/मुख्य सड़कों/जनोपयोगी सेवाओं का मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करना एवं उसकी योजना बनाना।

मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति की बैठकें आयोजित की गई। अब तक इक्कीस बैठकें हो चुकी थीं; पिछली बैठक 04/03/2020 को आयोजित की गई थी।

**आग से निपटान:**

मास्टर प्लान को अस्थिर/भूधंसान एवं अग्नि प्रभावित 25.60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया था। तदनुसार आग के रोकथाम के लिए एक तात्कालिक समबद्ध कार्य योजना तैयार किया गया है। मास्टर प्लान के तहत आग से निपटने के लिए ₹ 2311.50 करोड़ पूंजी की आवश्यकता अनुमानित है।

वर्ष 1971-73 में राष्ट्रीयकरण के समय तक, सतही आग का क्षेत्रफल 17.32 वर्ग किमी थी। वर्ष 1996 में बीसीसीएल (विश्व बैंक अध्ययन) द्वारा किए गए प्रयासों के कारण सतही आग का क्षेत्रफल घटकर 8.9 वर्ग किमी रह गई।

आग को खोदकर निकालना, कोयले की खदानों में लगी आग को बुझाने का पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एवं सिद्ध तरीका है। बीसीसीएल ने एचइएमएम लगाकर खुदाई के माध्यम से आग बुझाने का भी यही तरीका अपनाया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, एनआरएससी अध्ययन 2014 के अनुसार अग्नि क्षेत्र घटकर 2.18 वर्ग किमी हो गया। उत्खनन के लिए अधिक यूजी अग्नि क्षेत्र खोलने के कारण यह बढ़कर 3.28 वर्ग किमी (2018 का एनआरएससी अध्ययन) हो गया।

बीसीसीएल द्वारा आग से निपटने के लिए किया जा रहा प्रयास

एनआरएससी के सर्वेक्षण में, आग प्रभावि 34 स्थानों की पहचान की गई है और इसके लिए बीसीसीएल ने खान-योजना तैयार की है, जिसके माध्यम से आग की खुदाई की जा रही है। वर्ष 2020-21 के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण प्रस्तावित है। इसके लिए एनआरएससी से अनुरोध किया गया है।

बीसीसीएल द्वारा आग से निपटने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं, किंतु अतिक्रमणकारियों और एलटीएच का पुनर्वास आग से निपटने में मुख्य अड़चन साबित हो रहा है।

## बीसीसीएल कर्मचारियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

संकटग्रस्त क्षेत्र से बीसीसीएल के आवासों का पुनर्वास बीसीसीएल की जिम्मेदारी है। बीसीसीएल ने इसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की है:

- बीसीसीएल को अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवारों के लिए 1068.45 करोड़ रुपये की लागत से 25,000 आवासों का निर्माण करना है। वर्तमान में सेवानिवृत्ति/कमी के कारण बीसीसीएल में आग/भू-धंसान से प्रभावित कर्मचारियों के लिए 25000 आवासों के प्रावधान की तुलना में 15852 आवासों की जरूरत है।
- 7714 आवासों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
- मई, 2020 तक 4084 परिवारों को पहले ही असुरक्षित क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- उम्मीद है कि वर्ष 2020 के अंत तक बीसीसीएल के शेष सभी कर्मचारियों को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

**कोयला नगर एवं क्षेत्रों में निर्मित आवास**

### गैर-बीसीसीएल (अधिकृत/निजी एवं अनधिकृत/अतिक्रमणकारी) लोगों एवं अन्य का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन।

मास्टर प्लान के तहत गैर-बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास के लिए झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) कार्यान्वयन एजेंसी है। मास्टर प्लान में गैर-बीसीसीएल टाउनशिप हेतु 54159 क्वार्टरों के निर्माण के लिए लगभग 2729 एकड़ भूमि की आवश्यकता का संकेत दिया गया है। राज्य सरकार को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त टाउनशिप स्थापित करने के लिए कोयला धारित क्षेत्रों से परे भूमि के बड़े हिस्से की पहचान करने और अधिग्रहण करने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

जेआरडीए द्वारा किये गए गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार, 54159 परिवारों (स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार) की तुलना में कुल 104946 (72882 अतिक्रमणकर्ता एवं 32064 एलटीएच) परिवारों को शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता है।

जेआरडीए द्वारा बेलगरिया पुनर्वास टाउनशिप "झरिया विहार" में 18352 आवासों का निर्माण पहले ही कर लिया गया है, जिसमें से 6352 आवासों पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इनमें 2152 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है। 12000 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जेआरडीए विभिन्न कट-ऑफ तिथि यथा 2009 से पहले और 2009 के बाद के अतिक्रमणकारियों की सं. का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। जबकि हाल ही में एलटीएच और अतिक्रमणकारियों का सर्वेक्षण पूरा हुआ है। मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

**चित्र 3- बेलगरिया में पुनर्वास के लिए निर्मित नये आवास**

**अस्थिर स्थलों से रेलवे/मुख्य सड़कों/जनोपयोगी सेवाओं का मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करना एवं उसकी योजना।**

कई रेलवे लाइनें झरिया कोल फील्ड्स (जेसीएफ) से गुजरती हैं और उनमें से कुछ अलग-अलग स्थानों में आग से प्रभावित हुई हैं। आग से प्रभावित हुई / प्रभावित होने की संभावना वाली रेलवे लाइनें निम्नलिखित है:

क) आद्रा-संथालडीह-भागा-गोमो रेलवे लाईन (द.पू. रेलवे)

ख) पाथरडीह एवं सुदामडीह स्टेशनों के बीच (धनबाद-पाथरडी रेलवे लाईन का भाग) पाथरडीह-भोजूडीह लिंक लाईन (द.पू. रेलवे):

ग) धनबाद-चंद्रपूरा (डीसी) रेलवे लाईन (द.पू. रेलवे):

घ) धनबाद-कुसुंडा-तेतुलमारी लिंक लाईन (द.पू. रेवले):

दिनांक 13.02.2017 को आयोजित एचपीसीसी की 14वीं बैठक में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जांच एवं उसकी सिफारिश करने के लिए डीजीएमएस की अध्यक्षता में तथा रेलवे, सिंफर, आईआईटी (आईएसएम), बीसीसीएल एवं जेआरडीए के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था।

- समिति का गठन डीजीएमएस की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी पहली बैठक दिनांक 24.03.2017 को हुई थी। समिति के रिकॉर्ड नोट के अनुसार, समिति का मानना है कि ‘’पू.म. रेलवे की धनबाद-चंद्रपुरा रेलवे लाइन पर यात्री या मालगाड़ी की आवाजाही को मानव-सुरक्षा के लिहाज से तुरंत रोका जाना चाहिए।‘’
- कार्यकारी निदेशक/सिविल इंजीनियरिंग (पी) द्वारा महाप्रबंधक पू.म. रेलवे, हाजीपुर को भेजे गए पत्र सं. 2008/CE-II/WP/31 दिनांक 10.06.2017 के अनुसार "डीजीएमएस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बोर्ड ने दिनांक 15.06.2017 से धनबाद-चंद्रपुरा लाइन पर यात्री एवं मालगाड़ियों का परिचालन रोकने का निर्णय लिया है।‘’
- दिनांक 24.02.2019 से डीसी लाईन पर रेलवे ने पुन: परिचालन शुरू कर दिया।
- हाल ही में दिनांक 10/11 फरवरी 2020 को तेतुलिया के पास भूधंसान की घटना घटी है, जो डीसी रेलवे लाइन से लगभग 150 फीट दूर है और उक्त लाइन के लिए खतरा दर्शाता है।

बीसीसीएल इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और अन्य हितधारकों अर्थात झारखंड राज्य सरकार, सीएमपीडीआईएल, रेलवे एवं अन्य के साथ मिलकर धनबाद के लोगों के बेहतर जीवन के लिए योगदान दे रहा है।

## 31 . पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बीसीसीएल की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण प्रबंधन है, जो कंपनी के कर्मचारियों और समर्पित प्रबंधन प्रणाली के ठोस प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि कामकाजी वातावरण में परिवर्तन गतिशील हैं, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण नीति को इस वर्ष संशोधित किया गया है और उसी के अनुसार पहल की जा रही है।

बीसीसीएल ने पर्यावरण सुधारने के लिए सतत और बड़े स्तर पर प्रयास किए है। पर्यावरणीय स्थिति/ गतिविधियों का सारांश निम्न प्रकार है:-

### क. बीसीसीएल की खदानों एवं वाशरियों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति

बीसीसीएल ने पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए अपनी सभी चालू, परित्यक्त एवं प्रस्तावित (पिट हेड वाशरियों सहित) खदानों को 17 क्लस्टरों का समूह बनाकर क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित किया है। बीसीसीएल कोयला उद्योग में ई आई ए-ई एम पी तैयार करने तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति की स्वीकृति के लिए क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित करने वाली अग्रणी कंपनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ई एफसीसी)

ने इस क्लस्टर अवधारणा का अनुमोदन दिसम्बर, 2009 में किया है तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति की मंजूरी के लिए अपने सभी क्लस्टरों हेतु ई आई ए-ई एम पी की तैयारी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है।

**खदानों की पर्यावरण मंजूरी की स्थिति:** आज की तारीख में

- झारखंड में अवस्थित सभी चालू, बंद तथा प्रस्तावित खदानों के 16 क्लस्टरों की पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त है।
- वर्ष के दौरान क्लस्टर- IV की 3.706 एमटीपीए से 9.55 एमटीपीए तक क्षमता वृद्धि तथा क्लस्टर- VII की 8.161 एमटीवाई से 11.42 एमटीवाई तक की वृद्धि प्राप्त की।
- प्रत्येक खदान की ईसी क्षमता अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सेंद्रा बांसजोड़ा, कनकनी, कुइंया, दोबारी ओसी, एकीकृत जयरामपुर कोलियरी (ओसी), अविभाजित सुदामडीह पाथरडीह ओसी, भौंरा (एस) ओसी, गोपालीचक ओसी एवं केन्दुआडीह ओसी को फैसिलिटेट करने के लिए क्लस्टर – V,VIII,IX,X,XI के ईसी में संशोधन करवाया गया।
- 16 क्लस्टरों के लिए कुल उच्चतम क्षमता अभी 89.17 एमटीपीए है।
- शेष एक क्लस्टर (क्लस्टर XVII सहित प्रस्तावित कल्याणेश्वरी ओपेनकॉस्ट) ईसी प्रक्रिया में है।

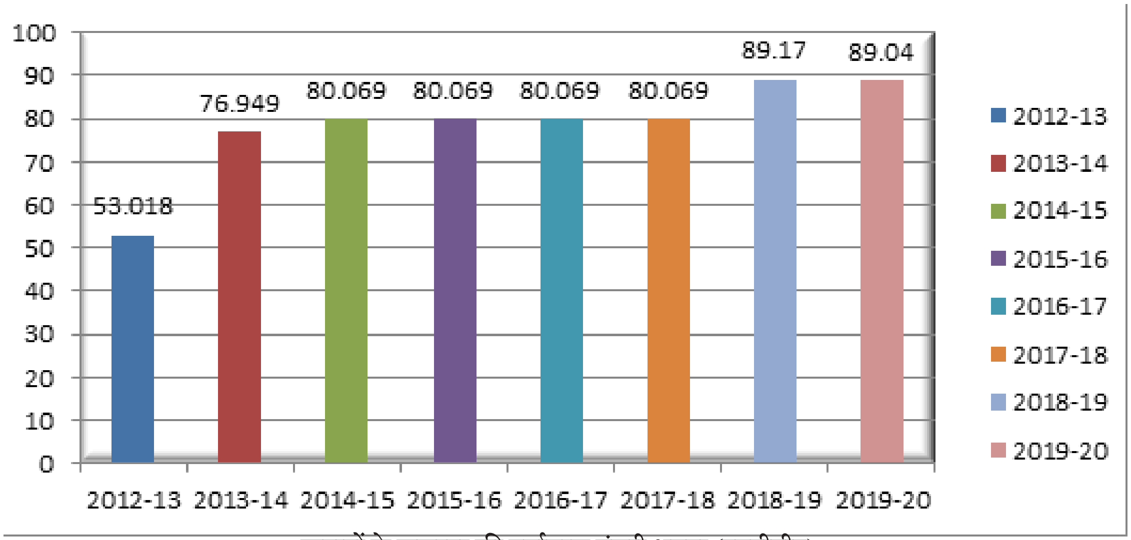


**खदानों के कलस्टर की पर्यावरण मंजूरी क्षमता (एमटीपीए)**

**वाशरियों की पर्यावरण मंजूरी की स्थिति:** आज की तारीख में

- क्लस्टर अवधारणा के तहत मुनिडीह वाशरी, सुदामडीह वाशरी एवं दहीबाड़ी वाशरी की पर्यावरण मंजूरी प्रत्येक की नियामक क्षमता 1.6 एमटीपीए के लिए प्राप्त की गयी।
- पाथरडीह कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए, प्रस्तावित पाथरडीह कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, मधुबन कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए, दुग्धा कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, भोजूडीह कोल वाशरी 2 एमटीपीए के लिए पहले ही पर्यावरण मंजूरी दे दी गयी है। पाथरडीह 5.0 एमटीपीए परिचालित है और मधुबन वाशरी 5.0 एमटीपीए के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वैधता का विस्तार कर दिया गया है।

**पर्यावरणीय अनुपालन:**

बीसीसीएल द्वारा पर्यावरण की मंजूरी की सभी शर्तों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है और अनुपालन रिपोर्ट नियामक प्राधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जा रही है। इसे बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर मंजूरी पत्रों के साथ अपलोड किया जाता है।

- ईसी की शर्तों के अनुसार, जेएसपीसीबी, रांची के परामर्श के आधार पर मॉनिटरिंग लोकेशन क्लस्टर आधार पर तय की जाती है। सीएमपीडीआई, आरआई-II को खदान/वाशरियों की पर्यावरणीय निगरानी का काम सौंपा गया है।

- पर्यावरण संबंधी अनुपालन, खान बंदी योजना का अनुपालन, सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा इकाई और क्षेत्र को सुग्राही बनाने तथा पर्यावरण मंजूरी अनुपालन के उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन में बेहतर ताल-मेल के लिए सभी क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों की नियमित बैठक की जाती है।
- ईसी के तहत आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं। भूजल की निगरानी, उपग्रह आधारित भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण मानचित्रण, सड़क परिवहन को कम करके प्रदूषण में कमी आदि का काम सीएमपीडीआई को सौंपा गया है।
- एनआइओएच, अहमदाबाद द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी अध्ययन पूरा कर लिया गया है।
- एनईईआरआई, नागपुर द्वारा स्रोत अपीलीय अध्ययन का क्षेत्र कार्य शुरू कर दिया गया है, रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
- भू-जल मॉनिटरिंग के लिए बीसीसीएल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र की खानों की क्लस्टर के लिए 23 पियोजोमीटर कुओं को स्थापित करने हेतु ड्रिलिंग की पुनः निविदा निकाली गई, जो प्रक्रियाधीन है।
- एनआरएससी ने टाइम सीरिज कोल माइन फायर मैपिंग (थर्मल इंफ्रारेड) कर 2014 और 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। इसे निश्चित अवधि में दोहराया जाएगा।
- वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) विकसित किया जा रहा है।

## ख. भौतिक एवं जैविक पुनर्स्थापना (पारिस्थितिकी पुनरुद्धार)

अब तक, बीसीसीएल ने 30,10,836 पौधों को लगाकर 1,404.66 हे. (294 हे. पारिस्थितिक पुनर्स्थापना सहित) भूमि पर जैविक पुनर्स्थापन का कार्य किया है। बीसीसीएल ने वर्ष 2020-21 में राज्य वन विभाग के माध्यम से 54.5 हे. ओबी डंप को वनीकरण कार्य करने के लिए चिह्नित किया हैं।

### ■ गैबियन प्लांटेशन

खनन किए जा चुके क्षेत्रों में विभागीय रूप से किए गये पारिस्थितिक पुनरुद्धार के अतिरिक्त, राज्य-वन विभाग के जरिए सड़क के किनारे गैबियन पौधरोपण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में बीसीसीएल ने धनबाद क्षेत्र में सड़क किनारे 28188 गैबियन पौधरोपण किया गया है। धनबाद के आस-पास के पर्यावरण को साफ-सुथरा एवं हराभरा बनाने के लिए बीसीसीएल इस प्रकार के और अधिक पौधरोपण करने की कवायद करता रहा है।

### ■ पारिस्थितिक पुनरुद्धार

तेतुलमारी, सिजुआ क्षेत्र में पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल

जीकेकेसी, कुसुंडा क्षेत्र में पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल

मुरलीडीह, पश्चिमी झरिया क्षेत्र में पारिस्थितिकि पुनरुद्धार स्थल

एबीओसीपी, ब्लॉक-II क्षेत्र में पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल

बीसीसीएल अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरुद्धार का काम करने के लिए खनन उद्योग की अग्रणी कंपनी है। पारिस्थितिकी पुनरुद्धार में त्रिस्तरीय वृक्षारोपण प्रक्रिया अपनायी जाती है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर देशी प्रजाति के घास, मध्यम स्तर पर छोटे पौधे एवं सबसे ऊपरी स्तर पर वृक्ष होते है। इसका उद्देश्य जैव-विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, बनावट, क्षमता, सेवा एवं प्रक्रिया को पिछले मूल स्थिति में लाने के साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से स्थापित करना है, जैसा कि वह खनन से पहले की स्थिति में थी। इसलिए, उत्खनित भूमि का पारिस्थितिकी पुनरुद्धार करना पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त उपाय है। बीसीसीएल ने जुलाई, 2011 में अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से एक खाका तैयार कर इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है।

वर्ष 2011 में वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ),देहरादून के माध्यम से 8 हेक्टेयर के एक ओबी डंप पर एक आदर्श पारिस्थितिकी पुनरुद्धार की परियोजना शुरू की गई थी, जो जुलाई, 2014 में पूरी हुई। ठीक उसी समय, विकृत पारिस्थितिकी प्रणाली की पर्यावरणीय प्रबंधन केन्द्र (सीइएमडीई), दिल्ली विश्वविद्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परियोजना निदेशक प्रो. सी आर बाबू के कुशल नेतृत्व में दामोदा कोलियरी के लगभग 7 हे. ओबी डंप पर एक अन्य महत्वाकांक्षी (पायलट) परियोजना शुरू की गई है। परियोजना स्थल के इन दोनों जगहों पर पुनः हरियाली लाने के काफी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए है।

उपर्युक्त पायलट परियोजनाओं की सफलता के बाद, पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए इस प्रक्रिया को विभिन्न पुनरुद्धार स्थलों पर दोहराया जा रहा है, जिसमें वन अनुसंधान संस्थान, (एफआरआइ), देहरादून एक तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। सहमति पत्र (एमओयू) के अनुसार एफआरआइ, देहरादून बीसीसीएल के पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों की सतत मॉनिटरिंग करता आ रहा है तथा बीसीसीएल के पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों के स्थापन एवं बढ़ोतरी के लिए तकनीकी इनपुट मुहैया करता है। एफआरआइ, देहरादून भौतिक-रसायन, गुण एवं कार्बन पृथक्करण माइक्रोबियल विश्लेषण आदि जैसे अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों की सतत मॉनिटरिंग करता आ रहा है। इन अनुसंधानों के परिणाम ने बीसीसीएल के कोयला क्षेत्रों में विकृत हो चुकी है खनिक भूमि के पुनरुद्धार के सकारात्मक संकेत दिये है।

- **ईको पार्क:**

बीसीसीएल द्वारा विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर प्राकृतिक वनरोपण करने के साथ-साथ कुछ विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर ईको-पार्क को भी विकसित किया जा रहा है। खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले स्थानीय समुदायों से जुड़ने, स्टेक होल्डरों के बीच कंपनी की छवि को बदलने तथा लोगों के मनोरंजन एवं कायाकल्प कर उन्हें एक उपयुक्त स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से बीसीसीएल में ईको-पार्क विकसित

किए जा रहे हैं। बीसीसीएल ने गोकुल ईको-कल्चरल पार्क, लोदना क्षेत्र; पारसनाथ उद्यान, कतरास क्षेत्र; जीकेकेसी ईको-रीस्टोरेशन साइट, कुसुंडा क्षेत्र; पंचवटी ईको-पार्क, कोयला नगर तथा तेतुलमारी जैव-विविधता पार्क, सिजुआ क्षेत्र नामक ईको-पार्क को विकसित किया है।

**1. गोकुल ईको-कल्चरल पार्क, लोदना क्षेत्र:**

क्षेत्र के स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को विकसित करने के लिए एक ईको-कल्चरल पार्क को विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में लोदना क्षेत्र के नार्थ तिसरा, साउथ तिसरा-जीनागोरा परियोजना में 10 हे. खनन की गयी भूमि पर पार्क का निर्माण किया गया था। पार्क विकसित करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पार्क समर्पित करना है। स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें पारिस्थितिक कार्य से जोड़ने के उद्देश्य से यहां सबसे ऊपरी भाग पर माँ काली तथा अन्य देवताओं के मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला तथा पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाले पेड़-पौधे तथा फुलवारी को भी विकसित किया गया है। इसके अलावा फल का बगीचा, बांस, देशी प्रजातियों के पेड़, लिली तालाब, शैल, फूलों का बगीचा, पिकनिक स्थल तथा पार्क का निर्माण स्थानीय लोगों के मनोरंजन, शांति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु विकसित किया गया है। यह पार्क अब स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समारोहों के केंद्र के रूप में काम करता है।

**2. पारसनाथ उद्यान, कतरास क्षेत्र:**

पार्क को स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और आस-पास के क्षेत्रों तथा कतरास शहर के पास रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन और कायाकल्प के लिए एक स्थान प्रदान किया गया है। पार्क में एक जलाशय भी है। इसमें इको-हट, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया जैसे स्विंग और आइड्स जैसे विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों को स्थापित किया गया है। पैदल चलने के रास्ते, बेंच, फूलों का बगीचा, हेजेज ग्रीन टनल आदि भी स्थापित किए गए हैं। यह भी देखा गया है और बताया गया है कि इस इको-पार्क का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा मनोरंजन और कायाकल्प के अलावा योग और ध्यान के अभ्यास के लिए भी किया जाता है। वेस्ट-टू-वेल्थ की अवधारणा पर खदानों के स्क्रैप का उपयोग करके फूलों के बगीचे का विकास किया जा रहा है।

**3. जीकेकेसी ईको-रीस्टोरेशन साइट, कुसुंडाः**

शुरू में इस ईको-पार्क को पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल के तौर पर विकसित किया गया था, परंतु अब इसे ईको-पार्क में बदल दिया गया है, जहां आस-पास के लोगों का मनोरंजन करते हुए तरोताजा हो सकते हैं। इस स्थल को क्षेत्र की विभिन्न देशी प्रजातियों का प्राकृतिक वृक्षारोपण के साथ विकसित किया गया है। इस ईको-पार्क में नर्सरी, मचान, ईको-कुटीर, वाकिंग ट्रेल तथा बेंच लगाया गया है।

उत्खनित क्षेत्रों में पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयला नगर में एक केंद्रीकृत नर्सरी विकसित की गयी है। देशी प्रजातियों के बीज जैसे शिरिस, पलाश, आंवला, कटहल, बैर, शीशम, बेल, गम्हार को पास के जंगल से इकट्ठा कर नर्सरी में उगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 10 लाख रुपये की बचत होती है। पौधों को सभी क्षेत्रों, विभिन्न संस्थानों और स्थानीय लोगों में वितरित किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 में, लगभग 75000 पौधे उगाये गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों/पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों पर प्रति वर्ष 100000 पौधे लगाने की कुल क्षमता वाली 13 नर्सरी स्थलों को भी स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय नर्सरी, कोयला नगर के दूसरी तरफ एक ईको-पार्क भी विकसित किया जा रहा है। इसमें जॉगिंग ट्रैक, गुलाब का उद्यान, लिली तालाब, शैल इत्यादि होंगे, जिससे कोयला नगर और आस-पास के क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस ईको-पार्क में विभिन्न प्रकार के फूलों की वाटिका, कैक्टस, ईको-हट इत्यादि है। इस स्थान को आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले शहरी आबादी के योग और ध्यान के लिए एक केंद्र विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। यह ईको-पार्क सौर ऊर्जा से संचालित है और इसकी सभी विद्युत जरूरतों को 6 किलोवाट क्षमता वाले सौर पैनल से पूरा किया जाता है।

**4. तेतुलमारी जैव विविधता पार्क, सिजुआ क्षेत्र:**

देशी किस्म के तीन स्तरीय वृक्षारोपण को शामिल करते हुए पारिस्थितिक पुनरुद्धार को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद बीसीसीएल ने सिजुआ क्षेत्र के तेतुलमारी में मॉडल पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल पर जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एफ आर आई, देहरादून के जरिए काम प्रारंभ किया है। इस परियोजना की अवधि दो वर्षों की थी। एफआरआई, देहरादून ने परियोजना की जुलाई, 2018 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कुल 103 पौधों की प्रजातियां जिसमें 37 पेड़, 15 झाड़ियां, 27 जड़ी बूटियां, 9 घास, 2 बांस, 2 फर्न, 1 लता है। साइट पर 10 आरोही लताएं भी देखी गई है। इन सभी

में, दर्ज की गई 80 प्रजातियों के पौधों का एक या अन्य तरह से औषधीय उपयोग होता है। परियोजना स्थल पर पक्षियों (20), तितलियां (14), कीट-पतंगे (27), सरीसृप (1) तथा कुछ जानवरों के विभिन्न प्रजातियों को भी देखा गया है। इसी तरह कार्बन पृथक्करण के परिमाणन के संदर्भ में, 205.09 टन/हे. के बराबर CO2 पृथक्करण का भी अनुमान लगाया गया था जबकि 2015 में आइआइटी-आइएसएम, धनबाद के एक अध्ययन में तेतुलमारी पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल में 215.09 टन/हे. के बराबर CO2 का पृथक्करण था।

## ग. वन्य मंजूरी:

बीसीसीएल द्वारा राज्य वन विभाग, राज्य भू-राजस्व वभिाग के रिकॉर्ड के अनुसार वन भूमि की पहचान की जा रही है और आवश्यकतानुसार वानिकी मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

- भाग-IV को भरने तथा राज्य सरकार को अनुशंसा हेतु कुईयां कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में 16.49 हेक्टेयर वन भूमि के लिए परिवेश पोर्टल पर जमा किया गया ऑनलाइन आवेदन राज्य वन विभाग के पास प्रक्रियाधीन है।
- मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र के लिए दिनांक 09.03.2020 को परिवेश पोर्टल में 133.69 हे. वन भूमि के वन भूमि मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रतिक्षाधीन है।
- मुनिडीह कोलियरी, प.झ. क्षेत्र में 80.55 हे. वन भूमि; अविभाजित ब्लॉक-II ओसीपी, ब्लॉक-II क्षेत्र में 179.36 हे. वन भूमि; दहिबाड़ी बसंतिमाता ओसीपी, सीवी क्षेत्र में 62.6 हे. वन भूमि के लिए परिवेश पोर्टल पर जमा किया गया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाधीन है।
- मुरलीडीह कोलियरी, प.झ. क्षेत्र में 6.41 हे. वन भूमि की स्टेज II वन्य मंजूरी (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) का प्रस्ताव आरओ, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रांची के पास है और जल्द ही इसकी उम्मीद है।

## घ. खदान बंदी योजना का कार्यान्वयन

बीसीसीएल ने खानों/खानों के समूह के लिए 56 खान बंदी योजनाएं तैयार की है तथा इन्हें क्रमिक कार्यान्वयन के लिए रखा है। इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रो खाते में वार्षिक बंदी लागत को जमा रखा जा रहा है। वार्षिक बंदी लागत को इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रो खाते में नियमित रूप से जमा किया जा रहा है और खान बंदी के कार्य के कार्यान्वयन के लिए एस्क्रो खाते में प्रतिभूति जमा के रूप में 455.62 करोड़ रुपये उपलब्ध है जो इस विषय में बीसीसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीसीओ को नियमित वार्षिक रिटर्न फाइल किया जाता है। आइआइइएसटी, शिबपुर द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है। आइआइइएसटी, शिबपुर द्वारा कुल 20 खदानों का ऑडिट किया जा चुका है, रिपोर्ट प्रतिक्षाधीन है। आइआइइएसटी, शिबपुर द्वारा दूसरे चरण में 23 और खदानों का ऑडिट किया जाना है।

## ङ. पर्यावरण संबंधी जागरूकता

बेहतर पर्यावरण विकसित करने हेतु बीसीसीएल द्वारा सभी स्टेक होल्डरों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

### (क) बीसीसीएल का पर्यावरण संबंधी न्यूज-लेटर:

पर्यावरण पर बीसीसीएल की तिमाही न्यूज-लेटर " पर्यावरण दर्पण" का प्रकाशन लोगों में पर्यावरण एवं खनन की विविध संकल्पनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। यह वर्ष 2015 से सर्वोत्तम कार्य अभ्यास तथा पर्यावरण संरक्षा को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने का मंच प्रदान कर रहा है। यह न्यूज-लेटर कोयला मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों, नियामक प्राधिकारियों को भेजा जा रहा है तथा बीसीसीएल के वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा रहा है।

(ख) पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाने के लिए, आस-पड़ोस के लोगों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को संवेदनशील बनाने तथा कंपनी की छवि पर्यावरण मित्र की बनाने के लिए बीसीसीएल का पर्यावरण विभाग सामाजिक मीडिया पर सक्रिय रहता है तथा सेमिनारों एवं कार्यक्रमों में भाग लेता है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों, स्कूली बच्चों की सक्रिय सहभागिता में विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव का आयोजन किया गया।

(ग) ईको-माइनिंग परिभ्रमण **(Eco Mining Tourism)**: वर्ष 2016-17 से बीसीसीएल अपने खनन क्षेत्रों और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों पर ईको माइनिंग पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य कंपनी और अन्य हित धारकों के बीच खाई को पाटना तथा खनन गतिविधियों को प्रदर्शित कर कंपनी की सकारात्मक छवि बनाना और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों/ ईको पार्क को विकसित करना है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्थानों से लोग इस पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल तथा ईको-पार्क को यह जानने के लिए देखने आते हैं कि विकृत हो चुकी खनित क्षेत्रों को किस तरह से मनोरम भू-दृश्य में पुनरुद्धारित किया गया है।

वर्ष 2019-20 में भी, बीसीसीएल ने अपनी खदानों तथा पारिस्थितिक पुनरुद्धार/ईको पार्क के लिए धनबाद के विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों के लिए परिभ्रमण दौरे का आयोजन किया है। ईको-माइनिंग पर्यटन कार्यक्रम के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल, धनबाद; डीएवी, मुनिडीह, धनबाद; पब्लिक स्कूल, धनबाद; गुरू गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, धनबाद; सैंमबॉसिस पब्लिक स्कूल, धनबाद एवं आइआइटी-आइएसएम धनबाद के विद्यार्थियों ने ज्ञानवर्धन के लिए और बीसीसीएल के खनन एवं उनके द्वारा किए जा रहे पारिस्थितिक पुनरुद्धार कार्य के बारे में जानने के लिए खदानों का भ्रमण किया।

दिनांक 29.11.2019 को दिल्ली पब्लिक स्कूल, धनबाद के विद्यार्थियों का जीकेकेसी ईको पार्क, कुसुंडा क्षेत्र का भ्रमण

दिनांक 05.12.2019 को जीजीपीएस, धनबाद के विद्यार्थियों का जीकेकेसी ईको पार्क, कुसुंडा क्षेत्र का भ्रमण

दिनांक 12.12.2019 को आइआइटी-आइएसएम धनबाद के विद्यार्थियों का गोकुल ईको कल्चरल पार्क, लोदना क्षेत्र का भ्रमण

दिनांक 07.12.19 को डीएवी, मुनिडीह के विद्यार्थियों का मुरलीडीह ईको रेस्टोरेशन साईट, पश्चिमी झरिया क्षेत्र का भ्रमण

दिनांक 09.12.19 को सैंमबॉसिस पब्लिक स्कूल, धनबाद के विद्यार्थियों का पारसनाथ उद्यान, कतरास क्षेत्र का भ्रमण

दिनांक 05.12.19 को जीजीपीएस, धनबाद के विद्यार्थियों का जीकेकेसी ईको पार्क, कुसुंडा क्षेत्र का भ्रमण

(घ) सभी पर्यावरणीय मंजूरी, पर्यावरणीय मंजूरी अनुपालनों को जन सूचना के लिए बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसे क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तरों पर लगे सूचनापटों पर प्रदर्शित भी किया जाता है। बीसीसीएल की वेबसाइट पर बीसीसीएल प्रबंधन की विभिन्न पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है।

### ङ. आईएसओ प्रमाणन

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संशोधित एकीकृत परिचालन मैनुअल, एकीकृत रखरखाव मैनुअल और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली मैनुअल को सीएमडी, बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित किया गया है जो एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों- आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 का अनुपालन करता है।

## च. कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति

बीसीसीएल ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति को संशोधित किया है। यह नीति को प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सीआइएल की नीति के अनुसार तैयार की गई है। इस नीति में कोयला खनन उद्योग पर लागू पर्यावरणीय विधियों के 100% अनुपालन के लिए ग्रीन माइनिंग और मिशन का दृष्टिकोण है। इससे पहले, सीआइएल पर्यावरण नीति 2012 के आधार पर झरिया मास्टर प्लान को शामिल करते हुए बीसीसीएल के सीइपी को दिनांक 21.04.2012 को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अपनी 28वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। संशोधित बीसीसीएल नीति-2019 वर्ष 2012 के बाद से प्राप्त अनुभव का परिणाम है, जो पर्यावरणीय नीतियों में समय-समय पर किए गए संशोधनों / संशोधनों को ध्यान में रखते हुए और एसओइएफ ऐंड सीसी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) और खान बंदी, विकृत भूमि पुनरूद्धार, पर्यावरणीय मंजूरी आदि से संबंधित अन्य संगठनों द्वारा अधिसूचित अतिरिक्त शर्तों को ध्यान में रखकर और साथ ही कॉर्पोरेट नीति को समय-समय पर संशोधित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

## छ. पेशाजन्य बीमारियों की निगरानी के संबंध में अध्ययन

बीसीसीएल में खनन कार्यों में लगे सभी कामगारों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए उनकी प्रारंभिक चिकित्सा जांच (आई एम इ) तथा आवधिक चिकित्सा जांच (पी एम ई) की जा रही है। अपने श्रमिकों को नियमित आवधिक स्वास्थ्य जांच के अलावा सक्रिय खनन परिचालनों में लगाए गए श्रमशक्ति में से 10 प्रतिशत श्रमिकों की पहचान कर पेशाजन्य बीमारियों एवं श्रवण-क्षति के लिए एनआईओएच, अहमदाबाद के जरिये स्वास्थ्य की जांच की गयी। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत आइसीएमआर के अंतर्गत प्रमुख संस्थान है। इस अध्ययन की सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

## ज. स्रोत विभाजन अध्ययन-

निलंबित पर्टिकुलेट मैटर (PM10 एवं PM2.5) की खनिज संरचना के अध्ययन सहित झरिया कोल फील्ड्सस (गैस, धुंआ, धूल उत्सर्जन आदि) में वायु प्रदूषण के स्रोतों एवं सीमा का अध्ययन करने के लिए, बीसीसीएल ने "झरिया कोल फील्ड्स में परिवेशी वायु कणों के पदार्थो का प्रसारस्रोत" के अध्ययन के लिए नेरी (NEERI) नागपुर को शामिल किया है। गर्मियों एवं सर्दियों दोनों मौसमों के लिए डेटा संग्रह फरवरी 2020 तक पूरा हो गया है, रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

## झ. प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

### क. वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. पर्यावरण संरक्षण के लिए कोयले के परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल को कम से कम करने के लिए ट्रकों में लदे कोयले के उपर पानी का छिड़काव करने के उद्देश्य से ओवरहेड स्प्रिंकलर की स्थापना की गई है, जो एक अनूठी पहल है। ये स्प्रिंकलर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद रेलवे साइडिंग्स के प्रवेश एवं निकास द्वार पर स्थापित किए गए हैं। इस स्थान पर ओवरहेड स्प्रिंकलर की स्थापना का उद्देश्य परिवहन के दौरान ट्रकों से उड़ने वाली कोयले की धूल को कम एवं नियंत्रित करके साइडिंग एवं सीएचपी तक गीले कोयले का परिवहन करना है। इसके अलावा, जब कोई ट्रक आग लगे हुए कोयले को लेकर इन पानी के फव्वारे के नीचे से गुजरता है तो कोयले में लगी आग पूरी तरह से बुझ जाती है, जिससे कोयले की धूल (कोल डस्ट) हवा में नहीं उड़ती है और इससे अंततः वायु प्रदूषण कम हो जाता है। वर्तमान में, बीसीसीएल में अपनाई गई यह प्रणाली धूल एवं आग के रोकथाम हेतु एक बेहद ही कारगर एवं प्रभावकारी प्रणाली में से एक है।

ii. परिसर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेलवे साइडिंग में हरी चादर का उपयोग किया जा रहा है।

iii. परिवहन वाले रास्तों (हॉल रोड) पर उड़ने वाली धूल को कम करने के उद्देश्य से इसपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के लिए मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर को लगाया जाता है। वर्ष 2019-20 में, फुहारे लगे 10 वाटर स्प्रिंकलर की खरीद की गई है।

iv. सीएचपी से बाहर उड़ने वाले कोयले के धूल (कोल डस्ट) की राकथाम के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) की घेराबंदी की जा रही है।

v. डस्ट इक्स्ट्रैक्टर युक्त ड्रिल/गीला ड्रिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।

vi. धूल उत्सर्जन के रोकथाम के लिए निष्क्रिय ओवर बर्डेन (ओबी) पर घास उगाया जाता है।

रेलवे साइडिंग, सेंद्रा बांसजोरा में हरित आवरण

ओवरहैड स्प्रिंकलर

कोल क्रसिंग स्थल पर स्थायी स्प्रिंकलर

कतरास क्षेत्र में फुआरा वाला पानी टैंकर

vii. वायु-गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

**ख. जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय**

i. बीसीसीएल की विभिन्न खानों के कार्मशालाओं से निकलने वाले तेल एवं ग्रीस के रोकथाम से जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा रहा है।

ii. बहते हुए तेल एवं ग्रीस के अवशेष से तेल को इकट्ठा करने के लिए अवशेष को ड्रमों में एकत्र किया जाता है और उसे एक उंची एवं पक्की जगह पर रखा जाता है और उसके बाद इसके तलछट वाले तेल को जमा किया जाता है। वाहनों एवं एचइएमएम के रखरखाव के दौरान उपयोग किए गए तेल एकत्र किए जाते हैं और इसे लीक प्रूफ ड्रम में ढक्कन बंद करके रखा जाता है। उपयोग किए गए तेल, जो हानिकारक अपशिष्ट (श्रेणी 5.1) की श्रेणी में आता है, के भंडारण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग विधिवत रूप से प्राधिकार-पत्र लिया जाता है। इस्तेमाल किये गए इस तेल को ई-नीलामी के माध्यम से अधिकृत रिसायकलरों को नीलाम किया जाता है, ताकि इसका किसी न किसी रूप में पुन: प्रयोग हो सके।

iii. बीसीसीएल में 10 रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, 6 स्लो सैंड फिल्टर और 53 प्रेशर फिल्टर स्थापित किए गए हैं ताकि खदान के पानी को इलाके में आपूर्ति से पहले इसे उपचारित किया जा सके। स्थापित किये गए 69 फिल्टरों की कुल क्षमता 13.11 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) है।

iv. बीसीसीएल ने सिंफर, धनबाद के सहयोग से पुटकी बलिहारी क्षेत्र में 4000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता का एक जल उपचार संयंत्र स्थापित किया है, ताकि खदान के पानी को आवश्यक उपचार के उपरांत इसे आरओ (RO) के पानी जैसा पीने योग्य बनाया जा सके।

**ग. तेलयुक्त खतरनाक ठोस अपशिष्ट का निपटान**

यह खतरनाक अपशिष्ट श्रेणी 5.2 के तहत आता है और इन अपशिष्टों को खास तौर पर बनाए गए शेडों में रखा जाता है और राज्य में उपलब्ध अधिकृत सार्वजनिक संग्रह एवं निपटान स्थल के माध्यम से निपटान किया जाता है।

**घ. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय**

उपकरणों से निकलने वाली ध्वनियों को नियमित रखरखाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लास्टिंग का कार्य केवल 14:00 से 15:00 बजे के बीच, यानी पाली परिवर्तन के दौरान किए जाते हैं। कर्मचारियों को जहां भी आवश्यकता होती है वहां ईयर-मफ और ईयर-प्लग दिए जाते हैं।

### (ट) विविध:

- सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक संधारणीय विकास प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ खनन के दौरान तथा खनन के बाद के परिदृश्य में समुदायों के लाभ के लिए नई पहलों की पहचान कर रहा है।

- कोयला खदान की आग से प्रभावित भौरा (साउथ) कोलियरी में ठेकेदार को दिये गए ठेका कार्य के निष्पादन की प्रारंभिक चरण में खदान के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों ने खदान परिसर में प्रवेश कर कार्य को बाधित किया था, जिसके कारण ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हुआ था।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक स्थानीय दैनिक “हरिभूमि” में प्रकाशित अखबार की रिपोर्ट के आधार पर इस पर स्वत: संज्ञान लिया और बीसीसीएल, राज्य सरकार एवं जेएसपीसीबी, रांची को नोटिस दिए।

- जेएसपीसीबी ने एक औचक निरीक्षण किया और परिचालन की सहमति (सीटीओ) को रद्द करते हुए भौरा (दक्षिण) कोलियरी के काम को रोकने का निर्देश दिया। बीसीसीएल ने जेएसपीसीबी द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपने खनन कार्यों को बंद कर दिया और बाद में जेएसपीसीबी द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जेएसपीसीबी ने ईसी एवं सीटीओ शर्तों के अनुपालन के निरीक्षण के लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जेएसपीसीबी ने अपने आदेश को वापस ले लिया किंतु जुर्माना लगाया।

- इस बीच, बीसीसीएल ने जारी नोटिस के खिलाफ माननीय एनएचआरसी में एक हलफनामा भी दायर किया। एनएचआरसी मामले के निपटारे से संतुष्ट है।

- बीसीसीएल ने आंशिक भुगतान के साथ जेएसपीसीबी द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के पास एक अपील दायर की और जुर्माना के आदेश को रोकने का अनुरोध इस आधार पर किया कि समिति ने अनुपालन से संबंधित संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि अधिकांश शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा अनुपालन की प्रक्रिया में है। उक्त मामला अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित है।

- बीसीसीएल द्वारा बेहतर पर्यावरण के विकास लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी तंत्र बनाई गई है।

- बीसीसीएल के विभिन्न हिस्सों में वायु प्रदूषण की वास्तविक समय की निगरानी के लिए 40 ऑनलाइन पीएम10 एनालाईजर की स्थापना हेतु एक निविदा आमंत्रित की गई है।

# 32. सिविल

**मास्टर प्लान के तहत बीसीसीएल खदानों के आस-पास जोखिम वाले क्षेत्र से गैर कोयला धारित क्षेत्र में निर्मित आवासों में कर्मचारियों का स्थानांतरण**

| क्र.सं. | मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्मित आवासों का विवरण | निर्माण स्थल | 31.03.2010 तक ग्रहण किए गए आवासों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गैर कोयला धारित (एनसीबी) क्षेत्रों में बीसीसीएल के मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों में 344 इकाइयों (96 बी टाइप तथा 248 माइनर्स क्वाटर्स) का निर्माण (मास्टर प्लान बजट) | भूली 96 बी टाइप | 96 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| | | कोल डंप कालोनी कतरास- 248 माइनर्स क्वार्टर्स | 248 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| 2 | एनसीबी क्षेत्रों में बीसीसीएल में मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों में 1152 माइनर्स आवासों का निर्माण (मास्टर प्लान बजट) | कतरास- 360 माइनर्स क्वार्टर्स | 360 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| | | कुसुंडा - 600 माइनर्स क्वार्टर्स | 600 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| | | लोदना - 192 माइनर्स क्वार्टर्स | 192 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| 3 | बीसीसीएल के मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों के अंदर तीन साइटों पर मास्टर प्लान के तहत (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में) 4080 घरों का निर्माण (माइनर्स आवास) (मास्टर प्लान बजट) | कतरास - 240 माइनर्स क्वार्टर्स | 240 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| | | मुरली नगर - 396 माइनर्स क्वार्टर्स | 396 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| | | जग जीवन नगर | 568 | शिफ्टिंग पूरा हुआ |
| | | कार्मिक नगर – 1268 माइनर्स क्वार्टर्स | 633 | शिफ्टिंग प्रगति पर है |
| | | गोविंदपुर - 156 माइनर्स क्वार्टर्स | शून्य | शिफ्टिंग प्रगति पर है |
| | | कुसुम विहार - 1452 माइनर्स क्वार्टर्स | 333 | शिफ्टिंग प्रगति पर है |
| 4 | बीसीसीएल के एनसीबी जमीन पर पूर्वी झरिया क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, लोदना क्षेत्र, चांच विक्टोरिया क्षेत्र तथा बस्ताकोला क्षेत्र के अंतर्गत करमाटांड टाउनशिप पर मास्टर प्लान के अंतर्गत (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में) 4020 इकाइयों माइनर्स आवासों का निर्माण (मास्टर प्लान बजट) | सीवी क्षेत्र - 420 माइनर्स क्वार्टर्स | 222 | शिफ्टिंग प्रगति पर है |
| | | लोदना क्षेत्र - 360 माइनर्स क्वार्टर्स | 90 | जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है। |
| | | गोविंदपुर क्षेत्र - 1428 माइनर्स क्वार्टर्स | 71 | विद्युत कनेक्शन कार्य प्रगति पर है। |
| | | कोयला नगर - 1116 माइनर्स क्वार्टर्स | शून्य | जलापूर्ति व्यवस्था तथा विद्युत कनेक्शन कार्य प्रगति पर है। |
| | | कुसुंडा क्षेत्र - 480 माइनर्स क्वार्टर्स | 6 | जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है। |
| | | बस्ताकोला क्षेत्र - 216 माइनर्स क्वार्टर्स | शून्य | जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है। |
| 5 | 2248 इकाई आवासों का निर्माण (एनसीबी क्षेत्र में बीसीसीएल के विभिन्न जगहों में बी, सी तथा डी टाइप आवास) (मास्टर प्लान तथा कैपिटल बजट) | बी टाइप- 1584 | 27 | 231 बी, 20 सी एवं 4 डी टाईप आवासों का आबंटित कर दिया गया है। |
| | | सी टाइप- 520 | शून्य | |
| | | डी टाइप- 144 | शून्य | |
| 6 | करमाटांड मौजा में 4008 इकाई माइनर्स आवासों का निर्माण (कैपिटल बजट) | करमाटांड- 4008 माइनर्स आवास | शून्य | कार्य प्रगति पर है (कार्य अंतिम चरण में है) |
| निर्मित कुल आवास | | 15852 इकाई | 4082 | 6938 आवास आबंटित |

**बीसीसीएल के गैर-कोयला धरित क्षेत्र में 31 मार्च, 2020 तक आवासों के पूरी तरह से मरम्मत की संपूर्ण स्थिति**

| कार्य के प्रकार | मरम्मत किये जाने वाले आवास | मरम्मत हेतु दिये गए आवास | अधिकृत आवास | मरम्मत किये गए आवास | मार्च 20 में मरम्मत किये गए आवास |
|---|---|---|---|---|---|
| संपूर्ण मरम्मत | 17810 | 17810 | 12960 | 12731 | 14 |
| टारफेल्टिंग | 11355 | 11355 | 10592 | 10592 | पूरा हुआ |

## 33. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों के भाग में नोट -2 के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट-38 के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में।

**यह पुष्टि की जाती है कि:**

क. वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें से किसी भी प्रकार के भौतिक तथ्यों को नहीं हटाया गया है।

ख. इस प्रकार की लेखाकरण नीतियों का चयन किया एवं उनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं एवं औचित्य पूर्ण निर्णय लिये गए है तथा प्राक्कलन तैयार किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सत्य एवं सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा उनके अनुरक्षण, धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त अन्वीक्षण हेतु समुचित एवं भरपूर ध्यान रखा है।

घ. चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ. 31 मार्च, 2020 समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया है, इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है, जिनका संचालन प्रभावी तरीके से किया जाता है।

च. लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली की खोज की है, जो पर्याप्त है और जिनका संचालन प्रभावी तरीके से होता है।

## 34 . बीसीसीएल के वार्षिक लेखा का निरीक्षण

कोल इंडिया लिमिटेड के किसी अंशधारक की मांग पर उनके निरीक्षण हेतु बीसीसीएल के कंपनी सचिवालय में वार्षिक लेखा उपलब्ध रहेगा।

## 35 . सत्यनिष्ठा समझौता का कार्यान्वयन

बीसीसीएल में सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौता को लागू करने के लिए 04 मार्च 2009 को धनबाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

गत वित्तीय वर्ष के दौरान सत्यनिष्ठा समझौता के तहत आने वाली निविदाओं (वस्तु, सेवाओं और संविदाओं सहित) का प्रतिशत निम्नलिखित है:

| वर्ष | निविदा का कुल मूल्य (₹ लाख में) | आई.पी.के तहत निविदाओं का कुल मूल्य (₹ लाख में) | आई.पी. बनाम निविदाओं का कुल मूल्य को शामिल करते हुए निविदाओं का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 122177.65 | 116197.77 | 95.10% |
| 2018-19 | 152232.64 | 136056.01 | 89.37% |

## 36 . कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कंपनी (लागत लेखाकरण अभिलेख) नियम, 2013 के नियम 2 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सेंट्रल कास्ट ऑडिटर द्वारा 06.09.2019 को लागत लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा इस रिपोर्ट को 19.09.2019 को एक्सबीआरएल मोड में एम सी ए सहित दाखिल किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड्स कंपनी द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए जाते हैं।

## आभार

कंपनी की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार खासकर कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा दिए गए अपरिमित सहयोग तथा बहुमूल्य दिशा-निर्देश के लिए आपके निदेशकगण धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण राज्य सरकार तथा इसके जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग तथा कंपनी के बहुमूल्य सहायता के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले रचनात्मक परामर्श के लिए भी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तथा उनके सतत सहयोग के लिए ऋणी है। वर्ष के दौरान कंपनी में उत्पादन तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी पूर्ण आस्था के साथ सहयोग देने वाले कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियनों को भी धन्यवाद दिया जाता है।

## परिशिष्ट

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्न है :

I. सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।

II. अनुसंधान एवं विकास।

III. कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

IV. प्रबंधन का विश्लेषण एवं वार्ता रिपोर्ट।

V. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक।

VI. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग द्वारा लेखा की समीक्षा।

VII. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी की वार्षिक विवरणी का संक्षिप्त संस्करण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है:

www.bcclweb.in

कृते, निदेशक मंडल की ओर से।

ह/-

**(पी.एम.प्रसाद)**

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

धनबाद

# अनुलग्नक- I

## सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

### संक्षिप्त रूपरेखा

आज के गतिशील कारोबारी माहौल में, संगठनों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए अपने बड़े हितधारकों की बेहतरी में योगदान दें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) भी इस विचार को प्रतिध्वनित करता है और अपने हितधारकों को सामाजिक लाभ देने की आकांक्षा रखते हुए कंपनी के आर्थिक लाभों की दिशा में काम करता है। यह मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित अपने खनन क्षेत्रों में और इसके आसपास रहनेवाले समाज के जरूरतमंद लोगों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के साथ-साथ सीएसआर गतिविधियों को भी पूरा करता है।

बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) की एक अनुषंगी कंपनी है और इसने सीआइएल के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की नीति को अपनाया और लागू किया है।

सीआइएल ने एक सामुदायिक विकास आधारित सीएसआर नीति अनुमोदित की है, जो निस्संदेह, सीआइएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में समान रूप से लागू है। कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताओं को शामिल करने के उपरांत और दिनांक 27.02.2014 को भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना के साथ-साथ सार्वजनिक लोक उपक्रमों (DPEs) के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआइएल की इस कारपोरेट सामाजिक दायित्व की समरूप नीति को तैयार किया गया और इसमें अंतर्गत निम्नलिखित बातों को प्रमुखता से शामिल किया गया:

I. भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।

II. विशेष शिक्षा और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण समेत शिक्षा और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

III. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के प्रति होने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए उपाय करना।

IV. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने सहित गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'स्वच्छ गंगा फंड' में योगदान देना।

V. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा सहित ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों, एवं स्थलों की देख-रेख करना और कला-कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रचार और विकास करना।

VI. सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

VII. ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

VIII. सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोषों में योगदान देना।

IX. ix. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के इनक्यूबेटरों और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के तत्वावधान में स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा स्वायत्त निकायों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर), परमाणु ऊर्जा

विभाग (डीएइ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में लगे संस्थानों को योगदान या धन उपलब्ध कराना।

X. ग्रामीण विकास परियोजनाओं में योगदान देना।

XI. मलिन बस्ती (स्लम क्षेत्र) का विकास करना।

XII. राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

## सीएसआर नीति का वेबलिंक

http://www.bcclweb.in/newpdfs/CSR_Modified_2014.pdf

## कोरोना (COVID-19) महामारी के दौरान सीएसआर गतिविधियां

वर्तमान में, भारत एवं विश्व कोरोना (COVID-19) महामारी से जूझ रहे हैं और अधिसूचित आपदा की इस घड़ी में, बीसीसीएल अपने स्तर से तथा धनबाद जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत समाज के जरूरतमंद तबके को राहत देने का प्रयास कर रहा है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना (COVID-19) के लिए किये जा रहे सीएसआर निधि के व्यय को सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत माना जाएगा। निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने से संबंधित अनुसूची VII के मद सं. (I) एवं (xii) के तहत कोरोना (COVID-19) से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए धन खर्च किया जा सकता है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीएम केयर्स फंड में किया गया कोई भी योगदान कंपनी अधिनियम-2013 के तहत सीएसआर व्यय माना जाएगा।

## सीएसआर बजट प्रावधान

सीआइएल के सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को हुए औसत निवल लाभ का 2% अथवा पिछले वर्ष में उत्पादित कोयला के ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक हो, के आधार पर सीएसआर का बजट निर्धारित किया जाता है।

## अनिवार्य सीएसआर बजट की गणना

**(1)**

| क्र.सं. | वित्त वर्ष | पीबीटी (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | 2016-17 | (-) 263.08 |
| 2 | 2017-18 | (-) 2125.25 |
| 3 | 2018-19 | 557.05 |
| पिछले 03 लगातार वित्तीय वर्ष के दौरान औसत पीबीटी = (-) ₹ 610.43 करोड़ | | |

**(2)**

वित्त वर्ष 2018-19 का उत्पादन 31038200 टन था, जो ₹ 2/टन की दर से ₹ 62076400.00 (₹ 6.21 करोड़) होता है।

**सीएसआर नीति के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 का अनिवार्य सीएसआर बजट, मद सं. (1) एवं (2) का उच्चतम मूल्य यानी 6.21 करोड़ निर्धारित किया गया है।**

## सीएसआर के कार्यान्वयन की विधि/तंत्र

अनुषंगी कंपनियों को परियोजना/खदान एवं मुख्यालय सहित क्षेत्रों के 25 कि. मी. दायरे में सीएसआर नीति को लागू करने के लिए इसके बजट का 80 प्रतिशत नियत किया गया है। शेष 20 प्रतिशत को उन राज्य/राज्यों के अंदर खर्च किया जाता है जहां अनुषंगी कंपनियां काम कर रही हैं।

## महत्वपूर्ण सीएसआर गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विविध मदों के अंतर्गत सीएसआर नीति के अनुसार बीसीसीएल द्वारा सीएसआर के तहत कुछ प्रमुख कार्य किए गए हैं, जैसे:-

**1. स्वच्छ पेयजल**

क) बीसीसीएल ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, धनबाद के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड के माध्यम से धनबाद के विभिन्न स्थानों पर 30 हैंड पंप स्थापित किए हैं। बीसीसीएल ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, धनबाद के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड के माध्यम से धनबाद के विभिन्न स्थानों पर 30 हैंड पंप स्थापित किए हैं।

**2. शिक्षा को बढ़ावा देना**

क) बीसीसीएल ने राजकीयकृत भागीरथ ब्रम्हचारी (आरबीबी) हाई स्कूल, राजगंज, धनबाद में 02 क्लासरूम, एक सभागार, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, एक साइकिल स्टैंड का निर्माण किया है।

ख) धनबाद जिला प्रशासन के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड के तहत धनबाद जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और कुल 129 अन्य विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के विकास के लिए परियोजना की शुरूआत।

**3. ग्रामीण विकास**

क) धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत रतनपुर पंचायत के रतनपुर गांव में मैरेज हॉल का निर्माण।

**4. कोरोना (COVID-19) के रोकथाम के प्रयास के तहत निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एवं आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना**

क) कोरोना (COVID-19) महामारी से निपटने हेतु फॉगिंग मशीन एवं स्प्रेयर की खरीद के लिए नगरपालिका आयुक्त, धनबाद को ₹ 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ख) कोरोना (COVID-19) महामारी से निपटने हेतु डिपॉजिटरी मोड के तहत उपायुक्त, धनबाद को ₹ 2 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

**दिनांक 31.03.2020 को बीसीसीएल बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का संघटन**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | डॉ. के. एस. खोबरागड़े, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल | अध्यक्ष |
| (ख) | श्री नरेन्द्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल | सदस्य |
| (ग) | श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल | सदस्य |
| (घ) | श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) परिचालन, बीसीसीएल | सदस्य |
| (ड.) | श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी) परि. एवं यो., बीसीसीएल | सदस्य |
| (च.) | श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त), बीसीसीएल | सदस्य |

## सीएसआर बजट और व्यय का सारांश

a. क) कुल स्वीकृत सीएसआर बजट: ₹ 10 करोड़

b. ख) अनिवार्य सीएसआर बजट (सीएसआर नीति के अनुसार ₹ 2/टन कोयला उत्पादन की दर से): ₹ 6.21 करोड़

c. ग) वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर के तहत खर्च की राशि का विवरण

- इस वित्त वर्ष में अनिवार्य सीएसआर बजट: ₹ 6.21 करोड़
- खर्च की गई वास्तविक राशि: ₹ 6.01 करोड़
- खर्च न की गयी राशि, यदि हो तो: ₹ 0.2 करोड़

**घ) सीएसआर की राशि खर्च न होने का कारण**

कोरोना (COVID-19) महामारी के मद्देनजर धनबाद पुलिस के सभी थानों में समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने के उद्देश्य से दिनांक 31.03.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद को ₹ 0.4 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग नहीं हो सका और अप्रैल, 2020 में यह संपूर्ण राशि बीसीसीएल को वापस कर दी गई। यदि इस राशि का उपयोग किया गया होता तो अनिवार्य सीएसआर बजट के अंतर्गत कोई भी अव्ययित राशि नहीं होती।

ङ) इस वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि की प्रणाली: **'अनुलग्नक 'क'** के अनुसार

बीसीसीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों, उनके कार्यान्वयन एवं निगरानी का अनुपालन, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 और कंपनी के सीएसआर उद्देश्य एवं नीति के आलोक में किया है।

| | | |
|---|---|---|
| **ह ./-** | **ह ./-** | **ह ./-** |
| **(पी.एम. प्रसाद)**<br>सीएमडी, बीसीसीएल | (डॉ. के. एस. खोबरागड़े)<br>अध्यक्ष, सीएसआर समिति | कंपनी अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति |

| वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल द्वारा किये गए सीएसआर व्यय का विवरण | | | | | | | | | अनुलग्नक 'क' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | चिह्नित सीएसआर परियोजना | क्षेत्र | परियोजना के तहत चयनित राज्य एवं जिला | | परियोजना या कार्यक्रम वार खर्च की निर्धारित राशि (बजट) ₹ लाख में | खर्च की गई राशि (₹ लाख) | | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (₹ लाख में) | सीधे अथवा एजेंसी के माध्यम से |
| | | | जिला | राज्य | | सीधे व्यय | बंधा व्यय | | |
| 1 | टुंडी, पूर्वी टुंडी एवं बलियापुर में तालाब का गहरीकरण/नवीनीकरण और सीढ़ियों/घाटों का निर्माण | पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने सहित गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'स्वच्छ गंगा फंड' में योगदान देना | धनबाद | झारखंड | 143.93 | 9.53 | -- | 141.58 | सीधे |
| 2 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, धनबाद के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड के तहत धनबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर हैंड पंपों को लगाया गया। | भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना | धनबाद | झारखंड | 18.02 | 18.02 | -- | 18.02 | डिपॉजिटरी मोड, धनबाद जिला प्रशासन |
| 3 | ब्लॉक II क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सा शिविर का आयोजन | भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना | धनबाद | झारखंड | 0.42 | 0.42 | -- | 0.42 | सीधे |
| 4 | गोविन्दपुर प्रखंड के बरवा गांव में ग्रीन हाट परियोजना (स्वच्छता पखवाड़ा के तहत) | भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना | धनबाद | झारखंड | 3.73 | 0.81 | -- | 3.73 | सीधे |
| 5 | सीएसआर पहल के तहत कोरोना (COVID-19) महामारी से निपटने हेतु फॉगिंग मशीन एवं स्प्रेयर की खरीद के लिए नगरपालिका आयुक्त, धनबाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी | भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना | धनबाद, | झारखंड | 10 | 10 | -- | 10 | डिपॉजिटरी मोड, नगरपालिका आयुक्त, धनबाद |

| वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल द्वारा किये गए सीएसआर व्यय का विवरण | | | | | | | | | अनुलग्नक 'क' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | चिहि्नत सीएसआर परियोजना | क्षेत्र | परियोजना के तहत चयनित राज्य एवं जिला | | परियोजना या कार्यक्रम वार खर्च की निर्धारित राशि (बजट) ₹ लाख में | खर्च की गई राशि (₹ लाख) | | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (₹ लाख में) | सीधे अथवा एजेंसी के माध्यम से |
| | | | जिला | राज्य | | सीधे व्यय | बंधा व्यय | | |
| 6 | पहला कदम स्कूल-जगजीवन नगर स्थित सुविधा-वंचित वर्ग के लिए बना एक स्कूल में काम | विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गो एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोज़गारपरक व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ | धनबाद | झारखंड | 7.29 | 7.21 | -- | 7.21 | सीधे |
| 7 | आरबीबी स्कूल, राजगंज में काम | विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गो एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोज़गारपरक व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ | धनबाद | झारखंड | 110.38 | 84.39 | -- | 99.39 | सीधे |
| 8 | बीसीसीएल के लाल/ बीसीसीएल की लाड़ली | विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गो एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोज़गारपरक व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ | धनबाद | झारखंड | 4.73 | 4.73 | -- | 4.73 | सीधे |
| 9 | धनबाद जिला प्रशासन के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड के तहत धनबाद जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों, उच् माध्यमिक विद्यालयों और कुल 129 अन्य विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के विकास | विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गो एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोज़गारपरक व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ | धनबाद | झारखंड | 193.5 | 193.5 | -- | 193.5 | धनबाद जिला प्रशासन के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड के तहत |
| 10 | एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए माईनिंग सरदार का प्रशिक्षण | महिलाओं, बुजुर्गो एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोज़गारपरक व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ | धनबाद | झारखंड | 42.33 | 8.93 | -- | 24.96 | सीधे |
| 11 | तोपचांची प्रखंड में पीसीसी पथ का निर्माण | ग्रामिण विकास परियोजनाएं | धनबाद | झारखंड | 162.23 | 2.12 | -- | 157.84 | सीधे |
| 12 | गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत रतनपुर पंचायत के रतनपुर गांव में मैरेज हॉल का निर्माण | ग्रामिण विकास परियोजनाएं | धनबाद | झारखंड | 37.27 | 33.63 | -- | 33.63 | सीधे |
| 13 | गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत रतनपुर पंचायत के जिरामुरी गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण | ग्रामिण विकास परियोजनाएं | धनबाद | झारखंड | 17.89 | 1.25 | -- | 16.76 | सीधे |

| वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीसीसीएल द्वारा किये गए सीएसआर व्यय का विवरण | | | | | | | | | अनुलग्नक 'क' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | चिह्नित सीएसआर परियोजना | क्षेत्र | परियोजना के तहत चयनित राज्य एवं जिला | | परियोजना या कार्यक्रम वार खर्च की निर्धारित राशि (बजट) ₹ लाख में | खर्च की गई राशि (₹ लाख) | | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (₹ लाख में) | सीधे अथवा एजेंसी के माध्यम से |
| | | | जिला | राज्य | | सीधे व्यय | बंधा व्यय | | |
| 14 | बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत धनबाद में कोरोना (COVID-19) महामारी से निपटने के प्रारंभिक प्रयासों के लिए डी.सी. धनबाद को डिपॉजिटरी मोड ट्रांसफर | आपदा प्रबंधन | धनबाद | झारखंड | 200 | 200 | -- | 200 | डी.सी. धनबाद के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड |
| 15 | मुख्यमंत्री राहत कोष, झारखंड में डिपॉजिटरी मोड ट्रांसफर | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास, राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या किसी अन्य निधि में योगदान | धनबाद | झारखंड | 50 | 50 | -- | 50 | झारखंड राज्य सरकार के माध्यम से डिपॉजिटरी मोड |
| 16 | विविध: योग दिवस, हथकरघा रखरखाव पर अत्यधिक व्यय, निर्मित विवाह मंडप का अंतिम बिल निपटान | अन्य | धनबाद | झारखंड | 0.19 | 0.12 | -- | 0.19 | सीधे |
| 17 | उत्तरदायित्व वापसी | अन्य | धनबाद | झारखंड | (23.4) | (23.4) | -- | (23.4) | |
| | कुल | | | | 978.47 | 601.22 | -- | 938.52 | |

# अनुलग्नक - II

## 2019-20 के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी)

### (क) ऊर्जा संरक्षण

**1. ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गये उपाय**

**2.1. पारंपरिक लाइट के स्थान पर एल इ डी लाइट्स लगाना**

(क) बीसीसीएल ने जी एल एस लैंपों, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब लाइट की खरीद पर रोक लगा दी है। सभी कार्यालयों/ औद्योगिक परिसरों में ट्यूब लाइट, जी एल एस लैंपों एवं अन्य पारंपरिक लाइट्स फिटिंग्स के स्थान पर एल ई डी लाइट्स फिटिंग्स किये जा रहे है।

(ख) बीसीसीएल के मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही पारंपरिक लाइट्स फिटिंग्स के स्थान पर लगभग 17,000 एल इ डी लाइट्स फिटिंग्स लगाये जा चुके हैं। विभिन्न वॉटेज के लगभग 5060 एल इ डी की खरीद पहले ही हो चुकी है और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों तथा बीसीसीएल टॉउनशीप में चरणबद्ध तरीके से फिट किया जा रहा है।

**2.2 . बिजली चोरी को रोकने के लिए उठाये गए कदम:**

बीसीसीएल ने गैर-कोयलाधारित क्षेत्रों में बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए केन्द्रीकृत कॉलोनियों का निर्माण किया है ताकि इन कॉलोनियों में कर्मचारियों को बसाने के बाद, इनके द्वारा खाली की गयी कॉलोनियों में स्रोत से ही बिजली के कनेक्शन काटे जा सकें।

**2.3. ऊर्जा संरक्षण के लिए बीसीसीएल टाउनशिप में दैनिक आधार पर नियत कालिक शट-डाउन किया जाता है।**

**2.4 . कैपेसिटर बैंक:**

बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कैपेसिटर बैंक/ कैपेसिटर यूनिट की खरीद कर ली गई है और शीघ्र ही स्थापित किये जाने की संभावना है। इस कैपेसिटर बैंक के लगने के बाद अधिकतम मांग एवं बिजली की क्षति कम हो जाएगी, जिससे भविष्य में बिजली के बिल में कमी आएगी।

**2.5 . सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहल**

| क्र. सं. | कार्यों के नाम | स्थिति | अपेक्षित समय |
|---|---|---|---|
| i. | बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन तथा केन्द्रीय अस्पताल की छत पर 350 के.डब्लू.पी. एस पी वी ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं शुरूआत | एलओए निर्गत हो चुका है और जल्द ही कार्य आदेश जारी कर दिया जाएगा | अगस्त'2020 |
| ii. | क्षेत्रीय कार्यालय भवन (तेतुलमारी, सिजुआ के नए कार्यालय भवन, बस्ताकोला क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं प.झ. क्षेत्रीय कार्यालय) की छत पर 297 के.डब्लू.पी. एस पी वी ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं शुरूआत | एलओए निर्गत हो चुका है और जल्द ही कार्य आदेश जारी कर दिया जाएगा | अगस्त'2020 |
| iii. | कोयला नगर नर्सरी में 6 के.डब्लू.पी सोलर पावर आधारित एलईडी लाइट की व्यवस्था ,आपूर्ति , स्थापना, परीक्षण एवं शुरूआत | स्थापित किया जा चुका है और जून'2019 से चालू है | |
| iv. | बीसीसीएल के 19 भवनों में 1.2 एमवी सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट | एसईसीआई द्वारा निविदा प्रक्रिया की शुरूआत (सीआईएल के समन्वय से) | मार्च, 2021 |
| v | बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों की मैगजींस में 210 के.डब्लू.पी सोलर पावर प्लांट (ग्राउंड माण्टेड/ रूफ टॉप) एवं सोलर ट्री (हाइब्रीड) सिस्टम की स्थापन, परीक्षण एवं आपूर्ति की योजना की शुरुआत। | अनुमोदन की प्रक्रिया में है। | मार्च, 2020 |
| vii | पश्चिम बंगाल के भोजुडीह कोल वाशरी में 25 एमडब्ल्यू ग्राउंड माण्टेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना | एसइसीएल द्वारा बनाये गए डीपीआर का अनुमोदन प्रक्रिया में है। | मार्च, 2022 |

# अनुलग्नक - III

## कॉरपोरेट गवर्नेंस 2019-20 पर रिपोर्ट

### 1. कॉरपोरेट दर्शन

बीसीसीएल कानून, नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर मूल्य, नैतिक व्यवहार पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए वचनबद्ध है।

### 2. निदेशक मंडल

बीसीसीएल के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या कम से कम तीन अधिकतम 15 होगी। ये निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक या अल्पकालिक निदेशक हो सकते हैं।

### 3. बोर्ड का गठन

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 प्रकार्य निदेशक, 2 गैर-कार्यकारी निदेशक तथा 2 स्वतंत्र निदेशक हैं।

### 4. बोर्ड की बैठक

वर्ष के दौरान क्रमशः दिनांक 28.05.2019, 27.06.2019, 31.07.2019, 06.09.2019, 27.09.2019, 24.10.2019, 15.11.2019, 19.12.2019, 17.01.2020, 06.02.2020 ,06.03.2020 एवं 24.03.2020 को बोर्ड की कुल 12 (बारह) बैठकें हुईं। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की बैठक और वार्षिक आमसभा में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :-

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | निदेशक की श्रेणी | 2019-20 के दौरान बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए | गत एजीएम में उपस्थित रहे या नहीं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शेखर शरण | अध्यक्ष | 3 | हॉं |
| 2 | श्री पी. एम. प्रसाद | अध्यक्ष | 12 | नहीं |
| 3 | श्री भवानी प्रसाद पति | गैर-कार्यकारी निदेशक | 9 | नहीं |
| 4 | श्री बिनय दयाल | गैर-कार्यकारी निदेशक | 11 | हॉं |
| 5 | डॉ. एच. एस. यादव | स्वतंत्र निदेशक | 7 | हॉं |
| 6 | श्री विष्णु प्रसाद दास | स्वतंत्र निदेशक | 9 | हॉं |
| 7 | डॉ. के. एस. खोबरागड़े | स्वतंत्र निदेशक | 10 | हॉं |
| 8 | डॉ. ए. के. लोमस | स्वतंत्र निदेशक | 7 | हॉं |
| 9 | श्री नरेन्द्र सिंह | स्वतंत्र निदेशक | 9 | नहीं |
| 10 | श्री राकेश कुमार | निदेशक | 12 | हॉं |
| 11 | श्री के. एस. राजाशेखर | निदेशक | 1 | नहीं |
| 12 | श्री आर. एस. महापात्र | निदेशक | 12 | हॉं |
| 13 | श्री समिरन दत्ता | निदेशक | 10 | नहीं |
| 14 | श्री जे. पी. गुप्ता | निदेशक | 3 | नहीं |
| 15 | श्री चंचल गोस्वामी | निदेशक | 6 | नहीं |
| 16 | श्री के. आर. वासुदेवन | निदेशक | 1 | नहीं |

### 5. लेखा परीक्षा समिति:

#### (क) गठन

बीसीसीएल के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धरा 175 के तहत कारपोरेट गवर्नेंस में सुधार लाने के ख्याल से वर्ष 2002 में हुआ था। बीसीसीएल की लेखा परीक्षा समिति में चार स्वतंत्र निदेशक, दो प्रकार्य निदेशक, कोल

इंडिया लि. से नामित एक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित एक निदेशक होते हैं। समिति के स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति के अध्यक्ष होते हैं। 31 मार्च, 2020 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति (बीसीसीएल निदेशक मंडल की एक उप समिति) का गठन निम्नलिखित प्रकार से है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) | श्री नरेन्द्र सिंह | : | अध्यक्ष |
| ii) | श्री बी. पी. पति | : | सदस्य |
| iii) | श्री विनय दयाल | : | सदस्य |
| iv) | डॉ. के. एस. खोबरागड़े | : | सदस्य |
| v) | श्री राकेश कुमार | : | सदस्य |
| vi) | श्री चंचल गोस्वामी | : | सदस्य |
| vii) | श्री समिरन दत्ता | : | सदस्य |

समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठक में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के विभागाध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षक आमंत्रित किए जाते हैं। जब समिति को कोई जरूरी जानकारी देनी होती है तो आवश्यकता पड़ने पर वरीय अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता हैं।

### (ख) लेखा परीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र:

i. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश, मानदेय तथा शर्तें,

ii. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता एवं कार्य निष्पादन तथा अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा एवं अनुवीक्षण,

iii. वित्तीय टिप्पणियां एवं उनपर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच,

iv. संबंधित पार्टियों से कंपनी की लेन-देन का अनुमोदन अथवा उसके बाद कोई संशोधन

v. अंतर निगमित ऋण एवं विनिवेश की जांच पड़ताल

vi. जहां आवश्यकता हो, वहां कंपनी के दायित्वों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन,

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन पद्धति का मूल्यांकन,

viii. पब्लिक ऑफरों एवं संबंधित मामलों से प्राप्त निधियों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण।

### (ग.) लेखा परीक्षा समिति की बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः 28.05.2019, 31.07.2019, 05.09.2019, 26.09.2019, 24.10.2019, 19.12.2019, 06.02.2020 एवं 06.03.2020 को लेखा परीक्षा समिति की आठ बैठकें आयोजित हुई। लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | पद | वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. ए. के. लोमास | अध्यक्ष | 5 |
| 2 | श्री भवानी प्रसाद पति | अध्यक्ष | 7 |
| 3 | श्री बिनय दयाल | सदस्य | 7 |
| 4 | डॉ. एच. एस. यादव | सदस्य | 5 |
| 5 | श्री विष्णु प्रसाद दास | सदस्य | 6 |
| 6 | डॉ. के. एस. खोबरागड़े | सदस्य | 6 |
| 7 | श्री पी. एम. प्रसाद | सदस्य | 2 |
| 8 | श्री राकेश कुमार | सदस्य | 8 |
| 9 | श्री के. एस. राजाशेखर | सदस्य | 1 |
| 10 | श्री नरेन्द्र सिंह | सदस्य | 7 |

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | पद | वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति की सं. |
|---|---|---|---|
| 11 | श्री समिरन दत्ता | सदस्य | 7 |
| 12 | श्री जे. पी. गुप्ता | सदस्य | 3 |
| 13 | श्री चंचल गोस्वामी | सदस्य | 3 |

## 6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

## 7. व्हीसिल ब्लॉअर नीति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने 24.05.2014 को संपन्न अपनी 307वीं बैठक में व्हीसिल ब्लॉअर नीति अपनायी।

## 8 . जोखिम प्रबंधन समिति

### जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन की एक बैठक दिनांक 28.05.2019 को संपन्न हुई थी। सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का विवरण निम्नलिखित है:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | स्थिति | वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में उपस्थिति की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. ए. के. लोमास | अध्यक्ष | 1 |
| 2 | श्री पी. एम. प्रसाद | सदस्य | 1 |
| 3 | श्री विष्णु प्रसाद दास | सदस्य | 1 |
| 4 | श्री के. एस. राजाशेखर | सदस्य | 1 |
| 5 | श्री आर. एस. महापात्र | सदस्य | 1 |
| 6 | श्री राकेश कुमार | सदस्य | 1 |
| 7 | श्री एच. एस. यादव | सदस्य | 1 |

## 9. सशक्त उप समिति :

### ईएससी (टी) की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सशक्त उप समिति की सात बैठकें दिनांक 28.05.2019, 27.06.2019, 05.09.2019, 26.09.2019, 15.11.2019, 19.12.2019 एवं 17.01.2020 को संपन्न हुई थी। सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न ईएससी (टी) की बैठक का विवरण निम्नलिखित है:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | स्थिति | वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ईएससी (टी) की बैठकों में उपस्थिति की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री भवानी प्रसाद पति | अध्यक्ष | 7 |
| 2 | श्री पी. एम. प्रसाद | सदस्य | 2 |
| 3 | डॉ. ए. के. लोमास | सदस्य | 5 |
| 4 | श्री के. एस. राजाशेखर | सदस्य | 1 |
| 6 | श्री राकेश कुमार | सदस्य | 7 |
| 7 | श्री समिरन दत्ता | सदस्य | 5 |
| 8 | श्री जे. पी. गुप्ता | सदस्य | 2 |
| 9 | श्री चंचल गोस्वामी | सदस्य | 3 |
| 10 | श्री विष्णु प्रसाद दास | सदस्य | 2 |

**ईएससी (पी ऐंड सी) की बैठक एवं उपस्थिति:**

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ईएससी (टी) की पांच बैठकें दिनांक 27.09.2019, 24.10.2019, 15.11.2019, 19.12.2019 एवं 13.03.2020 को संपन्न हुई थी। सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न ईएससी (पी ऐंड सी) की बैठक का विवरण निम्नलिखित है:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत नियम (8) (5) (iiia) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अखंडता, विशेषज्ञता एवं अनुभव (प्रवीणता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय:

कोयला मंत्रालय के अवर सचिव, श्री संजीब भट्टाचार्य द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 21/33/2018-BA(part II) दिनांक 10.07.2019 के माध्यम से श्री नरेंद्र सिंह को गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। निदेशक मंडल का यह मानना है कि श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रोफाइल के अनुसार उनके पास विभिन्न कार्य क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता है, जिससे बोर्ड को निर्णय लेने की प्रक्रिया में आसानी हुई है। बोर्ड को यह भी लगता है कि वे एक ईमानदारी का व्यक्ति हैं, जो उनके पिछले रिकॉर्डों के साथ-साथ उनके वर्तमान कार्य से भी स्पष्ट होता है।

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | स्थिति | वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ईएससी (टी) की बैठकों में उपस्थिति की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री पी. एम. प्रसाद | अध्यक्ष | 5 |
| 2 | श्री भवानी प्रसाद पति | सदस्य | 3 |
| 3 | श्री बिनय दयाल | सदस्य | 4 |
| 4 | श्री विष्णु प्रसाद दास | सदस्य | 4 |
| 5 | श्री नरेन्द्र सिंह | सदस्य | 5 |
| 6 | श्री राकेश कुमार | सदस्य | 5 |
| 7 | श्री समिरन दत्ता | सदस्य | 5 |
| 8 | श्री जे. पी. गुप्ता | सदस्य | 2 |
| 9 | श्री चंचल गोस्वामी | सदस्य | 3 |

## 10. आम सभा का बैठक :

गत 3 वार्षिक आम सभा की बैठकों की तिथि, समय एवं स्थान निम्नलिखित हैं:

| वित्तीय वर्ष | दिनांक | समय | स्थान |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 08.07.2019 | 12.00 बजे दोपहर | कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद |
| 2017-18 | 13.07.2018 | 11.30 बजे पूर्वाह्न | कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद |
| 2016-17 | 22.07.2017 | 11.00 बजे पूर्वाह्न | कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद |

## 11. बीसीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न :

बीसीसीएल के 100 % शेयर कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामितों के पास हैं।

**12.** कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप नियम 5 के संदर्भ में बोर्ड का विचार है कि वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक श्री नरेंद्र सिंह के पास कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप काम करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता, सत्यनष्ठा एवं अनुभव है। इसके अलावा, डॉ. के. एस. खोबरागड़े और श्री नरेंद्र सिंह दोनों स्वतंत्र निदेशकों का आईआईसीए (IICA) में पंजीकरण है और वे अनुच्छेद 150 की उप-धारा (1) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षण में बैठने वाले हैं।

# अनुलग्नक-IV

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जो पूरे विश्व में पाया जाता है और लगभग 70 देशों में इसका प्राप्य योग्य भंडार मौजूद है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के नवीनतम बीपी सांख्यिकीय सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में कोयले (हार्ड कोल एवं ब्राउन कोल) का भंडार लगभग 1139.33 बिलियन टन है। कोयले के सबसे बड़े भंडार धारक देश, यूएस (22.1%), चीन (21.4%), रूसी संघ (14.1%), ऑस्ट्रेलिया (12.7%) एवं भारत (8.4%) हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान वैश्विक स्तर पर प्रमुख कोयला उत्पादक देशों के कोयला उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई, जबकि भारत ने .05% की वृद्धि दर्ज की थी। पिछले दस वर्षों के दौरान विश्व की अतिरिक्त ऊर्जा की मांग का लगभग आधा हिस्सा कोयले से पूरा किया जाता रहा है और आधा हिस्सा तेल, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय एवं परमाणु ऊर्जा जैसे अन्य ईंधनों से पूरा किया जाता है। आधुनिक विश्व में सस्ती, विश्वसनीय और सुलभ बिजली की उपलब्धता समृद्धि का आधार है। भविष्य में प्रत्येक देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिश्रित ऊर्जा के विकल्प को अपनाना होगा और अधिकांश देशों में अगले कई वर्षों तक कोयले की मांग बनी रहेगी।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत दिया है कि वर्ष 2020 तक कोयले की मांग 0.8% प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ जाएगी। इस वृद्धि के आधे हिस्से की पूर्ति भारत से होगी और प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की हिस्सेदारी 27 % से बढ़कर 29 % तक हो जाएगी।

पर्यावरणीय दबाव, कम नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ, CO2 मूल्य निर्धारण, कोयला-करों और नवीकरणीय ऊर्जा आदि की बढ़ती प्रतिस्पर्धा सहित उत्सर्जन को कम करने के अन्य उपायों के कारण, कोयला संबंधी प्रतिबंधित नीतियां बनाई जा रही है, जिससे कोयले को विद्युत उत्पादन में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि, भारत एवं आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कोयले की मांग में वृद्धि बनी रहेगी। भारत में लोगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके लिए कोयला सबसे किफायती विकल्प है। नवीकरणीय स्रोतों में तेजी लाने के बावजूद, बिजली की मांग का स्तर ऐसा है कि कोयले की खपत में नए निवेश और भविष्य में वृद्धि होना अपरिहार्य है। यह संभावना है कि भविष्य में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला-उपभोक्ता देश बन जाएगा, क्योंकि यहां कोयले का 2/3 हिस्सा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर, कोयले को ऊर्जा स्रोत से बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर 70% इस्पात उत्पादन, 41% विद्युत उत्पादन और 90% सीमेंट उत्पादन कोयला पर ही निर्भर है और भारत इसका अपवाद नहीं है।

विश्व के जनसंख्या की 18-19% आबादी भारत में रहती है, जो पूरे विश्व के प्राथमिक ऊर्जा का 6% का उपयोग करती है। वर्ष 2000 के बाद से ऊर्जा की खपत दोगुनी हो गई है और इसे आगे और तेजी से बढ़ने की संभावना है। ऊर्जा की मांग अगर इसी स्तर से बढ़ती रही तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2040 तक यह अपने वर्तमान आकार से पांच गुना से अधिक बढ़ जाएगी।

### कोयला: भारत के ऊर्जा मिश्रण में सबसे महत्वपूर्ण ईंधन

कोयला, भारत में प्राथमिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और प्रमुख ईंधन संसाधनों का सबसे बड़ा घरेलू भंडार है। भारत के विद्युत संयंत्रों का ईंधन-वार विवरण निम्नलिखित है, जो कोयले के योगदान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

**भारतीय विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता (31.03.2019 तक) (मेगावाट में)**

| स्वामित्व/क्षेत्र | मोड-वार अलग-अलग | | | | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | थर्मल | | | | नाभिकीय | हाइड्रो | आरईएस * (एमएनआरई) | |
| | कोयला | गैस | डीज़ल | कुल | | | | |
| राज्य | 66651.50 | 7118.70 | 236.01 | 74006.21 | 0.00 | 26958.50 | 2357.03 | 103321.74 |
| निजी | 76003.00 | 10598.74 | 273.70 | 86875.45 | 0.00 | 3394.00 | 83279.41 | 173548.85 |
| केंद्रीय | 62480.00 | 7237.91 | 0.00 | 69717.91 | 6780.00 | 15346.72 | 1632.30 | 93476.93 |
| **कुल** | 205134.50 | 24955.36 | 509.71 | 230599.57 | 6780.00 | 45699.22 | 87268.74 | 370347.52 |

**जीएसआई** द्वारा दिनांक 01.04.2018 तक भारत में कुल 319.02 बिलियन टन कोयला भंडार होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें प्राईम कोकिंग कोल 5.313 बिलियन टन, मिडियम एवं सेमी कोकिंग कोल 29.204 बिलियन टन, गैर-कोकिंग कोल 282.91 बिलियन टन और **टेरटियरी** कोयला (उच्च सल्फर) 1.588 बिलियन टन है। अधिकांश भारतीय कोयला भंडार 300 मीटर की गहराई पर स्थित हैं और जिसका खनन आमतौर पर सरफेस माइनिंग विधि द्वारा किया जाता हैं।

हालांकि, इनमें से कुछ कोयला भंडार घने जंगलों के नीचे मौजूद हैं और जिसका खनन अंडरग्राउंड माइनिंग विधि से करना ही व्यावहारिक है, क्योंकि इस विधि से पुनर्स्थापना और जंगल एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसी समस्या नहीं आती है। 300 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित कोयले का उत्खनन, अंडरग्राउंड माइनिंग विधि से करना आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त होता है। हाल ही में, पेरिस में जलवायु परिवर्तन विषय पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के सदस्यों के 21वीं सम्मेलन (COP21) का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने जलवायु प्रतिज्ञा के माध्यम से इस बात की प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि उसके द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा को अपनाया जाएगा और कम कार्बन उत्सर्जित करने वाले ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बावजूद भी भारत में कोयला का स्थान सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मिश्रण के रूप में बने रहने की संभावना है।

कोयला क्षेत्र का प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2020 तक कोयले का घरेलू उत्पादन, कोयले के आयात की मात्रा को कम करने में सक्षम नहीं है।

सभी को चौबीसों घंटे (24X7) बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराने का सरकारी अभियान केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। कोयले की लागत प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से कम कोयले की कीमतों और वैकल्पिक ईंधन की सीमित उपलब्धता पर आधारित है। यहां तक कि यदि अक्षय प्रौद्योगिकियों के लागत के गिरावट को भी शामिल कर लिया जाये, फिर भी भारत में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला का सबसे प्रभावी विकल्प के रूप में बने रहने की संभावना है।

## भारत में बिजली उत्पादन के लिए क्षमता

- **सौर क्षमता = 749 GW.**
- **पवन क्षमता = 103 GW**
- **जैव द्रव्यमान = 25 GW.**
- **स्मॉलहाइड्रो ( 25 MW क्षमता तक ) = 20 GW**

## कोयले की कुल आवश्यकता:

- वर्ष **2021-22 = 727 MT** (वर्ष 2021-22 तक आरईएस से 175 GW स्थापित क्षमता सहित परिदृष्य- I)]
- वर्ष **2026-27 = 901 MT** (50 **MT** आयातित कोयला सहित)

विकासशील देशों को CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए, उच्च क्षमता कम उत्सर्जन (HELE) प्रौद्योगिकी आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करना होगा। वर्तमान में कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपने विकास के चरण में है, कोयला आधारित प्रौद्योगिकी के चयन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कार्बन उत्सर्जन का गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, यूरोप में अक्षय ऊर्जा में निवेश की तुलना में भारत में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी में निवेश, CO2 के अधिक उत्सर्जन को कम कर सकता है। भारत में कोयले के कुशलतापूर्वक उपभोग करने से ऊर्जा की बढ़ती मांग से निपटने में काफी सहायता मिलेगी और जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

## उद्योग संरचना और विकास

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खदानों पर कुल उत्पादन का 90% कोयला उत्पादन करने का दायित्व है और कोल इंडिया लिमिटेड (एक महारत्न, पीएसयू) पर अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कुल उत्पादन का 80% कोयला उत्पादन करने का दायित्व हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल, एक मिनीरत्न, पीएसयू) कोकिंग कोल की प्रमुख उत्पादक कंपनी है, जो कोयला खनन एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों का परिचालन करती है। कोकिंग कोल एवं गैर कोकिंग कोल के राष्ट्रीयकरण के समय परंपरागत रूप से निजी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक विधि से चलायी जा रही छोटी-छोटी असंगठित कोयला खदानें इस कंपनी को विरासत के तौर पर मिली। इनका परिचालन ऊपरी सतह तक ही सीमित था, जिसके कारण इसके भूमिगत पुराने कार्यस्थल में आग लगने तथा पानी भर जाने की समस्या आम थी। इस कोयला क्षेत्र में आबादी का घनत्व काफी अधिक है और यहां टाउनशिप, महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क, राष्ट्रीय-राजमार्गों और राज्य-राजमार्गों सहित सड़कों की भी बहुलता है। इस कारण से यहां कोयले का उत्खनन करना, खनन इंजीनियरों के लिए बेहद जटिल एवं चुनौती पूर्ण है। किंतु खनन क्षेत्र में इस कंपनी का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। बीसीसीएल अपने कुल कोयला उत्पादन का लगभग 85%, कोकिंग कोल के रूप में करता है। बीसीसीएल में मुख्य रूप से दो प्रकार के कोकिंग कोल का उत्पादन होता है- प्राइम कोकिंग कोल (PCC) और मध्यम कोकिंग कोल (MCC), जिसमें कम वाष्पशील पदार्थ मौजूद होता है। कुल कोकिंग कोल के उत्पादन में प्राइम कोकिंग कोल (PCC) की मात्रा 10% और मध्यम कोकिंग कोल (MCC) की मात्रा 90% होती है।

## भारत में कोयला भंडार

सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई और एससीसीएल और कुछ निजी / सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अनुमानित संसाधन के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार भारतीय कोयला भंडार की सूची निम्नलिखित है **(मिलियन टन में)**:

| कोयले का प्रकार | प्रमाणित | सूचित | अनुमानित | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **कोकिंग** | | | | |
| -प्राइम कोकिंग | 4649 | 664 | 0 | 5313 |
| -मिडियम कोकिंग | 13914 | 11709 | 1879 | 27502 |
| -सेमी कोकिंग | 519 | 995 | 193 | 1708 |
| **उप कुल कोकिंग** | **19082** | **13368** | **2073** | **34522** |
| गैर-कोकिंग | 129112 | 125697 | 28102 | 282910 |
| तृतीयक कोयला | 594 | 99 | 895 | 158 |
| **कुल योग** | **148787** | **139164** | **31069** | **319020** |

- सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में से एक और कोकिंग कोयले के प्रमुख उत्पादक खदानें निम्नलिखित क्षेत्रों में फैली हुई हैं:
  - झारखंड में स्थित झरिया कोलफील्ड्स -273 वर्ग कि.मी.
  - झारखंड में स्थित रानीगंज कोलफील्ड्स (19 वर्ग कि.मी.) और पश्चिम बंगाल (13 वर्ग कि.मी.) - 32 वर्ग कि.मी.

कंपनी का कोयला भंडार झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में फैला हुआ है।

**भारत में उपलब्ध प्राइम कोकिंग और मिडियम कोकिंग कोल रिजर्व का अधिकांश हिस्सा बीसीसीएल के पास मौजूद हैं।**

## कोयला उत्पादन:

बीसीसीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान 27.278 मिलियन टन उत्पादन किया है और वर्ष 2020-21 के दौरान 36.11% से अधिक की वृद्धि के साथ 37.13 मि.ट. के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

## कोयले का प्रेषण :

कंपनी द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 28.69 मिलियन टन का प्रेषण किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2019-20 में हम अलग-अलग उपभोक्ताओं को 37.13 मिलियन टन का प्रेषण करने की योजना बना रहे हैं।

## बीसीसीएल का स्वॉट (SWOT) विश्लेषण

### ताकत

- आयात समता मूल्य से कम पर कोयला प्रदान करने की क्षमता
- सुरक्षित बाजार वाले प्राइम कोकिंग कोयले का एकमात्र स्रोत
- 40 कि.मी त्रिज्या के दायरे में कोयला संसाधनों का उपलब्धता
- अच्छी कार्य संस्कृति वाले कुशल और प्रशिक्षित श्रमशक्ति
- ऊपरी संस्तर में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कोयले और निचले संस्तर में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का पाया जाना
- प्रचुर मात्रा में भंडार की प्रमाणित श्रेणी, इसलिए उपयुक्त योजना बनाई जा सकती है
- मास्टर प्लान के माध्यम से कोयला धारित क्षेत्र में अवस्थित संरचनाओं को हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है
- ऊपरी खंड विकासित। जमीन उपलब्ध होने के बाद, उच्च श्रेणी के कोयले का आसानी से खनन किया जा सकता है
- श्रमशक्ति में कमी से उत्तरोत्तर हानि कम हो जाएगी
- अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अच्छी सड़क रेल कनेक्टिविटी

- प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता
- सकारात्मक मानसिकता के लिए अग्रणी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच बढ़ती चेतना
- सीएमएम और सीबीएम उत्पादन के लिए संभावित क्षेत्र / भंडार

**कमजोरियां**

- पुरानी खदानें 100 वर्षों से अधिक समय से चल रही हैं।
- कोयला धारित क्षेत्रों में घनी आबादी है और ज्यादातर अनधिकृत कब्जें हैं, जिससे खनन गतिविधि की सुचारू प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
- विरासत में मिली अधिकांश छोटी एवं भूमिगत खदानों का आसानी से मशीनीकरण नहीं किया जा सकता है।
- अधिकांश सीमें आग एवं जल-जमाव से प्रभावित हैं।
- श्रमशक्ति की तर्कसंगत तैनाती में ट्रेड यूनियनों द्वारा बाधा उत्पन्न करना।
- बाहरी ओबी डंप के लिए भूमि का उपलब्ध नहीं होना।

**अवसर**

- लंबी अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में आसानी से उपलब्ध एक संपूर्ण बाजार
- अगर सरकारी नीति अनुमति देती है तो मास्टर प्लान के लागू होने पर निकलने वाले प्राइम कोकिंग कोयले से घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के बाद इसका निर्यात किया जा सकता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।
- दीर्घकालिक पूंजीगत परियोजनाओं और वाशरी के लिए पीएसयू / प्राइवेट उद्यमियों के साथ संयुक्त उपक्रम।
- इस्पात क्षेत्र में कोकिंग कोल के बाजार की स्थिति अनुकूल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही है और देश मुश्किल से अर्जित विदेशी मुद्रा को इसके लिए वहन नहीं कर सकता है।
- मुनिडीह - सिंगरा - कपूरिया और महुदा बेसिन में गहराई में जमा भंडार की निकासी के लिए उच्च क्षमता वाली भूमिगत खदानों को चालू किया जा सकता है।

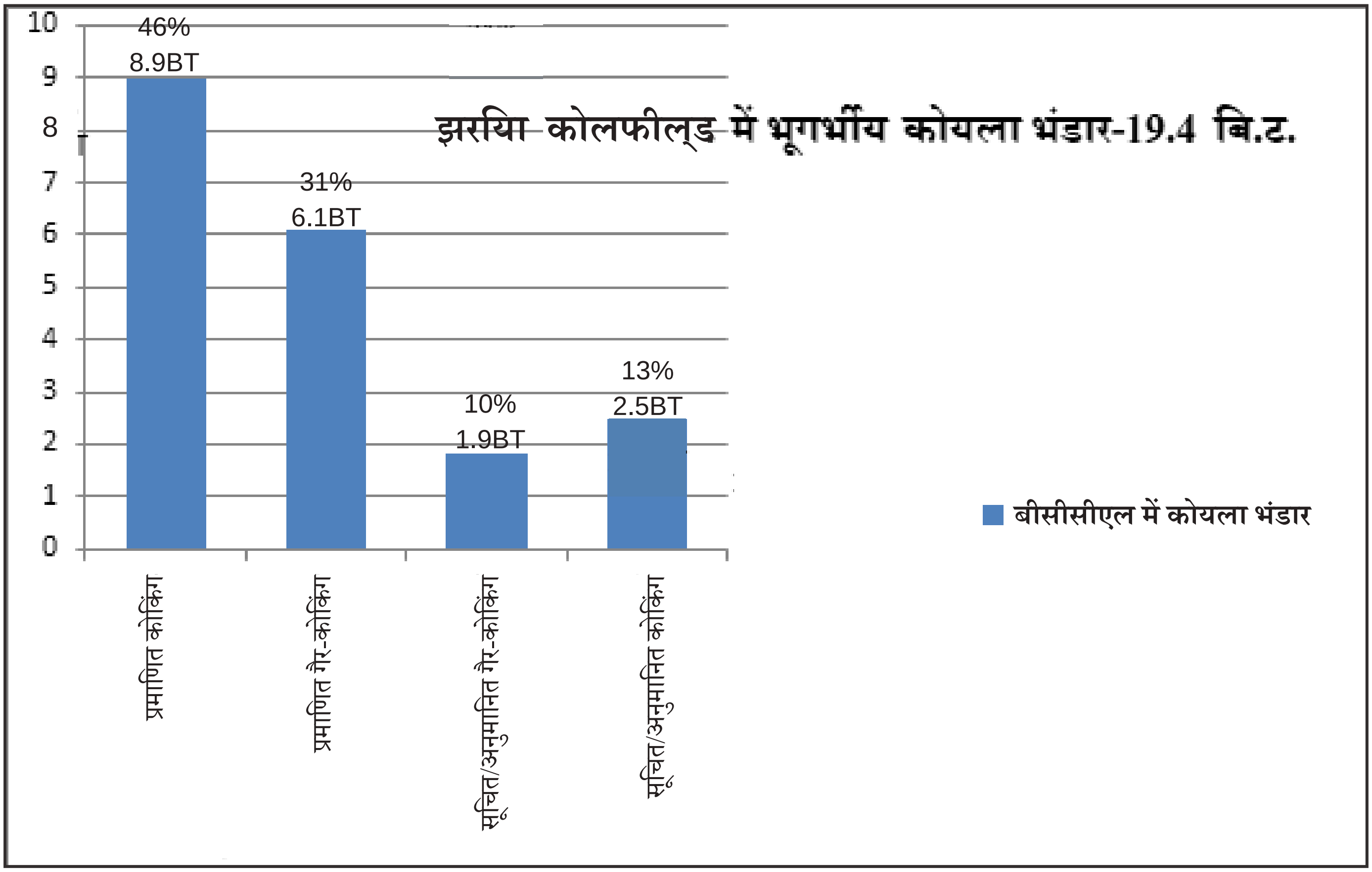

## चुनौतियां

- खनन उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि पर भौतिक कब्जा करने में असमर्थता।
- मास्टर प्लान के निष्पादन में किसी प्रकार के विलंब होने पर कोई राष्ट्रीय आपदा की घटना घट सकती है, जो जीवन और संपत्तियों के साथ-साथ लंबे समय तक कंपनी के परिचालन को भी खतरे में डाल सकती है।

## खंडवार या उत्पादवार प्रदर्शन

वर्ष 2019-20 के दौरान, बीसीसीएल का कोयला उत्पादन 27.27 मिलियन टन था। वर्ष के दौरान कोयले का ऑफटेक पिछले वर्ष की तुलना में 13.19% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 28.69 मिलियन टन था। वर्ष के दौरान ओवरबर्डन 83.278 एम घन मी. ओबी हटाया गया था। 2018-19 के दौरान 3.87 टन उत्पादन की तुलना में प्रति मैन शिफ्ट उत्पादकता 3.52 टन थी जिससे 9.04% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 9377.68 करोड़ की तुलना में कंपनी का टर्नओवर ₹ 8967.56 करोड़ दर्ज की गई थी। वर्ष 2018-19 में 6.07 लाख टन की तुलना में वर्ष 2019-20 में स्टील क्षेत्र को धुले कोयले एवं प्रत्यक्ष फीड होने वाले कोयले की आपूर्ति 6.23 लाख टन है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.64% की वृद्धि को दर्शाती है।

### उत्पादन में कमी के कारण:

**(आंकड़े लाख टन में)**

| बिजली की विफलता | गैरहाजिरी | वर्षा/ जलभराव | मैकेनिकल ब्रेकडाउन | आइआर | भूमि की गैर-उपलब्धता/ भूमि विवाद | आग | डीजीएमएस प्रतिबंध | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.614 | 0.062 | 3.457 | 1.847 | 1.201 | 30.12 | 12.101 | 6.353 | 26.957 |

**कुल – 82.711**

### 1. दृष्टिकोण

**उत्पादन:**

उत्पादन के मोर्चे पर, सरकार ने देश के कोयला उत्पादन को 1.5 बिलियन टन तक बढ़ाने की पहल की है, वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया लिमिटेड का हिस्सा 1 बिलियन टन कर दिया गया है। इसमें बीसीसीएल का हिस्सा 51 मिलियन टन है।

कंपनी ने मुनीडीह XV सीम भूमिगत (2.5 एमटीवाई), मुराईडीह भूमिगत (2 एमटीवाई) नामक उच्च क्षमता वाली परियोजना को लागू करने के लिए कदम बढ़ाया है। इसके अलावा, कल्याणेश्वरी एवं कपुरिया ब्लॉक के एक बार चालू होने से आगामी वर्षों में कंपनी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

**कोयले का डिस्पैच :**

बढ़ी हुई उत्पादन और प्रेषण आवश्यकता के भावी चुनौतियों को पूरा करने के लिए ऑफ-टेक व्यवस्था को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित है:-

**रेल द्वारा:**

- 5 एमटीपीए क्षमता वाले महेशपुर में आरएलएस का प्रतिष्ठापन एवं शुरूआत।

**सड़क मार्ग द्वारा:**

- खदान परिसर में 18 न्यू रोड वेब्रिज का निर्माण पहले से ही प्रक्रियाधीन है।

प्रेषण प्रणाली का सामना करने के लिए मौजूदा रेलवे साइडिंग, वारफ वॉल लोडिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।

कंपनी उचित संरक्षण के साथ कोयला के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा बिजली और इस्पात क्षेत्र को वांछित गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति करने हेतु अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

**इस्पात की राष्ट्रीय नीति:**

- – वर्ष 2025-26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक होना
- **– वर्ष 2030-31 तक ~ 85% से ~ 65% तक कोकिंग कोयले पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए धुले कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि।**

स्टील एवं पावर सेक्टरों को कोकिंग कोल और स्वच्छ कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी अपनी छ: नई वाशरियों के माध्यम से उत्पादित कोयले को धोने का निर्णय लिया था, जिनमें से चार निर्माणाधीन हैं। दहीबारी वाशरी (1.6 एमटीपीए) ने वर्ष 2018-19 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, पाथरडीह वाशरी (5.0 एमटीपीए) का पीजी परीक्षण पूरा हो गया है और जल्द ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो जाएगा। अन्य वॉशरियां कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं।

कंपनी ने बीओएम आधार पर (छह वाशरी से, जिनमें से धुलाई के 8% राख स्तर पर पांच वाशरियों से 16.1 और धुलाई के 14% राख स्तर पर एक वॉशरी से 2.5) 18.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (Mtpa) कोकिंग कोल धोने की योजना बनाई है। इन नए वाशरियों से 18% राख स्तर पर लगभग 4.7 मि.ट. प्रतिवर्ष (Mtpa) और 14% राख स्तर पर 1.68 मि.ट. प्रतिवर्ष (Mtpa) कोयले का उत्पादन किया जाएगा।

बीसीसीएल ने अपने धुले कोयले की आपूर्ति क्षमता को बढ़ाकर 2.21 मि.ट. प्रतिवर्ष तक करने के लिए, मुनीडीह (1.6 मि.ट. प्रतिवर्ष) और मधुबन (2.5 मि.ट. प्रतिवर्ष) नामक अपनी दो मौजूदा वाशरियों के नवीनीकरण की योजना बनाई है।

## 2. जोखिम और खतरे

- खान दुर्घटनाएं, खनन से संबंधित बीमारियाँ।
- पावर सेक्टर के उपभोक्ता आम तौर पर निम्न ग्रेड के गैर-कोकिंग कोयले को प्राथमिकता देते/ मांग करते हैं जो निम्न दर पर उपलब्ध है। बिजली क्षेत्र में LVMC कोयले की कीमत में कोई भी वृद्धि खरीदार को अन्यत्र से निम्न श्रेणी के गैर कोकिंग कोयले का चयन करने के लिए मजबूर कर सकती है और कंपनी के समक्ष विपणन की कठिनाई पैदा करेगी। इसलिए, बीसीसीएल के सामने चुनौती यह है कि वह कीमत के मोर्चे पर बिना नुकसान किए बिजली घरों को कोकिंग कोल की आपूर्ति करें।
- कंपनी के पास उत्पादित कोयले को धोने के लिए पर्याप्त धुलाई की क्षमता नहीं है तथा पुराना डिजाइन होने के कारण पुरानी वाशरियों का प्रदर्शन खराब है।
- घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा

## 3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कॉरपोरेट शासन को उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए हमारी कंपनी के पास एक बेहतरीन स्थापित और मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं। निर्बाध निर्णय के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन विस्तृत रूप से किया गया है। परिचालन दक्षता की निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। यह लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर नजर रखती है। कंपनी का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी के नव नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

## 4. परिचालन प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन पर परिचर्चा

वित्त वर्ष 2019-20 में, कंपनी का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 991.12 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 918.68 करोड़ था, जिसपर पिछले वर्ष क्रमशः पीबीटी ₹ 557.05 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 288.77 करोड़ की तुलना 77.92% और 218.14% की वृद्धि दर्ज की गई है।

लाभ-वृद्धि में निम्नलिखित प्रमुख कारकों का योगदान हो सकता है:-

- एफएसए के माध्यम से कोयले की बिक्री में बेहतर वसूली दर, विशेष रूप से कोकिंग कोल मूल्य निर्धारण में दो नए ग्रेडों की शुरूआत के मद्देनजर, अर्थात मार्च 2019 में W-V एवं W-VI।
- विशेषकर पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष के दौरान उपभोग किये गए सामग्रियों तथा किये गए संविदात्मक खर्चों की लागत में बचत।

वित्तीय प्रदर्शन एवं विश्लेषण पर एक विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

**क. कुल आय:**

कंपनी की कुल आय में परिचालन एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व शामिल है। कुल आय के उपर्युक्त दो मदों के तहत, कंपनी के प्रमुख राजस्व में कोयले की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य परिचालन राजस्व जैसे ग्राहकों से प्राप्त लोडिंग एवं परिवहन शुल्क, निकासी सुविधा शुल्क, बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज, म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभांश आय, आदि शामिल हैं। शामिल थे। वित्त वर्ष 2019-20 का कुल आय 9971.00 करोड़ है, जो पिछले वर्ष 10247.76 करोड़ की तुलना में 2.70% कम है, जो 4.31 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2018-19 में 33.07 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 28.76 मिलियन टन) कम ऑफ-टेक के कारण दर्ज की गई।

## आय के प्रमुख तत्वों पर विश्लेषण निम्नलिखित है:

### 1. परिचालन से प्राप्त राजस्व

#### क. कोयले बिक्री

रॉयल्टी, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), जिला खनिज फाउंडेशन सहित अतिरिक्त रॉयल्टी सहित बिक्री को सकल बिक्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। (डीएमएफ) और अन्य लेवी आदि।

भारतीय लेखा मानक-115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व' दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले के मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष में 33.7 मिलियन टन की तुलना में 28.76 मिलियन टन का ऑफ-टेक हासिल किया, जो 4.31 मिलियन टन यानी 13.03% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा, दिनांक 24.01.2019 से प्रभावी मूल्य वसूली का पूरे वर्ष प्रभाव, ग्रेड स्लिपेज का नियंत्रण, गुणवत्ता के लिए कम प्रावधान आदि के मद में औसत वसूली में वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष में ₹ 12899.97 करोड़ की सकल बिक्री की तुलना में वर्ष 2019-20 में कंपनी की सकल बिक्री ₹ 12224.47 करोड़ रही। पिछले वर्ष ₹ 9377.68 करोड़ की शुद्ध बिक्री (सभी लेवी का शुद्ध) की तुलना में वर्ष के दौरान शुद्ध बिक्री (सभी लेवी का शुद्ध) ₹ 8967.56 करोड़ थी।

#### ख. अन्य परिचालन राजस्व:

**लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क**

अन्य परिचालन राजस्व का अधिकांश अंश ग्राहकों से वसूल किए गए परिवहन शुल्क के मद से है। प्रेषण स्थलों तक कोयले की ढुलाई के लिए दूरी एवं तदनुरूप दरों के विभिन्न स्लैबों के तहत कंपनी द्वारा परिवहन लागत शुल्क लगाया जाता है। वसूले गए लोडिंग एवं परिवहन शुल्क (सभी लेवियों का शुद्ध) पिछले वर्ष ₹ 330.07 करोड़ की तुलना में वर्ष ₹ 315.17 करोड़ था। यह ह्रास ऑफ-टेक की मात्रा में कमी के कारण हुई थी।

**निकासी सुविधा शुल्क**

रैपिड लोडिंग व्यवस्था के माध्यम से किये प्रेषण (डिस्पैच) को छोड़कार, सभी प्रेषणों पर ₹ 50 प्रति टन के हिसाब से निकासी सुविधा शुल्क लगाया जाता है। पिछले वर्ष में ₹ 167.95 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान निकासी सुविधा शुल्क (सभी लेवियों का शुद्ध) के मद में कुल राजस्व ₹ 143.28 करोड़ था। यह ह्रास प्रेषण की मात्रा में कमी के कारण हुई थी।

### 2. अन्य आय

वर्ष 2018-19 में ` 372.88 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान अन्य आय ₹ 544.99 करोड़ थी, जो ₹ 172.11 करोड़ यानी 46.16% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंक जमा के औसत निवेश में वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, पहले प्रदान किए गए प्रावधानों / देनदारियों से संबंधित जो प्रतिलेखन (राइट बैक) था, अब उसकी आवश्यकता नहीं है।

## ख. व्यय

**व्यय के प्रमुख तत्वों का विवरण निम्नलिखित है:**

### क. कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय, कुल लागत में सबसे बड़ा घटक है, जो कुल लागत का लगभग 64.16% है। पिछले वर्ष में ₹ 5866.95 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान, कर्मचारी लाभ लागत ₹ 5716.35 करोड़ था।

सामान्य वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि आदि के बावजूद, कर्मचारी पारिश्रमिक लागत में गिरावट आई है। हालांकि, वर्ष के दौरान 2594 कर्मचारियों की कमी का मुख्य लाभ उच्चतर बीमांकिक मूल्यांकन के प्रभाव से काफी हद तक कम हो गया, जिसके कारण संबंधित निधि प्रतिलाभ में कमी हुई जो गतवर्ष के 7.55% के बजाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में 6.60% रहा।

### ख. संविदात्मक व्यय

संविदात्मक व्यय में मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किया गया कोयला, बालू तथा अन्य सामग्रियों का परिवहन शुल्क, वैगन लोडिंग परिचालन से संबंधित ठेकेदार खर्च, हैवी अर्थ मोविंग मशीनरी से कोयला निष्कर्षण तथा ओवरबर्डन हटाने की गतिविधियों के लिए हायरिंग शुल्क और तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किये गए अन्य विविध कार्यों की लागत से संबंधित व्यय शामिल है, जैसे खानों के आस-पास हॉल रोड का रखरखाव तथा अस्थायी प्रकाश व्यवस्था आदि। .

वर्ष 2018-19 के ₹ 1312.57 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में संविदात्मक व्यय ₹ 1211.50 करोड़ रहा जो ₹ 101.07 करोड़ यानी 7.70% तक की कमी को दर्शाता है। कोयले के उत्पादन में कमी और ओवरबर्डन को हटाने के कारण संविदात्मक खर्चों में काफी हद तक कमी आयी थी। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान संविदात्मक कार्यों के लिए कम औसत कीमत के कारण भी संविदात्मक खर्चों में कमी आई।

### ग. निवल संपत्ति

दिनांक 31.03.2020 तक कंपनी की निवल संपत्ति ₹ 4297.66 करोड़ थी। इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने नियत प्रक्रिया के बाद अपने अधिमान शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदल दिया था।

## 5. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध में वास्तविक विकास

वर्ष 2019-20 के दौरान, मैनेजरशिप, ओवरमैनशिप, माइनिंग सरदारशिप, सर्वेयरशिप, गैस परीक्षण, आदि जैसे सांविधिक पदों के लिए 780 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 4940 लोगों को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सांविधिक श्रमशक्ति, सतर्कता जागरूकता, सेवानिवृत्त व्यक्ति, महिला विकास तथा कंप्यूटर जागरूकता के लिए कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था। वार्षिक रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास को एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है।

### औद्योगिक संबंध-

उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, कल्याण, नियोजन एवं अन्य कार्मिक मामलों पर नियमित रूप से परस्पर परिचर्चा करने एवं निष्पादन के लिए कंपनी में एक सुव्यवस्थित द्विपक्षीय मंच का गठन किया गया है, जिसमें प्रबंधन एवं केंद्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ वर्ष भर होने वाले बैठक का कलैंडर अग्रिम रूप से निर्गत कर दिया जाता है और तदनुसार इकाई, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक की जाती है और इस प्रकार से कार्यस्थल पर एक प्रभावकारी मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हो रहा है। वार्षिक रिपोर्ट में औद्योगिक संबंध को एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है।

**6. पर्यावरणीय बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास**

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

**7. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

**8. चेतावनी कथन**

कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण, आकलन एवं अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली इस रिपोर्ट में दिए गए वक्तव्य लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ में अनुमानित विवरण हो सकता है। वस्तुतः वास्तविक परिणाम व्यक्त या अंतर्निहित परिणाम से भिन्न हो सकता है। कंपनी के परिचालन में अंतर करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में उस क्षेत्र के घरेलू एवं विदेशी बाजारों की आर्थिक स्थितियां, सरकारी नियम, कर कानून तथा अन्य सांविधिक एवं आकस्मिक कारक शामिल हैं, जिन क्षेत्रों में कंपनी का परिचालन होता है। .

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)

धनबाद-826005 (झारखंड)

**CIN No. U10101972GOI000918**

## मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

**सेवा में,**

**निदेशक मंडल**

**बीसीसीएल, धनबाद।**

एतद्द्वारा, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर, हम पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), बीसीसीएल और समिरन दत्ता, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल, जो वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि:-

क. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

   i. इन विवरणों में वास्तविक रूप से कोई भी असत्य विवरण शामिल नहीं है अथवा किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हों;

   ii. ये विवरण, इस कंपनी से संबंधित सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण एकसाथ प्रस्तुत करते हैं तथा वर्तमान लेखा मानकों, प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के संदर्भ में है।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास में 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन, कंपनी आचार संहिता के तहत धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हम उक्त आंतरिक नियंत्रणों या संचालन की कमियों के संबंध में भी लेखा परीक्षकों तथा लेखा समिति के समक्ष खुलासा करते हैं, यदि कोई हो तो, ताकि वे इस बात से अवगत रहें तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित कदम उठा सकें।

घ. हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा समिति को यह सूचित किया है कि:-

   i. संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है,

   ii. इस अवधि के दौरान वास्तविकता की सीमा-रेखा की गणना और कोयले के स्टॉक के मूल्यांकन-विधि के अलावा लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं,

   iii. हमें अनुलग्नक- 1 में यथा संलग्न के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी प्रबंधन अथवा कर्मचारी के किसी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने की जानकारी नहीं है:

**निदेशक (वित्त)**
**एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल**

**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीसीसीएल**

**स्थान: धनबाद**

**दिनांक: 08.06.2020 0**

## वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पकड़े गए मामले निम्नलिखित हैं:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मामला सं.</th><th>मामले का विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CA/04/2019</td><td>सीवीओ, सीएमपीएफओ द्वारा पत्र सं.: CMPF/120/Vig/2017/G Sengupta/262, दिनांक- 30/31.8.2017 के माध्यम से 'बस्ताकोला एरिया, लोदना एरिया, ईजे एरिया एवं ईडब्ल्यूजेड, सुदामडीह के कर्मचारियों से संबंधित 345 रिफंड-दावों की सूची अतिरिक्त जांच हेतु भेजी गई थी, जिसे सीएमपीएफ योजना, 1948 के पैरा 63ए के तहत गलत तरीके निपटान किया गया था। जांच में, निपटान किये गए कुल 303 में से केवल 06 दावों को ही सीएमपीएफ योजना, 1948 के पैरा 63ए के अनुसार सही पाया गया और शेष 297 दावों को गलत पाया गया।<br><br>इस मामले में यह पाया गया कि बीसीसीएल कर्मचारियों से संबंधित इन 297 गलत एवं अनुचित दावों को बीसीसीएल के प्राधिकृत अधिकारियों तथा इस काम के लिए नियुक्त किये गए कर्मचारियों के हस्ताक्षर से संसाधित एवं अग्रेषित कर निपटान हेतु कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (COMPFO) भेजा गया था और लाभार्थी कर्मचारियों के दावा फार्म में इनके जन्मतिथि तथा सेवानिवृत्ति तिथि/सेवा समापन तिथि की गलत जानकारी दी गई थी अथवा इनमें छेड़छाड़ की गई थी, ताकि उपर्युक्त योजना के तहत पैसे की निकासी के लिए इन कर्मचारियों को गलत तरीके से पात्र बनाया जा सके। कई दावा फार्मों मे यह भी पाया गया कि संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के काउंटर हस्ताक्षर से अथवा बिना काउंटर हस्ताक्षर के भी इनके जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि/सेवा समापन तिथि जैसे महत्वपूर्ण विवरणों की प्रविष्टि में ओवरराइटिंग भी की गई है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>CA/01/2020</td><td>नवंबर-2011 में सीबीआई और बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा भूतपूर्व कुस्तौर क्षेत्र में एक संयुक्त जांच किया गया था और इस जांच के दौरान बड़ी संख्या में प्रदत्त (पेड) एवं अप्रदत्त (अनपेड) बिलों के साथ अन्य दस्तावेजों को जब्त किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए जब्त किए गए इन अप्रदत्त (अनपेड) वाउचरों को बीसीसीएल के सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया था। इन सभी अप्रदत्त (अनपेड) बिलों की जाँच करने पर, इनमें कई प्रकार की अनियमितताएं पायी गई थी। जांच के बाद यह पाया गया कि भूतपूर्व कुस्तौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इसके बाद बीसीसीएल के सतर्कता द्वारा अभिज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता के 12 मामले दर्ज किए गए और इन अभिज्ञात दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई (9-बरखास्तगी/42-बड़ी/35-छोटी/1-चेतावनी) की गई। उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्ष 2010-2013 की अवधि के दौरान के भूतपूर्व कुस्तौर क्षेत्र के बहीखातों का "फॉरेंसिक ऑडिट" कराने का निर्णय लिया गया था और यह कार्य खुली निविदा के माध्यम से कोलकाता के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स "मेसर्स घोषाल ऐंड घोषाल" को प्रदान किया गया था। दिनांक 08.08.2011 को कुस्तौर क्षेत्रीय कार्यालय में लगी आग में भूतपूर्व कुस्तौर क्षेत्र से संबंधित अधिकांश दस्तावेज नष्ट हो गए थे, जिसके कारण फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए बीसीसीएल द्वारा फोरेंसिक ऑडिट एजेंसी को केवल उपलब्ध रिकॉर्ड सौंपे जा सके थे।<br><br>दिनांक 13.07.2018 को मेसर्स घोषाल ऐंड घोषाल द्वारा फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अनियमितताओं का पता चला था। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर, बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा अनियमितताओं के निम्नलिखित 7 मामलों के संबंध में विस्तृत जांच की गई, जिसकी जांच पहले नहीं की गई थी।
<table>
<tr><th>मामला सं.</th><th>फोरेंसिक ऑडिट में पकड़ी गई अनियमितताएं</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एलटीई में अनियमितता: तुलनात्मक विवरण (एल-1दर पर) के अनुसार एल-1 के स्थान पर अन्य एजेंसी को कार्य/आपूर्ति आदेश प्रदान करना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मेसर्स लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स को ₹ 99,216/- एवं ₹ 99,840/- का दोहरा भुगतान करना।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>₹ 30,610.71 के बेयरिंग खरीद में पार्टी आरके इंटरनेशनल, कोलकाता से अहस्ताक्षरित पीआई की स्वीकृति।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>टेंडर पेपर नहीं प्राप्त होने के बावजूद मेसर्स आरके ट्रेडर्स को एलटीई सं. LTE/2010-11/280, LTE/2010-11/279, LTE/2010-11/312 में विचार करना।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>एलटीई सं. LTE/2010-11/202 में बिना किसी औचित्य/अयोग्य ठहराए जाने के कारण के मेसर्स सीके इंडस्ट्रीज की तकनीकी अयोग्यता।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>चिह्नित मामलों में कार्यों के लिए प्रक्कलन नहीं तैयार करना।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>आयकर की कटौती नहीं करना/ कम करना, कार्यादेश से से अधिक कटौती करना, जो इंगित करता है कि यह काम नहीं हुआ है/जाली है।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

# परिशिष्ट -V

## भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को

### स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|
| **सेवा में,**<br>**भारत कोकिंग कोल के सदस्य**<br>**भारतीय मानक लेखा वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट**<br><br>**अभिमत**<br><br>हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड(कंपनी) के संलग्न भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है, इसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र,उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इन्हें अब 'भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) सम्मिलित हैं। इसमें कंपनी के क्षेत्र/इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा बरोरा क्षेत्र, ब्लॉक-2 क्षेत्र, गोविन्दपुर क्षेत्र,कतरास क्षेत्र, सिजुआ क्षेत्र, कुसुन्डा क्षेत्र, पूर्वी झरिया क्षेत्र, सी वी क्षेत्र, पश्चिमी झरिया क्षेत्र, वाशरी डिवीजन, मधुबन कोल वाशरी, माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा भूली टाउनशिप क्षेत्र में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए किया गया लेखा परीक्षण विवरण भी शामिल है।<br><br>हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण यथा-आवश्यक विधि से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान करता है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को लाभ व कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी प्रवाह अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ा जाए और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है।<br><br>**अभिमत के लिए आधार**<br><br>हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। | |

| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|
| **महत्वपूर्ण मामले**<br><br>हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं: -<br><br>क) व्यापार प्राप्य तथा व्यापार देय के अंतर्गत निर्विवाद बकाया का लंबित अनुमोदन/समाधान, इस तरह के बकाया का अनुमोदन/समाधान के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है।<br><br>ख) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 38.5.12, कंपनी परिचालन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव तथा प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किए गए परिणामों का वर्णन करता है।<br><br>उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है। | व्यापार देय संबंधी सभी शेष राशि की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए गए थे। व्यापार प्राप्तियों का समाधान निरंतर होता है। लंबित समाधान में तेजी लाने, सार्वजनिक जीवन में सामान्य स्थिति को वापस लाने के प्रयास किए गए हैं।<br><br>इसे वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 38(5.12)-कोविड-19 में दर्ज किया गया है। अत: कोई और टिप्पणी आवश्यक नहीं। |

**मुख्य लेखा परीक्षा मामले**

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इन पर हमारी राय बनाने पर ध्यान दिया गया था, और हमने इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं किया है।हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को नीचे प्रदर्शित किया है।

| क्र. सं. | मुख्यलेखा परीक्षा मामले | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| 1. | **स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन**<br><br>स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन<br><br>ओपनकास्ट खनन के मामले में, कोयले की सीम तक पहुंचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान मलबा सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को हटाया जाना आवश्यक है । मलबा हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। ओपनकास्ट खानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक<br><br>(तकनीकी रूप से अनुमानित) इस तरह के खर्चों को उठाना पड़ता है।<br><br>इसलिए एक नीति के रूप में, खदान से राजस्व प्राप्त होना शुरू होने के बाद स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस एकाउंट के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खदान के लिए एक मिलियन टन प्रति वर्ष और इससे अधिक की क्षमता वाले खदानों में, स्ट्रिपिंग की लागत का मूल्यांकन तकनीकी रूप से मूल्यांकन औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (OB: COAL) पर किया जाता है।<br><br>बैलेंस शीट तारीख में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस के कुल शेष को गैर-प्रचलित प्रावधान/अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां जैसा भी मामला हो शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी समायोजन के रूप में दिखाया गया है ।<br><br>रिकार्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना करने के तौर पर माना जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गयी मात्रा के बीच विचरण अनुमेय सीमा के भीतर है। हालाँकि, जहाँ विचरण ऊपर की अनुमेय सीमाओं से परे है, मापी गई मात्रा को माना जाता है।<br><br>वित्तीय विवरणों में लाभ और हानि और नोट 10 का विवरण देखें | **मूललेखा परीक्षा प्रक्रिया**<br><br>हमने निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएं कीं :<br><br>• स्ट्रिपिंग समायोजन के सक्रिय आंकड़ों को प्राप्त कर जाँच किया कि वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में विचार किए गए खर्चो की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया।<br><br>• जाँच की गयी कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन को आवंटित राशि के आधार पर की गयी और वर्ष के दौरान ओबी मात्रा को सही ढंग से निकाला गया।<br><br>• विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन गणना पर खर्चो के औचित्य के विवरण का परीक्षण किया।<br><br>• जांच की गई कि स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के लिए इस्तेमाल की गई लेखांकन नीति और प्रबंधन के निर्णय उचित हैं।<br><br>**निष्कर्ष**<br><br>अपनायी गयी प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट पाया है। |

| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | | | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| क्र. सं. | मुख्यलेखा परीक्षा मामले | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया | |
| 2. | **भारतीय लेखा मानक 115 ''ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व'' के अनुसरण में मान्यता, मापी, प्रस्तुतीकरण तथा राजस्व एवं उससे संबंधित अन्य शेष के प्रकटीकरण की सटीकता**<br>राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के पहचान, चिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन संव्यवहार मूल्य का निर्धारण, वर्ष के दौरान अभिज्ञात राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए पैमाने का औचित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।.<br>एकल वित्तीय विवरणों के लिए संदर्भ सं. 38.1.11 देखें | **मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया**<br>भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाने पर हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व में निम्न शामिल है:-<br>• नये राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया।<br>• ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूने का चयन कर राजस्व स्ट्रीम पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया तथा उन राजस्व स्ट्रीम संबंधी वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया।<br>• राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया एवं प्रासंगिक प्रकटीकरण की संपूर्णता तथा गणितीय विशुद्धता का आकलन किया।<br>हमने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के आकलन एवं निर्णयों को आय के अभिज्ञान में उचित पाया। | |
| 3. | **अनिश्चित कर स्तरों का मूल्यांकन**<br>कंपनी के पास विवादित मामलों सहित मूर्त अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।<br>एकल वित्तीय विवरणों के लिए 38.1.8.2.1 संदर्भ का अवलोकन करें। | **मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया**<br>**हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं:-**<br>• आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्प्राप्ति तथा वर्तमान कर प्रावधान संबंधी नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं डिजाइन का मूल्यांकन किया।<br>• अनिश्चित कर स्थिति के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के प्रावधानों की वैधता एवं पर्याप्तता पर विचार किया गया, मूल्यांकन के आधार की जांच करना और प्रासंगिक पत्राचार और कानूनी सलाह की समीक्षा करना, जहां उपलब्ध हो, इसमें प्रासंगिक कर अधिकरण में समान मामले से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध हो।<br>• आस्थगित कर संपत्ति के समर्थन में पर्याप्त आगामी कर योग्य आय उत्पन्न करने की संभावना सहित प्रबंधन के पूर्वानुमान और प्राकल्लन की उपयुक्तता का आकलन किया।<br>उपर्युक्त कार्य प्रक्रिया के आधार पर हमने वर्तमान और आस्थगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के विषय में प्रबंधन के आकलनों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त लेखा साक्ष्य प्राप्त किया। | |
| 4. | **परिभाषित लाभ योजना दायित्व का मूल्यांकन**<br>परिभाषित लाभ योजनाओं का लेखांकन, बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है जो दायित्व को मापने, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने तथा संबंधित बीमांकिक लाभ हानि की गणना करने के लिए आवश्यक है। | **मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया**<br>**हमारे लेखा प्रक्रियाओं में शामिल है:-**<br>• लागू गाइडेंस नोट के अनुसार (कटौती दर, मुद्रास्फिति दर, मृत्यु दर) लागू मूल मान्यताओं का मूल्यांकन किया। | |

| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | | | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| क्र. सं. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया | |
| | कंपनी में परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में कटौती दर, मुद्रास्फीति दर तथा मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण आकलन किए जाते हैं।<br>कंपनी समुचित पूर्वानुमान और दायित्व की गणना में सहायता के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन के अतिरिक्त है तथा परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में आकलन की एक उच्च डिग्री है क्योंकि यह मान्यताओं की पूर्वाधारणाओं के अनुरूप है।<br>एकल वित्तीय वक्तव्यों के लिए 38.1.5 के टिप्पणी देखें। | • कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का मूल्यांकन किया।<br>• बीमांकिक पुर्वानुमान का अनुमोदन तथा समीक्षा पर नियंत्रण तथा भौतिक बीमांकिक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता व एकरूपता तथा विशेषज्ञों की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया।<br>• निर्धारित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के विषय में प्रबंधन से चर्चा की गई और यदि पुर्वानुमान में कोई विसंगति थी तो उसका आकलन किया गया।<br>• भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विवरणों में कंपनी के प्रकटीकरण की उपयुक्तता सत्यापित है।<br>सम्मिलित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि मूल्यांकन संबंधी प्रबंधन द्वारा किया गया पुर्वानुमान उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित है। | |

**वित्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट और उसके अनुबंध, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान व विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गयी है और उम्मीद की जाती है कि इस लेखा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध होगी।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गयी अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाएं, तो इन्हें पढ़ें और ऐसा करके विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हमें निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुए और हमने इन्हें पढ़ा,यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को संबंधित व्यक्ति (those charged with governance) के पास ले जाना होगा और स्वीकार्य कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई के बारे में बताना होगा।

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:**

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) और इस अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लागू अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य प्रदर्शन, कुल आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं पता लगाना, पर्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्यायसंगत मामलों का निर्णय एवं आकलन करना और वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता प्रस्तुत करें, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण सम्मिलित है। जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है।

| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|
| वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा स्वीकार्य, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा का चालू प्रतिष्ठान आधार पर प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या कोई वास्तविक विकल्प न होने का इरादा रखता हो।<br><br>कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेश मंडल भी जिम्मेदार हैं। | |
| **वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व**<br><br>हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, ऐसे दुर्व्यवहार चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, तथा एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक खातों के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा वित्तीय गलतियों (होने पर) का पता लगाएगा। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे  वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने  यथोचित अपेक्षा हो।<br><br>एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम:<br><br>● वित्तीय विवरणों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा ऑडिट सबूत प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो।  धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलतियों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलतियों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।<br><br>● इन परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) ( i ) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों के लिए परिचालन प्रभावशीलता है।<br><br>● उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।<br><br>● प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मैटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेह युक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई मैटेरियल अनिश्चिततामौजूद है, तो हमारे द्वारावित्तीय विवरणों में संबंधित डिस्क्लोजर के लिए अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे डिस्क्लोजर अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं।हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।<br><br>● डिस्क्लोजर सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है।<br><br>मैटिरियलिटी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि (मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट) है , जो कि वैयक्तिक या समेकित रूप से संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गयी त्रुटि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिएमात्रात्मक मैटिरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।<br><br>जिम्मेदार लोगों को सूचित किए गए मामले में, हम वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, का निर्धारण करते हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में जन हित मामले के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों के कारण किसी मामले को नहीं दिया जाना चाहिए। | |

| स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|
| **अन्य मामले**<br><br>हमने कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल उन 17 क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरण/सूचनाओं का अंकेक्षण नहीं किया है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना यह दर्शाती है कि 31 मार्च, 2020 तक उनकी कुल परिसंपत्तियां 4395.23 करोड़ रुपया है और इस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व 9815.04 करोड़ रुपया, जैसा कि वित्तीय विवरणों में दिया गया है। इन क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण क्षेत्र/इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन क्षेत्रों/इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त क्षेत्र / इकाई के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।<br><br>इस मामले में हमारे मंतव्य में कोई संशोधन नहीं किया गया है। | |
| **अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**<br><br>1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमने परिशिष्ट – I में लेखा की सुझायी कार्यप्रणाली के अनुपालन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेश एवं अतिरिक्त निर्देशों और इसके बाद हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर एक विवरण दिया है। यह विवरण कंपनी के क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को उनके लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में शामिल करके तैयार किया गया है।<br><br>2. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हम अनुलग्नक - II में लेखा के तहत वर्ष के लिए लागू सीमा के क्रम सं.3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।<br><br>3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:<br><br>क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों कोप्राप्त किया,जो हमारे लेखा के उद्देश्यों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के लिए श्रेष्ठ थे।<br><br>ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार उपयुक्त बही-खाता को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह हमारे द्वारा इन बही-खता की जांच से प्रतीत होता है तथा लेखा प्रयोजन के लिए पर्याप्त समुचित रिटर्न को हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्र/इकाइयों से प्राप्त किया है।<br><br>ग. क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षितकंपनी के क्षेत्र / इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने इन पर सही तरीके से काम किया है।<br><br>घ. बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण के प्रासंगिक बही खाते और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रों/इकाइयों से प्राप्त रिटर्न से तालमेल रखते हैं।<br><br>ङ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए।<br><br>च. 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हुए हैं।<br><br>छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "परिशिष्ट -III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।<br><br>ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय हमारी जानकारी और ऑडिट के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण:<br><br>i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार 38.1.8.2 नोट का संदर्भ लें;<br><br>ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी मूर्त त्रुटि नुकसानदेह थी – एकल वित्तीय विवरण के नोट 38.1.8.1.2 का संदर्भ लें।<br><br>iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक थी। | |

**कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

**(सीए बी.के. बिश्वास)**

साझेदार,

सदस्यता सं. 0556233

यूडीआईएन- 20055623 एएएएसीई 8186

तिथि : 08.06.2020

स्थान : धनबाद

**कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

**समीरन दत्ता**

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआइएन 08519303

तिथि : 08.06.2020

स्थान : धनबाद

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्टके लिए परिशिष्ट-I

वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निदेश तथा अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के विवरण पर लेखा रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं'' के पैरा 1में संदर्भित जैसा कि कंपनी के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिया गया है।

**परिशिष्ट-क : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश**

| विवरण | लेखा परीक्षक का प्रेक्षण | वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव |
|---|---|---|
| 1) क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं। | हां, कंपनी ने अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए, एक प्रचलितईआरपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोलनेट को लागू किया है।सिस्टम विभाग द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह एप्लीकेशन कंपनी की एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग की तीव्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यापार प्रक्रिया को सुचारु और कुशलता से चलाने के लिए लगभग सभी कार्यात्मकताओं को शामिल करता है। अधिकतर अनुप्रयोगों में शामिल कार्यप्रणाली हैं:<br>वित्त, बिक्री और विपणन, पेरोल, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक और अन्य।<br>हालांकि कोलनेट को विभिन्न कार्यात्मक मॉड्यूलों को एकीकृत करने के लिए चालू किया गया है, हालांकि, पूर्ण एकीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जैसा कि हमें सूचित किया गया है, न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ विभिन्न मॉड्यूलों में डाटा के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है।<br>हालांकि, जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, मॉड्यूल के बीच लेखांकन लेनदेन के स्वचालित प्रवाह के लिए विभिन्न कार्यात्मक मॉड्यूल का कोई एकीकरण नही है, वित्तीय विवरणों में इस तरह के लेनदेन के वित्तीय प्रभावों को आवधिक अंतराल पर अलग-अलग दैनिक वाउचर के माध्यम से लिया जाता है।<br>वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, अनिश्चित हैं। हालाँकि, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, संभावना है कि स्वचालन न होने के कारण उपर्युक्त कुछ लेन-देन का लेखांकन होने से छूट जाए। | वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी को ईआरपी के क्रियान्वयन को शुरू करने के लिए चिह्नित किया गया है और इस संबंध में प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।<br>ईआरपी के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूलों के पूर्ण समामेलन सहित लेखांकन लेनदेन की कुल प्रक्रिया आईटी प्रणाली के तहत होगी।<br>हालांकि, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लेनदेन को लेखांकित करने के लिए उचित ध्यान दिया गया है और इसलिए किसी वित्तीय प्रभाव का पता नहीं चला है। |
| 2) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता केकारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या छूट के मामलों का पुनर्गठन / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है। | वित्तीयवर्ष 2019-2020 के दौरान मौजूदा ऋण या छूट के मामले / ऋण को बट्टे-खाते में डालना/ऋण/ब्याज इत्यादि के पुनर्गठन के इन मामले नहीं देखे गए हैं। | वित्तीय विवरणों में प्रकट करने के अलावा कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। |
| 3) क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है?विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त / प्राप्य नहीं हुआ है।<br>यद्यपि, सीआईएल के माध्यम से कोयला मंत्रालय से विशिष्ट योजनाओं के लिए पूर्व वर्षों में प्राप्त निधि को इसकी नियम और शर्तों के अनुसार समुचित तरीके से प्रयोग किया गया। | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। |

**कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी,**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

**(सीए बी.के. बिश्वास)**
साझेदार,
सदस्यता सं. 055623
यूडीआईएन- 20055623 एएएएसीई 8186

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

**कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

**समीरन दत्ता**
निदेशक (वित्त) एंड सीएफओ
डीआइएन 085193033

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

## परिशिष्ट-ख : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

| विवरण | लेखा परीक्षक की टिप्पणी | वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव |
|---|---|---|
| 1) क्या समोच्च नक्शा की दृष्टि से कोयला स्टॉक की माप की गयी है? क्या फिजिकल स्टॉक मापी रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शा के साथ जुड़ी है? वर्ष के दौरान तैयार किया गया यदि कोई, नया हीप है तो क्या उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त किया गया है? | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हीप के कोयला स्टॉक की माप समोच्च नक्शा के अनुसार किया जा रहा है। कोल स्टॉक डंप को कोलियरी द्वारा निर्धारित स्थलों पर बनाया जाता है, इसके लिए अग्रिम रूप से कोयले की डंपिंग से पहले समोच्च प्लान तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। फिर भी कुछ मामलों में छोटे स्टॉक जिसकी रेखागणितीय आकृति जटिल है और वे समोच्च नक्शा/लेवल सेक्शन का प्रयोग करते हुए मापनके लिए उपयुक्त नहीं है, को परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है, चाहे ऐसे स्टॉक का समोच्च नक्शा प्लान हो तोभी। स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च प्लान के साथ होती है।<br>वाशरी के लिए स्लरी रिजेक्ट्स और मिडलिंग का स्टॉकबीसीसीएल द्वारा अपने नियंत्रण में लेने से पहले से ही वाशरी के प्रारंभ होने के समय से ही तैयार किया जा रहा है। हीप, विशेष तौर पर रिजेक्ट, स्लरी, मिडलिंग आदि के, का आकार और आकृति बड़ी होती है। सभी आकार एवं आकृति के हीप का समोच्च नक्शानहीं है, उनको परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है।<br>हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान बनाए गए नए हीपों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। |
| 2) क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/विखंडित/पुनर्संरचना के वक्त संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया? यदि हाँ तो क्या संबंधित अनुषंगी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है ? | हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बीसीसीएल के किसी भी क्षेत्र का विलय/बिखंडन/पुनर्संरचना करने का कोई मामला नहीं है। | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। |
| 3) क्या सीआइएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाता बना कर रखा गया है। साथ ही खाता की निधि के उपयोग की भी जांच होती है। | हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) के बदले खदानवार अलग-अलग एस्क्रो खाता बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है। | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। |
| 4) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए दंड पर विधिवत तरीके से विचार किया गया और लेखा-जोखा दिया गया है। | डब्ल्यू.पी (सी) सं. 114/2014 सामान्य उपबंध बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 02.08.2017 को दिए गए फैसले के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/खदानों/कोलियरियों से संबंधित 17344.46 करोड़ रुपये की डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं।<br>उपर्युक्त डिमांड नोटिस के क्रियान्वयन को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर अगले आदेश तक रोका गया है। तदनुसार, उपर्युक्त राशि को नोट सं. 38.1.8.2 द्वारा उपयुक्त प्रकटीकरण के साथ आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। | वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। |

**कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी,**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

**(सीए बी.के. विश्वास)**
साझेदार,
सदस्यता सं. 055623
यूडीआईएन- 20055623 एएएएसीई 8186

Date: 08.06.2020
Place: Dhanbad

**कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

**समीरन दत्ता**
निदेशक (वित्त) एंड सीएफओ
डीआइएन 08519303

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट-II

**[हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं'' पैरा-2 में निर्दिष्ट है]**

| लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|
| हमारी राय में ऐसी समुचित जांच-पड़ताल एवं हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें दी गई सूचना/जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि : | |
| **(i) अचल परिसंपत्तियों के संबंध में:** | |
| क. कंपनी अचल परिसंपत्तियों के गुणात्मक विवरणों एवं स्थिति को शामिल करते हुए संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों को रख रही है। | |
| ख. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की वास्तविक विसंगतियां नहीं पायी गई हैं। | |
| ग. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। भूमि के अधिकार-पत्रों के बारे में जैसा कि हमें क्षेत्रीय लेखा परीक्षको द्वारा सूचना और स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार कुछ विलेखों को छोड़कर जो कि विभिन्न न्यायालयों में भूमि संबंधी मुकदमों के कारण लंबित हैं और जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि वे कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी के नाम पर की भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रतियां क्षेत्रों के पास हैं। पूर्व में अधिग्रहित अनुबंधित 814.378 हेक्ट. भूमि के स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में तैयार नहीं किये गए हैं, इसलिए वे कंपनी के कब्जे में नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व/बाद में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का अधिकार-पत्र (टाइटल डीड) सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा क्षेत्रों में उपलब्ध अधिकार पत्र का परिसंपत्ति रजिस्टर से मिलान करना बाकी है।<br>इसके अलावा बस्ताकोला क्षेत्र में सभी 89 विलेख की प्रमाणित प्रतियां झारखंड सरकार के संबंधित विभाग से प्राप्त की गई। सत्यापन के लिए हमारे समक्ष मात्र 40 अधिकार-पत्र प्रस्तुत किया गया है और शेष 49 अधिकार-पत्र को ट्रांसलेटर से प्राप्त करना बाकी है। | |
| (ii) जैसा कि हमें बताया गया कि कोयले, धुले हुए कोयले, वाशरी उत्पादों तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर किया गया है। प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की वस्तुपरक विसंगतियां नहीं पायी गई है। | |
| (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत तैयार की गई पंजी में दर्ज किसी कंपनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदार अथवा पार्टियों को किसी प्रकार के सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। | |
| (iv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुसार अन्य कारपोरेट निकाय अथवा व्यक्तियों द्वारा लिये गए ऋण के मामले में किसी ऋण की न तो मंजूरी दी है, अथवा न ही निवेश किया है अथवा न कोई गारंटी दी है अथवा न कोई सुरक्षा प्रदान की है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं होता है। | |
| (v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। | |
| (vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (i) के तहत केंद्र सरकार ने कॉस्ट रिकार्ड के रख-रखाव का निर्धारण किया है। हमारी राय में कंपनी इसके अनुसार इस प्रकार के लेखा एवं रिकार्ड तैयार कर रही है तथा उसका रख-रखाव कर रही है। | |
| (vii) (क) कंपनी पी एफ, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपदा कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर, माल एवं सेवाकर तथा अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया उचित प्राधिकारों के पास जमा करने में नियमित है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी देय तिथि से 6 महीने से भी अधिक के लिए 31 मार्च, 2020 तक वैसा कोई वैधानिक बकाया नहीं था।<br>हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा कानून कंपनी पर लागू नहीं है। | |

| लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का कोई वास्तविक बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण सक्षम प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है।

फिर भी, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, विक्रयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर एवं मूल्य वर्धित कर केजिन बकाये को कंपनी द्वारा विवाद के मद में जमा नहीं किया गया है, उन्हें परिशिष्ट- IIक में दिया गया है।

(viii) वर्ष के दौरान कंपनी के पास डिबंचर धारकों से बकाया या किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार सेऋण या उधार नहीं है।

(ix) वर्ष के दौरान कंपनी ने आईपीओ अथवा एफपीओ (डेट इंस्ट्रूमेंट सहित) तथा सावधि ऋण के रूप में कोई राशि नहीं प्राप्त की है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3 (ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं पायी गई। तथापि सतर्कता विभाग ने दिनांक 07.05.2000 के अपने पत्र के जरिए कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए धोखाधड़ी के निम्नलिखित मामलों की जानकारी हमें दी है जिनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-

| क्र. सं. | मामला/एफआईआर सं. | मामले का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | सीए/04/2019 | पत्र सं. सीएमपीएफ/120/विजिलेंस/ 2017/जी सेनगुप्ता/262, दिनांकित 30/31.08.2017 के माध्यम से सीवीओ, सीएमपीएफओ को बस्ताकोला क्षेत्र, लोदना क्षेत्र, ईजे क्षेत्र, ईडब्ल्यूजेड, सुदामडीह के कर्मचारियों से संबंधित 345 रिफंड दावा सूची को मामले की आगे की जांच के लिए अग्रेषित किया गया, जिनका सीएमपीएफ योजना, 1948 के पैरा 63ए के तहत अनियमित रूप से निपटान किया गया था । जांच में सीएमपीएफ योजना 1948 के पैरा 63ए के अनुसार निपटान किए गए 303 दावा में से मात्र 6 दावे ही सही क्रम में पाये गए तथा बाकी 297 दावे अनियमित थे।<br><br>यह पाया गया है कि बीसीसीएल कर्मचारियों के इन 297 अनियमित और अनुचित दावों पर कार्रवाई करके उपर्युक्त योजना के तहत लाभार्थी कर्मचारियों के दावे प्रपत्र में जन्मतिथि तथा सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी की तिथि में भ्रांतिपूर्ण/हेरफेर कर उन्हें गलत तरीके से पात्र बना कर दावे के निपटान के लिए बीसीसीएल के प्राधिकृत अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों के हस्ताक्षर से सीएमपीएफ, धनबाद को अग्रेषित किया गया था। जन्मतिथि/ सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी की तिथि जैसे महत्वपूर्ण विवरणों की प्रविष्टियों में ओवरराइटिंग को कई दावा प्रपत्रों में संबंधित अधिकारियों के प्रति हस्ताक्षर सहित/बिना प्रति हस्ताक्षर के कई दावा प्रपत्रों में पाया गया।<br><br>नोट: कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने संबंधी मामले प्रबंधन द्वारा जांच प्रक्रिया के अधीन हैं। |
| 2. | सीए/01/2020 | नवंबर, 2011 में सीबीआई तथा बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा पूर्ववर्ती कुस्तौर क्षेत्र में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के दौरान अन्य दस्तावेजों के साथ बड़ी संख्या में भुगतान किए गए/बिना भुगतान किए गए बिल जब्त किए गए। जब्त किए गए बिना भुगतान किए गए वाउचर को आगे की कार्रवाई के लिए बीसीसीएल/सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया। सभी बिना भुगतान बिलों की जांच करने पर बिलों में कई प्रकार की अनियमितताएं पायी गई। निरीक्षण के बाद यह मालूम हुआ कि पूर्ववर्ती कुस्तौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई थी तथा बीसीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा चिह्नित अधिकारियों के विरूद्ध अनियमितता के 12 मामले दर्ज किए गए और चिह्नित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी (9-बरखास्त/42-बड़ी शास्ति/35-छोटी शास्ति/1-खेद / असंतोषजनक)<br><br>उपरोक्त को देखते हुए 2010-2013 में पूर्ववर्ती कुस्तौर क्षेत्र के खातों का ''फोरेंसिक ऑडिट'' करने का निर्णय लिया गया था तथा खुली निविदा |

| लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | | | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **मामला/एफआईआर सं.** | **मामले का विवरण** | |
| | | के माध्यम से मेसर्स घोषाल एंड घोषाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कोलकाता को कार्य प्रदान किया गया था। 08.05.2011 को पूर्ववर्ती कुस्तौर क्षेत्र से संबंधित ज्यादातार दस्तावेजों को कुस्तौर क्षेत्रीय कार्यालय में आग में जलाकर खाक कर दिया गया था जिस कारण फोरेंसिक ऑडिटिंग एजेंसी को फोरेसिंक ऑडिट करने के लिए केवल बीसीसीएल द्वारा उपलब्ध रिकार्ड मुहैया किया जा सकता है।<br><br>13.07.2018 को मेसर्स घोषाल एंड घोषाल द्वारा फोरेंसिक ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अनियमितताओं का पता चला था। फोरेंसिक ऑडिटिंग रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर, सतर्कता विभाग द्वारा नीचे दिए 7 मामलों में अनियमितताओं की विस्तृत जांच की गई थी जिसकी जांच पहले नहीं की गयी थी। | |

| मामला सं. | फोरेंसिक ऑडिट में उजागर की गई अनियमितता |
|---|---|
| 1. | एलटीई में अनियमितता- तुलनात्मक विवरण (एल-1 दर पर) के अनुसार एल-1 के अलावा अन्य एजेंसी को कार्य/आपूर्ति आदेश निर्गत। |
| 2. | रू.99216/- तथा रू.99840/- के लिए मेसर्स लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स को दुबारा भुगतान मिला था। |
| 3. | रू. 30610.71 की बीयरिंक के क्रय के लिए आर के इंटरनेशनल, कोलकाता से गैर हस्ताक्षरित पी आई को स्वीकार करना। |
| 4. | एलटीई नं. एलटीई/2010-11/280, एलटीई/ 2010-11/279, एलटीई/2010-11/312 में मेसर्स आर के ट्रेडर्स से काम लिया गया। हालांकि टेंडर पेपर नहीं लिया गया। |
| 5. | एलटीई/2010-11/202 में अनर्हता के लिए औचित्य/समर्थन के बिना मैसर्स सीके इंडस्ट्रीज की तकनीकी अनर्हता। |
| 6. | चिह्नित मामलों में कार्यों के आकलन की तैयारी नहीं करना। |
| 7. | आयकर की बिलकुल नहीं/कम कटौती, कार्यादेश से अत्यधिक कटौती, जो इंगित करता है कि कार्यादेश अप्राप्य/गलत है। |

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के एक केंद्रीय लोक उपक्रम होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः धारा 197 के प्रावधानों जिसे अधिनियम की अनुसूची v के साथ पढ़ा जाए, के द्वारा आज्ञापित वांछित अनुमोदन लागू नहीं है।

(xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा रिकार्ड के अनुसार कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 तथा 188 के प्रावधानों के अनुरूप कोई संबंधित पार्टी लेन देन नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा इसकी होल्डिंग कंपनी के साथ किए गए लेन देन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे से छूट दी गई है। प्रबंधन के प्रकटीकरण के अनुसार यह लेन देन नियमित व्यवसाय में और सहयोगी आधार पर हुए थे।

| लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | | | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | मामला संख्या / प्राथमिकी संख्या | मामले का विवरण | |
| | | (xiv) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों को अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से विनिमेय डिबेंचर नहीं किया है।<br><br>(xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ गैर-नकद लेन देन की शुरुआत नहीं हुई है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3 (xv) लागू नहीं है।<br><br>(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत कंपनी को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। | |

**कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

**(सीए बी.के. बिश्वास)**
साझेदार,
सदस्यता सं. 055623
यूडीआईएन- 20055623 एएएएसीई 8186

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

**कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

**समीरन दत्ता**
निदेशक (वित्त) एंड सीएफओ
डीआइएन 08519303

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट परिशिष्ट - III

[हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं'' के अनुच्छेद 3(छ) का अवलोकन करें]

**कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट**

| विवरण | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|
| 1. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उस तिथि को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है। <br><br> **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व** <br><br> 2. इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप ,इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे। | |
| **लेखा परीक्षकों का दायित्व** <br><br> 3. हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपना लेखा परीक्षा किया है, ये दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों। <br><br> 4. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। <br><br> 5. हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए है, उसके बारे में हमें विश्वास है कि वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण संबंधी राय देने के आधार के लिए पर्याप्त और उचित हैं। | |

| विवरण | प्रबंधन का उत्तर |
|---|---|
| **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:**<br>6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्योंके लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयार से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयारी की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल रहती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से संबंधितहो, जिसमें समुचित विवरण होऔर इनमें कंपनी परिसंपत्तियों के लेन देन तथा प्रबंध की वास्तविक और पूर्ण झलक मिल सके, (2) उचित आश्वासन दें जिसमें कि सामान्य तौर से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी करने हेतु लेन-देन का रिकार्ड अनिवार्यतः तौर पर किया जाता है तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्चे कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के एवं अनुमोदन के अनुसार हैं तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना अथवा उसकी रोकथाम करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रयोग एवं प्रबंध जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में उचित आश्वासन देना।<br>**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**<br>7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम वाले हो सकते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त होने अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट जैसे जोखिम हो सकते हैं।<br>**अभिमत/राय**<br>8. . हमारी राय में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां 31 मार्च, 2020 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक केआवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियां पर आधारित हैं। | |

**कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302081 ई

**(सीए बी.के. बिश्वास)**
साझेदार
सदस्यता सं. 055623
यूडीआईएन- 20055623 एएएएसीई 8186

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

**कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

**समीरन दत्ता**
निदेशक (वित्त) एंड सीएफओ
डीआइएन 08519303

तिथि : 08.06.2020
स्थान : धनबाद

# अनुबंध- IIक

**31.03.2020 तक विवादित कानूनी बकायों की सूची**

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| **आयकर अधिनियम, 1961** | | | | | | | |
| 1 | बरोरा | ACIT/TDS/133A/BCCL-Block-II/3442 दिनांक 11.11.2013 | | 0.58 | 0.58 | 2011-12 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 2 | बरोरा | ACIT/TDS/BCCL[201(1)/201(1A)/FY 2012-13]/14-15/1295 दिनांक 04.02.2015 | | 1.01 | 1.01 | 2012-13 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 3 | ब्लॉक-II | ACIT/TDS/133A/BCCL-Block-II/3441 दिनांक 11.11.2013 | | | 0.89 | 2011-12 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 4 | ब्लॉक-II | ACIT/TDS/BCCL[201(1)/201(1A)/FY 2012-13]/14-15/1294 दिनांक 04.02.2015 | | 0.68 | 0.68 | 2012-13 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 5 | ब्लॉक-II | Notice U/s 226 (3) of IT Act दिनांक 02.11.2016 | | 0.01 | 0.01 | 2007-08 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 6 | कुसुंडा | TDS CPC | | 0.16 | - | 2007-19 | टी आर ए सी ई एस (ट्रैसेस) |
| 7 | वाशरी डिवीजन | पत्र संख्या. 967 दिनांक 17-03-2017 | | 0.05 | 0.05 | 2017-18 | टी आर ए सी ई एस |
| 8 | भूली टाउनशिप | TDS CPC | | 0.01 | - | 2007-12 | टी आर ए सी ई एस (ट्रैसेस) |
| 9 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10071/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 6.86 | 6.86 | 2006-07 | आईटीएटी, रांची |
| 10 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10072/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 32.97 | 32.97 | 2007-08 | आईटीएटी, रांची |
| 11 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10073/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 39.62 | 39.62 | 2008-09 | आईटीएटी, रांची |
| 12 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10074/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 41.36 | 41.36 | 2009-10 | आईटीएटी, रांची |
| 13 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10075/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 60.09 | 60.09 | 2010-11 | आईटीएटी, रांची |
| 14 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10076/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 24.83 | 24.83 | 2011-12 | सीआईटी (ए), धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 15 | केंद्रीय लेखा | CIT(A), Dhanbad/10077/2017-18 दिनांक 12.04.17 | | 5.95 | 5.95 | 2012-13 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 17 | केंद्रीय लेखा | 405113091040119 | | 65.50 | 53.15 | 2015-16 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 18 | केंद्रीय लेखा | ITA/Ran/2017 दिनांक 20.11.2017 | | 308.23 | 308.23 | 2011-12 | आईटीएटी, रांची |
| 19 | केंद्रीय लेखा | ITA/Ran/2018 दिनांक 09.05.2018 | | 6.84 | 6.84 | 2012-13 | आईटीएटी, रांची |
| 20 | केंद्रीय लेखा | ITA/Ran/2018 दिनांक 09.05.2018 | | 47.06 | 47.06 | 2013-14 | आईटीएटी, रांची |
| 21 | केंद्रीय लेखा | ITBA/AST/S/156/2019-20/1022994521 (1) दिनांक 24.12.2019 | | 78.88 | 15.78 | 2016-17 | सीआईटी (ए), धनबाद |
| 22 | केंद्रीय लेखा | 445850531140318 दिनांक 14.03.2018 | | 7.13 | 3.79 | 2010-11 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 23 | केंद्रीय लेखा | 445910131140318 दिनांक 14.03.2018 | | 3.04 | 1.83 | 2012-13 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 24 | केंद्रीय लेखा | 446080471140318 दिनांक 14.03.2018 | | 20.32 | 5.83 | 2013-14 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 25 | केंद्रीय लेखा | 631057681010618 दिनांक 01.06.2018 | | 8.46 | 1.69 | 2007-08 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 26 | केंद्रीय लेखा | 631069631010618 दिनांक 01.06.2018 | | 7.02 | 1.40 | 2008-09 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 27 | केंद्रीय लेखा | 631082721010618 दिनांक 01.06.2018 | | 5.33 | 1.07 | 2009-10 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 28 | बिक्री लेखा | 454912971160318 दिनांक 16.03.2018 | | 6.31 | 1.89 | 2012-13 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 29 | बिक्री लेखा | 455099701160318 दिनांक 16.03.2018 | | 11.85 | 3.55 | 2013-14 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 30 | बिक्री लेखा | 455150331160318 दिनांक 16.03.2018 | | 10.26 | 3.08 | 2014-15 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 31 | बिक्री लेखा | 455061401160318 दिनांक 16.03.2018 | | 6.18 | 1.85 | 2015-16 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 32 | बिक्री लेखा | 455323201160318 दिनांक 16.03.2018 | | 4.90 | 1.47 | 2016-17 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 33 | बिक्री लेखा | 455363681160318 दिनांक 16.03.2018 | | 0.27 | 0.08 | 2012-13 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 34 | बिक्री लेखा | 455388711160318 दिनांक 16.03.2018 | | 2.73 | 0.82 | 2013-14 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 35 | बिक्री लेखा | 455489361160318 दिनांक 16.03.2018 | | 1.19 | 0.36 | 2014-15 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 36 | बिक्री लेखा | 388531321070218 दिनांक 07.02.2018 | | 3.81 | 3.81 | 2014-15 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 37 | बिक्री लेखा | 388562631070218 दिनांक 07.02.2018 | | 7.46 | 7.46 | 2015-16 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| 38 | बिक्री लेखा | 388820841070218 दिनांक 07.02.2018 | | 9.61 | 9.61 | 2016-17 | सीआईटी (ए) टीडीएस |
| | | **कुल** | | **881.07** | **739.18** | | |
| **झारखंड वैट अधिनियम, 2005** | | | | | | | |
| 1 | बरोरा | KT-VAT-17/12-13 | | 0.36 | - | 2006-07 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 2 | बरोरा | KT-VAT-06-10-11 | | 2.15 | - | 2007-08 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 3 | बरोरा | KT-VAT-03/11-12 | | 1.83 | 0.10 | 2008-09 | डी.सी.सी.टी कतरास |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 4 | बरोरा | KT-VAT-03/13-14 | | 4.69 | 0.45 | 2009-10 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 5 | बरोरा | KT-VAT-14/14-15 | | 4.39 | 0.88 | 2010-11 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 6 | बरोरा | KT-VAT-30/16-17 | | 0.40 | 0.18 | 2011-12 | जे.सी.सी.टी (ए) धनबाद |
| 7 | बरोरा | KT-VAT-13/15-16 | | 0.55 | - | 2012-13 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 8 | बरोरा | KT-VAT-01/2018-19 | | 3.24 | 0.97 | 2010-11 | जे.सी.सी.टी (ए) धनबाद |
| 9 | बरोरा | KT-VAT-17/2018-19 | | 0.46 | 0.14 | 2013-14 | जे.सी.सी.टी (ए) धनबाद |
| 10 | बरोरा | KT-VAT-28/2014-15 | | 4.54 | - | 2011-12 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 11 | ब्लॉक-II | KT ST 13/2008-09 दिनांक 05.12.2008 | | 0.07 | - | 2003-04 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 12 | ब्लॉक-II | KT ST 08/2009-10 दिनांक 29.06.2009 | | 1.52 | - | 2004-05 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 13 | ब्लॉक-II | KT ST /2009-10 दिनांक 09.06.2009 | | 2.46 | - | 2005-06 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 14 | ब्लॉक-II | KT VAT 12/2009-10 दिनांक 22.07.2009 | | 2.91 | - | 2006-07 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 15 | ब्लॉक-II | KT VAT 07/10-11 दिनांक 12.06.2010 | | 3.38 | - | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 17 | ब्लॉक-II | KT VAT 04/13-14 दिनांक 29.04.2013 | | 16.88 | 0.50 | 2009-10 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 18 | ब्लॉक-II | KT VAT 15/14-15 दिनांक 10.03.2014 | | 2.74 | 0.49 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 19 | ब्लॉक-II | KT VAT 29/14-15 दिनांक 24.03.2015 | | 6.75 | 0.30 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 20 | ब्लॉक-II | KT VAT 30/15-16 दिनांक 03.03.2016 | | 16.88 | 0.15 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 21 | ब्लॉक-II | KT VAT 11/16-17 दिनांक 23.12.2016 | | 2.74 | 1.40 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 22 | ब्लॉक-II | लेखा परीक्षा आपत्ति No 82/2015-16 दिनांक 28.09.2016 | | 6.75 | 0.06 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 23 | ब्लॉक-II | KT VAT 02/18-19 दिनांक 14.02.2019 | | 0.18 | 0.05 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 24 | ब्लॉक-II | KT VAT 15/18-19 दिनांक 08.02.2019 | | 1.41 | 0.42 | 2014-15 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 25 | ब्लॉक-II | KT VAT 05/19-20 दिनांक 26.03.2019 | | 0.65 | 0.18 | 2015-16 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 26 | गोविंदपुर | 3613 दिनांक 05.03.2014 | | 0.03 | 0.03 | 1999-00 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 27 | गोविंदपुर | 3633 दिनांक 05.03.2014 | | 0.07 | 0.08 | 2000-01 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 28 | गोविंदपुर | 3636 दिनांक 05.03.2014 | | 0.02 | 0.05 | 2001-02 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 29 | गोविंदपुर | 3615 दिनांक 05.03.2014 | | 0.23 | 0.23 | 2003-04 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 30 | गोविंदपुर | 5223 दिनांक 27.03.2009 | | 0.80 | 0.25 | 2004-05 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 31 | गोविंदपुर | 3620 दिनांक 05.03.2014 | | 0.08 | 0.08 | 2005-06 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 32 | गोविंदपुर | 5556 दिनांक 31.03.2009 | | 1.38 | 0.08 | 2006-07 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 33 | गोविंदपुर | 17622 दिनांक 20.03.2010 | | 1.13 | - | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 34 | गोविंदपुर | 1319 दिनांक 27.08.2012 | | 3.23 | 0.54 | 2008-09 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 36 | गोविंदपुर | 3135 दिनांक 17.12.2013 | | 0.56 | 0.11 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक (संख्या / दिनांक) | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | गोविंदपुर | 3105 DT 07.2.2015 | 1.81 | 0.10 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 38 | गोविंदपुर | | 0.86 | - | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 39 | गोविंदपुर | KT-VAT-18/2018-19 | 1.36 | 0.41 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 40 | गोविंदपुर | KT-VAT-14/2018-19 | 0.40 | 0.12 | 2014-15 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 41 | गोविंदपुर | KT-VAT-06/2019-20 | 0.05 | 0.02 | 2015-16 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 42 | कतरास | 3329 दिनांक 09.01.2014 | 2.44 | 0.25 | 2009-10 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 43 | कतरास | KT-VAT-7/15-16 दिनांक 09.04.2016 | 1.48 | 0.35 | 2010-11 | जे.सी.सी.टी. (अपील), धनबाद |
| 44 | कतरास | KT-VAT-31/14-15 दिनांक 24.03.2015 | 3.26 | 0.30 | 2011-12 | जे.सी.सी.टी. (अपील), धनबाद |
| 45 | कतरास | KT-VAT-37/15-16 दिनांक 21.06.2016 | 3.73 | 0.25 | 2012-13 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 46 | कतरास | KT-VAT-20/16-17 दिनांक 31.01.2017 | 10.98 | 2.15 | 2013-14 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 47 | कतरास | KT-VAT-03/2018-19 दिनांक 15.02.2019 | 0.06 | 0.02 | 2008-09 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 48 | कतरास | KT-VAT-13/2018-19 दिनांक 06.12.2018 | 0.97 | - | 2014-15 | जे.सी.सी.टी. (अपील), धनबाद |
| 49 | कतरास | 12997 दिनांक 29.03.2019 | 2.10 | 0.59 | 2015-16 | जे.सी.सी.टी. (अपील), धनबाद |
| 50 | सिजुआ | 11/91-92 | 0.66 | 0.16 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 51 | सिजुआ | 12/92-93 | 1.43 | 0.13 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 52 | सिजुआ | 13/93-94 | 0.83 | 0.30 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 54 | सिजुआ | 15/2002-03 | 0.50 | 0.02 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 55 | सिजुआ | 24/2003-04 | 0.08 | 0.12 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 56 | सिजुआ | 25/2004-05 | 0.05 | 0.05 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 57 | सिजुआ | 16/2005-06 | 0.41 | 0.05 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 58 | सिजुआ | 2006-07 | 2.37 | 3.03 | 2006-07 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 59 | सिजुआ | 2007-08 | 1.25 | - | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 60 | सिजुआ | 2008-09 | 3.68 | - | 2008-09 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 61 | सिजुआ | 2009-10 | 4.96 | 0.16 | 2009-10 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 62 | सिजुआ | 2010-11 | 5.08 | 0.60 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 63 | सिजुआ | VAT 34/2014-15 | 3.36 | 0.04 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 64 | सिजुआ | VAT 82/2015-16 | 5.49 | 1.10 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 65 | सिजुआ | 2012-13/VAT | 0.68 | 0.63 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 66 | सिजुआ | 2013-14/VAT | 6.13 | 1.00 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 67 | सिजुआ | 287/10-11/JVAT | 1.59 | 0.48 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 68 | सिजुआ | 3933/14-15/JVAT | 3.21 | 0.96 | 2014-15 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 69 | सिजुआ | 12459/15-16/VAT | 0.88 | 0.25 | 2015-16 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 70 | कुसुंडा | DH-VAT-49/14-15 DH CST-30/14-15 | | 9.28 | 1.09 | 2006-07 | अपीलीय न्यायालय |
| 71 | कुसुंडा | DH-VAT-36/13-14 DH-CST-26/13-14 | | 3.77 | 0.05 | 2007-08 | अपीलीय न्यायालय |
| 73 | कुसुंडा | DH VAT 84/14-15 | | 1.88 | 0.54 | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 74 | कुसुंडा | DH VAT 59/2014-15 | | 0.07 | 0.07 | 2008-09 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 75 | कुसुंडा | DH VAT-96/2015-16 | | 1.03 | 0.02 | 2012-13 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 76 | कुसुंडा | अपील मामला संख्या- DH VAT-63/2016-17 | | 20.93 | 0.80 | 2013-14 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 77 | कुसुंडा | SRA-II-29/13-14/PARA-28 | | 0.02 | 0.50 | 2009-10 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 78 | कुसुंडा | अपील मामला संख्या- DH VAT-71/2016-17 | | 27.63 | 4.86 | 2009-10 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 79 | कुसुंडा | वर्ष 2011-12 के लिए लेखा परीक्षा आपत्ति SRA-II-11/15-16 PARA 2 | | 0.96 | 0.14 | 2011-12 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 80 | कुसुंडा | DH VAT-24/2017-18 | | 0.19 | 0.62 | 2014-15 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 81 | पुटकी बलिहारी | DH/VAT-46/2016-17 दिनांक 03.01.2017 | | 7.28 | 0.85 | 2010-11 | सीसीटी, रांची |
| 82 | पुटकी बलिहारी | 7067 दिनांक 03.03.2015 | | 7.33 | 0.04 | 2007-08 | सीसीटी, रांची |
| 83 | पुटकी बलिहारी | 7043 दिनांक 02.03.2015 | | 5.72 | 1.43 | 2011-12 | सीसीटी, रांची |
| 84 | पुटकी बलिहारी | 7042 दिनांक 02.03.2015 | | 0.49 | 0.12 | 2011-12 | सीसीटी, रांची |
| 85 | पुटकी बलिहारी | 01/2012-13 दिनांक 23.08.2016 | | 17.72 | - | 2012-13 | सीसीटी, रांची |
| 86 | पुटकी बलिहारी | 44 दिनांक 26.06.2019 | | 0.20 | 0.06 | 2015-16 | डीसीसीटी, धनबाद सर्कल |
| 87 | बस्ताकोला | 1448 दिनांक 12/12/2011-750/2012 | | 1.25 | - | 2004-05 | सीसीटी, रांची |
| 88 | बस्ताकोला | 1446 दिनांक 12/12/2011 -752/2012 | | 1.55 | - | 2005-06 | सीसीटी, रांची |
| 89 | बस्ताकोला | 1448 दिनांक 12/12/2011-750/2012 | | 2.87 | 2.87 | 2006-07 | सीसीटी, रांची |
| 90 | बस्ताकोला | 1949 दिनांक 28/01/2010 | | 0.34 | 0.34 | 1985-86 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 91 | बस्ताकोला | 1847 दिनांक 22/1/10 | | 0.12 | - | 1986-87 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 93 | बस्ताकोला | JHVAT/02/2007-08 | | 3.37 | 0.02 | 2007-08 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 94 | बस्ताकोला | 5517 दिनांक 10.11.16 | | 0.08 | - | 2009-10 | जेसीसीटी (अपील) धनबाद |
| 95 | बस्ताकोला | VAT 8/16-17 | | 4.61 | 1.06 | 2010-11 | जेसीसीटी (अपील) धनबाद |
| 96 | बस्ताकोला | JH VAT 13 | | 5.17 | 0.88 | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील) धनबाद |
| 97 | बस्ताकोला | JH VAT 07 | | 1.71 | 0.30 | 2012-13 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 98 | बस्ताकोला | JH VAT 07 | | 1.78 | 0.20 | 2013-14 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 99 | बस्ताकोला | 5555 दिनांक 16.11.16 | | 5.08 | 0.30 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील) धनबाद |
| 100 | बस्ताकोला | JH VAT-19/16-17 | | 0.34 | 0.03 | 2008-09 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 101 | बस्ताकोला | 44/13-14 | | 1.51 | - | 2009-10 | आयुक्त (प्रशासन), रांची |
| 102 | बस्ताकोला | 2015-16 | | 0.61 | - | 2015-16 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 103 | लोदना | 4192 दिनांक 27.03.2008 | | 5.39 | - | 2003-2004 | डी सी सी टी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 104 | लोदना | 3208 दिनांक 20.01.2009 | | 0.13 | - | 2004-2005 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 105 | लोदना | 3764 दिनांक 31.03.2009 | | 0.26 | - | 2005-2006 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 106 | लोदना | 6609 दिनांक 11.03.2020 | | 0.18 | 0.05 | 2008-2009 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 107 | लोदना | 4137 दिनांक 26.11.2019 | | 1.60 | 1.34 | 2009-2010 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 108 | लोदना | 6609 दिनांक 11.03.2020 | | 2.48 | 0.93 | 2010-2011 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 109 | लोदना | 6609 दिनांक 11.03.2020 | | 10.96 | 3.79 | 2011-2012 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 110 | लोदना | 5898 दिनांक 15.09.2015 | | 5.84 | 1.00 | 2012-2013 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 112 | लोदना | 5560 दिनांक 16.11.2016 | | 18.27 | 0.30 | 2014-2015 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 113 | लोदना | 7604 दिनांक 03.01.2015 | | 10.55 | - | 2013-2014 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 114 | लोदना | 5056 दिनांक 26.03.2019 | | 0.34 | 0.10 | 2015-2016 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 116 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | JH/VAT-03/18-19 | | 0.11 | 0.04 | 2010-11 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 117 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 4254 dt 01.02.2019 | | 1.17 | 0.19 | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 118 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 3782 dt 26.08.2016 | | 0.50 | 0.10 | 2011-12 | न्यायाधिकरण, रांची |
| 119 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 4255 dt 01.02.2019 | | 29.81 | 1.80 | 2013-14 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 120 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 4256 dt 01.02.2019 | | 6.26 | 0.65 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 121 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | JVAT/2010-11 | | 0.03 | - | 2010-11 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 122 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | JVAT/2011-12 | | 0.03 | 0.01 | 2011-12 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 123 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | JVAT/2014-15 | | 0.41 | 0.04 | 2014-15 | जेसीसीटी, (अपील) |
| 124 | चांच विक्टोरिया | JVAT 4040 की अस्वीकृति | | 0.19 | 0.05 | 2011-12 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 125 | चांच विक्टोरिया | लेखा परीक्षा आपत्ति वैट पर ब्याज | | 0.17 | 0.04 | 2011-12 | न्यायाधिकरण, रांची |
| 126 | चांच विक्टोरिया | JVAT 4040 की अस्वीकृति | | 1.78 | 0.44 | 2015-16 | जेसीसीटी, अपील |
| 127 | वाशरी डिवीजन | DU-ST-23/08-09 | | 1.43 | - | 2003-04 | जेसीसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 128 | वाशरी डिवीजन | DU-ST-65/08-09 | | 1.55 | - | 2004-05 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 129 | वाशरी डिवीजन | DU-ST-10/09-10 | | 0.75 | - | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 130 | वाशरी डिवीजन | DU-VAT-24/09-10 | | 1.04 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 131 | वाशरी डिवीजन | CC(S)114/2019 | | 0.17 | 0.03 | 2008-09 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 132 | वाशरी डिवीजन | DU-VAT-25/13-14 | | 0.95 | 0.10 | 2009-10 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 133 | वाशरी डिवीजन | DN/27/2015 | | 1.39 | 1.39 | 2010-11 | सीसीटी/ न्यायाधिकरण |
| 134 | वाशरी डिवीजन | DH VAT-36/2016-17 | | 0.53 | 0.11 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 135 | वाशरी डिवीजन | | | 2.37 | 0.40 | 2012-13 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 136 | वाशरी डिवीजन | KTST07/09-10 | | 3.46 | - | 2004-05 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 137 | वाशरी डिवीजन | KTST06/09-10 | | 3.18 | - | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 138 | वाशरी डिवीजन | KTVAT15/09-10 | | 1.85 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 139 | वाशरी डिवीजन | KTVAT04/10-11 | | 1.63 | - | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 140 | वाशरी डिवीजन | KTVAT04/11-12 | | 0.06 | - | 2008-09 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 141 | वाशरी डिवीजन | KTCST07/13-14 | | 0.21 | 0.07 | 2009-10 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 142 | वाशरी डिवीजन | KTVAT-33/14-15 | | 11.56 | 1.26 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 143 | वाशरी डिवीजन | KTVAT-19/18-19 | | 0.30 | 0.09 | 2013-14 | जेसीसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 144 | वाशरी डिवीजन | KT VAT 10/2018-19 | | 0.06 | 0.02 | 2014-15 | जेसीसीटी/ डीसीसीटी |
| 145 | वाशरी डिवीजन | DHVAT-97/09-10 | | 0.04 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 146 | वाशरी डिवीजन | DHVAT-23/10-11 | | 1.19 | 0.01 | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 147 | वाशरी डिवीजन | | | 0.10 | 0.02 | 2008-09 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 148 | वाशरी डिवीजन | DH VAT -35/2016-17 | | 0.12 | 0.00 | 2009-10 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 149 | वाशरी डिवीजन | DH VAT-65/2016-17 | | 1.55 | 0.30 | 2010-11 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 150 | वाशरी डिवीजन | CC(S)34/2019 | | 3.48 | 0.70 | 2012-13 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 151 | वाशरी डिवीजन | CC(S)36/2019 | | 2.23 | 0.45 | 2012-13 | एसीसीटी |
| 152 | वाशरी डिवीजन | CC(S)33/2019 | | 0.00 | 0.00 | 2014-15 | एसीसीटी |
| 153 | वाशरी डिवीजन | DU-ST-68/08-09 | | 0.03 | - | 2004-05 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 154 | वाशरी डिवीजन | DU-ST-11/09-10 | | 0.03 | - | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 155 | वाशरी डिवीजन | DU-VAT-22/09-10 | | 0.00 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 156 | वाशरी डिवीजन | CC(S)119/2019 | | 0.10 | 0.02 | 2008-09 | डीसीसीटी, धनबाद |
| 157 | वाशरी डिवीजन | DN/29/2015 | | 1.31 | 1.31 | 2010-11 | सीसीटी/ न्यायाधिकरण |
| 158 | वाशरी डिवीजन | DH VAT-35/2016-17 | | 0.14 | 0.03 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 159 | वाशरी डिवीजन | DH VAT-28/2016-17 | | 0.42 | 0.08 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 160 | वाशरी डिवीजन | DH VAT-27/2016-17 | | 1.39 | 0.30 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 161 | वाशरी डिवीजन | | | 0.39 | 0.08 | 2012-13 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 162 | वाशरी डिवीजन | JH-VAT-6/10-11 | | 0.03 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 163 | वाशरी डिवीजन | JH-VAT-3/10-11 | | 0.04 | - | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 164 | वाशरी डिवीजन | | | 0.03 | - | 2008-09 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 165 | वाशरी डिवीजन | JH-VAT-02/13-14 | | 1.36 | 0.30 | 2009-10 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 166 | वाशरी डिवीजन | JH VAT-06/2016-17 | | 0.91 | 0.35 | 2010-11 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 167 | वाशरी डिवीजन | JH VAT-07/2016-17 | | 2.93 | 0.65 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 168 | वाशरी डिवीजन | | | 0.42 | 0.02 | 2012-13 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 169 | वाशरी डिवीजन | JH VAT 02/2018-19 | | 0.25 | 0.08 | 2014-15 | जेसीसीटी/ डीसीसीटी |
| 170 | वाशरी डिवीजन | DU/VAT-01/19-20 दिनांक 20.03.2020 | | 0.13 | 0.04 | 2015-16 | डीसीसीटी दुग्धा |
| 171 | वाशरी डिवीजन | DH/VAT-46/19-20 दिनांक 18.03.2020 | | 0.21 | 0.06 | 2015-16 | डीसीसीटी मूनिडीह |
| 172 | वाशरी डिवीजन | DU/VAT-03/2019-20 दिनांक 14.06.2019 | | 3.82 | 0.02 | 2011-12 | डीसीसीटी पाथरडीह |
| 173 | वाशरी डिवीजन | 102 दिनांक 17.03.2020 | | 1.36 | 0.21 | 2009-10 | डीसीसीटी सुदामडीह |
| 174 | वाशरी डिवीजन | 104 दिनांक 17.03.2020 | | 0.13 | 0.03 | 2010-11 | डीसीसीटी सुदामडीह |
| 175 | वाशरी डिवीजन | 106 (SD VAT-15/14-15) दिनांक 17.03.2020 | | 0.04 | 0.01 | 2011-12 | डीसीसीटी सुदामडीह |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 176 | वाशरी डिवीजन | JH/VAT-03/19-20 दिनांक 26.03.2019 | | 0.20 | 0.02 | 2015-16 | डीसीसीटी सुदामडीह |
| 177 | वाशरी डिवीजन | DU VAT -11/2019-20 दिनांक 06.02.2020 | | 0.71 | 0.39 | 2013-14 | डीसीसीटी दुग्धा |
| 178 | मधुबन कोल वाशरी | 1362 Dt 17.03.2005 | | 0.51 | - | 2000-01 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 179 | मधुबन कोल वाशरी | 4135 Dt 20.02.2003 | | 0.02 | 0.00 | 1999-00 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 180 | मधुबन कोल वाशरी | 1191 Dt 27.02.2006 | | 0.30 | 0.06 | 2001-02 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 181 | मधुबन कोल वाशरी | 6371Dt 19.03.2007 | | 0.03 | - | 2002-03 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 182 | मधुबन कोल वाशरी | 6042 Dt 20.03.2008 | | 2.44 | 0.29 | 2003-04 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 183 | मधुबन कोल वाशरी | 1190 Dt 27.02.2006 | | 0.01 | - | 2001-02 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 184 | मधुबन कोल वाशरी | 6370 Dt 19.03.2007 | | 0.04 | - | 2002-03 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 185 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-08/2010-11 दिनांक 04.07.2010 | | 0.43 | 0.05 | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 186 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-12/2010-11 दिनांक 04.07.2010 | | 2.22 | 0.07 | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 187 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-08/2011-12 दिनांक 28.09.2012 | | 0.70 | 0.03 | 2008-09 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 188 | मधुबन कोल वाशरी | 6041 Dt 20.03.2008 | | 0.06 | - | 2003-04 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 189 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-34/2015-16 दिनांक 31.05.2016 | | 3.29 | 0.50 | 2012-13 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 190 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-26/2016-17 दिनांक 05.06.2017 | | 2.09 | 0.41 | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 191 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-25/2015-16 दिनांक 03.03.2016 | | 11.06 | - | 2009-10 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 192 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-11/2018-19 दिनांक 08.02.2019 | | 0.08 | 0.02 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 193 | मधुबन कोल वाशरी | KT VAT-08/2019-20 दिनांक 25.03.2019 | | 0.04 | 0.01 | 2015-16 | डीसीसीटी (अपील), धनबाद |
| | | कुल | | 478.41 | 61.02 | | |
| **प. बंगाल वैट अधिनियम, 2005** | | | | | | | |
| 1 | चांच विक्टोरिया | 2012-13/74/01/V/18 | | 0.02 | - | 2012-13 | पुनरीक्षण बोर्ड, बेलगछिया |
| 2 | चांच विक्टोरिया | 2011-12/74/01/V/15 | | 0.50 | - | 2011-12 | पुनरीक्षण बोर्ड, बेलगछिया |
| 3 | चांच विक्टोरिया | APP/2016-17/11/74/04231 & APP/2016-17/11/74/C/04230 | | 4.37 | - | 2013-14 | पुनरीक्षण बोर्ड, बेलगछिया |
| 4 | चांच विक्टोरिया | आईटीसी की अस्वीकृति | | 0.22 | 0.05 | 2014-15 | न्यायाधिकरण |
| 5 | चांच विक्टोरिया | 2016-2017/74/01/V/16 | | 0.05 | 0.01 | 2016-17 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 6 | चांच विक्टोरिया | 2017-2018/CIR/74/VA/1 | | 0.02 | 0.00 | 2017-18 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| | | कुल | | 5.18 | 0.06 | | |
| BST ACT, 1959 | | | | | | | |
| 1 | बरोरा | KT-ST-21/08-09 | | 0.02 | - | 2004-05 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 2 | कुसुंडा | 966 | | 0.00 | 0.00 | 1980-81 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 3 | कुसुंडा | DH-ST-122/90-91 DH-CST-139/90-91 | | 0.39 | 0.12 | 1987-88 | अपीलीय न्यायालय |
| 4 | कुसुंडा | DH-ST-78/91-92 DH-CST-86/91-92 | | 0.58 | 0.68 | 1988-89 | अपीलीय न्यायालय |
| 5 | कुसुंडा | DH-ST-26/05-06 DH-CST-44/05-06 | | 1.15 | 1.37 | 1989-90 | निचली अदालत |
| 6 | कुसुंडा | DH-ST-87/96-97 DH-CST-52/96-97 | | 0.60 | 0.14 | 1990-91 | अपीलीय न्यायालय |
| 7 | कुसुंडा | DH-ST-88/96-97 DH-CST-53/96-97 | | 0.11 | 0.14 | 1991-92 | अपीलीय न्यायालय |
| 8 | कुसुंडा | DH-ST-110/00-01 DH-CST-69/00-01 | | 0.78 | 0.01 | 1992-93 | अपीलीय न्यायालय |
| 9 | कुसुंडा | DH-ST-92/97-98 DH-CST-87/97-98 | | 1.45 | - | 1993-94 | अपीलीय न्यायालय |
| 10 | कुसुंडा | DH-ST-87/98-99 DH-CST-79/98-99 | | 0.07 | 0.04 | 1994-95 | अपीलीय न्यायालय |
| 11 | कुसुंडा | DH-ST-118/00-01 DH-CST-78/00-01 | | 0.10 | 0.13 | 1997-98 | निचली अदालत |
| 12 | कुसुंडा | DH-VAT-12 | | 0.17 | 0.01 | 1999-00 | अपीलीय न्यायालय |
| 13 | कुसुंडा | DH-ST-05/03-04 DH-CST-4/03-04 | | 0.02 | - | 2000-01 | अपीलीय न्यायालय |
| 14 | कुसुंडा | DH-ST-36/05-06 DH-CST-58/05-06 | | 2.21 | 2.21 | 2001-02 | अपीलीय न्यायालय |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 15 | कुसुंडा | DH-ST-30/08-09 DH-CST-38/08-09 | | 0.26 | - | 2002-03 | अपीलीय न्यायालय |
| 16 | कुसुंडा | DH-ST-35/13-14 | | 0.00 | 0.06 | 2003-04 | अपीलीय न्यायालय |
| | | **कुल** | | **7.91** | **4.92** | | |
| **केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956** | | | | | | | |
| 1 | बरोरा | KT-CST-18/08-09 | | 0.04 | - | 2002-03 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 2 | बरोरा | KT-CST-02/09-10 | | 0.23 | - | 2005-06 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 3 | बरोरा | KT-CST-27/12-13 | | 0.68 | - | 2006-07 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 4 | बरोरा | KT-CST-06-10-11 | | 0.96 | - | 2007-08 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 5 | बरोरा | KT-CST-6234/11-12 | | 0.46 | 0.10 | 2008-09 | डी.सी.सी.टी कतरास |
| 6 | बरोरा | KT-CST-10/2015-16 | | 2.03 | 0.80 | 2009-10 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 7 | बरोरा | KT-CST-04/14-15 | | 8.02 | 1.60 | 2010-11 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 8 | बरोरा | KT-CST-16/2014-15 | | 24.68 | 1.74 | 2011-12 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 9 | बरोरा | KT-CST-19/15-16 | | 2.65 | 0.10 | 2012-13 | जे.सी.सी.टी धनबाद |
| 10 | बरोरा | KT-CST-11/2018-19 | | 1.66 | 0.50 | 2013-14 | जे.सी.सी.टी (ए) धनबाद |
| 11 | बरोरा | KT-CST-10/2018-19 | | 1.88 | 0.56 | 2014-15 | जे.सी.सी.टी (ए) धनबाद |
| 12 | बरोरा | KT-CST-04/2019-20 | | 1.58 | 0.47 | 2015-16 | जे.सी.सी.टी (ए) धनबाद |
| 13 | ब्लॉक-II | KT CST 24/2008-09 दिनांक 05.12.2008 | | 2.35 | - | 2003-04 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 14 | ब्लॉक-II | KT CST 10/2009-10 दिनांक 29.06.2009 | | 6.22 | - | 2004-05 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 15 | ब्लॉक-II | KT CST /2009-10 दिनांक 09.06.2009 | | 9.06 | - | 2005-06 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 16 | ब्लॉक-II | KT CST 15/2009-10 दिनांक 22.07.2009 | | 11.96 | - | 2006-07 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 17 | ब्लॉक-II | KT CST 07/10-11 दिनांक 12.06.2010 | | 5.30 | - | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 18 | ब्लॉक-II | KT CST 02/11-12 दिनांक 21.07.2011 | | 5.00 | - | 2008-09 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 19 | ब्लॉक-II | KT CST 03/13-14 दिनांक 29.04.2013 | | 5.50 | 0.45 | 2009-10 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 20 | ब्लॉक-II | KT CST 14/14-15 दिनांक10.03.2014 | | 2.66 | 0.35 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 21 | ब्लॉक-II | KT CST 15/14-15 दिनांक 24.03.2015 | | 21.14 | 1.45 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 22 | ब्लॉक-II | KT CST 03/15-16 दिनांक 28.09.2015 | | 0.75 | 0.15 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 23 | ब्लॉक-II | KT CST 18/15-16 दिनांक 03.03.2016 | | 7.71 | 0.15 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 24 | ब्लॉक-II | KT CST 06/16-17 दिनांक 23.12.2016 | | 2.90 | 0.60 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 25 | ब्लॉक-II | KT CST 09/18-19 दिनांक 08.02.2019 | | 0.01 | 0.00 | 2014-15 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या दिनांक | | | | |
| 26 | ब्लॉक-II | KT CST 05/19-20 दिनांक 26.03.2019 | 0.03 | 0.01 | 2015-16 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 27 | गोविंदपुर | 3612 दिनांक 05.03.2014 | 0.06 | 0.06 | 1999-00 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 28 | गोविंदपुर | 3632 दिनांक 05.03.2014 | - | 0.01 | 2000-01 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 29 | गोविंदपुर | 3637 दिनांक 05.03.2014 | 0.23 | 0.27 | 2001-02 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 30 | गोविंदपुर | 3614 दिनांक 05.03.2014 | 0.77 | 0.87 | 2003-04 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 31 | गोविंदपुर | 5222 दिनांक 27.03.2009 | 2.28 | 0.03 | 2004-05 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 32 | गोविंदपुर | 3621 दिनांक 05.03.2014 | 0.11 | 0.11 | 2005-06 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 33 | गोविंदपुर | 5557 दिनांक 31.03.2009 | 7.96 | 0.40 | 2006-07 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 34 | गोविंदपुर | 17623 दिनांक 20.03.2010 | 1.27 | - | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 35 | गोविंदपुर | 1320 दिनांक 27.08.2012 | 0.29 | 0.06 | 2008-09 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 36 | गोविंदपुर | 6072 दिनांक 05.03.2013 | 1.99 | 0.40 | 2009-10 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 37 | गोविंदपुर | 3136 दिनांक 17.12.2013 | 1.03 | 0.25 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 38 | गोविंदपुर | 3106 DT 07.2.2015 | 4.79 | 0.30 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 39 | गोविंदपुर | बैंक अटैचमेंट | 1.38 | 0.11 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 40 | गोविंदपुर | KT-CST-02/2018-19 | 0.33 | 0.10 | 2008-09 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 41 | गोविंदपुर | KT-CST-12/2018-19 | 2.08 | 0.62 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 42 | गोविंदपुर | KT-CST-08/2018-19 | 0.68 | 0.20 | 2014-15 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 43 | गोविंदपुर | KT-CST-06/2019-20 | 0.17 | 0.05 | 2015-16 | संयुक्त आयुक्त (अपील) |
| 44 | कतरास | KT-CST-4/15-16 दिनांक 09.04.2016 | 1.76 | 0.45 | 2010-11 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 45 | कतरास | 3330 दिनांक 09.01.2014 | 0.38 | 0.25 | 2009-10 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 46 | कतरास | KT-CST-13/2014-15 दिनांक 24.03.2015 | 0.51 | - | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 47 | कतरास | KT-CST-13/2015-16 दिनांक 21.06.2016 | 1.03 | 1.68 | 2012-13 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 48 | कतरास | KT-CST-09/2016-17 दिनांक 31.01.2017 | 2.81 | 1.30 | 2013-14 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 49 | कतरास | KT-CST-25/07-08 दिनांक 14.06.2008 | 7.68 | 1.76 | 2001-02 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 50 | कतरास | KT-CST-22/07-08 दिनांक 14.06.2008 | 8.59 | 1.97 | 2002-03 | डी.सी.सी.टी (कतरास) |
| 51 | कतरास | KT-CST-07/18-19 दिनांक 06.12.2018 | 1.64 | - | 2014-2015 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 52 | कतरास | 12998 दिनांक 29.03.2019 | 2.50 | 0.80 | 2015-2016 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 53 | सिजुआ | 19/91-92 | 0.86 | 0.14 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 54 | सिजुआ | 20/92-93 | 0.20 | 0.14 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 55 | सिजुआ | 21/93-94 | 1.00 | 0.09 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 56 | सिजुआ | 22/98-99 | 0.01 | 0.02 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक (संख्या / दिनांक) | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | सिजुआ | 23/2002-03 | 0.31 | 0.02 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 58 | सिजुआ | 24/2003-04 | 2.96 | 0.12 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 59 | सिजुआ | 25/2004-05 | 1.95 | 0.05 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 60 | सिजुआ | 26/2005-06 | 13.85 | 0.05 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 61 | सिजुआ | 2006-07 | 3.99 | 2.75 | 2006-07 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 62 | सिजुआ | 2007-08 | 3.45 | 0.04 | 2007-08 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 63 | सिजुआ | 2008-09 | 6.41 | - | 2008-09 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 64 | सिजुआ | 2009-10 | 2.29 | - | 2009-10 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 65 | सिजुआ | 2010-11 | 3.47 | 0.60 | 2010-11 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 66 | सिजुआ | CST 10/2014-15 | 6.70 | 0.04 | 2011-12 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 67 | सिजुआ | 39/2012-13/CST | 2.18 | 0.50 | 2012-13 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 68 | सिजुआ | 17/2013-14/CST | 0.80 | 0.16 | 2013-14 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 69 | सिजुआ | 3922/2014-15/CST | 0.54 | 0.16 | 2014-15 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 70 | सिजुआ | 12460/15-16/CST | 0.23 | 0.06 | 2015-16 | संयुक्त आयुक्त (अपील), धनबाद |
| 71 | कुसुंडा | D.NO. 963 | 0.01 | 0.01 | 1980-81 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 72 | कुसुंडा | CC(S)-349/91-92 | 0.27 | 0.28 | 1979-80 | अपीलीय न्यायालय |
| 73 | कुसुंडा | CC(S)-249/91-92 | 0.63 | 0.63 | 1983-84 | अपीलीय न्यायालय |
| 74 | कुसुंडा | DH-ST-122/90-91 DH-CST-139/90-91 | 0.30 | - | 1987-88 | अपीलीय न्यायालय |
| 75 | कुसुंडा | DH-ST-87/96-97 DH-CST-52/96-97 | 0.11 | - | 1990-91 | अपीलीय न्यायालय |
| 76 | कुसुंडा | DH-ST-88/96-97 DH-CST-53/96-97 | 0.63 | - | 1991-92 | अपीलीय न्यायालय |
| 77 | कुसुंडा | DH-ST-92/97-98 DH-CST-87/97-98 | - | 0.06 | 1993-94 | अपीलीय न्यायालय |
| 78 | कुसुंडा | DH-ST-87/98-99 DH-CST-79/98-99 | 0.17 | - | 1994-95 | अपीलीय न्यायालय |
| 79 | कुसुंडा | DH-ST-132/97-98 DH-CST-135/97-98 | 0.17 | 0.02 | 1995-96 | अपीलीय न्यायालय |
| 80 | कुसुंडा | DH-ST-37/05-06 DH-CST-59/05-06 | 0.72 | 0.14 | 1996-97 | अपीलीय न्यायालय |
| 81 | कुसुंडा | DH-ST-26/05-06 DH-CST-44/05-06 | 0.20 | 0.40 | 1998-99 | अपीलीय न्यायालय |
| 82 | कुसुंडा | DH-ST-118/00-01 DH-CST-78/00-01 | 0.04 | - | 1997-98 | अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत |
| 83 | कुसुंडा | अपील दायर की गयी | 0.11 | - | 1999-00 | अपीलीय न्यायालय |
| 84 | कुसुंडा | DH-ST-05/03-04 DH-CST-4/03-04 | 0.08 | - | 2000-01 | अपीलीय न्यायालय |
| 85 | कुसुंडा | DH-ST-36/05-06 DH-CST-58/05-06 | 1.88 | 1.88 | 2001-02 | अपीलीय न्यायालय |
| 86 | कुसुंडा | DH-CST-25/13-14 | 0.19 | 0.44 | 2003-04 | अपीलीय न्यायालय |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या / दिनांक | | | | |
| 87 | कुसुंडा | DH-ST-138/09-10 DH CST -166/09-10 | 1.25 | 0.14 | 2004-05 | अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत |
| 88 | कुसुंडा | DH-ST-139/09-10 DH CST165/09-10 | 4.22 | 0.63 | 2005-06 | अपीलीय न्यायालय उसके बाद निचली अदालत |
| 89 | कुसुंडा | DH-VAT-49/14-15 DH CST-30/14-15 | 0.49 | - | 2006-07 | अपीलीय न्यायालय |
| 90 | कुसुंडा | DH-VAT-36/13-14 DH-CST-26/13-14 | 0.05 | - | 2007-08 | अपीलीय न्यायालय |
| 91 | कुसुंडा | 14/13-14 | 0.72 | 0.72 | 2012-14 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 92 | कुसुंडा | DH CST-02/14-15 | 5.58 | 1.12 | 2010-11 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 93 | कुसुंडा | DH CST43/14-15 | 1.47 | 0.69 | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 94 | कुसुंडा | DH CST 31/2014-15 | 0.05 | 0.03 | 2008-09 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 95 | कुसुंडा | DH CST- 1 to 3/2015-16 | 2.50 | 0.15 | 2012-13 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 96 | कुसुंडा | DH CST-45/2016-17 | 0.09 | - | 2013-14 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 97 | कुसुंडा | D.NO. 7135 | 0.04 | - | 2014-15 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 98 | कुसुंडा | 8/14-15 | 3.79 | 0.30 | 2013-14 & 2014-15 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 99 | कुसुंडा | 8/14-15 U/S 10A | 0.25 | 0.10 | 2013-14 & 2014-15 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 100 | कुसुंडा | DH CST-77/2015-16 | 1.45 | 0.06 | 2012-13 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 101 | कुसुंडा | अपीस मामला संख्या- DH CST-45/2016-17 | 9.18 | 0.65 | 2013-14 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 102 | कुसुंडा | SRA-II-29/13-14 PARA 4 PERIOD 2009-10 | 0.59 | - | 2009-10 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 103 | कुसुंडा | DH CST-25/12-13 | - | 0.70 | 2009-10 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 104 | कुसुंडा | D.NO.8905 | 7.88 | 5.23 | 2014-15 | डीसीसीटी (निचली अदालत) |
| 105 | कुसुंडा | 8281 दिनांक 15.02.2019 | 6.12 | 2.29 | 2015-16 | जेसीसीटी (अपील न्यायालय) |
| 106 | पुटकी बलिहारी | 3122 दिनांक 16.08.2017 | 0.10 | 0.10 | 2003-04 | सीसीटी, रांची |
| 107 | पुटकी बलिहारी | 3123 दिनांक 16.08.2017 | 1.17 | 1.17 | 1992-93 | सीसीटी, रांची |
| 108 | पुटकी बलिहारी | 7068 दिनांक 03.03.2015 | 0.01 | - | 2002-03 | सीसीटी, रांची |
| 109 | पुटकी बलिहारी | 7665 दिनांक 03.03.2015 | 0.01 | - | 2008-09 | सीसीटी, रांची |
| 110 | पुटकी बलिहारी | 10247 दिनांक 28.03.2016 | 0.57 | - | 2010-11 | सीसीटी, रांची |
| 111 | पुटकी बलिहारी | 7665 दिनांक 03.03.2015 | 0.04 | - | 2008-09 | सीसीटी, रांची |
| 112 | पुटकी बलिहारी | 4296 दिनांक 23.08.2016 | 0.22 | 0.00 | 2009-10 | सीसीटी, रांची |
| 113 | पुटकी बलिहारी | 6107 दिनांक 29.10.2016 | 1.69 | - | 2010-11 | सीसीटी, रांची |
| 114 | पुटकी बलिहारी | 422 दिनांक 16.03.2019 | 2.97 | 0.83 | 2014-15 | जेसीसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | पुटकी बलिहारी | 45 दिनांक 26.06.2019 | 6.74 | 1.89 | 2015-16 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 116 | बस्ताकोला | 754/2012 | 2.89 | 2.89 | 2004-05 | सीसीटी, रांची |
| 117 | बस्ताकोला | 1445 दिनांक 12/12/2011 -751/2012 | 0.07 | - | 2004-05 | सीसीटी, रांची |
| 118 | बस्ताकोला | 751/2012 | 3.94 | 3.94 | 2005-06 | सीसीटी, रांची |
| 119 | बस्ताकोला | 1447 दिनांक 12/12/2011-- 749/2012 | 0.06 | - | 2006-07 | सीसीटी, रांची |
| 120 | बस्ताकोला | 749/2012 | 7.53 | 7.53 | 2006-07 | सीसीटी, रांची |
| 121 | बस्ताकोला | 1449 दिनांक 12/12/2011 | 0.01 | - | 2006-07 | सीसीटी, रांची |
| 122 | बस्ताकोला | 1950 दिनांक 28/01/2010 | 0.24 | 0.24 | 1985-86 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 123 | बस्ताकोला | 201 दिनांक 6/3/2010 | 0.60 | 0.27 | 1986-87 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 124 | बस्ताकोला | 1848 दिनांक 22/1/10 | 0.22 | - | 1987-88 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 125 | बस्ताकोला | CST /11/12-13 | 0.05 | - | 2011-12 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 126 | बस्ताकोला | 02/11-12 | 0.32 | 0.05 | 2008-09 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 127 | बस्ताकोला | JHCST/01/2007-18 | 1.93 | 0.01 | 2007-08 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 128 | बस्ताकोला | 5518 दिनांक 10.11.16 | 0.82 | - | 2009-10 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 129 | बस्ताकोला | CST 2/ 16-17 | 1.18 | 0.36 | 2010-11 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 130 | बस्ताकोला | JH CST/17 | 10.16 | 2.68 | 2011-12 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 131 | बस्ताकोला | JH CST/04 | 5.47 | 1.22 | 2012-13 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 132 | बस्ताकोला | 5554 दिनांक 16.11.16 | 20.48 | 2.80 | 2014-15 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 133 | बस्ताकोला | 7597 दिनांक 4/3/17 | 0.16 | - | 2012-13 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 134 | बस्ताकोला | 7598 दिनांक 4/3/17 | 0.19 | - | 2013-14 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 135 | बस्ताकोला | 7599 दिनांक 4/3/17 | 0.16 | - | 2014-15 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 136 | बस्ताकोला | 7600 दिनांक 4/3/17 | 0.10 | - | 2015-16 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 137 | बस्ताकोला | 2982 दिनांक 02/03/14 | 0.24 | 0.02 | 2008-09 | लेखा परीक्षा आपत्ति |
| 138 | बस्ताकोला | 44/13-14 | 0.08 | - | 2009-10 | लेखा परीक्षा आपत्ति |
| 139 | बस्ताकोला | 2015-16 | 0.10 | - | 2015-16 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 140 | लोदना | 377 दिनांक 10.08.2009 | 0.03 | - | 2000-2001 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 141 | लोदना | 378 दिनांक 10.08.2009 | 0.07 | - | 2001-2002 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 142 | लोदना | 4206 दिनांक 28.10.2005 | 0.05 | - | 2002-2003 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 143 | लोदना | 4191 दिनांक 27.03.2008 | 0.41 | - | 2003-2004 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 144 | लोदना | 6609 दिनांक 11.03.2020 | 1.36 | 0.73 | 2008-2009 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 145 | लोदना | 4138 दिनांक 26.11.2019 | 2.75 | 0.77 | 2009-2010 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 146 | लोदना | 6609 दिनांक 11.03.2020 | | 2.55 | 1.09 | 2010-2011 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 147 | लोदना | 6609 दिनांक 11.03.2020 | | 5.86 | 1.48 | 2011-2012 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 148 | लोदना | 5899 दिनांक 15.09.2015 | | 8.49 | - | 2012-2013 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 149 | लोदना | 7603 दिनांक 31.01.2015 | | 6.89 | 0.57 | 2012-2013 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 150 | लोदना | 7604 दिनांक 31.01.2015 | | 13.77 | 0.70 | 2013-2014 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 151 | लोदना | 5242 दिनांक 24.10.2016 | | 11.25 | 1.60 | 2013-2014 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 152 | लोदना | 7605 दिनांक 03.01.2015 | | 6.82 | 1.36 | 2014-2015 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 153 | लोदना | 5561 दिनांक 16.11.2016 | | 36.99 | 1.20 | 2014-2015 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 154 | लोदना | 10920 दिनांक 08.03.2016 | | 7.23 | - | 2014-2015 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 155 | लोदना | 10925 दिनांक 08.03.2016 | | 1.67 | - | 2015-2016 | डी सी सी टी, धनबाद |
| 156 | लोदना | 5057 दिनांक 26.03.2019 | | 5.86 | 1.02 | 2015-2016 | जेसीसीटी, (अपील) धनबाद |
| 157 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 2404/10.10.2019 | | 0.29 | - | 2005-06 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 158 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 3877 dt 15.09.2014 | | 3.74 | 3.74 | 2009-10 | डीसीसीटी, झरिया सर्कल |
| 159 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | JH/CST-03/18-19 | | 5.46 | 2.10 | 2010-11 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 160 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 5116 dt 16.10.2016 | | 0.29 | 0.06 | 2011-12 | न्यायाधिकरण, रांची |
| 161 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 4254 dt 01.02.2019 | | 23.80 | 0.90 | 2011-12 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 162 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 4255 dt 01.02.2019 | | 16.48 | 0.81 | 2013-14 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 163 | पूर्वी झरिया क्षेत्र | 4256 dt 01.02.2019 | | 0.36 | 0.10 | 2014-15 | न्यायाधिकरण, रांची |
| 164 | चांच विक्टोरिया | 4738 10-11 | | 1.51 | 0.43 | 2010-11 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 165 | चांच विक्टोरिया | CK CST-12/2015-16 | | 0.12 | 0.30 | 2012-13 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 166 | चांच विक्टोरिया | 9470 CST 29/03/2018 | | 1.81 | 0.55 | 2013-14 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 167 | चांच विक्टोरिया | CK CST-04/2018-19 | | 2.86 | 1.88 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 168 | चांच विक्टोरिया | फॉर्म सी की अस्वीकृति | | 1.00 | 0.57 | 2011-12 | डीसीसीटी,चिरकुंडा |
| 169 | चांच विक्टोरिया | लेखा परीक्षा आपत्ति सीएसटी पर ब्याज | | 0.37 | | 2011-12 | न्यायाधिकरण, रांची |
| 170 | चांच विक्टोरिया | Short of C Form | | 0.00 | 0.00 | 2015-16 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 171 | चांच विक्टोरिया | APP/2016-17/11/74/C/04230 | | 0.71 | | 2015-16 | पुनरीक्षण बोर्ड |
| 172 | चांच विक्टोरिया | 2014-2015/CIR/74/VA/11 | | 1.07 | 0.16 | 2014-15 | उच्च न्यायालय |
| 173 | चांच विक्टोरिया | 2016-2017/74/01/C/15 | | 1.39 | 0.21 | 2016-17 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 174 | चांच विक्टोरिया | 2017-2018/CIR/74/CA/5 | | 1.54 | 0.23 | 2017-18 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 175 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 29/2013-14 | | 0.34 | 0.18 | Apr 12-Dec 13 | जेसीसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 176 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 366/2015-16 | | 1.01 | 0.05 | 2012-13 | डीसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 177 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 7310/21.12.16 | | 0.14 | 0.02 | 2011-12 | डीसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 178 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 55/2016-17 | | 0.60 | 0.02 | 2013-14 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 179 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 6742/02.12.16 | | 0.70 | 0.02 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 180 | वाशरी डिवीजन | DU-CST-43/08-09 | | 6.62 | - | 2003-04 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 181 | वाशरी डिवीजन | DU-CST-53/08-09 | | 2.73 | - | 2004-05 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 182 | वाशरी डिवीजन | DU-CST-09/09-10 | | 0.17 | - | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 183 | वाशरी डिवीजन | CC(S)116/2019 | | 2.22 | 0.44 | 2008-09 | डीसीसीटी |
| 184 | वाशरी डिवीजन | DU-CST-05/13-14 | | 0.08 | 0.01 | 2009-10 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 185 | वाशरी डिवीजन | DN/28/2015 | | 0.89 | 0.89 | 2010-11 | सीसीटी/ न्यायाधिकरण |
| 186 | वाशरी डिवीजन | DH CST-12/2016-17 | | 0.04 | 0.01 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 187 | वाशरी डिवीजन | KTCST07/09-10 | | 1.22 | - | 2004-05 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 188 | वाशरी डिवीजन | KTCST06/09-10 | | 0.77 | - | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 189 | वाशरी डिवीजन | KTCST18/09-10 | | 0.33 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 190 | वाशरी डिवीजन | KTCST04/10-11 | | 0.04 | - | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 191 | वाशरी डिवीजन | KTVAT08/13-14 | | 0.12 | 0.03 | 2009-10 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 192 | वाशरी डिवीजन | KTCST-11/14-15 | | 1.02 | 1.00 | 2011-12 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 193 | वाशरी डिवीजन | KTCST-13/18-19 | | 0.34 | 0.10 | 2013-14 | जेसीसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 194 | वाशरी डिवीजन | KT CST 04/2018-19 | | 0.06 | 0.02 | 2014-15 | जेसीसीटी/ डीसीसीटी |
| 195 | वाशरी डिवीजन | DH-CST-125/09-10 | | 0.14 | 0.02 | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 196 | वाशरी डिवीजन | DHVAT-125/09-10 | | 0.01 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 197 | वाशरी डिवीजन | DHVAT-19/10-11 | | 0.45 | - | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 198 | वाशरी डिवीजन | | | 0.14 | 0.05 | 2008-09 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 199 | वाशरी डिवीजन | DH CST -25/2016-17 | | 0.16 | 0.00 | 2009-10 | डीसीसीटी |
| 200 | वाशरी डिवीजन | DH CST-47/2016-17 | | 0.76 | 0.15 | 2010-11 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 201 | वाशरी डिवीजन | CC(S)35/2019 | | 0.06 | 0.01 | 2012-13 | डीसीसीटी |
| 202 | वाशरी डिवीजन | CC(S)22/2019 | | 0.19 | 0.04 | 2012-13 | एसीसीटी |
| 203 | वाशरी डिवीजन | CC(S)32/2019 | | 1.79 | 0.36 | 2014-15 | एसीसीटी |
| 204 | वाशरी डिवीजन | DU-CST-51/08-09 | | 0.48 | - | 2004-05 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 205 | वाशरी डिवीजन | SU-CST-10/09-10 | | 1.00 | - | 2005-06 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 206 | वाशरी डिवीजन | DU-CST-19/09-10 | | 0.36 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 207 | वाशरी डिवीजन | CC(S)118/2019 | | 0.48 | 0.10 | 2007-08 | डीसीसीटी |
| 208 | वाशरी डिवीजन | CC(S)117/2019 | | 0.14 | 0.03 | 2008-09 | डीसीसीटी |
| 209 | वाशरी डिवीजन | DN/30/2015 | | 1.74 | 1.74 | 2010-11 | सीसीटी/ न्यायाधिकरण |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 210 | वाशरी डिवीजन | | | 0.07 | 0.02 | 2012-13 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 211 | वाशरी डिवीजन | JH-CST-6/10-11 | | 2.54 | - | 2006-07 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 212 | वाशरी डिवीजन | JH-CST-2/10-11 | | 0.12 | - | 2007-08 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 213 | वाशरी डिवीजन | | | 0.00 | - | 2008-09 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 214 | वाशरी डिवीजन | JH-CST-03/13-14 | | 0.08 | 0.05 | 2009-10 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 215 | वाशरी डिवीजन | JH CST-08/2016-17 | | 0.99 | 0.30 | 2013-14 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 216 | वाशरी डिवीजन | JH CST 02/2018-19 | | 0.70 | 0.21 | 2014-15 | जेसीसीटी/ डीसीसीटी |
| 217 | वाशरी डिवीजन | DU/CST-02/19-20 दिनांक 20.03.2020 | | 0.23 | 0.04 | 2015-16 | डीसीसीटी दुग्धा |
| 218 | वाशरी डिवीजन | BANK ATTACHED दिनांक 30.04.2019 | | - | 0.12 | 2012-13 | डीसीसीटी मूनिडीह |
| 219 | वाशरी डिवीजन | DH/CST-51/19-20 दिनांक 18.03.2020 | | 0.23 | 0.06 | 2015-16 | डीसीसीटी मूनिडीह |
| 220 | वाशरी डिवीजन | KT/CST-02/19-20 दिनांक 11.03.2020 | | 0.04 | 0.01 | 2015-16 | डीसीसीटी महुदा |
| 221 | वाशरी डिवीजन | DU/CST-04/2019-20 दिनांक 14.06.2019 | | 0.30 | 0.02 | 2011-12 | डीसीसीटी पाथरडीह |
| 222 | वाशरी डिवीजन | CC(S)115/2019 दिनांक 06.02.2019 | | 0.01 | 0.00 | 2008-09 | डीसीसीटी दुग्धा |
| 223 | वाशरी डिवीजन | 103 दिनांक 17.03.2020 | | 0.08 | 0.01 | 2009-10 | डीसीसीटी सुदामडीह |
| 224 | वाशरी डिवीजन | 105 दिनांक 17.03.2020 | | 1.94 | 0.40 | 2010-11 | डीसीसीटी सुदामडीह |
| 225 | वाशरी डिवीजन | 107 ( (SD CST-20/14-15) दिनांक 17.03.2020 | | 1.98 | 0.35 | 2011-12 | डीसीसीटी सुदामडीह |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 226 | वाशरी डिवीजन | JH/CST-02/19-20 दिनांक 26.03.2019 | | 0.06 | 0.01 | 2015-16 | डीसीसीटी सुदामडीह |
| 227 | वाशरी डिवीजन | DU CST -13/2019-20 दिनांक 06.02.2020 | | 0.06 | 0.02 | 2013-14 | डीसीसीटी दुग्धा |
| 228 | वाशरी डिवीजन | DU/CST-04/19-20 | | 1.04 | 1.04 | 2011-12 | डीसीसीटी दुग्धा |
| 229 | मधुबन कोल वाशरी | KT CST-21/2015-16 दिनांक 31.05.2016 | | 0.55 | 0.20 | 2012-13 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 230 | मधुबन कोल वाशरी | KT CST-5/2018-19 दिनांक 08.02.2019 | | 2.68 | 0.53 | 2012-13 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 231 | मधुबन कोल वाशरी | KT CST-5/2018-19 दिनांक 08.02.2019 | | 0.66 | 0.20 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 232 | मधुबन कोल वाशरी | KT CST-8/2019-20 दिनांक 25.03.2019 | | 0.93 | 0.28 | 2015-16 | डीसीसीटी (अपील), धनबाद |
| | | **कुल** | | **568.18** | **100.43** | | |
| **प.बं. पीई अधिनियम, 1973 और प.बं. आरईपी अधिनियम, 1976** | | | | | | | |
| 1 | चांच विक्टोरिया | 4886 CT/APP दिनांक 14.09.2018 | | 0.49 | - | 1995-96 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 2 | चांच विक्टोरिया | 4885 CT/APP दिनांक 14.09.2018 | | 2.06 | - | 1996-97 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 3 | चांच विक्टोरिया | 1706 CT/2 दिनांक 01.04.2019 | | 0.25 | - | 1997-98 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 4 | चांच विक्टोरिया | 1705 CT/2 दिनांक 01.04.2019 | | 0.09 | - | 1998-99 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 5 | चांच विक्टोरिया | 2569 CT/APP दिनांक 15.05.2019 | | 0.37 | - | 1999-2000 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 6 | चांच विक्टोरिया | 2663 CT/APP दिनांक 15.05.2019 | | 0.57 | - | 2000-01 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 7 | चांच विक्टोरिया | A-37 & 38/AS Cir/Spl/CCT | | 0.63 | - | 2001-02 | प.बं. न्यायाधिकरण |
| 8 | चांच विक्टोरिया | 02/2005-06 दिनांक 05.06.2006 | | 5.63 | - | 2002-03 | विशेष आयुक्त प.ब. वैट बेलगछिया |
| 9 | चांच विक्टोरिया | 03/2005-06 दिनांक 05.06.2006 | | 3.56 | - | 2003-04 | विशेष आयुक्त प.ब. वैट बेलगछिया |
| 10 | चांच विक्टोरिया | 01/2006-07 | | 4.10 | - | 2004-05 | विशेष आयुक्त प.ब. वैट बेलगछिया |
| 11 | चांच विक्टोरिया | 02/2006-07 | | 1.50 | - | 2005-06 | विशेष आयुक्त प.ब. वैट बेलगछिया |
| 12 | चांच विक्टोरिया | 14.07.2010 | | 1.28 | | 2006-07 | विशेष आयुक्त प.ब. वैट बेलगछिया |
| 13 | चांच विक्टोरिया | 19.05.2011 | | 0.76 | | 2007-08 | विशेष आयुक्त प.ब. वैट बेलगछिया |
| | | **कुल** | | **21.31** | **-** | | |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक (संख्या / दिनांक) | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** | | | | | | |
| 1 | बरोरा | 40/79-80 | 0.00 | - | 1979-80 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 2 | बरोरा | 18/90-91 | 0.02 | - | 1990-91 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 3 | बरोरा | 70/94-95 | 0.00 | - | 1994-95 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 4 | बरोरा | 59/94-95 | 0.29 | - | 1994-95 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 5 | बरोरा | 5B/01-02 | 1.05 | - | 2001-02 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 6 | बरोरा | 09/12-13 | 0.09 | - | 2011-12 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 7 | बरोरा | 59/1994-95 | 0.29 | - | 2006-07 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 8 | बरोरा | WP@4561/2012 | 1.13 | - | 2012-13 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 9 | ब्लॉक-II | CC-120/93-94 | 0.07 | - | 1991-92 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 10 | ब्लॉक-II | CC-21/96-97 | 0.11 | - | 1994-95 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 11 | ब्लॉक-II | CC-98/93-94 | 5.41 | - | 1991-92 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 12 | ब्लॉक-II | 398 दिनांक 15.07.2014 | 1.20 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 13 | ब्लॉक-II | 423 दिनांक 05.08.2014 | 19.64 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 14 | ब्लॉक-II | 425 दिनांक 05.08.2014 | 6.88 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 15 | गोविंदपुर | 12/86-87[R] | 0.01 | - | 1986-87 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 16 | गोविंदपुर | 66/94-95 | 2.04 | - | 1994-95 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 17 | गोविंदपुर | 13/00-01 | 0.03 | - | 2000-01 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 18 | गोविंदपुर | 18/2014-15 | 1.13 | - | 2010-11 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 19 | गोविंदपुर | 35/2014-15 | 0.57 | - | 2010-11 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 20 | गोविंदपुर | 16/2014-15 | 4.55 | - | 2010-11 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 21 | गोविंदपुर | 07/2014-15 | 3.15 | - | 2010-11 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 22 | गोविंदपुर | 17/2014-15 | 4.47 | - | 2010-11 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 23 | गोविंदपुर | 27/2014-15 | 44.80 | - | 2010-11 | प्रमाणन कार्यालय, धनबाद |
| 24 | कतरास | 4/00-01 दिनांक 26.07.2000 | 0.04 | 0.01 | 2000-01 | जेसीटी, धनबाद |
| 25 | कतरास | 11/2003-04 दिनांक 26.07.2003 | 0.00 | - | 2003-04 | जेसीटी, धनबाद |
| 26 | कतरास | 5/00-01 दिनांक 26.07.2000 | 0.03 | 0.00 | 2000-01 | जेसीटी, धनबाद |
| 27 | कतरास | 12/2003-04 दिनांक 26.07.2003 | 0.00 | 0.00 | 2003-04 | जेसीटी, धनबाद |
| 28 | कतरास | 30/14-15 दिनांक 05.08.2014 | 2.57 | - | 2014-15 | जेसीटी, धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 29 | कतरास | 40/14-15 दिनांक 05.08.2014 | | 0.88 | - | 2014-15 | जेसीटी, धनबाद |
| 30 | सिजुआ | 29/2014-15 | | 1.34 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 31 | सिजुआ | 39/2014-15 | | 5.48 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 32 | सिजुआ | 41/2014-15 | | 1.38 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 33 | सिजुआ | 25/2014-15 | | 1.04 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 34 | सिजुआ | 6/2014-15 | | 0.53 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 35 | सिजुआ | 86/88-89 | | 0.13 | - | 1988-89 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 36 | कुसुंडा | 46 | | 0.01 | - | 1979-80 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 37 | कुसुंडा | 53 | | 0.02 | - | 1979-80 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 38 | कुसुंडा | 11 | | 0.03 | - | 1985-86 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 39 | कुसुंडा | 121 | | 0.04 | - | 1993-94 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 40 | कुसुंडा | 42 | | 0.02 | - | 2014-15 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 41 | कुसुंडा | 20 | | 4.50 | - | 2014-15 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 42 | कुसुंडा | 38 | | 0.00 | - | 2014-15 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 43 | कुसुंडा | 2163 दिनांक 14.02.2008 | | 0.18 | - | 1988-89 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 44 | कुसुंडा | 6/ 2008-09 | | 0.01 | - | 2008-09 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 45 | पुटकी बलिहारी | 151/93-94 | | 2.24 | - | 1993-94 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 46 | पुटकी बलिहारी | 53/94-95 | | 0.25 | - | 1994-95 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 47 | पुटकी बलिहारी | 29/95-96 | | 3.93 | - | 1995-96 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 48 | पुटकी बलिहारी | 4/95-96 | | 0.18 | - | 1995-96 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 49 | पुटकी बलिहारी | 14/96-97 | | 0.00 | - | 1996-97 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 50 | पुटकी बलिहारी | 37/99-00 | | 0.45 | - | 1999-00 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 51 | पुटकी बलिहारी | 8/00-01 | | 0.78 | - | 2000-01 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 52 | पुटकी बलिहारी | WP(C) 5949/07 | | 4.90 | - | 2007-08 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 53 | बस्ताकोला | 1/95-96 | | 4.09 | - | 1995-96 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 54 | बस्ताकोला | 2/95-96 | | 0.13 | - | 1995-96 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 55 | बस्ताकोला | 3/95-96 / LPA 77/2005 | | 0.37 | - | 1995-96 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 56 | बस्ताकोला | 16/90-91 | | 0.00 | - | 1990-91 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 57 | बस्ताकोला | 36/91-92 | | 0.01 | - | 1991-92 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 58 | बस्ताकोला | 5/95-96 | | 0.47 | - | 1995-96 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 59 | बस्ताकोला | 11/00-01 | | 0.03 | - | 2000-01 | झारखंड उच्च न्यायालय |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 60 | बस्ताकोला | 40/79-80 | | 0.02 | - | 1979-80 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 61 | बस्ताकोला | 48/79-80 | | 0.00 | - | 1979-80 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 62 | बस्ताकोला | 68/80-81 | | 0.05 | - | 1980-81 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 63 | बस्ताकोला | 09/2014-15 | | 3.09 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 64 | बस्ताकोला | 11/2014-15 | | 29.74 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 65 | बस्ताकोला | 13/2014-15 | | 0.14 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 66 | बस्ताकोला | 14/2014-15 | | 12.87 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 67 | बस्ताकोला | 15/2014-15 | | 0.76 | - | 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 68 | बस्ताकोला | 11/2016-17 | | 3.61 | - | 2013-14 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 69 | बस्ताकोला | 12/2016-17 | | 2.18 | - | 2013-14 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 70 | बस्ताकोला | 41/79-80 | | 0.17 | 0.02 | 1979-80 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 71 | बस्ताकोला | 4291/2010 | | 4.47 | - | 2005-06 | कोयला मंत्रालय |
| 72 | लोदना | 01/2012-13 दिनांक 09.01.2013 | | 4.58 | - | Apr 07 to Dec 07 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 73 | लोदना | 02/2012-13 दिनांक 09.01.2013 | | 3.63 | - | Dec 07 to Mar 08 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 74 | लोदना | 03/2012-13 दिनांक 09.01.2013 | | 0.35 | - | Dec 07 to Mar 08 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 75 | लोदना | 19/2014-15 दिनांक 05.08.2014 | | 0.29 | - | Mar-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 76 | लोदना | 32/2014-15 दिनांक 05.08.2014 | | 0.00 | - | Mar-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 77 | लोदना | 33/2014-15 दिनांक 05.08.2014 | | 0.37 | - | Mar-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 78 | लोदना | 34/2014-15 दिनांक 05.08.2014 | | 18.99 | - | Mar-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 79 | लोदना | 35/2014-15 दिनांक 05.08.2014 | | 1.08 | - | Mar-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 80 | लोदना | 36/2014-15 दिनांक 05.08.2014 | | 1.24 | - | Mar-11 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 81 | लोदना | 36/1994-95 दिनांक 05.05.1994 | | 0.01 | - | 1994-95 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 82 | लोदना | 41/1994-95 दिनांक 01.08.1994 | | 0.81 | - | 1994-95 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 83 | लोदना | 11/1998-99 दिनांक 02.02.1999 | | 0.07 | - | 1998-99 | प्रमाणन अधिकारी, धनबाद |
| 84 | पूर्वी झरिया | 68/80-81 | | 0.05 | - | 1977 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |
| 85 | पूर्वी झरिया | 05/2014-15 | | 0.06 | - | 2006-07 to 2010-11 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 86 | चांच विक्टोरिया | 85/94-95 | | 0.19 | - | 1994-95 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |
| 87 | चांच विक्टोरिया | 119/93-94 | | 0.03 | - | 1993-94 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |
| 88 | चांच विक्टोरिया | audit para 1(C ) | | 0.65 | - | 2013-14 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |
| 89 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 9/1998-99, 23.12.1998 | | 0.58 | - | 1992-93 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |
| 90 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 45/1999-00, 17.01.2000 | | 0.00 | - | 1997-98 | प्रमाणन अधिकारी (माइनिंग), धनबाद |
| 91 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | WP/1685/2010-11, 25.03.2011 | | 51.48 | - | 2010-11 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 92 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | WP/1666/2010-11, 25.03.2011 | | 25.41 | - | 2010-11 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| | | **कुल** | | **300.00** | **0.04** | | |
| **ईडी अधिनियम,1948** | | | | | | | |
| 1 | कतरास | KT-ED-24 | | 0.00 | - | 1998-99 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 2 | कतरास | KT-ED-25 | | 0.03 | - | 1998-99 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 3 | कतरास | KT-ED-26 | | 0.02 | - | 1998-99 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 4 | कतरास | KT-ED-27 | | 0.04 | - | 1998-99 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 5 | कतरास | KT-ED-1 | | 0.01 | - | 2003-04 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 6 | कतरास | KT-ED-1 | | 0.01 | - | 2003-04 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 7 | कतरास | 9604 | | 0.00 | - | 2012-2013 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 8 | कतरास | 9605 | | 0.00 | - | 2013-2014 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 9 | कतरास | 9603 | | 0.00 | - | 2014-2015 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 10 | कतरास | 10948 | | 0.00 | - | 2015-2016 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 11 | कतरास | 10949 | | 0.00 | - | 2016-2017 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 12 | कतरास | 1957 | | 0.00 | - | 2017-2018 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 13 | पुटकी बलिहारी | DH/ED-4 to 10 दिनांक 08.07.2015 | | 11.20 | 1.20 | 2004-05 to 2010-11 | जेसीसीटी, धनबाद |
| 14 | बस्ताकोला | 9142 दिनांक 7/12/12 | | 0.06 | - | 2002-03 | आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर, रांची |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 15 | बस्ताकोला | 9141 दिनांक 7/12/12 | | 0.06 | - | 2003-04 | आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर, रांची |
| 16 | बस्ताकोला | 9140 दिनांक 7/12/12 | | 0.06 | - | 2004-05 | आयुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर, रांची |
| 17 | बस्ताकोला | 5311 दिनांक 28/10/16 | | 0.22 | - | 2009-10 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 18 | बस्ताकोला | 5310 दिनांक 28/10/16 | | 0.28 | - | 2008-09 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 19 | बस्ताकोला | 5698 दिनांक 23/11/16 | | 0.11 | 0.01 | 2008-09 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 20 | बस्ताकोला | 5699 दिनांक 23/11/16 | | 0.10 | 0.01 | 2009-10 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 21 | बस्ताकोला | 7662 दिनांक 08-03-17 | | 0.13 | 0.01 | 2013-14 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 22 | बस्ताकोला | 7661 दिनांक 08-03-17 | | 0.12 | 0.01 | 2014-15 | जेसीसीटी (अपील), धनबाद |
| 23 | लोदना | 2475 & 01-11-2017 | | 0.02 | 0.00 | 2006-07 | जेसीसीटी धनबाद |
| 24 | लोदना | 2476 & 01-11-2017 | | 0.15 | 0.02 | 2006-07 | जेसीसीटी धनबाद |
| 25 | लोदना | 2474 & 01-11-2017 | | 0.98 | 0.10 | 2006-07 | जेसीसीटी धनबाद |
| 26 | लोदना | 2473 & 01-11-2017 | | 0.02 | 0.00 | 2007-08 | जेसीसीटी धनबाद |
| 27 | लोदना | 2481 & 02-11-2017 | | 0.16 | 0.02 | 2007-08 | जेसीसीटी धनबाद |
| 28 | लोदना | 2792 & 06-12-2017 | | 0.23 | 0.02 | 2007-08 | जेसीसीटी धनबाद |
| 29 | लोदना | 2480 & 02-11-2017 | | 0.02 | 0.00 | 2008-09 | जेसीसीटी धनबाद |
| 30 | लोदना | 2485 & 02-11-2017 | | 0.17 | 0.02 | 2008-09 | जेसीसीटी धनबाद |
| 31 | लोदना | 2793 & 06-12-2017 | | 0.21 | 0.02 | 2008-09 | जेसीसीटी धनबाद |
| 32 | लोदना | 2486 & 02-11-2017 | | 0.02 | 0.00 | 2009-10 | जेसीसीटी धनबाद |
| 33 | लोदना | 2495 & 03-11-2017 | | 0.16 | 0.02 | 2009-10 | जेसीसीटी धनबाद |
| 34 | लोदना | 2497 & 03-11-2017 | | 0.02 | 0.00 | 2010-11 | जेसीसीटी धनबाद |
| 35 | लोदना | 2496 & 03-11-2017 | | 0.17 | 0.02 | 2010-11 | जेसीसीटी धनबाद |
| 36 | लोदना | 2433 & 31-10-2017 | | 0.15 | 0.01 | 2011-12 | जेसीसीटी धनबाद |
| 37 | लोदना | 2325 & 12-10-2017 | | 0.02 | 0.00 | 2012-13 | जेसीसीटी धनबाद |
| 38 | लोदना | 2324 & 12-10-2017 | | 0.09 | 0.00 | 2013-14 | जेसीसीटी धनबाद |
| 39 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 23002/28.03.18 | | 0.14 | 0.03 | 2014-15 | जेसीसीटी धनबाद |
| 40 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 23003/28.03.18 | | 0.14 | 0.03 | 2015-16 | जेसीसीटी धनबाद |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 41 | वाशरी डिवीजन | विद्युत प्रभार | | 4.17 | 4.17 | 2007-12 | उपायुक्त, वाणिज्य कर, कतरास |
| 42 | चांच विक्टोरिया | 5776 | | 0.03 | - | 2012-13 | जेसीसीटी धनबाद |
| 43 | चांच विक्टोरिया | 5777 | | 0.03 | - | 2013-14 | जेसीसीटी धनबाद |
| 44 | चांच विक्टोरिया | 5778 | | 0.07 | - | 2014-15 | जेसीसीटी धनबाद |
| 45 | चांच विक्टोरिया | 5779 | | 0.08 | - | 2015-16 | जेसीसीटी धनबाद |
| 46 | चांच विक्टोरिया | 5780 | | 0.08 | - | 2016-17 | जेसीसीटी धनबाद |
| | | **कुल** | | **19.77** | **5.72** | | |
| **एफ अधिनियम, 1994** | | | | | | | |
| 1 | कतरास | C.No. V (30) 65 / Roy / Prev / DHN (H) / 2016 / 477 दिनांक 23.01.2017 | | 0.02 | - | Apr 16 to Oct 16 | संयुक्त आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, धनबाद |
| 2 | कुसुंडा | C.No. V(30)100/CERA/BCCL Kusunda/2014-15/1854 दिनांक 04.10.2018 | | 0.20 | - | 2013-14 to 2017-18 | संयुक्त आयुक्त सेवाकर |
| 3 | कुसुंडा | C.No. (30)28/ST/BCCL Kusunda/Adj/DNB(H)/2016/3393 दिनांक 07.09.2018 | | 0.57 | - | 2013-14 to 2017-18 | संयुक्त आयुक्त सेवाकर |
| 4 | कुसुंडा | C.No. V(30) 13/ST/BCCL Kusunda/Adj/ DNB(H)/2018/3386 दिनांक 07.09.2018 | | 0.37 | - | 2013-14 to 2017-18 | संयुक्त आयुक्त सेवाकर |
| 5 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | WP/209/2015 | | 1.06 | - | 2014-Dec 2015 | आयुक्त सेवाकर |
| 6 | भुगतान कार्यालय | BCCL/DNB/Adjn/2014-15/5635 दिनांक 23.09.2016 | | 3.70 | - | July 15-March 17 | आयुक्त सेवाकर |
| 7 | भुगतान कार्यालय | BCCL/DNB(H)/2014/105&2015/5434 | | 2.79 | 0.21 | 2012-15 | आयुक्त (प्रशा.) सेवाकर |
| | | **कुल** | | **8.72** | **0.21** | | |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक (संख्या / दिनांक) | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CE ACT, 1944** | | | | | | |
| 1 | ब्लॉक-II | 57/2016/CX/BCCL NAWAGARH/ADC/DNB(H) दिनांक 21.12.2016 | 1.48 | 0.11 | Mar. 11 to Sept 15 | आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची |
| 2 | ब्लॉक-II | 04/Asst Comm/CGST/North Div/17-18 दिनांक 29.12.2017 | 0.01 | 0.00 | Oct-15 | आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची |
| 3 | गोविंदपुर | V(30)25/CX/BCCL/A-III/Adj/DNB(H)/2016/2114 दिनांक 04.03.2016 | 0.56 | 0.04 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची |
| 4 | गोविंदपुर | V(30)78/CEX/BCCL/A-III/Adj/DNB(H)/2016/4026 दिनांक 19.04.2018 | 5.93 | 0.45 | Mar'11 to Oct'15 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 5 | गोविंदपुर | V(30)72/DSCN (P)/BCCL/A-III/DNB-1/17-18 दिनांक 31.05.2018 | 0.11 | 0.01 | Nov'15 to Jun'16 | आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर (अपील), रांची |
| 6 | कतरास | V (30)39 / CX / BCCL Katras / Adj / DNB(H) / 2016 दिनांक 11.01.2017 | 1.68 | 0.11 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, रांची |
| 7 | सिजुआ | 55/2016 दिनांक 26.12.2016 | 0.99 | 0.06 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 8 | सिजुआ | XAP-113/RAN/18-19 | 0.18 | 0.02 | 2015-16 | आयुक्त अपील, रांची |
| 9 | कुसुंडा | A.R.NO. 148/CEX/DNB/RAN/2011-12 | 0.00 | - | 2011-12 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 10 | कुसुंडा | A.R.NO. 148/CEX/DNB/RAN/2011-12 | 0.00 | - | 2011-12 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 11 | कुसुंडा | A.R.NO. 131/CEX/DNB/RAN/12-13 | 2.05 | - | 2012-13 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 12 | कुसुंडा | A.R.NO. 93/CEX/DHN/RAN/13-14 | 0.00 | - | 2013-14 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 13 | कुसुंडा | A.R.NO. 93/CEX/DHN/RAN/13-14 | 0.02 | - | 2013-14 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 14 | कुसुंडा | 07/CEX/COMMR/DNB/2017 dt 08.02.2017 | 4.99 | 0.25 | Mar'11 to Oct'15 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 15 | कुसुंडा | 69 CENTRAL EXCISE PR COMMR-2018 dt 27.03.2018 | 5.61 | 0.21 | Mar'11 to Jul'15 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 16 | पुटकी बलिहारी | 16/2016-17 दिनांक 08.03.2017 | 0.00 | 0.00 | Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 17 | पुटकी बलिहारी | 38/2016-17 दिनांक 28.09.2016 | | 0.12 | 0.00 | Mar'11 to Sep'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 18 | पुटकी बलिहारी | 66/2013-14 दिनांक 04.02.2015 | | 1.21 | 1.21 | upto 2012-13 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 19 | पुटकी बलिहारी | 66/2013-14 दिनांक 04.02.2015 | | 0.01 | 0.01 | 2013-14 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 20 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | WP/209/2015 | | 0.14 | 0.14 | 2011-12 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 21 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | E/76564/2018-EX[DB] दिनांक 15.05.2018 | | 48.61 | 3.65 | Mar 11 to Oct 15 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 22 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | V (30) 76/DSCN/BCCL WJ Area/Baz Tax/2015-16 दिनांक 22.12.2016 | | 0.09 | - | Mar 11 to Nov 15 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 23 | वाशरी डिवीजन | 16/AC/CEX/BOK-II/2016-17 दिनांक 03-03-2017 | | 0.45 | 0.03 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 24 | वाशरी डिवीजन | 18/2016/CX/BCCL/SUDAMDIH/ADC/DNB(H) दिनांक 28-09-2016 | | 0.32 | 0.02 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 25 | वाशरी डिवीजन | 37/2016/CX/BCCL/MAHUDA/ADC/DNB(H) दिनांक 27.09.2016 | | 0.29 | 0.02 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 26 | वाशरी डिवीजन | 58/2016/CX/BCCL/MOONIDIH/ADC/DNB(H) दिनांक 22-12-2016 | | 0.55 | 0.04 | Mar'11 to Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 27 | मधुबन कोल वाशरी | 36/2016/CX/BCCL Madhuban/ADC/DNB (H) दिनांक 20.12.2016 | | 0.84 | 0.03 | Mar'11 to Sep'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 28 | मधुबन कोल वाशरी | WP(T) No 3650 of 2015 | | 2.64 | 2.64 | 2014-15 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| 29 | मधुबन कोल वाशरी | 36/2016/CX/BCCL Madhuban/ADC/DNB (H) दिनांक 20.12.2016 | | 0.01 | - | Oct'15 | आयुक्त अपील, रांची |
| 30 | बिक्री लेखा | E/77270/2018-EX[DB] दिनांक 26.06.2018 | | 26.26 | 2.19 | 2010-11 to 2014-15 | सीईएसटीएटी, कोलकाता |
| 31 | केंद्रीय लेखा | V (30)105/ SN / BCCL - III / DNB(H) / 18-19 दिनांक 19.02.2020 | | 0.31 | 0.02 | Nov 16-June 17 | सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद, रांची |
| 32 | केंद्रीय लेखा | FO/A/75803/2015 दिनांक 17.12.2015 | | 1.58 | 0.05 | Mar 86-July 88 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| | कुल | | | **107.06** | **11.36** | | |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| **एसजीएसटी अधिनियम, 2017** | | | | | | | |
| 1 | केंद्रीय लेखा | ZA200719000002E दिनांक 01.07.2019 | | 0.04 | 0.00 | 2017-18 | जेसीसीटी (प्रशा.) धनबाद |
| **डीएमओ धनबाद द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध सामान्य कारणों से क्षतिपूर्ति** | | | | | | | |
| 1 | बरोरा | 53 to 99 of 2018- PCA | | 3,275.44 | - | 2001-01 to 2012-13 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 2 | ब्लॉक-II | 53 to 99 of 2018- PCA | | 2,120.17 | - | 2000-01 to 2014-15 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 3 | गोविंदपुर | 53 to 99 of 2018- PCA | | 337.04 | - | 2000-01 to 2013-14 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 4 | कतरास | 53 to 99 of 2018- PCA | | 2,113.35 | - | 2000-01 to 2016-17 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 5 | सिजुआ | 53 to 99 of 2018- PCA | | 1,445.76 | - | 2000-01 to 2015-16 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 6 | कुसुंडा | 53 to 99 of 2018- PCA | | 2,736.40 | - | 2000-01 to 2015-16 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 7 | पुटकी बलिहारी | 53 to 99 of 2018- PCA | | 454.33 | - | 2000-01 to 2016-17 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 8 | बस्ताकोला | 53 to 99 of 2018- PCA | | 2,157.00 | - | 2000-01 to 2016-17 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 9 | लोदना | 53 to 99 of 2018- PCA | | 928.00 | - | 2000-01 to 2016-17 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 10 | पूर्वी झरिया | 53 to 99 of 2018- PCA | | 190.26 | - | 2001-02 to 2016-17 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |

| क्र. सं. | क्षेत्र का नाम | मामले की संदर्भ संख्या एवं दिनांक | | मांग राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिवाद के तहत जमा राशि (₹ करोड़ में) | अवधि जिससे से रकम संबंधित है | जिस न्यायायिक संस्था में मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | दिनांक | | | | |
| 11 | पश्चिमी झरिया क्षेत्र | 53 to 99 of 2018- PCA | | 36.35 | - | 2001-01 to 2010-11 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| 12 | चांच विक्टोरिया | 53 to 99 of 2018- PCA | | 1,550.36 | - | 2000-01 to 2014-15 | पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय |
| | | **Total** | | **17,344.46** | **-** | | |
| **होल्डिंग टैक्स** | | | | | | | |
| 1 | केंद्रीय लेखा | WP(T)3583 /2015 | | 252.23 | - | 2015-16 | झारखंड उच्च न्यायालय |
| | | कुल | | 252.23 | - | | |
| | | सकल योग | | 19,994.34 | 922.94 | | |

# अनुलग्नक-VI

**भारत सरकार**

**भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग**

**लेखा परीक्षा (कोयला) महानिदेशक का कार्यालय**

**ओल्ड निज़ाम पैलेस 234/4, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता -700020**

सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA**
**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT**
**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)**
**OLD NIZAM PALACE, 234/4, A. J. C. BOSE ROAD, KOLKATA-700020**

लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्र सं.: सीए/सीसीएल/ए.ए/सीएस/बीसीसीएल/2019-20/349 दिनांक : 28 जुलाई 2020

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद-826005

**विषयः 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।**

महोदय,

मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करती हूं।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

ह/-
**(मौसमी राय भट्टाचार्य)**
महानिदेशक, अंकेक्षण (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 जुलाई, 2020

**31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुरूप वर्षांत 31 मार्च, 2020 हेतु भारत कोकिंग कोल लि. के वित्तीय विवरण के निर्माण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/अंकेक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानदंडों के अनुरूप निष्पक्ष लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर, इस अधिनियम की धारा 143 के तहत अपने विचार प्रकट करने के लिए जवाबदेह हैं। यह घोषित किया जाता है कि यह रिपोर्ट उनके द्वारा दिनांक 8 जून, 2020 को प्रस्तुत उनके लेखा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।

मैंने, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वर्षांत 31 मार्च, 2020 के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण कर लिया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यगत दस्तावेजों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह मूलतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछेक लेखा प्रतिवेदनों के गिने-चुने परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर ऐसी कोई भी विशेष बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है जिसके आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की इस रिपोर्ट या इसके अनुपूरक भाग पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-
**(मौसमी राय भट्टाचार्य)**
महानिदेशक, अंकेक्षण (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 जुलाई, 2020

# अनुलग्नक-VII

## सचिवीय लेखा प्रतिवेदन

### फार्म सं.- एमआर-3

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

**[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम सं. 9 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक) के आलोक में]**

| सचिवीय लेखा प्रतिवेदन | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|

सेवा में,

सदस्यगण

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

कोयला भवन, कोयला नगर

धनबाद, 826005

झारखंड (भारत)

हमने मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (सीआइएन: U10101JH1972GOI000918) (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रभावी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कारपोरेट कार्यप्रणाली के प्रति इसकी निष्ठा का सचिवीय लेखापरीक्षण किया। यह सचिवीय लेखापरीक्षण भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) द्वारा निर्गत सीएसएएस-4 लेखा मानक के अनुसार इस प्रकार किया गया था कि इससे मुझे कारपोरेट आचार-व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों और इसपर हमारे विचार प्रकट करने के लिए एक यथोचित आधार मिला।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के अतिरिक्त इस कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं के आधार पर, मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे विचार से इस कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा के दौरान दिये गए सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों एवं बोर्ड प्रक्रियाओं तथा कंपनी के विस्तार हेतु अपनायी गई प्रणाली का उचित तरीके से और इसमें दिये गए विधि एवं विषय के अनुसार अनुपालन किया है :

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत बने नियम,

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके तहत बनाये गए नियमों (लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

iii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी (ओवरसीज) प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के विस्तार हेतु इसके तहत बनाये गये नियम एवं विनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

iv. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत नियत विनियम एवं दिशानिर्देश (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

v. डिपॉजिटरी अधिनियम,1996 और इसके तहत बनाये गए विनियम तथा उप-नियम

vi. ओएम. सं. 18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश;

vii. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक 1 एवं 2

| सचिवीय लेखा प्रतिवेदन | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|

हम सूचित करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और संबंधित दस्तावेजों एवं रिकार्डों की जांच और प्रबंधन द्वारा की गई घोषणा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया है:-

क) कोयला खान अधिनियम, 1952

ख) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004

घ) कोयला खान नियम, 2017

ङ) वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956

च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

छ) कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974

ज) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966

झ) खान क्रेच रूल्स, 1961

ञ) खान बचाव नियम, 1985

ट) कोयला खान पिटहेड बाथ रूल्स, 1946

ठ) मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963

ड) विस्फोटक नियम, 2008

ढ) खनिज रियायत नियम, 1960

ण) कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948

त) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957

थ) निर्विवाद वेतन भुगतान (खान) नियम, 1989

द) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956

ध) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986

न) जोखिम एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार गतिविधि) नियम, 2016

प) जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम, 1974 तथा इसके तहत बनाए गए नियम

फ) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम, 1981

ब) सार्वजनिक दायित्व बीमा (पब्लिक लायब्लिटि इंश्योरेंस) अधिनियम, 1991 तथा इसके तहत बनाए गए नियम

**प्रबंधन का दायित्व**

1. सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर एक मत व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है।

2. हमने लेखापरीक्षण पद्धति एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्ड के विषय-वस्तु के तथ्यों के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त थे। जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि विषय-वस्तु का तथ्य सचिवीय रिकार्ड में प्रतिबिंबित हो। हम मानते हैं कि, हमने अपनी राय में प्रक्रियाओं और पद्धतियों के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

3. हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की तथ्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी बहियों, सूचनाओं या विवरणों की जांच की है।

4. हमने उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य विशिष्ट कानूनों की जांच नहीं की है।

| सचिवीय लेखा प्रतिवेदन | प्रबंधन की टिप्पणी |
|---|---|

5. जहाँ भी आवश्यक पड़ी, हमने उक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6. कॉरपोरेट कानूनों तथा अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

7. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता का, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। जैसा कि कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के विषय में है, कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है जो सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक ढांचा, डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों के अनुसार सीपीएसई की त्रैमासिक/वार्षिक ग्रेडिंग, निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन एवं उत्तराधिकार से संबंधित मामलों के अनुपालन को लागू करती है। यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है और इसे वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

2014 के डब्ल्यू पी (सिविल) 114 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ''कॉमन कॉज बनाम यूओआई'' के मामले को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है और यह तथ्यात्मक कथन है, अत: टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

**हम आगे यह सूचित करते हैं कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया जाता है। निदेशक मंडल के गठन में बदलाव अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, एजेंडा को निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दिया जाता है, और बैठक से पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एजेंडा मदों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। समीक्षा के अंतर्गत लेखा अवधि के दौरान बोर्ड बैठकों के सभी निर्णयों को संबंधित कार्यवृत्त पुस्तक में उचित तरीके से दर्ज किया गया था।

**हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुपात में कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** मेरे द्वारा प्राप्त किए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन के प्रतिनिधित्व और उन पर किए गए भरोसे के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख रूप से असर डालने वाली विशिष्ट घटनाएं, कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

I. कंपनी के सदस्यों ने 24 मार्च, 2020 को आयोजित उनकी 17वीं असाधारण आमसभा में निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का पुन: वर्गीकरण:

कंपनी के ₹ 2539 करोड़ के वरीयता शेयरों का इक्विटी शेयरों (प्रत्येक ₹ 1000) में परिवर्तन।

**कृते, जे. के. दास एवं सहभागी**
**(कंपनी सचिव)**

**(कंपनी सचिव जे.के. दास)**
**सीपी सं. : 4250**
**सदस्यता सं. : FCS 7268**
**UDIN: F007268B000511409**

**स्थान: कोलकाता**
**दिनांक: 16 जुलाई, 2020**

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### 31.03.2020 को तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

| | टिप्पणी संख्या | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| **गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां** | | | |
| (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 3 | 1,420.33 | 1,433.87 |
| (ख) पूंजीगत जारी कार्य | 4 | 1,702.26 | 1,542.92 |
| (ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां | 5 | 645.16 | 552.26 |
| (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां | 6 | - | - |
| (ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| (i) निवेश | 7 | - | - |
| (ii) ऋण | 8 | 0.07 | 0.15 |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 9 | 706.72 | 389.96 |
| (च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) | | 573.35 | 549.14 |
| (छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां | 10 | 516.80 | 501.72 |
| **कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (क)** | | **5,564.69** | **4,970.02** |
| **वर्तमान परिसंपत्तियां** | | | |
| (क) वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) | 12 | 700.77 | 774.09 |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| (i) निवेश | 7 | 4.00 | 26.40 |
| (ii) व्यापार प्राप्तियां | 13 | 2,414.72 | 613.72 |
| (iii) नकदी और नकदी समतुल्य | 14 | 34.30 | 86.49 |
| (iv) अन्य बैंक जमा शेष | 15 | 1,423.31 | 2,015.02 |
| (v) ऋण | 8 | - | - |
| (vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 9 | 400.84 | 412.63 |
| (ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) | | 32.83 | 12.61 |
| (घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | 11 | 1,800.94 | 1,802.60 |
| **कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)** | | **6,811.71** | **5,743.56** |
| **कुल परिसंपत्तियां (क+ख)** | | **12,376.40** | **10,713.58** |
| **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| **इक्विटी** | | | |
| (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 16 | 4,657.00 | 2,118.00 |
| (ख) अन्य इक्विटी | 17 | (359.34) | (1,065.68) |
| कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी | | 4,297.66 | 1,052.32 |

| | टिप्पणी संख्या | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| गैर-नियंत्रित ब्याज | | - | - |
| **कुल इक्विटी (क)** | | **4,297.66** | **1,052.32** |
| | | | |
| **देयताएं** | | | |
| गैर-वर्तमान देयताएं | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | |
| (i) उधारियां | 18 | - | 2,350.92 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 20 | 88.45 | 82.27 |
| (ख) प्रावधान | 21 | 1,777.15 | 1,026.30 |
| (ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं | 22 | 5.01 | 5.70 |
| **कुल गैर-वर्तमान देयताएं (ख)** | | **1,870.61** | **3,465.19** |
| | | | |
| **वर्तमान देयताएं** | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | |
| (i) उधारियां | 18 | 583.07 | - |
| (ii) व्यापार प्राप्तियां | 19 | | |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | | 2.35 | 1.45 |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि | | 1,633.10 | 1,665.14 |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 20 | 771.68 | 773.42 |
| (ख) अन्य वर्तमान देयताएं | 23 | 2,238.49 | 2,795.20 |
| (ग) प्रावधान | 21 | 979.44 | 960.86 |
| (घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध) | | | |
| **कुल वर्तमान देयताएं (ग)** | | **6,208.13** | **6,196.07** |
| | | | |
| **कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)** | | **12,376.40** | **10,713.58** |

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग हैं।

**हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

**(सीए बी. के. विस्वास)**
साझीदार
एम. संख्या - 055623

दिनांक: 08.06.2020
स्थान: धनबाद

**बोर्ड की ओर से**

**(पी. एम. प्रसाद)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

**(समीरन दत्ता))**
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

**(बी. के. बसाक)**
महाप्रबंधक (वित्त/प्रभारी))

**(बी. के. पारुई)**
कंपनी सचिव

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

| | | टिप्पणी संख्या | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| | **परिचालनों से प्राप्त आय** | | | |
| क. | बिक्री (वैधानिक लेवी के बाद) | 24 | 8,967.56 | 9,377.68 |
| ख. | अन्य परिचालन राजस्व (वैधानिक लेवी के बाद) | 24 | 458.45 | 497.20 |
| **(I)** | **परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)** | | **9,426.01** | **9,874.88** |
| (II) | अन्य आय | 25 | 544.99 | 372.88 |
| **(III)** | **कुल आय (I+II)** | | **9,971.00** | **10,247.76** |
| **(IV)** | **खर्चे** | | | |
| | खपत सामग्री की लागत | 26 | 397.15 | 517.78 |
| | तैयार माल की सूची / जारी कार्य और बिक्री के लिए स्टॉक में परिवर्तन | 27 | 79.48 | 258.35 |
| | उत्पाद शुल्क | 28 | 5,761.35 | 5,866.95 |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | | 233.72 | 232.18 |
| | कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय | 29 | 6.01 | 1.43 |
| | मरम्मत | 30 | 201.49 | 224.49 |
| | संविदात्मक व्यय | 31 | 1,211.50 | 1,312.57 |
| | वित्त लागत | 32 | 221.83 | 200.66 |
| | मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि | | 197.53 | 248.52 |
| | प्रावधान | 33 | (35.11) | 38.92 |
| | बट्टे खाते में | 34 | 1.07 | 0.85 |
| | स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन | | 49.72 | 100.64 |
| | अन्य खर्चे | 35 | 654.14 | 687.37 |
| | **कुल खर्चे (IV)** | | **8,979.88** | **9,690.71** |
| **(V)** | **असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)** | | **991.12** | **557.05** |
| (VI) | असाधारण मदें | | - | - |
| **(VII)** | **कर से पहले लाभ (V-VI)** | | **991.12** | **557.05** |
| (VIII) | कर व्यय | 36 | 72.44 | 268.28 |
| **(IX)** | **जारी संचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)** | | **918.68** | **288.77** |
| (X) | बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) | | - | - |
| (XI) | बंद परिचालनों का कर व्यय | | - | - |
| (XII) | बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI) | | - | - |
| (XIII) | संयुक्त उद्यमों के लाभ/ (हानि) में शेयर | | - | - |
| **(XIV)** | **अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)** | | **918.68** | **288.77** |
| | अन्य व्यापक आय /(व्यय) | 37 | | |
| | क (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे | | (308.64) | 134.85 |

| | | टिप्पणी संख्या | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| | घटाएं (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर | | (96.30) | - |
| | ख (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे | | - | - |
| | (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर | | - | - |
| **(XV)** | **कुल अन्य व्यापक आय** | | **(212.34)** | **134.85** |
| (XVI) | **अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)** | | 706.34 | 423.62 |
| | **लाभ संबंधित:** | | | |
| | कंपनी के मालिकों से | | 918.68 | 288.77 |
| | अनियंत्रित ब्याज से | | - | - |
| | | | 918.68 | 288.77 |
| | **अन्य व्यापक आय संबंधित:** | | | |
| | कंपनी के मालिकों से | | (212.34) | 134.85 |
| | अनियंत्रित ब्याज से | | - | - |
| | | | (212.34) | 134.85 |
| | **कुल व्यापक आय संबंधित:** | | | |
| | कंपनी के मालिकों से | | 706.34 | 423.62 |
| | अनियंत्रित ब्याज से | | - | - |
| | | | 706.34 | 423.62 |
| (XVII) | **प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत जारी परिचालन के लिए): ( ₹ में )** | | | |
| | (1) बेसिक | | 364.18 | 76.40 |
| | (2) डाइल्यूटेड | | 364.18 | 76.40 |
| (XVIII) | **प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए): (₹ में)** | | | |
| | (1) बेसिक | | - | - |
| | (2) डाइल्यूटेड | | - | - |
| (XIX) | **प्रति इक्विटी शेयर आय (for सतत जारी और बंद परिचालन के लिए ): (₹ में)** | | | |
| | (1) बेसिक | | 364.18 | 76.40 |
| | (2) डाइल्यूटेड | | 364.18 | 76.40 |

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

**बोर्ड की ओर से**

**हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

**(सीए बी. के. विस्वास)**
साझीदार
एम. संख्या - 055623

दिनांक: 08.06.2020
स्थान: धनबाद

**(पी. एम. प्रसाद)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

**(समीरन दत्ता)**
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

**(बी. के. बसाक)**
महाप्रबंधक
(वित्त/प्रभारी)

**(बी. के. पारुई)**
कंपनी सचिव

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### नकद और नकद समतुल्य के प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत)

### 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| **1. परिचालन से निधि :** | | |
| शुद्ध लाभ (+) / हानि (-) कर (टैक्स) से पहले: | 991.12 | 557.05 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन: | | |
| ( क ) मूल्यह्रास, विविध व्यय, किए गए प्रावधान तथा बट्टे खाते में डाले गए और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन | 10.18 | 257.48 |
| ( ख ) पूंजीगत डब्ल्यूआइपी के लिए प्रावधान | 2.95 | 3.84 |
| ( ग ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि | (0.22) | (10.88) |
| ( घ ) ब्याज शुद्ध एवं लाभांश | 85.20 | 41.98 |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ (+) / हानि: | 1,089.23 | 849.47 |
| ( ङ ) व्यापार प्राप्यों में कमी(+) / वृद्धि (-) | (1,560.64) | 939.88 |
| ( च ) व्यापार प्राप्तियां, अल्पावधि/ दीर्घावधि प्रावधानों तथा अन्य वर्तमान एवं दीर्घावधि देयताओं में कमी (-) / वृद्धि (+) | (352.12) | (462.48) |
| (छ) वस्तुसूची में कमी (-)/ वृद्धि (+) | 73.32 | 254.70 |
| (ज) कारोबारी देय, अल्पावधि/दीर्घावधि प्रावधानों एवं वर्तमान व दीर्घावधि देयताओं में कमी (-)/ वृद्धि (+) | (139.10) | (124.64) |
| **परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी** | **(889.31)** | **1,456.93** |
| आयकर भुगतान / वापसी | ( 20.84 ) | - |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह** | **(910.15)** | **1,456.93** |
| **2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | | |
| (क) चल परिसंपत्तियों की खरीद/समायोजन | (494.40) | (481.29) |
| (ख) निवेश से आय | 22.40 | (25.63) |
| (ग) रिसंपत्तियों की बिक्री/ त्यागने के लिए समायोजन | 80.70 | 20.97 |
| (घ) सावधि जमाओं की खरीद | 597.02 | (1,115.02) |
| (ङ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि | 0.22 | 10.88 |
| (च) निवेश से ब्याज / लाभांश | 136.63 | 158.68 |
| **निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी:** | **342.57** | **(1,431.41)** |
| **3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| ( क ) ऋण / सीआईएल के साथ चालू खाता शेष से आय | 737.22 | 68.74 |
| ( ख ) ब्याज | (221.83) | (200.66) |
| ( घ ) शेयर पूंजी में वृद्धि एवं सीआईएल ऋण में कमी (शुद्ध) | - | - |
| **वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी :** | **515.39** | **(131.92)** |
| **( I ) नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (1-2 एवं 3)** | **(52.19)** | **(106.40)** |

| विवरण | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ( II ) अवधि के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य: | | | | |
| क. आरम्भिक नकद एवं नकद समतुल्य | 86.49 | | 192.89 | |
| ख. आरम्भिक नकद (जमा/ओडी शेष) | - | 86.49 | - | 192.89 |
| **( III ) अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य:** | | | | |
| क. अंतिम नकद एवं नकदी समतुल्य | 34.30 | | 86.49 | |
| ख. अंतिम नकद (जमा/ओडी शेष) | - | 34.30 | - | 86.49 |
| **[ III - II ]** | | **(52.19)** | | **(106.40)** |

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

**(सीए बी. के. विस्वास)**
साझीदार
एम. संख्या - 055623

दिनांक: 08.06.2020
स्थान: धनबाद

**बोर्ड की ओर से**

**(पी. एम. प्रसाद)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

**(समीरन दत्ता)**
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

**(बी. के. बसाक)**
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

**बी. के. पारुई**
कंपनी सचिव

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### 31.03.2020 को वर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

( ₹ करोड़ में)

**क. इक्विटी शेयर पूंजी**

| विवरण | 01.04.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31.03.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष | 01.04.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31.03.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर | 2,118.00 | - | 2,118.00 | 2,118.00 | 2,539.00 | 4,657.00 |

**ख. अन्य इक्विटी**

| | इक्विटी शेयर पूंजी का अंश | अन्य आरक्षित | | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | अन्य व्यापक आय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूंजी मोचन आरक्षित निधि | पूंजी रिजर्व | | | | |
| **01.04.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,845.87)** | **158.06** | **(1,489.30)** |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन | - | - | - | - | - | | - |
| पूर्व अवधि की त्रुटियां | - | - | - | - | - | | - |
| 01.04.2018 को वर्ष के समापन पर पुनर्निर्दिष्ट शेष | 1,057.52 | - | - | 140.99 | (2,845.87) | 158.06 | (1,489.30) |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | - | - | - | - | | - |
| वर्ष के दौरान समायोजन | | | | | - | | |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | - | - | - | - | 288.77 | 134.85 | 423.62 |
| विनियोग: | - | - | - | - | - | | - |
| सामान्य रिजर्व को / से अंतरण | - | - | - | - | - | | - |
| अन्य रिजर्व को / से अंतरण | - | - | - | - | - | | - |
| अंतरिम लाभांश | - | - | - | - | - | | - |
| अंतिम लाभांश | - | - | - | - | - | | - |
| कॉरपोरेट लाभांश कर | - | - | - | - | - | | - |
| **31.03.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,557.10)** | **292.91** | **(1,065.68)** |
| **01.04.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,557.10)** | **292.91** | **(1,065.68)** |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | - | | |
| वर्ष के दौरान समायोजन | | | | | - | | |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां | | | | | - | | |
| वर्ष में कुल व्यापक आय | - | - | - | - | 918.68 | (212.34) | 706.34 |

| | इक्विटी शेयर पूंजी का अंश | अन्य आरक्षित | | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | अन्य व्यापक आय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूंजी मोचन आरक्षित निधि | पूंजी रिजर्व | | | | |
| विनियोग: | - | - | - | - | - | | - |
| सामान्य रिजर्व को / से अंतरण | - | - | - | - | - | | - |
| धारित आय को / से अंतरण | (1,057.52) | - | - | - | 1,057.52 | | - |
| अंतरिम लाभांश | - | - | - | - | - | | - |
| अंतिम लाभांश | - | - | - | - | - | | - |
| कॉरपोरेट लाभांश कर | - | - | - | - | - | | - |
| इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद (बायबैक) | - | - | - | - | - | | - |
| बायबैक पर कर | - | - | - | - | - | | - |
| **31.03.2020 को वर्ष के समापन पर जमा शेष** | **-** | **-** | **-** | **140.99** | **(580.90)** | **80.57** | **(359.34)** |

**हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 30202081E

**(सीए बी. के. विस्वास)**
साझीदार
एम. संख्या - 055623
दिनांक: 08.06.2020
स्थान: धनबाद

**बोर्ड की ओर से**

**(पी. एम. प्रसाद)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन- 08073913

**(समीरन दत्ता)**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

**(बी. के. बसाक)**
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

**(बी. के. पारुई)**
कंपनी सचिव

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

## टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट जानकारी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक मिनीरत्न लोक उपक्रम कंपनी है और यह 100% कोल इंडिया (भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी) की एक अनुषंगी कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद- 826005 है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी इस 'कंपनी' की स्थापना 1972 में झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में अवस्थित कोयला खदानों से कोकिंग कोल उत्खनन के लिए किया गया था। 16 अक्टूबर, 1971 को भारत सरकार द्वारा देश में मौजूद दुर्लभ कोकिंग कोल के स्रोतों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया था। तब से यह कंपनी प्रमुख रूप से झारखंड राज्य एवं आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। देश में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादक होने के कारण इस कंपनी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बीसीसीएल, संपूर्ण इस्पात क्षेत्र के कुल प्राईम कोकिंग कोल की आवश्यकताओं का लगभग 50% को पूरा करता है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरत्न कंपनी)

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**
**के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**
**(टिप्पणी-2)**

## 1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत परिसंपत्तियां (परिभाषित लाभ योजनाओं पर लेखांकन नीति देखें) ;
- लागत या एनआरवी पर वस्त-सूची, जो भी कम हो (इन्वेंटरी से संबंधित लेखांकन नीति देखें)।

## 1.2 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

## 2. वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब -

1) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,

2) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,

3) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

4) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :**

1) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो

2) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

3) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा

4) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## 3. राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 115, निर्माण अनुबंध से संबंधित भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व की मान्यता को अधिगृहीत करता है और यह इसके ग्राहक-अनुबंध से प्राप्त सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ने ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व प्राप्त करने के लिए लेखा हेतु एक पांच-स्तरीय मॉडल को स्थापित किया है और यह आवश्यक है कि राजस्व की उस राशि को मान्यता देने पर विचार किया जाय, जिसमें ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी के विशेषज्ञों को विनिमय करने का अधिकार प्राप्त हो सके। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ('बीसीसीएल' या 'कंपनी') ने अंगीकरण की पूर्वव्यापी विधि को अपनाते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अंगीकृत किया है।

भारतीय लेखा मानक 115 में आवश्यक है कि प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मानक एक अनुबंध के प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

### ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड, भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

### चरण 1: अनुबंध की पहचान:

**ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:**

1) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हों;

2) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान की जा सकती हो;

3) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों की पहचान की जा सकती है;

4) अनुबंध में व्यावसायिक निहितार्थ (इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) मौजूद हो, और

5) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी प्रतिफल एकत्र करे जिसका कि उसे अधिकार है। प्रतिफल राशि,

जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत सेकम या अधिक हो सकती है। प्रतिफल राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, राहत, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या समान मदों के लिए हकदार हो सकती है।

## अनुबंधों का संयोजन

**यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में लेखांकित किया जा सकता है:**

1) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;

2) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली प्रतिफल-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या

3) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

## अनुबंध संशोधन

**यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में लेखांकित कर सकती है:**

1) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाय और

2) यदि अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो कंपनी के वचन दिए गए अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमतों तथा किसी विशेष अनुबंधों की परिस्थितियों को प्रतिफलित (प्रतिबिंबित) करने के लिए कीमतों में उचित समायोजन प्रदर्शित करती है।

## चरण 2: कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान:

**अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को निम्न में से किसी को अंतरित करने के लिए प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करती है या तो:**

1) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या

2) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक समान तरीका है।

## चरण 3: लेन-देन कीमत का निर्धारण

लेन-देन का कीमत का निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों तथा इसकी प्रतलित व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरण के बदले में, अन्य पक्षों की ओर से वसूली की गई राशियों को छोड़कर, हकदार होने की आशा करती है।

**लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:**

- परिवर्तनीय प्रतिफल;
- परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कलन
- महत्वपूर्ण वित्तीय घटक की मौजूदगी

- गैर-नकदी प्रतिफल
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी प्रतिफल राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी के विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के की विषयवस्तु के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

## चरण 4: लेनदेन की कीमत का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

## चरण 5: राजस्व को पहचानना:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

**कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:**

1) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।

2) यदि कंपनी के निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो।

3) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

**यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:**

1) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है

2) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है

3) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया है

4) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल होता है

5) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब अनुबंध में कोई भी पक्ष (पार्ची) कार्य-निष्पादन कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट) में अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पाद और ग्राहक के भुगतान के संबंध पर निर्भर करता है। कंपनी प्रतिफल के लिए किसी बिना शर्त अधिकार को अलग से प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

## अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के प्रतिफल भुगतान करने या भुगतान देय से पहले वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके कार्य-निष्पादन करती है तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान सशर्त रूप में की जाती है।

### कारोबार प्राप्य:

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी प्रतिफल राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, प्रतिफल राशि के बकाया भुगतान से पूर्व केवल कुछ समय बीतना अपेक्षित हो)।

### अनुबंध दायित्व:

एक अनुबंध दायित्व वह बाध्यता है जिसमें किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की प्राप्य राशि) प्राप्त हो चुका हो। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में पहचान करेगी लेकिन जब भुगतान हो गया है या देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

### ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करके ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

### लाभांश:

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

### अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से देर से वसूली होने पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की सुनिश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

## 4. सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे ''कैपिटल रिजर्व'' में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

## 5. पट्टे (भारतीय लेखा मानक 116)

एक अनुबंध तब एक पट्टा होता है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयाविध के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग के नियंत्रितण का अधिकार प्रदान करता है।

### कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभिक तिथि को पट्टेदार उन पट्टा दायित्व का माप पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करेगा जो उस तिथि को अदा नहीं किये गये हैं।

इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज़ देयता को पट्टा दायित्व पर ब्याज प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि को बढ़ाकर; किये गये पट्टा भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि घटा कर; तथा किसी पुनःआंकलन अथवा पट्टा संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि का पुनर्माप करके मापा जाता है

### पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित नहीं करता है।

### परिचालन पट्टे-

परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतानों को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि कोई अन्य सुव्यवस्थित आधार उस ढंग (पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रयोग से लाभ कम होता है।

### वित्त पट्टे-

एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टा अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमे पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो।

## 6. बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

## 7. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)

भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल हैः-

1) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

2) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

3) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यह्रास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

## अन्य भूमि

| | | |
|---|---|---|
| (पट्टाधारित भूमि सहित) | : | परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो |
| बिल्डिंग | : | 3-60 वर्ष |
| सड़कें | : | 3-10 वर्ष |
| दूर संचार | : | 3-9 वर्ष |
| रेलवे साइडिंग | : | 15 वर्ष |
| संयंत्र एवं उपकरण | : | 5-30 वर्ष |
| कंप्यूटर एवं लैपटॉप | : | 3 वर्ष |
| कार्यालय के उपकरण | : | 3-6 वर्ष |
| फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं | : | 10 वर्ष |
| वाहन | : | 8-10 वर्ष |

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपदा, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, वैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास के योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एण्ड डेवलपमेंट) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है। उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चो को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को

सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

### भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

## 8. खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं दायित्व का समापन

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चो के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चो के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

## 9. अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अन्वेषण करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति
- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चों के साथ इन खर्चों को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

## 10. विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चों को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

### व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

(1) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(2) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(3) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

## 11. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण

एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की कीमत / लागत को प्रयोग करने की विधिक अवधि से अधिक अथवा तीन वर्षों में, जो भी कम हो, स्ट्रेट लाइन विधि पर अपशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

## 12. परिसंपत्तियों का ह्रास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 13. निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

## 14. वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

## 14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

### 14.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

### 14.1.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI) के जरिए।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

#### 14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(1) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज (एसएसपीआई) का एकमात्र भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

#### 14.1.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण  दस्तावेज'' को एफवीटीओसीआई के रूप

में वर्गीकृत किया जाता है:

(1) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(2) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह के एसपीपीआई के निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव

तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

### 14.1.2.3 एफ वी टी पी एल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेज के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफ वी टी पी एल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

### 14.1.2.4 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया गई है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

### 14.1.2.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम

एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू

करती है:

(1) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(2) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(3) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(4) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण"अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

## 14.2 वित्तीय देयताएं

### 14.2.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।
सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

### 14.2.2 परिवर्ती मापन/मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

#### 14.2.2.1 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशियंल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।।

#### 14.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण

पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।।

### 14.2.2.3 मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

## 14.3 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

| मूल वर्गीकरण | संशोधित वर्गीकरण | लेखा विवेचन |
|---|---|---|
| परिशोधित लागत | एफ वी टी पी एल | उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। |
| एफ वी टी पी एल | परिशोधित लागत | पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है। |
| परिशोधित लागत | एफ वी टी ओ सी आई | पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। |
| एफ वी टी ओ सी आई | परिशोधित लागत | पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है। |
| एफ वी टी पी एल | एफ वी टी ओ सी आई | पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। |

| मूल वर्गीकरण | संशोधित वर्गीकरण | लेखा विवेचन |
| --- | --- | --- |
| एफ वी टी ओ सी आई | एफ वी टी पी एल | परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। |

## 14.4 वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

## 15. उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

## 16. कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है ''आयकर पूर्व लाभ'' से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

## 17. कर्मचारियों को लाभ

### 17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

### 17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

#### 17.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए रोजगार के बाद की योजना है, जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोल माइंस प्रोविडेंट फंड) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी के पास कोई कानूनी या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।।

#### 17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लाभ पर अधिकतम सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि की शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है। जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 17.3. अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीसी, एलटीए, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को ऊपर वर्णित लाभ योजनाओं के आधार पर ही लागू किया गया है। इन लाभों के लिए कोई अलग से विशिष्ट निधि नहीं है।

## 18. विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

## 19. स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदानों से खनन मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चो का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

| खान के ओबीआर का वार्षकि घनत्व | भन्निनता की अनुमत सीमाएं (%) |
|---|---|
| 1 मलियिन घन मीटर से कम | +/- 5% |
| 1 से 5 मलियिन घन मी. के बीच | +/- 3% |
| 5 मलियिन घन मीटर से अधकि | +/- 2% |

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमति सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

## 20. वस्तु सूची (इन्वेंटरी)

### 20.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

### 20.2 स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स/उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

### 20.3 अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईंट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पताल में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

## 21. नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

## 22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

## 23. प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings ) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

## 24. निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

### 24.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

#### 24.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

1) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

2) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना; (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी

महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(1) समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(2) ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

### 24.1.2. सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को मदों के आकार और प्रकृति के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह है कि चूक या गलत बयान व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या मदों की मात्रा अथवा मदों का समुच्चय निर्णायक कारक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

### 24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

## 24.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए

तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

## 24.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

## 24.2.2 कर (Taxes)

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

## 24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

## 24.2.4 वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

## 24.2.5 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

## 24.2.6 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

## 25. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

| | | |
|---|---|---|
| क | CGU | नकद उत्पाद इकाई |
| ख | DCF | रयियती नकदी प्रवाह |
| ग | FVTOCI | अन्य व्यापक आय के जरिए उचति मूल्य |
| घ | FVTPL | लाभ व हानि के जरिए उचति मूल्य |
| ड. | GAAP | सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सद्धिांत |
| च | Ind AS | भारतीय लेखा मानक |
| छ | OCI | अन्य व्यापक आय |
| ज | P&L | लाभ व हानि |
| झ | PPE | संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण |
| ट | SPPI | मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान |
| ठ | EIR | प्रभावी ब्याज दर |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

(₹ करोड़ में)

| | पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि) | अन्य भूमि | भूमि पुनर्स्थापना / साइट बहाली लागत | भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित) | संयंत्र और उपकरण | दूरसंचार | रेलवे साइडिंग | फर्नीचर और जुड़नार | कार्यालय उपकरण | वाहन | हवाई जहाज | अन्य खनन आधारभूत संरचना | अप्रयुक्त (Surveyed Off) परिसंपत्तिया | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सकल वहन राशि:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | **89.47** | **2.07** | **267.98** | **255.65** | **1,317.73** | **1.00** | **7.66** | **7.35** | **16.65** | **4.86** | **-** | **141.20** | **40.97** | **0.88** | **2,153.47** |
| परिवर्धन | 15.37 | - | 51.65 | 60.13 | 194.15 | 0.20 | 1.96 | 0.49 | 2.74 | - | - | 9.69 | 2.36 | - | 338.74 |
| विलोपन / समायोजन | (0.01) | - | - | (2.19) | (15.56) | - | 0.12 | 0.05 | (9.38) | (0.04) | - | - | (5.35) | - | (32.36) |
| **31 मार्च 2019 को** | **104.83** | **2.07** | **319.63** | **313.59** | **1,496.32** | **1.20** | **9.74** | **7.89** | **10.01** | **4.82** | **-** | **150.89** | **37.98** | **0.88** | **2,459.85** |
| **1 अप्रैल 2019 को वर्ष के समापन** | **104.83** | **2.07** | **319.63** | **313.59** | **1,496.32** | **1.20** | **9.74** | **7.89** | **10.01** | **4.82** | **-** | **150.89** | **37.98** | **0.88** | **2,459.85** |
| परिवर्धन | 4.12 | - | 18.21 | 8.94 | 172.23 | 1.70 | - | 0.59 | 14.27 | 0.85 | - | 18.77 | 12.26 | - | 251.94 |
| विलोपन / समायोजन | - | - | (95.91) | - | (56.52) | - | - | - | (1.02) | (0.21) | - | - | (6.45) | - | (160.11) |
| **31 मार्च 2020 को** | **108.95** | **2.07** | **241.93** | **322.53** | **1,612.03** | **2.90** | **9.74** | **8.48** | **23.26** | **5.46** | **-** | **169.66** | **43.79** | **0.88** | **2,551.68** |
| **संचित मूल्यह्रास और नुक़सान** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | **-** | **0.50** | **54.45** | **44.83** | **591.27** | **0.41** | **3.71** | **4.01** | **10.40** | **2.20** | **-** | **83.88** | **0.99** | **-** | **796.65** |
| वर्ष के लिए प्रभार | - | 0.18 | 42.09 | 14.20 | 163.08 | 0.11 | 0.28 | 0.82 | 3.25 | 0.35 | - | 21.29 | - | - | 245.65 |
| नुक़सान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 | 0.11 | - | 2.87 |
| विलोपन/ समायोजन | - | - | - | (1.04) | (10.96) | (0.01) | - | (0.73) | (8.13) | (0.03) | - | 1.71 | - | - | (19.19) |
| **31 मार्च 2019 को** | **-** | **0.68** | **96.54** | **57.99** | **743.39** | **0.51** | **3.99** | **4.10** | **5.52** | **2.52** | **-** | **109.64** | **1.10** | **-** | **1,025.98** |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **-** | **0.68** | **96.54** | **57.99** | **743.39** | **0.51** | **3.99** | **4.10** | **5.52** | **2.52** | **-** | **109.64** | **1.10** | **-** | **1,025.98** |
| वर्ष के लिए प्रभार | - | 0.19 | 19.47 | 14.62 | 132.56 | 0.13 | 0.34 | 0.88 | 4.15 | 0.36 | - | 5.65 | - | - | 178.35 |
| नुक़सान | - | - | - | - | 13.03 | - | - | - | 0.09 | - | - | 6.06 | - | - | 19.18 |
| विलोपन / समायोजन | - | - | (47.30) | - | (44.00) | - | - | (0.01) | (0.81) | (0.02) | - | - | (0.02) | - | (92.16) |
| **31 मार्च 2020 को** | **-** | **0.87** | **68.71** | **72.61** | **844.98** | **0.64** | **4.33** | **4.97** | **8.95** | **2.86** | **-** | **121.35** | **1.08** | **-** | **1,131.35** |
| **निवल वहन राशि** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31 मार्च 2020 को** | **108.95** | **1.20** | **173.22** | **249.92** | **767.05** | **2.26** | **5.41** | **3.51** | **14.31** | **2.60** | **-** | **48.31** | **42.71** | **0.88** | **1,420.33** |
| **31 मार्च 2019 को** | **104.83** | **1.39** | **223.09** | **255.60** | **752.93** | **0.69** | **5.75** | **3.79** | **4.49** | **2.30** | **-** | **41.25** | **36.88** | **0.88** | **1,433.87** |

# टिप्पणी:

## भूमि:

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों, जिसमें कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, को छोड़कर अधिग्रहीत भूमि के लिए लगभग सभी स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) प्राप्त हो चुके हैं और कंपनी के पक्ष में उनका दाखिल-खारिज भी हो चुका है।
2. भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत में खान बंदी पर किए जाने वाले अनुमानित लागत को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के साथ शामिल होता है और फिर 8% की दर से छूट दी जाती है, जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
3. पूर्ण स्वामित्व वाली शेष भूमि भुगतान कार्यालय के लेखा बही में भूमि अभिलेखों के साथ मिलाने के अंतर्गत है।
4. कोयलाधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिगृहीत भूमि सहित अन्य को शामिल किया गया है।
5. कंपनी के स्वामित्व में आने वाली लगभग 486.75 एकड़ भूमि, संवेदनशील अतिक्रमण किया हुआ क्षेत्र है, जिसमें से कुछ क्षेत्र को वापस अधिकार में ले लिया गया है, जिसकी मात्रा का निर्धारण किया जा रहा है।

## संयंत्र और उपकरण:

उपर्युक्त प्लांट और उपकरणों में ऐसे बंद उपकरण एवं भंडार तथा कलपुर्जे भी शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के मापदंड को संतुष्ट करते है, लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किये गये है।

## अन्य:

1. कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय अधिगृहीत परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ ही साथ भारत के कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन, चार अन्य चिकित्सालयों सहित केन्द्रीय चिकित्सालय, भारत सरकार का माइंस रेस्क्यू स्टेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चार वाशरियों, पूर्व कोल बोर्ड एवं केन्द्रीय झरिया परियोजना को भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयलाधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि परिवर्तन का कानूनी प्रश्न नहीं उठता, चूंकि इसका अधिकार, हक और हित पूर्णतः केन्द्र सरकार में निहित रहता है, जो कि एक सरकारी कंपनी के रूप में बीसीसीएल को हस्तांतरित है।
2. माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा कोयला श्रमिक संगठन से संबंधित परिसंपत्तियों, जिन्हें कंपनी में हस्तांतरित किया गया है और जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है, को लेखा में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उपर्युक्त इकाइयों के हस्तांतरण के समय लेखा- मूल्य कंपनी को उपलब्ध नहीं था।
3. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कवर की गई संपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 0.88 करोड़ मूल्य की जमीन सहित कुल ₹ 11.46 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण किया गया है। (जिनका मात्रात्मक एवं मूल्य वार विवरण उपलब्ध नहीं है), जिन पर जमीन छोड़कर , मूल्यह्रास का लेखा में पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

## हानिकरण :

1. वर्ष 2019-20 के दौरान नियमित रूप से घाटे में चल रही खदानों में अन्वेषण, बोरिंग एवं विकास पर व्यय के मद में ₹ 19.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.87 करोड़) की हानि हुई, जिसे लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया है।
2. तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संयंत्र और उपकरण के तहत कुछ एचईएमएम के उपयोगी जीवन को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में ₹ 0.02 करोड़ तक की वृद्धि / कमी (+/-) हुई है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी)**

( ₹ करोड़ में)

| | भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित) | संयंत्र और उपकरण | रेलवे साइडिंग | क्रमागत उन्नति | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **सकल वहन राशि:** | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2018 को वर्ष के समापन पर** | **506.95** | **646.92** | **60.74** | **227.78** | **-** | **1,442.39** |
| परिवर्धन | 219.89 | 131.40 | 11.43 | 57.81 | - | 420.53 |
| पूंजीकरण / विलोपन | (54.68) | (206.97) | (2.13) | (12.09) | - | (275.87) |
| **31 मार्च 2019 को** | **672.16** | **571.35** | **70.04** | **273.50** | **-** | **1,587.05** |
| | | | | | | - |
| **1 अप्रैल 2019 को वर्ष के समापन पर** | **672.16** | **571.35** | **70.04** | **273.50** | **-** | **1,587.05** |
| परिवर्धन | 83.31 | 212.97 | 1.14 | 143.45 | - | 440.87 |
| पूंजीकरण / विलोपन | (0.82) | (223.39) | - | (54.84) | - | (279.05) |
| **31 मार्च 2020 को** | **754.65** | **560.93** | **71.18** | **362.11** | **-** | **1,748.87** |
| **संचित प्रावधान और नुक़सान** | | | | | | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | **4.23** | **16.98** | **-** | **18.01** | **-** | **39.22** |
| वर्ष के लिए प्रभार | 0.30 | 3.42 | - | 0.12 | - | 3.84 |
| नुक़सान | - | - | - | - | - | - |
| विलोपन /समायोजन | 0.37 | 1.59 | - | (0.89) | - | 1.07 |
| **31 मार्च 2019 को** | **4.90** | **21.99** | **-** | **17.24** | **-** | **44.13** |
| | | | | | | - |
| **1 अप्रैल 2019 को वर्ष के समापन पर** | **4.90** | **21.99** | **-** | **17.24** | **-** | **44.13** |
| वर्ष के लिए प्रभार | 0.68 | 2.27 | - | - | - | 2.95 |
| नुक़सान | - | - | - | - | - | - |
| विलोपन /समायोजन | 0.33 | (0.68) | - | (0.12) | - | (0.47) |
| **31 मार्च 2020 को** | **5.91** | **23.58** | **-** | **17.12** | **-** | **46.61** |
| | | | | | | - |
| शुद्ध वहन राशि | | | | | | - |
| **31 मार्च 2020 को** | **748.74** | **537.35** | **71.18** | **344.99** | **-** | **1,702.26** |
| **31 मार्च 2019 को** | **667.26** | **549.36** | **70.04** | **256.26** | **-** | **1,542.92** |

**टिप्पणी:**

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत प्रदर्शित "विकास" पूर्ण होने वाले प्रतीक्षित कार्यों से संबंधित है।
2. संयंत्र और उपकरण पर प्रावधान किया गया है जो कि तीन वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किए गए हैं और चार से अधिक वर्षों तक अवमूल्यन की दर से पूंजीगत कार्य-प्रगति में अधूरे सिविल कार्य पड़े हैं जो अन्यथा ऐसी वस्तुओं पर लागू होता।
3. नूनीडीह और भूली सहित भीमकनाली टाउनशिप के ₹ 5.21 करोड़ मूल्य के "A" टाइप के माइनर्स क्वार्टरों पर कब्जा किया जा रहा है और ये आवास उपयोग में हैं लेकिन मध्यस्थता / मुकदमे बाजी के कारण पूंजीकरण नहीं किया जा सका है। हालांकि, खातों में मूल्यहास की दर से आवश्यक प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। 31.03.2020 को संचित प्रावधान ₹1.76 करोड़ ( पिछले वर्ष ₹1.68 करोड़) है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

**अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां** **( ₹ करोड़ में)**

| | |
|---|---|
| **सकल वहन राशि:** | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | **563.44** |
| परिवर्धन | 0.25 |
| विलोपन / समायोजन | (11.43) |
| **31 मार्च 2019 को** | **552.26** |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **552.26** |
| परिवर्धन | 92.90 |
| विलोपन / समायोजन | - |
| **31 मार्च 2020 को** | **645.16** |
| संचित प्रावधान और नुक़सान | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | **-** |
| वर्ष के लिए प्रभार | - |
| नुक़सान | - |
| विलोपन / समायोजन | - |
| **31 मार्च 2019 को** | **-** |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **-** |
| वर्ष के लिए प्रभार | - |
| नुक़सान | - |
| विलोपन / समायोजन | - |
| **31 मार्च 2020 को** | **-** |
| शुद्ध वहन राशि | |
| **31 मार्च 2020 को** | **645.16** |
| **31 मार्च 2019 को** | **552.26** |

**टिप्पणी:**

बीसीसीएल की उत्पादन क्षमता 100 मि. टन वार्षिक के स्तर तक बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या- CBA113016/12/2017-CBA1 (FTS:33 6523) दिनांक 19.02.2018 के माध्यम से बीसीसीएल को निम्नलिखित चार ब्लॉकों का आवंटन किया गया है-

| कोल ब्लॉक | कोलफील्ड्स एवं राज्य |
|---|---|
| मंदार पर्वत | राजमहल, बिहार |
| धूलिया नॉर्थ | राजमहल, झारखंड |
| मिर्जागांव | राजमहल, बिहार |
| पीरपैंती बाराहाट | राजमहल, झारखंड |

1. दिनांक 20.02.2018 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 339वीं बोर्ड बैठक और दिनांक 21.02.2018 को संपन्न सी आई एल बोर्ड की बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 125 करोड़ प्रत्येक ब्लॉक की दर से कोयला मंत्रालय को ₹ 500 करोड़ के अग्रिम प्रभार का भुगतान किया जा चुका है।
2. बीसीसीएल बोर्ड में धूलिया नॉर्थ और मिर्जागांव कोल ब्लॉक को सरेंडर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह इन कोयला ब्लॉकों के छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार करे और उपरोक्त दो कोयला ब्लॉकों के लिए बीसीसीएल द्वारा जमा राशि वापस लौटाए। कोयला मंत्रालय से जवाब लंबित मानते हुए, इसे अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियों के रूप में रखा गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियां**

( ₹ करोड़ में)

| | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|
| **सकल वहन राशि:** | | | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | **-** | **-** | **-** |
| परिवर्धन | - | - | - |
| विलोपन / समायोजन | - | - | - |
| **31 मार्च 2019 को** | **-** | **-** | **-** |
| | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **-** | **-** | **-** |
| परिवर्धन | - | - | - |
| विलोपन / समायोजन | - | - | - |
| **31 मार्च 2020 को** | - | - | - |
| | | | |
| संचित परिशोधन और नुक़सान | | | |
| **1 अप्रैल 2018 को** | - | - | - |
| वर्ष के लिए प्रभार | - | - | - |
| नुक़सान | - | - | - |
| विलोपन / समायोजन | - | - | - |
| **31 मार्च 2019 को** | **-** | **-** | **-** |
| | | | |
| **1 अप्रैल 2019 को** | **-** | **-** | **-** |
| वर्ष के लिए प्रभार | - | - | - |
| नुक़सान | - | - | - |
| विलोपन / समायोजन | - | - | - |
| **31 मार्च 2020 को** | **-** | **-** | **-** |
| | | | |
| निवल वहन राशि | | | |
| **31 मार्च 2020 को** | **-** | **-** | **-** |
| **31 मार्च 2019 को** | **-** | **-** | **-** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

| | इकाइयों की संख्या | प्रति इकाई एनएवी/एफवी | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **गैर-वर्तमान** | | | | |
| अन्य निवेश | | | | |
| आरबीआई पावर बाँड | | | - | - |
| **कुल** | | | **-** | **-** |
| गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि: | | | - | - |
| उद्धृत निवेशों की कुल राशि: | | | - | - |
| उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य: | | | - | - |
| निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि: | | | - | - |
| **वर्तमान** | | | | |
| म्युचुअल फंड निवेश | | | | |
| एसबीआई म्युचुअल फंड | 16,892.83 | 1,003.25 | 1.69 | 16.91 |
| यूटीआई म्युचुअल फंड | 22,635.58 | 1,019.45 | 2.31 | 9.49 |
| **कुल** | | | **4.00** | **26.40** |
| गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि: | | | - | - |
| उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य: | | | 4.00 | 26.40 |
| गैर-उद्धृत निवेशों का उचित मूल्य (एनएवी): | | | - | - |
| निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि: | | | - | - |

**म्युचुअल फंड के बारे में संक्षिप्त जानकारी:**

कंपनी उपर्युक्त म्युचुअल फंड की तरलता योजना (दैनिक लाभांश) में निवेश करती है। दैनिक लाभांश योजना में, म्युचुअल फंड की इकाइयों के रूप में दैनिक आधार पर लाभांश प्राप्त होते हैं और योजना के एनएवी का मूल्य स्थिर रहता है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

**टिप्पणी 8 : ऋण**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| **गैर-वर्तमान** | | | | |
| अन्य ऋण | | | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | 0.07 | | 0.15 | |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | | - | |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि | - | | - | |
| - खराब साख | - | | - | |
| | 0.07 | | 0.15 | |
| घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | - | 0.07 | - | 0.15 |
| **कुल** | | **0.07** | | **0.15** |
| | | | | |
| वर्गीकरण | | | | |
| सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | | 0.07 | | 0.15 |
| असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | | - | | - |
| क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि | | - | | - |
| खराब साख | | - | | - |
| | | | | |
| **वर्तमान** | | | | |
| अन्य ऋण | | | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | | - | |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | | - | |
| - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि | - | | - | |
| - खराब साख | - | | - | |
| | | | | |
| घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | - | - | - | - |
| **कुल** | | **-** | | **-** |
| | | | | |
| **वर्गीकरण** | | | | |
| सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | | - | | - |
| असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | | - | | - |
| **क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि** | | **-** | | **-** |
| **खराब साख** | | **-** | | **-** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

**टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| **गैर-वर्तमान** | | | | |
| बैंक जमा[1] | | 3.89 | | 7.29 |
| **निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि** | | | | |
| खदान बंदी योजना[2] | 455.63 | | 370.69 | |
| स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना | - | 455.63 | - | 370.69 |
| खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य | | - | | - |
| उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा | 12.70 | | 12.50 | |
| घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान | 0.36 | 12.34 | 0.53 | 11.97 |
| अन्य जमा एवं प्राप्य | - | | 0.01 | |
| घटाएं: प्रावधान | - | - | - | 0.01 |
| अन्य जमाएं (खदान बंदी समर्वती व्यय)[3] | | 234.86 | | - |
| **कुल** | | **706.72** | | **389.96** |

**टिप्पणी:**

1. बैंक जमाओं के अंतर्गत 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएं आती हैं, जिसकी राशि ₹ 3.89 करोड़ (गत वर्ष ₹ 7.29 करोड़) बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंक के पास गिरवी है।

2. खदान बंदी योजना के तहत बैंक के पास जमा:

   क. खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से दिशानिर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार खदान बंदी योजना के आवधिक परीक्षण के अनुसार एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खदान बंदी के प्रावधान के लिए टिप्पणी 21 देखें)।

| ख. एस्क्रो खाते के जमाशेष का मिलान | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| एस्क्रो खाते में आरंभिक ताकीख को जमाशेष | 370.69 | 290.66 |
| जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जमा | 60.88 | 61.93 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गयी ब्याज | 24.06 | 18.10 |
| घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि | - | - |
| **अंतिम तारीख को एस्क्रो खाते में जमाशेष** | **455.63** | **370.69** |

3. अन्य जमाओं (खदान बंदी समवर्ती व्यय ) में ₹ 123.76 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की राशि शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए प्रोग्रेसिव माइंस क्लोजर गतिविधियों के लिए किए गए समवर्ती व्यय से संबंधित है और दिसम्बर, 2019 में कोयला मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के कारण ₹111.10 करोड़ की राशि को अन्य जमाओं (खदान बंदी समवर्ती व्यय ) गैर-वर्तमान से स्थानांतरित कर दिया गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| **वर्तमान** | | | | |
| सीआईएल के साथ अधिशेष निधि | | - | | - |
| कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा शेष | | - | | - |
| खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य | | - | | - |
| सीआईएल के साथ चालू खाता | | - | | - |
| दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं | | - | | - |
| अर्जित ब्याज | | 71.92 | | 92.18 |
| दावे और अन्य प्राप्य [1] व [2] | 222.76 | | 103.23 | |
| घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान | 4.95 | 217.81 | 4.99 | 98.24 |
| अन्य जमा[3] | | 111.11 | | 222.21 |
| **कुल** | | **400.84** | | **412.63** |

**टिप्पणी:**

1. दावों और अन्य प्राप्तियों में पूर्व मालिक खाता शामिल है जिसकी राशि ₹ 0.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) है जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व अवधि के निजी मालिकों के खिलाफ दावा संबंधित है।
2. दावों और अन्य प्राप्तियों में आयकर से वापसी योग्य राशि ₹56.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 66.02 करोड़) और जीएसटी से ₹ 136.01 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) शामिल हैं।
3. ₹111.11 करोड़ (गत वर्ष ₹ 222.21 करोड़) के अन्य जमा (खदान बंदी समवर्ती व्यय ) प्रोग्रेसिव माइन्स क्लोजर गतिविधियों के लिए किए गए समवर्ती व्यय के वर्तमान भाग से संबंधित है और दिसम्बर, 2019 में कोयला मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के कारण ₹111.10 करोड़ (पिछले वर्ष के शेष का 50%) की राशि को अन्य जमा (खदान बंदी समवर्ती व्यय ) गैर-वर्तमान में स्थानांतरित कर दिया गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 10 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**

**( ₹ करोड़ में)**

| | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| (i) पूंजी अग्रिम | 145.55 | | 103.22 | |
| घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 4.40 | 141.15 | 4.40 | 98.82 |
| (ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम | | | | |
| (क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा | - | | - | |
| घटाएं : संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान | - | - | - | - |
| (ख) अन्य जना एवं अग्रिम | 0.36 | | 0.38 | |
| घटाएं :संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान | - | 0.36 | - | 0.38 |
| (ग) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन) | | 375.29 | | 402.52 |
| **कुल** | | **516.80** | | **501.72** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

**टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**

( ₹ करोड़ में)

| | | As at | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| (क) | पूंजी के लिए अग्रिम | - | | - | |
| | घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | - | - | - |
| (ख) | राजस्व के लिए अग्रिम | 23.88 | | 27.55 | |
| | घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 1.10 | 22.78 | 1.10 | 26.45 |
| (घ) | सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान | 55.13 | | 100.36 | |
| | घटाएं : बकाया के लिए प्रावधान | - | 55.13 | - | 100.36 |
| (घ) | संबंधित पक्षों के लिए अग्रिम | | - | | - |
| (ङ.) | अन्य अग्रिम एवं जमाएं | 1,229.98 | | 1,216.51 | |
| | घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | 1,229.98 | - | 1,216.51 |
| (च) | इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य | 493.05 | | 459.28 | |
| | घटाएं : प्रावधान | - | 493.05 | - | 459.28 |
| (छ) | मेट (MAT) क्रेडिट पात्रता | - | | - | |
| | घटाएं : प्रावधान | - | - | - | - |
| | **कुल** | | **1,800.94** | | **1,802.60** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

( ₹ करोड़ में)

| | | As at | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| क. | कोयले का स्टॉक | 630.50 | | 709.83 | |
| | विकास के तहत कोयला | - | | - | |
| | कोयले का स्टॉक (शुद्ध) | | 630.50 | | 709.83 |
| ख. | भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर) | 57.90 | | 52.82 | |
| | जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण | 5.21 | | 5.23 | |
| | शुद्ध भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर) | | 63.11 | | 58.05 |
| ग. | केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक | | 2.61 | | 1.51 |
| घ. | कर्मशाला और प्रेस कार्य | | 4.55 | | 4.70 |
| | **कुल** | | **700.77** | | **774.09** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

तालिका: क

**टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक**

31.03.2020 को वर्ष के समापन पर बही स्टॉक के साथ लेखा खातों में लिए गए कच्चे कोयला के अंतिम स्टॉक का मिलान

( ₹ करोड़ में)

(मात्रा लाख टन में)

| | कुल स्टॉक | | गैर-बिक्री योग्य स्टॉक | | बिक्री योग्य स्टॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1. 01.04.19 को आरंभिक स्टॉक | 33.70 | 414.62 | - | - | 33.70 | 414.62 |
| आरंभिक स्टॉक में समायोजन | - | - | - | - | - | - |
| 2. उत्पादन * | 277.37 | 8,626.92 | - | - | 277.37 | 8,626.92 |
| **3. उप-योग** | **311.07** | **9,041.54** | **-** | **-** | **311.07** | **9,041.54** |
| 4. उठान (ऑफ टेक) : | | | | | | |
| (क) बाहरी प्रेषण | 270.25 | 8,142.29 | - | - | 270.25 | 8,142.29 |
| (ख) वाशरियों में खपत | 15.41 | 509.40 | - | - | 15.41 | 509.40 |
| (ग) निजी खपत | 1.92 | 55.47 | - | - | 1.92 | 55.47 |
| **4. उप-योग** | **287.58** | **8,707.16** | **-** | **-** | **287.58** | **8,707.16** |
| 5. व्युत्पन्न स्टॉक (3-4) | 23.49 | 334.38 | - | - | 23.49 | 334.38 |
| 6. मापा गया स्टॉक | 23.03 | 327.64 | - | - | 23.03 | 327.64 |
| **7. अंतर (5-6)** | **0.46** | **6.74** | **-** | **-** | **0.46** | **6.74** |
| 8. अंतर का विवरण: | | | | | | |
| (क) 5% के भीतर की अधिकता | 0.02 | 0.29 | - | - | 0.02 | 0.29 |
| (ख) 5% के भीतर की कमी | 0.48 | 7.03 | - | - | 0.48 | 7.03 |
| (ग) 5% से ऊपर की अधिकता | - | - | - | - | - | - |
| (घ) 5% से अधिक की कमी | - | - | - | - | - | - |
| 9. 31.03.2020 को लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक (6-8क+ 8ख) | 23.49 | 334.38 | - | - | 23.49 | 334.38 |

* उत्पादन मात्रा में 0.08 लाख टन का जब्त कोयला और वजन लाभ की मात्रा शामिल है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक**

**तालिका : ख**

31.03.2020 को वर्ष के समापन पर आरंभिक स्टॉक, उत्पादन, उठाव (ऑफटेक) और अंतिम स्टॉक का विवरण

(₹ करोड़ में)
(मात्रा लाख टन में)

| विवरण | कच्चा कोयला | | | | धुला हुआ / स्लेटी पत्थर रहित कोयला | | | | अन्य उत्पाद | | सभी उत्पादों का योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कोकिंग | | गैर-कोकिंग | | | | गैर-कोकिंग | | | | | |
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित) | 23.07 | 260.69 | 10.63 | 153.93 | 0.82 | 22.15 | 0.20 | 2.26 | 56.60 | 705.54 | 91.32 | 1,144.57 |
| घटाएं: बट्टे खाते में (गैर-बिक्री योग्य कोयला) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **बिक्री योग्य आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)** | **23.07** | **260.69** | **10.63** | **153.93** | **0.82** | **22.15** | **0.20** | **2.26** | **56.60** | **705.54** | **91.32** | **1,144.57** |
| बिक्री योग्य स्टॉक का समायोजन | 0.08 | - | (0.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **उत्पादन (जब्त किए गए कोयला सहित)** | **259.54** | **8,083.47** | **17.83** | **543.45** | **6.53** | **494.09** | **-** | **-** | **8.78** | **306.45** | **292.68** | **9,427.46** |
| उठाव (ऑफटेक): प्रेषण | 245.41 | 7,547.43 | 24.84 | 594.86 | 6.63 | 497.28 | - | - | 9.69 | 327.99 | 286.57 | 8,967.56 |
| वाशरी के लिए इस्तेमाल किया गया कोयला | 13.18 | 476.46 | 2.23 | 32.94 | - | - | - | - | - | - | 15.41 | 509.40 |
| निजी खपत / सीडब्ल्यूआईपी | 1.78 | 52.81 | 0.14 | 2.66 | - | - | - | - | - | 0.01 | 1.92 | 55.48 |
| **कुल उठाव (ऑफटेक)** | **260.37** | **8,076.70** | **27.21** | **630.46** | **6.63** | **497.28** | **-** | **-** | **9.69** | **328.00** | **303.90** | **9,532.44** |
| **अंतिम स्टॉक/ लेखा बही में स्टॉक** | **22.32** | **267.46** | **1.17** | **66.92** | **0.72** | **18.96** | **0.20** | **2.26** | **55.69** | **683.99** | **80.10** | **1,039.59** |
| कमी / अधिशेष (- / + 5 % से ऊपर) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **बिक्री योग्य अंतिम स्टॉक** | **22.32** | **267.46** | **1.17** | **66.92** | **0.72** | **18.96** | **0.20** | **2.26** | **55.69** | **683.99** | **80.10** | **1,039.59** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्यापार प्राप्तियां[2] | | | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के[3] | 46.61 | | 45.66 | |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के[4] | 2,368.11 | | 568.06 | |
| - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि | - | | - | |
| - खराब साख | 739.66 | 3,154.38 | 780.09 | 1,393.81 |
| घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए छूट | 739.66 | 739.66 | 780.09 | 780.09 |
| **कुल** | | **2,414.72** | | **613.72** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **कर्जदारों की समय अवधि:** | | | | |
| < 3 महीने | 1,924.90 | | 450.82 | |
| 3-6 महीने | 326.74 | | 126.12 | |
| 6 महीने -1 वर्ष | 8.94 | | 5.56 | |
| 1-2 वर्ष | 77.00 | | 318.85 | |
| 2-3 वर्ष | 324.42 | | 286.96 | |
| > 3 वर्ष | 492.38 | 3,154.38 | 205.50 | 1,393.81 |
| **कुल** | | **3,154.38** | | **1,393.81** |

1. निदेशकों से अथवा कंपनी के अन्य अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई भी व्यापार प्राप्तियां बकाया नहीं है और न ही एसी फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापारिक प्राप्तियां बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक क्रमशः साझीदार, निदेशक या सदस्य है।
2. उपर्युक्त व्यापार प्राप्तियां कोयला गुणवत्ता भिन्नता का समंजन है जो ₹5.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 205.1 करोड़) के बराबर है
3. व्यापार प्राप्तियां: सुरक्षित व्यापार प्राप्तियां ₹46.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 45.88 करोड़) की बैंक गारंटी के सामने सुरक्षित हैं।
4. व्यापार प्राप्तियां: अच्छी माने जाने वाली असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों में संबंधित वैधानिक देयता बकाया के साथ बाजार शुल्क के कारण सेल से प्राप्य ₹ 103.97 करोड़ की राशि शामिल है। सेल ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में कई आधारों पर बाजार शुल्क की ऐसी मांग के संबंध में एक याचिका दायर की है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य**

(₹ करोड़ में)

| | | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| (क) | बैंकों में जमा शेष | | |
| | - जमा खातों में | - | 55.00 |
| | - चालू खातों में | | |
| | ब्याज के साथ (सीएलटीडी)1 | 60.28 | 36.24 |
| | गैर-ब्याज के साथ | (25.99) | (4.77) |
| | - कैश क्रेडिट खातों में | - | - |
| (ख) | भारत के बाहर बैंक जमा शेष | - | - |
| (ग) | हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप | - | 0.01 |
| (घ) | हस्तगत नकदी | 0.01 | 0.01 |
| (ङ) | भारत के बाहर हस्तगत नकदी | - | - |
| (च) | अन्य | - | - |
| | **कुल नकदी और नकदी समतुल्य** | **34.30** | **86.49** |

**टिप्पणी:**

1. बैंकों के साथ चालू खातों (ब्याज वाले) में जमा शेष राशि में ईएमडी पूल खाते के बदले एक्सिस बैंक में रखी ₹12.83 करोड़ ( गत वर्ष ₹ 6.93 करोड़) की राशि शामिल है।
2. नकदी और नकदी समतुल्य में हस्तगत और बैंक नकदी, स्वीप खाते तथा बैंकों के साथ तीन महीनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाएं शामिल है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

**( ₹ करोड़ में)**

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **बैंकों में जमा शेष** | | |
| - जमा खाते[2-5] | 1,418.00 | 2,015.02 |
| - विशेष उद्देश्य के लिए जमा खाते[6 एवं 7] | 5.31 | - |
| - स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना | - | - |
| - अदत्त लाभांश खाते | - | - |
| - लाभांश खाते | - | - |
| **कुल** | **1,423.31** | **2,015.02** |

**टिप्पणी:**

1. अन्य बैंक बैलेंस में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता की सावधि जमाएं एवं अन्य बैंक जमाएं शामिल हैं।
2. जमा खाते में कैनरा बैंक, धनबाद से ₹ 246.72 करोड़ (गत वर्ष ₹ 279.00 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 274.15 करोड़ (गत वर्ष ₹ 296.49 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
3. जमा खाते में कैनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक), धनबाद से ₹ 124.53 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का लाभ उठाने के लिए ₹ 138.37 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
4. जमा खाते में पंजाब नेशनल बैंक (पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स), धनबाद ₹ 241.31 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 271.63 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
5. जमा खाते में इंडियन बैंक, धनबाद से ₹ 14.70 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ₹ 16.18 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की सावधि जमा शामिल है।
6. विशिष्ट प्रयोजन के लिए जमा खातों में बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में विभिन्न बैंकों के पास गिरवी रखी गई ₹ 2.01 करोड़ की निश्चित जमा राशि शामिल है।
7. कीमत में अंतर के कारण 03.01.03.2006 से 30.03.2006 की अवधि के लिए विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस राशि को विभिन्न बैंकों में अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप जमा किया गया था। अंतिम परिपक्वता राशि ₹ 3.22 करोड़ (अर्जित ब्याज ₹ 0.08 करोड़ को छोड़कर) को दिनांक 01.11.2019 को केनरा बैंक में 6.50 % वार्षिक ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप में पुनः जमा कर दिया गया। उक्त सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 12 % वार्षिक दर से भविष्य में संभावित कुल देय ₹ 5.21 करोड़ राशि के अंतर को 31.03.2020 तक आकस्मिक देयता के रूप में रखा गया है.

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

**टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी**

( ₹ करोड़ में)

| | As at | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **अधिकृत** | | |
| ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 5,10,00,000 (गत वर्ष 250,00,000) इक्विटी शेयर | 5,100.00 | 2,500.00 |
| | **5,100.00** | **2,500.00** |
| **निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)** | | |
| 1. ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः नकदी में चुकता 2,03,30,126 इक्विटी शेयर | 2,033.01 | 2,033.01 |
| 2. नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 2,62,39,874 (गत वर्ष 8,49,874) इक्विटी शेयर | 2,623.99 | 84.99 |
| **कुल** | **4,657.00** | **2,118.00** |

| **कंपनी में प्रत्येक शेयर धारक के पास 5 % से अधिक शेयर** | | |
|---|---|---|
| शेयर धारक का नाम | धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000) | कुल शेयरों का % |
| कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) | 46570000 | 100 |

**टिप्पणी:**

1. वर्तमान अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (100%) द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन है।
2. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को दिनांक 24 मार्च 2020 को आयोजित कंपनी की 17वीं ईजीएम में विधिवत स्वीकृति से वरीयता शेयर पूंजी के इक्विटी शेयर पूंजी में रूपांतरण के कारण मौजूदा ₹ 5100.00 करोड़ अधिकृत शेयर पूंजी को पुनर्वर्गीकरण करके बढ़ाया गया है।
3. 24 मार्च 2020 को आयोजित 17 वीं ईजीएम में कंपनी द्वारा वरीयता शेयर पूंजी को इक्विटी शेयर पूंजी में रूपांतरण करने के कारण कंपनी के पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी को बढ़ाया गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी**

( ₹ करोड़ में)

| | अधिमान शेयर पूंजी का इक्विटी अंश | अन्य रिजर्व | | सामान्य रिजर्व | प्रतिधारित आय | अन्य व्यापक आय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूंजी मोचन आरक्षित निधि | पूंजी आरक्षित निधि | | | | |
| **01.04.2018 को शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,845.87)** | **158.06** | **(1,489.30)** |
| लेखा नीति में परिवर्तन | - | - | - | - | - | - | - |
| पूर्व अवधि त्रुटियाँ | - | - | - | - | - | - | - |
| **01.04.2018 को पुनर्विवर्णित शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,845.87)** | **158.06** | **(1,489.30)** |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान समायोजन | - | - | - | - | - | - | - |
| अवधि के लिए लाभ | - | - | - | - | 288.77 | 134.85 | 423.62 |
| विनियोग | - | - | - | - | - | - | - |
| सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण | - | - | - | - | - | - | - |
| अंतरिम लाभांश | - | - | - | - | - | - | - |
| अंतिम लाभांश | - | - | - | - | - | - | - |
| कॉर्पोरेट लाभांश कर | - | - | - | - | - | - | - |
| **31.03.2019 को शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,557.10)** | **292.91** | **(1,065.68)** |
| **01.04.2019 को शेष** | **1,057.52** | **-** | **-** | **140.99** | **(2,557.10)** | **292.91** | **(1,065.68)** |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान समायोजन | - | - | - | - | - | - | - |
| लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन | - | - | - | - | - | - | - |
| अवधि के लिए लाभ | - | - | - | - | 918.68 | (212.34) | 706.34 |
| विनियोग | - | - | - | - | - | - | - |
| सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण | - | - | - | - | - | - | - |
| धारित आय से / में स्थानांतरण | (1,057.52) | - | - | - | 1,057.52 | - | - |
| अंतरिम लाभांश | - | - | - | - | - | - | - |
| अंतिम लाभांश | - | - | - | - | - | - | - |
| कॉर्पोरेट लाभांश कर | - | - | - | - | - | - | - |
| इक्विटी शेयर की बायबैक | - | - | - | - | - | - | - |
| बायबैक पर कर | | | | | - | - | - |
| **31.03.2020 को शेष** | **-** | **-** | **-** | **140.99** | **(580.90)** | **80.57** | **(359.34)** |

**टिप्पणी:**

वरीयता शेयरों के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण पर, ₹1057.52 करोड़ की वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी अंश अन्य इक्विटी के अंदर धारित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 18 : उधारियां

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **गैर-वर्तमान** | | |
| मियादी ऋण | | |
| - बैंकों से | - | - |
| - अन्य पक्षों से | - | - |
| संयुक्त वित्तीय लिखत/दस्तावेज के देयता घटक (अधिमान शेयर) | - | 2,350.92 |
| अन्य ऋण | - | - |
| **कुल** | **-** | **2,350.92** |
| वर्गीकरण | | |
| सुरक्षित | - | - |
| असुरक्षित | - | 2,350.92 |
| **वर्तमान** | | |
| मांग पर चुकौती योग्य ऋण | | |
| बैंकों से (ओवरड्राफ्ट सुविधा)[2] | 583.07 | - |
| अन्य पक्षों से | - | - |
| संयुक्त वित्तीय लिखत/दस्तावेज के देयता घटक (अधिमान शेयर) | - | - |
| अन्य ऋण | - | - |
| **कुल** | **583.07** | **-** |
| वर्गीकरण | | |
| सुरक्षित | 583.07 | - |
| असुरक्षित | - | - |

**टिप्पणी:**

1. सीआईएल द्वारा ₹ 535 करोड़ की कुल कार्यशील पूंजी की सुविधा के लिए एसबीआई कंसोर्टीयम के साथ कार्यशील पूंजी कंसोर्टीयम समझौता किया गया और सीआईएल तथा इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए अनुमोदित किया गया और ₹ 535 करोड़ की सीमा तक अपनी सभी वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक रख कर कुल प्रभार का सृजन किया। 31.03.2019 तक बीसीसीएल द्वारा कुल ₹ 127.20 करोड़ की गैर-निधि आधारित सुविधा का उपयोग किया गया तथा निधि-आधारित सुविधा का उपयोग नहीं किया गया।
2. बैंकों से सुरक्षित ओवरड्राफ्ट की सुविधा ₹ 627.26 करोड़ (उपयोग की गयी राशि ₹ 583.07 करोड़) बैंकों द्वारा 700.33 करोड़ के सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 19 : कारोबारी देयताएं

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **वर्तमान** | | |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार प्राप्तियां | 2.35 | 1.45 |
| निम्नलिखित के लिए अन्य व्यापार देयताएं | | |
| भंडारण और पुर्जे | 77.87 | 72.41 |
| विद्युत और ईंधन[1] | 72.36 | 140.35 |
| वेतन, मजदूरी और भत्ते | 667.63 | 717.11 |
| अन्य खर्चे | 815.24 | 735.27 |
| **कुल** | **1,635.45** | **1,666.59** |

**टिप्पणी:**

| | | |
|---|---|---|
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया | | |
| 1. मूलधन और ब्याज राशि भुगतान के लिए शेष, लेकिन बकाया नहीं | 2.35 | 1.45 |
| 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ-साथ भुगतान किया गया ब्याज। | - | - |
| 3. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | - | - |
| 4. अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और भुगतान के लिए बाकी | - | - |
| 5. आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज के रूप में बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं हो जाती। | - | - |

1. वित्तीय वर्ष 1998-99 से बीएसईबी के नाम पर पड़े ₹ 45.00 करोड़ के अग्रिम और ₹ 21.76 करोड़ की निर्विवादित कारोबारी प्राप्तियों की ₹ 114.80 करोड़ की विद्युत देयता के सामने समायोज्य राशि अंतिम संमंजन के लिए लंबित कारोबारी प्राप्तियां शीर्ष के अंतर्गत विद्युत और ईंधन के साथ समायोजित की गयी है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**
**टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **गैर-वर्तमान** | | |
| प्रतिभूति जमा | 81.28 | 75.76 |
| अग्रिम धन | - | 0.25 |
| अन्य | 7.17 | 6.26 |
| **कुल** | **88.45** | **82.27** |
| **वर्तमान** | | |
| अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि | - | - |
| निम्नलिखित के साथ चालू खाता | | |
| - सी आई एल | 272.94 | 306.87 |
| - आई आई सी एम | - | - |
| दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं | - | - |
| अदत्त लाभांश | - | - |
| प्रतिभूति जमा | 175.88 | 188.37 |
| अग्रिम धन | 43.71 | 88.62 |
| पूंजीगत व्यय | 170.39 | 102.85 |
| अन्य | 108.76 | 86.71 |
| **कुल** | **771.68** | **773.42** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**
**टिप्पणी 21 : प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **गैर-वर्तमान** | | |
| कर्मचारी लाभ | | |
| - उपदान (ग्रेच्युटी) | 568.67 | 137.25 |
| - अवकाश नकदीकरण | 576.46 | 293.68 |
| - अन्य कर्मचारी लाभ | 207.26 | 121.51 |
| साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी | 424.76 | 473.86 |
| स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन | - | - |
| अन्य | - | - |
| **कुल** | **1,777.15** | **1,026.30** |

टिप्पणी: 1. साइट पुनर्स्थापना/खदान बंदी के लिए प्रावधान

खदान बंद करने का प्रावधान कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से माइन क्लोजर प्लान तैयार करने के दिशा-निर्देशों के बाद खातों में प्रावधान किया गया है। इस तरह का प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक खदान के खदान बंदी व्यय (सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमानित) के लिए देयता को 8% की दर सेछूट दी गई है और इस तरह के प्रावधान के निर्माण के 1 वर्ष के लिए खदान बंद करने की देयता पर पहुंचने के लिए पूंजीकृत किया गया है। तत्पश्चात प्रावधान को 31.03.2020 के अनुसार प्रावधान पर आने की छूट को समाप्त करके बाद के वर्ष में पुन: आकलित किया गया है।

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **वर्तमान** | | |
| कर्मचारी लाभ | | |
| - उपदान (ग्रेच्युटी) | 402.86 | 388.17 |
| - अवकाश नकदीकरण | 60.34 | 57.63 |
| - अनुग्रह राशि | 289.24 | 282.83 |
| - प्रदर्शन आधारित भुगतान | 161.94 | 120.03 |
| - अन्य कर्मचारी लाभ | 65.06 | 112.20 |
| साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी | - | - |
| अन्य | - | - |
| **कुल** | **979.44** | **960.86** |

| | | |
|---|---|---|
| 1. भूमि/ स्थल पुनर्स्थापन/ खदान के पुनरुद्धार का मिलान | | |
| आरंभिक तारीख को साइट बहाली प्रावधान का सकल मूल्य | 473.86 | 396.97 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान पूंजीकरण / समायोजन के लिए प्रावधान | (80.18) | 51.65 |
| जोड़ें: चालू वर्ष के लिए छूट की छूट के बिना | 31.08 | 25.24 |
| **खदान बंदी प्रावधान** | **424.76** | **473.86** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

### टिप्पणी 22 : अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| स्थानांतरण और पुनर्वास निधि | - | - |
| आस्थगित आय | 5.01 | 5.70 |
| **कुल** | **5.01** | **5.70** |

### टिप्पणी:

1. पूर्वी झरिया क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 1.37 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। यह रेलवे साइडिंग निर्माणाधीन है और पूंजीगत जारी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2. पश्चिमी झरिया क्षेत्र में टेली-मॉनिटरिंग और मैन-राइडिंग सिस्टम के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 4.71 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई, जिसमें से टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम को पूंजीकृत किया गया है एवं टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए ₹ 0.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.38 करोड़) की आनुपातिक राशि का परिशोधिन कर दिया गया है और अन्य आय शीर्ष के तहत दर्शाया गया है तथा मैन-राइडिंग सिस्टम की बकाया राशि को पूंजीगत जारी कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
### टिप्पणी 23 : अन्य वर्तमान देयताएं

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| वैधानिक बकाया[1 एवं 2] | 883.24 | 775.89 |
| कोयला आयात के लिए अग्रिम | - | - |
| ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम | 741.30 | 1,527.47 |
| उपकर समानीकरण खाता | - | - |
| अन्य देयताएं | 613.95 | 491.84 |
| **कुल** | **2,238.49** | **2,795.20** |

**टिप्पणी:**

1. सांविधिक देय शुद्ध प्राप्य और देय के बाद है।
2. अन्य सांविधिक लेवी में 31.03.2020 को बाजार शुल्क की ₹ 125.79 करोड़ रुपये की राशि (पिछले वर्ष ₹ 117.69 करोड़) शामिल है, जिसमें (i) जनवरी से मार्च 2020 की अवधि के दौरान की कुल ₹ 21.82 करोड़ की राशि और (ii) सेल (SAIL) से मार्च, 2020 तक की बाजार शुल्क की गैर-वसूलीकृत राशि ₹ 103.97 करोड़ शामिल है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। 31.12.2019 तक के बाजार शुल्क बिल के एवज में ₹ 608.05 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसे खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MADA) को दिनांक 31.03.2020 तक का भुगतान कर दिया।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व**

(₹ करोड़ में)

| | | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| A. | कोयला की बिक्री | 12,224.47 | | 12,899.98 | |
| | घटाएं: वैधानिक लेवी | 3,256.91 | | 3,522.30 | |
| | बिक्री- वैधानिक लेवियों के समायोजन के बाद (क) | | 8,967.56 | | 9,377.68 |
| B. | अन्य परिचालन से राजस्व | | | | |
| | बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान | | - | | (0.82) |
| | लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क | 330.93 | | 346.59 | |
| | घटाएं: वैधानिक लेवी | 15.76 | 315.17 | 16.52 | 330.07 |
| | निकासी सुविधा शुल्क | 150.44 | | 176.35 | |
| | घटाएं: वैधानिक लेवी | 7.16 | 143.28 | 8.40 | 167.95 |
| | अन्य परिचालन से राजस्व (शुद्ध) ख | | 458.45 | | 497.20 |
| | **परिचालन से राजस्व (क + ख)** | | **9,426.01** | | **9,874.88** |

**टिप्पणी:**

1. विद्युत कंपनियों के ग्राहकों से एफएसए के तहत प्रदर्शन इन्सेंटिव दावे के रूप में ₹ 30.05 (पिछले वर्ष ₹ 4.16 करोड़) शामिल है। इस राशि को वर्ष के अंत में मान्य किया गया हैं।
2. पार्टियों को जारी किए गए/ जारी किए जा रहे क्रेडिट नोट के कारण ₹ (-) 169.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 59.07 करोड़) की श्रेणी में गिरावट (ग्रेड स्लिपेज) के लिए कच्चे कोयले की बिक्री समायोजित की गयी है।
3. कच्चे कोयले की बिक्री में 42.62 लाख टन (गत वर्ष 81.20 लाख टन) की ई-नीलामी की मात्रा और ₹ 352.14 करोड़ (गत वर्ष ₹ 791.79 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
4. कोयले की गुणवत्ता में अंतर की ₹ -199.93 करोड़ (गत वर्ष ₹ 126.84 करोड़) राशि का समायोजन किए गये प्रावधान की राशि ₹ 6.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 319.01 करोड़) और कोयले की गुणवत्ता में अनुमानित अंतर के सामने उलट प्रावधान की राशि ₹ 206.60 करोड़ (गत वर्ष ₹ 445.85) के साथ किया गया है।
5. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी संख्या-38) में मद सं 1.11.4. के तहत दर्शाया गया है।

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 25 : अन्य आय**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| ब्याज से आय | 159.24 | 153.18 |
| लाभांश आय | 4.13 | 25.63 |
| अन्य | | |
| शीर्ष प्रभार | - | - |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | 1.99 | 11.84 |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ | - | - |
| पट्टा किराया | 2.91 | 2.53 |
| देयता / प्रतिलेखन प्रावधान | 259.92 | 139.21 |
| विविध आय | 116.80 | 40.49 |
| **कुल** | **544.99** | **372.88** |


# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**


**टिप्पणी - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| विस्फोटक | 139.12 | 180.55 |
| टिंबर / लकड़ी | 2.10 | 3.38 |
| तेल और स्नेहक | 165.22 | 236.13 |
| भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जे | 46.15 | 45.76 |
| अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे | 44.56 | 51.96 |
| **कुल** | **397.15** | **517.78** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
**टिप्पणी -27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल की सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| कोयले का आरम्भिक स्टॉक | 709.83 | 968.47 |
| कोयले का अंतिम स्टॉक | 630.50 | 709.83 |
| **कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)** | **79.33** | **258.64** |
| | | |
| कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक | 4.70 | 4.41 |
| कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक | 4.55 | 4.70 |
| **कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)** | **0.15** | **(0.29)** |
| | | |
| **कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क + ख) {कमी/ (वृद्धि)}** | **79.48** | **258.35** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
**टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित) | 4,155.12 | 4,183.93 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 1,288.21 | 1,408.42 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 318.02 | 274.60 |
| **कुल** | 5,761.35 | 5,866.95 |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

**टिप्पणी - 29 : कॉरपोरेट सामाजिक व्यय (सीएसआर) व्यय**

**( ₹ करोड़ में)**

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| सीएसआर व्यय | 6.01 | 1.43 |
| **कुल** | 6.01 | 1.43 |

**टिप्पणी:-**

कंपनी अधिनियम, 2013 के विशेषताओं और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं को शामिल करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के अनुपालन में पिछले लगातार तीन वर्षों के कुल औसत शुद्ध लाभ का 2 % जो ₹ 0.00 होता है या पिछले वर्ष के कुल कोयला उत्पादन का ₹ 2 प्रति टन की दर से जो ₹ 6.21 होता है, में से जो भी अधिक हो, जो कि ₹ 6.21 है, अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 के ₹ 6.21 करोड़ की राशि होती है।

क) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि:

| विवरण | राशि (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|
| | नकद में | अभी नकदी में भुगतान किया जाना है | कुल |
| (i) किसी भी संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण पर | - | - | - |
| (ii) अन्य उद्देश्यों पर (i) के अलावा | 5.37 | 0.64 | 6.01 |

ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न शीर्षों में उपर्युक्त व्यय का मद वार विवरण (ब्रेक-अप) निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | शीर्ष | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1. | क) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन,<br>ख) निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता का प्रचार तथा<br>ग) सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता | 3.36 |
| 2. | शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार बढ़ाने व्यवसाय व कौशल तथा जीविकोपार्जन संबंधी परियोजनाएं | 2.65 |
| 3. | क) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण<br>ख) ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और साइट की बहाली<br>ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और<br>घ) कला और हस्तशिल्पों का प्रचार एवं विकास | |
| 4 | क) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा,<br>ख) मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना | |
| 5. | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 30 : मरम्मत**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| भवन | 37.63 | 53.85 |
| संयंत्र एवं मशीनें | 161.38 | 167.53 |
| अन्य | 2.48 | 3.11 |
| **कुल** | **201.49** | **224.49** |

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| परिवहन शुल्क | 199.76 | 207.23 |
| वैगन लदाई | 20.00 | 28.69 |
| संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना | 866.91 | 996.06 |
| अन्य संविदात्मक कार्य | 124.83 | 80.59 |
| **कुल** | **1,211.50** | **1,312.57** |

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी - 32 : वित्तीय लागतें**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| ब्याज खर्चे | | |
| उधारियां | 189.47 | 174.14 |
| छूट का विवरण | 31.08 | 25.24 |
| अन्य | 1.28 | 1.28 |
| **कुल** | **221.83** | **200.66** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 33 : प्रावधान**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **(क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान** | | |
| संदिग्ध ऋण | 180.80 | 42.87 |
| संदिग्ध अग्रिम एवं दावे | - | 0.02 |
| भंडार एवं पुर्जे | 2.90 | 2.72 |
| अन्य | 2.95 | 3.84 |
| **कुल (क)** | **186.65** | **49.45** |
| **(ख) छूट / प्रावधान विपर्यय (रिवर्सल)** | | |
| संदिग्ध ऋण | 221.23 | 9.71 |
| संदेहास्पद अग्रिम एवं दावे | 0.02 | 0.28 |
| भंडार एवं पुर्जे | 0.49 | 0.54 |
| अन्य | 0.02 | - |
| **कुल (ख)** | **221.76** | **10.53** |
| **कुल (क - ख)** | **(35.11)** | **38.92** |

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी - 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2020 | | 31.03.2019 | |
| संदिग्ध ऋण | - | | - | |
| घटाएं:- पहले दिया गया | - | - | - | - |
| संदेहास्पद अग्रिम | 1.26 | | 0.89 | |
| घटाएं:- पहले दिया गया | 0.19 | 1.07 | 0.04 | 0.85 |
| अन्य | - | | - | |
| घटाएं:- पहले दिया गया | - | - | - | - |
| **कुल** | | 1.07 | | 0.85 |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**
**टिप्पणी 35 : अन्य खर्चे**

( ₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| यात्रा खर्च | 13.06 | 8.98 |
| प्रशिक्षण व्यय | 5.14 | 5.90 |
| टेलीफोन एवं डाक | 11.56 | 10.11 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 4.62 | 4.54 |
| माल भाड़ा प्रभार | 10.10 | 15.40 |
| विलम्ब शुल्क | 38.69 | 20.16 |
| सुरक्षा व्यय | 247.87 | 230.38 |
| कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क | 27.73 | 31.04 |
| किराया प्रभार | 31.01 | 28.53 |
| सीएमपीडीआई खर्च | 25.42 | 21.50 |
| कानूनी खर्च | 3.87 | 3.74 |
| परामर्श शुल्क | 0.81 | 1.88 |
| कम/ अधिक भराई शुल्क | 54.61 | 119.13 |
| परिसंपत्तियों के विक्रय/ अमान्य/ सर्वेक्षण पर हानि | 1.77 | 0.96 |
| लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च | | |
| - लेखा-परीक्षण शुल्क हेतु | 0.45 | 0.18 |
| - कराधान संबंधी मामलों के लिए | 0.02 | 0.02 |
| - अन्य सेवाओं हेतु | - | 0.13 |
| - खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु | 0.22 | 0.11 |
| आंतरिक एवं अन्य लेखा-परीक्षा खर्चे | 2.58 | 2.59 |
| पुनर्वास पर व्यय | 17.29 | 19.87 |
| किराया | - | - |
| दरें एवं कर | 116.93 | 102.09 |
| बीमा | 1.33 | 1.27 |
| विनिमय दर में अंतर के कारण घाटा | - | - |
| बचाव / सुरक्षा व्यय | 0.74 | 0.78 |
| अनिवार्य किराया / सरफेस रेंट | 1.99 | 1.52 |
| साइडिंग रख-रखाव प्रभार | 5.42 | 29.67 |
| अनुसंधान एवं विकास व्यय | - | - |
| पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय | 1.81 | 1.96 |
| शेयरों की बायबैक पर खर्च | - | - |
| विविध खर्चे | 29.10 | 24.93 |
| **कुल** | **654.14** | **687.37** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 36 : कर व्यय**

**( ₹ करोड़ में)**

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| वर्तमान वर्ष | - | - |
| आस्थगित कर | 72.09 | 307.32 |
| मेट क्रेडिट पात्रता | - | - |
| पहले के वर्ष | 0.35 | (39.04) |
| **कुल** | **72.44** | **268.28** |

दिनांक 31.03.2020 के लिए भारतीय घरेलू कर दर से गुणित कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान

( ₹ करोड़ में)

| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| कर से पहले लाभ / (हानि) | 991.12 | 557.05 |
| आयकर की दर पर | 31.20% | 31.20% |
| आयकर व्यय | 309.23 | 173.80 |
| घटाएं: छूट प्राप्त की गयी आय पर कर | 1.29 | 8.00 |
| जोड़ : प्रावधान पर (प्रतिलेखन के बाद) | (30.25) | (16.59) |
| जोड़ें: सीएसआर व्यय पर कर | 1.88 | 0.45 |
| घटाएं: अग्रानीत हानि | 874.59 | 820.55 |
| जोड़ : छूट के मोचन पर कर | 68.38 | 62.21 |
| घटाएं: विभिन्न निधियों की फंडिंग पर कर | 37.05 | 250.56 |
| जोड़ : गैर-कटौती योग्य व्यय/ आय (शुद्ध) पर कर | 9.28 | 49.75 |
| कर के सामान्य प्रावधान के अनुसार आयकर व्यय (क) | (554.42) | (809.49) |
| मैट प्रावधानों (धारा 115 जेबी) के तहत आयकर [बी] | - | - |
| क/ख के ऊपर भुगतान योग्य कर | 0.00 | 0.00 |
| पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन | 0.35 | (39.04) |
| मैट (MAT) क्रेडिट पात्रता | - | - |
| आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियां) | 72.09 | 307.32 |
| लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया आयकर व्यय | 72.44 | 268.28 |
| प्रभावी आयकर दर: | 7.31% | 48.16% |

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित है:

( ₹ करोड़ में)

| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| विलम्बित टैक्स देयता: | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित | (53.42) | (56.67) |
| अन्य | 70.81 | 37.17 |
| कुल आस्थगित कर देयता | 17.39 | (19.50) |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति: | | |
| व्यापार प्राप्य, दावों आदि से संबंधित | 254.56 | 328.87 |
| कर्मचारी लाभ | 303.12 | 200.77 |
| अन्य | 33.06 | - |
| **कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति** | **590.74** | **529.64** |
| **शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति** | **573.35** | **549.14** |

**वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां**

**टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय**

**( ₹ करोड़ में)**

| | | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| (A) | (i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे | | |
| | परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन | (308.64) | 134.85 |
| | | **(308.64)** | **134.85** |
| | (ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | |
| | परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन | (96.30) | - |
| | | **(96.30)** | **-** |
| | **कुल (क)** | **(212.34)** | **134.85** |
| (B) | (i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे | | |
| | Share of OCI in Joint ventures | - | - |
| | | - | - |
| | (ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss | | |
| | Share of OCI in Joint ventures | - | - |
| | **कुल (ख)** | **-** | **-** |
| | **कुल (क+ख)** | **(212.34)** | **134.85** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

## (एक मिनी रत्न कंपनी)

### 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

### (टिप्पणी 38)

## 1. भारतीय लेखा मानक की प्रयोज्यता

### 1.1 लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखा प्राक्कलन और त्रुटियों में परिवर्तन (भारतीय लेखा मानक 8)

कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुरूप है। संयंत्र एवं उपकराणों के उपयोगी जीवन में बदलाव हुआ है, पहले यह 5-15 वर्ष थी जिसे संशोधित करके 5-30 वर्ष कर दिया गया है।

इसके अलावा, भौतिक सीमा को बदलकर, कंपनी के परिचालन से प्राप्त कुल राजस्व (वैधानिक लेवी का शुद्ध) का 1% कर दिया गया है, जो पहले सीआइएल के परिचालन से प्राप्त कुल आय का 1% था, ताकि उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान किया जा सके।

साथ ही, उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्टॉक की लागत की गणना (स्टॉक ऑफ कोल) विधि को बदलकर एफआइएफओ (FIFO) विधि से भारित औसत विधि में कर दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन पर काफी प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को बहाल नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्टॉक-मूल्य में ₹ 4.79 करोड़ की कमी आयी है।

### 1.2 रिपोर्टिंग अवधि के बाद हुए घटनाक्रम (भारतीय लेखा मानक 10)

रिपोर्टिंग अवधि के बाद कोई समायोजन या गैर-समायोजन घटनाएं नहीं हुई हैं।

### 1.3 आयकर (भारतीय लेखा मानक-12) (टिप्पणी 36 एवं 37)

पिछले अग्रानीत कर योग्य नुकसान के कारण कर व्यय के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) के लिए ₹ 24.21 करोड़ का समायोजन किया गया है।

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019, 2019 की सं. 15 दिनांक 20.09.2019 से प्रभावी हुई और इसमें एक नया खंड 115BAA जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि एक घरेलू कंपनी अपनी सुविधानुसार 30% के स्थान पर 22% की कम कॉर्पोरेट आयकर दर का भुगतान कर सकती है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 30.09.2020 को या उससे पहले कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से इस विकल्प का उपयोग किया जाना है। एक बार कम दर के विकल्प का चयन करने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है और यह बाद के सभी वर्षों में लागू होगा।

यदि अनुच्छेद 15BAA के तहत कर की निम्न दर के विकल्प का चयन किया जाता है तो अग्रानित अनावशोषित मूल्यह्रास का सेट-ऑफ इसमें शामिल 39.94 करोड़ तक के अतिरिक्त मूल्यह्रास सीमा है, जो भविष्य के वर्षों के लिए विलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए, यह भविष्य के वर्षों में सामान्य मूल्यह्रास व्यय के समान ही स्वीकार्य होगा। साथ ही उस कंपनी द्वारा मैट (MAT) देय नहीं होगा जो कर की कम दर के विकल्प का चयन करती है

वर्तमान में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, बीसीसीएल के पास व्यापार हानि को आगे ले जाने तथा अनावशोषित मूल्यह्रास के कारण कोई नकदी कर बहिर्प्रवाह नहीं है।

आयकर अधिनियम में जोड़े गए नये अनुच्छेद 115BAA के प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए कम कर दर के लिए चयन करने का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उपर्युक्त के मद्देनजर, अभी तक कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए विलंबित कर सहित कर प्रावधान के लिए लेखांकन की मौजूदा कर दर 30% है।

### 1.4 पट्टे (भारतीय लेखा मानक-116) (टिप्पणी 25)

कंपनी (सीवी क्षेत्र) ने विस्तारित अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए ₹ 2.91 करोड़ की लीज रेंट पर दामागोरिया रेलवे साइडिंग की दूसरी लाइन को मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) को दिया था। 31 मार्च, 2020 को पट्टे पर दी गई कथित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | कुल | वर्तमान वर्ष में ह्रास | वर्तमान वर्ष में हानि | प्रगामी | प्रगामी हानि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्लॉक | दामागोरिया रेलवे साइडिंग | 0.11 | मूल्यह्रास | प्रगामी हानि | 0.10 | 0.00 |

पट्टे वाली परिसंपत्तियां कंपनी की संपत्ति हैं, अतः इसका मूल्यह्रास कंपनी के लेखा नीति के अनुसार ही किया जाता है।

दिनांक 30 मार्च, 2019 को कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्गत वीडियो अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से कंपनियों के लिए भारतीय लेखा मानक (Ind AS 116) पट्टे की जगह आइएनडी 17 (Ind 17) के रूप में प्रभावी हो गया है। पट्टों से संबंधित लेखांकन नीति को आइएनडी 116 के अनुसार बदल दिया गया है। पट्टों के लेखांकन निस्पादन में परिवर्तन, आइएनडी एएस 116 का मुख्य परिवर्तन है, जिसे वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी के प्रदर्शन में कमी आने की स्थिति में लीज समझौतों ने राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों की मान्यता और भविष्य के लीज भुगतान के लिए लीज लायबिलिटी को बढ़ा दिया है।

परिवर्तन के दौर से गुजर रही कंपनी ने संचयी कार्यप्रणाली का पालन किया है यानी शुरू में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्यता दी और शून्य % प्रतिधारित आय के प्रारंभिक संतुलन के लिए समायोजन के रूप में प्रतिधारित आय को ₹ शून्य करोड़ तक समायोजित समायोजित किया है, जिसे बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त लीज देयता की गणना करने के लिए उपयोग पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर के रूप में की गई है।

दिनांक 31.03.2020 को परिचालन पट्टे के संबंध में लीज देयता प्रतिबद्धता, पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी गई है, जिसे शून्य करोड़की छूट दी गई है, जबकि 01.04.2019 को बैलेंस शीट पर मान्यता प्राप्त लीज देयता शून्य करोड़ है।

## 1.5 कर्मचारी लाभ (भारतीय लेखा मानक-19) (टिप्पणी 21, 23 एवं 28)

### 1.5.1 भविष्य निधि

कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि तथा पेंशन फंड के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट के लिए निश्चित योगदान देती है, जो कि अनुमत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करता है। इस अवधि के दौरान इस कोष में ₹ 647.57 करोड़ (गत वर्ष ₹ 784.26 करोड़) का योगदान किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि (टिप्पणी 28) के विवरण में दर्शाया गया है।

### 1.5.2 कंपनी द्वारा निम्नलिखित लाभ योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है:

क. वित्तपोषित - ग्रेच्युटि और अवकाश नकदीकरण एवं चिकित्सा लाभ (आंशिक)

ख. गैर- वित्तपोषित - लाइफ कवर योजना, सेटलमेंट भत्ता, कंपनी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, छुट्टी यात्रा रियायत और खान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा।

1.5.3 दिनांक 31 मार्च, 2020 को बीमांकिक द्वारा विचारित श्रमशक्ति एवं कंपनी के प्रतिवेदित श्रमशक्ति में अंतर के लिए उपदान (ग्रेच्युटि ), अर्जित अवकाश एवं अर्ध वेतन अवकाश के मदों में आनुपातिक आधार पर बीमांकिक देयता में इजाफा किया गया है।

उपर्युक्त तिथि को तैयार तुलन-पत्र के आधार पर कर्मचारी लाभ की कुल देयता ₹ 4387.31 करोड़ रुपए है। जैसा कि बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को सेवारत सभी कर्मचारियों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में कथित मदों के तहत राजस्व लेखा में दर्शायी गई यह रकम सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ विमुक्त कर्मचारियों आदि को भुगतान किए गए तथा भुगतान की जाने वाली रकम के बराबर है, जिसमें वृद्धि/कमी देयता भी शामिल है, यदि हो तो।

मद-वार विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

| मद / शीर्षक | 1 अप्रैल, 2019 को आरंभिक बीमांकिक प्रावधान | वृद्धि / (ह्रास) प्रावधान | 31 मार्च, 2020 को अंतिम बीमांकिक प्रावधान |
|---|---|---|---|
| उपदान (ग्रेच्युटि ) | 3107.97 | 283.64 | 3391.61 |
| अर्जित अवकाश | 519.05 | 65.31 | 584.36 |
| अर्ध वेतन अवकाश | 53.99 | 7.90 | 61.89 |
| जीवन सुरक्षा योजना (लाइफ कवर स्कीम ) | 12.23 | 10.72 | 22.95 |
| सेटलमेंट/सेटलिंग-इन भत्ता (अधिकारियों के लिए) | 7.41 | 0.43 | 7.84 |
| सेटलमेंट / सेटलिंग-इन भत्ता (कर्मचारियों के लिए) | 21.91 | 0.58 | 22.49 |
| समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना | 0.12 | 0.01 | 0.13 |
| एलटीसी/एलटीसी/आरआरएफ | 37.51 | 8.23 | 45.74 |
| चिकित्सा लाभ (मौजूदा अधिकारियों लिए) | 48.42 | 13.38 | 61.80 |
| चिकित्सा लाभ (कर्मचारियों के लिए) | 13.79 | 44.81 | 58.60 |
| अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ (सेवानिवृत्ति के बाद) | 98.20 | 21.54 | 119.74 |
| खदान दुर्घटना लाभ (कर्मचारियों के लिए) | 27.34 | (-)17.18 | 10.16 |
| कुल | 3947.94 | 439.37 | 4387.31 |

### 1.5.4 बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटन

बीमांकिक के प्रमाणपत्र के अनुसार कर्मचारियों को उपदान (वित्त-पोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्त-पोषित) के लाभ का प्रकटन निम्नलिखित है:-

### 1.5.4.1 दिनांक 31.03.2020 को उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

## तालिका 1: प्रकट किए गए मद

**तालिका में दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य | 3107.97 | 3134.02 |
| वर्तमान सेवा लागत | 144.70 | 126.52 |
| ब्याज लागत | 193.22 | 226.82 |
| हिस्सेदार का अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| योजना संशोधन अवधि के अंत में निहित भाग (पिछली सेवा) | 0.00 | 0.00 |
| योजना संशोधन अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (पिछली सेवा) | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 206.34 | 32.96 |
| जन सांख्यिकीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| अप्रत्याशित घटना के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 100.24 | (-)152.84 |
| अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| लाभ का भुगतान | 360.86 | 259.51 |
| अधिग्रहण समायोजन | 0.00 | 0.00 |
| निपटान/दायित्व का स्थानांतरण | 0.00 | 0.00 |
| कटौती लागत | 0.00 | 0.00 |
| निपटान लागत | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यांकन तिथि को दायित्व का वर्तमान मूल्य | 3391.61 | 3107.97 |

## तालिका 2: प्रकट किए गए मद

**तालिका में निर्धारित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 2582.55 | 1997.22 |
| ब्याज से आय | 170.45 | 150.79 |
| नियोजन का अंशदान | 30.00 | 679.08 |
| हिस्सेदार का अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन | 0.00 | 0.00 |
| निपटान लागत | 0.00 | 0.00 |
| लाभ का भुगतान | 360.86 | 259.51 |
| परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव | 0.00 | 0.00 |

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का असर | 0.00 | 0.00 |
| प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज से आय को छोड़कर योजनागत संपत्ति पर लाभ | (-)2.06 | 14.97 |
| मापन अवधि के अंत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 2420.08 | 2582.55 |

## तालिका 3: प्रकट किए गए मद

### तुलन पत्र के साथ मिलान को दर्शाती तालिका

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वित्त-पोषण स्थिति | (-)971.53 | (-)525.42 |
| अमान्य पूर्व सेवा लागत | 0.00 | 0.00 |
| इस अवधि के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| मापन दिनांक के नाम नियोजन का अंशदान (अपेक्षित) | 0.00 | 0.00 |
| अप्राप्त अर्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत | 0.00 | 0.00 |
| वित्त-पोषण परिसंपत्ति | 2420.08 | 2582.55 |
| वित्त-पोषण देयता | 3391.61 | 3107.97 |

## तालिका 4: प्रकट किए गए मद

### योजना अनुमान को दर्शाती तालिका

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| छूट की दर | 6.60% | 7.55% |
| योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न | 6.60% | 7.55% |
| क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन परिवर्धन) | 9.00% अधिकारियों के लिए<br>6.25% कर्मचारियों के लिए | 9.00% अधिकारियों के लिए<br>6.25% कर्मचारियों के लिए |
| पेंशन वृद्धि दर | N/A | N/A |
| औसतन अपेक्षित की भावी सेवा (कार्यकाल की शेष अवधि) | 12, 11 | 12, 11 |
| मृत्यु दर तालिका | आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट | आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट |
| पुरुष की सेवानिवृत्ति आयु | 60 | 60 |
| महिलाओं की सेवानिवृत्ति आयु | 60 | 60 |
| समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अक्षमता (सभी कारण संयुक्त) | 0.30% | 0.30% |

# तालिका 5: प्रकट किए गए मद

## लाभ या हानि के विवरण में मान्य व्यय को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वर्तमान सेवा लागत | 144.70 | 126.52 |
| पिछली सेवा लागत (निहित) | 0.00 | 0.00 |
| पिछली सेवा लागत (गैर-निहित) | 0.00 | 0.00 |
| शुद्ध ब्याज लागत | 22.77 | 76.03 |
| निपटान पर खर्च (नुकसान/(लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| कटौती पर लागत (हानि/(लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| बीमांकिक लाभ/हानि, केवल पिछले साल के लिए लागू है | 0.00 | 0.00 |
| कर्मचारी का अपेक्षित अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में मान्य प्राप्त व्यय) | 167.47 | 202.55 |

# तालिका 6: प्रकट किए गए मद

## अन्य व्यापक आय को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वित्तीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 206.34 | 32.96 |
| जन सांख्यिकीय मान्यता में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर विवाद का लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| अप्रत्याशित घटना के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 100.24 | (-)152.84 |
| अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| **कुल बीमांकिक (लाभ)/हानियां** | **306.58** | **(-)119.88** |
| आज से हुई आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ | (-)2.06 | 14.97 |
| परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| अवधि की समाप्ति पर शेष राशि | 308.64 | (-)134.85 |
| **ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय** | **308.64** | **(-)134.85** |

# तालिका 7: प्रकट किए गए मद

## अंतिम मूल्यांकन अवधि में योजना परिसंपत्ति के विनियोजन को दर्शाती तालिका (लागू नहीं)

# तालिका 8: प्रकट किए गए मद

## अंतिम मूल्यांकन अवधि में योजना परिसंपत्ति के कुल विनियोजन को % प्रतिशत में दर्शाती तालिका (लागू नहीं)

# तालिका 9: प्रकट किए गए मद

## मृत्युदर अवधि को दर्शाती तालिका

| आयु | मृत्यु दर (प्रति वर्ष) |
|---|---|
| 25 | 0.000984 |
| 30 | 0.001056 |
| 35 | 0.001282 |
| 40 | 0.001803 |
| 45 | 0.002874 |
| 50 | 0.004946 |
| 55 | 0.007888 |
| 60 | 0.011534 |
| 65 | 0.0170085 |
| 70 | 0.0258545 |

# तालिका 10: प्रकट किए गए मद

## संवेदनशीलता को दर्शाती तालिका

**(₹ करोड़ में)**

| संवेदनशीलता विश्लेषण | 31.03.2020 | |
|---|---|---|
| | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (-/+0.5%) | 3277.89 | 3512.45 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | (-)3.353% | 3.563% |
| वेतन वृद्धि (-/+0.5%) | 3451.34 | 3325.37 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | 1.761% | (-)1.953% |
| संघर्षण दर (-/+0.5%) | 3394.36 | 3388.86 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | 0.081% | (-)0.081% |
| मृत्यु दर (-/+10%) | 3411.08 | 3372.14 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | 0.574% | (-)0.574% |

# तालिका 11: प्रकट किए गए मद

## नकदी प्रवाह की सूचना को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अगले वर्ष का योग (अपेक्षित) | 3275.13 |
| न्यूनतम अनुदान की आवश्यकताएं | 1114.31 |
| कंपनी का विवेकाधिकार | 0.00 |

# तालिका 12: प्रकट किए गए मद

## अनुमानित भावी भुगतान (पिछली सेवा) के लाभ संबंधी सूचना को दर्शाती तालिका

| वर्ष | (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 1 | 416.98 |
| 2 | 352.15 |
| 3 | 344.24 |
| 4 | 343.68 |
| 5 | 363.14 |
| 6 से 10 | 1658.78 |
| 10 वर्षों से अधिक | 2304.90 |
| विगत और भावी सेवा संबंधी बिना कटौती के कुल भुगतान | 0.00 |
| विगत सेवा संबंधी कुल अकुशल भुगतान | 5783.87 |
| ब्याज के लिए कम छूट | 2392.26 |
| अनुमानित लाभ की बाध्यता | 3391.61 |

# तालिका 13: प्रकट किए गए मद

## अगले वर्ष की शुद्ध लागत की संभावना को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| वर्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि | 144.00 |
| अगली अवधि में ब्याज लागत | 199.39 |
| योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न | 213.15 |
| अमान्य पिछले सेवा लागत | 0.00 |
| अमान्य बीमांकिक/ इस अवधि के अन्त में लाभ-हानि | 0.00 |
| परिशोधन लागत | 0.00 |
| कटौती लागत | 0.00 |
| अन्य (बीमांकिक लाभ/हानि) | 0.00 |
| लाभ लागत | 130.24 |

# तालिका 14: प्रकट किए गए मद

## शुद्ध देयता के विभाजन को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वर्तमान देयता | 403.87 | 389.90 |
| गैर-वर्तमान देयता | 2987.74 | 2718.07 |
| शुद्ध देयता | 3391.61 | 3107.97 |

### 1.5.4.1.1 ग्रुप ग्रेच्युटी बीमा योजना

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ मिलकर अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी बीमा योजना को अपनाया है और इसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी बीमा योजना नामक इस योजना के प्रबंधन करने के लिए ट्रस्टियों के साथ एक ट्रस्ट डीड बनाई गई है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक एलआईसी के पास इस योजना में शेष राशि निम्नलिखित है:-

[₹ करोड़ में]

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| अवधि/वर्ष के शुरूआत में आरंभिक शेष | 2582.55 | 1997.22 |
| जोड़ें : अवधि/वर्ष के दौरान निवेश | 30.00 | 679.08 |
| जोड़ें : अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज | 185.92 | 194.78 |
| घटाएं : अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा लिया गया शुद्ध प्रीमियम | 17.53 | 29.02 |
| घटाएं : अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा निर्गत ग्रेच्युटि निधि | 360.86 | 259.51 |
| वर्ष के अंत में अंत शेष | 2420.08 | 2582.55 |

### 1.5.4.2 दिनांक 31.03.2020 तक अवकाश नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन (ईएल/एचपीएल)

## तालिका 1: प्रकट किए गए मद

**तालिका में दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य | 573.04 | 536.90 |
| वर्तमान सेवा लागत | 85.37 | 75.16 |
| ब्याज लागत | 27.13 | 36.38 |
| हिस्सेदार का अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| योजना संशोधन अवधि के अंत में निहित भाग (पिछली सेवा) | 0.00 | 0.00 |
| योजना संशोधन अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (पिछली सेवा) | 0.00 | 0.00 |
| वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 46.43 | 6.95 |
| जन सांख्यिकीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| अप्रत्याशित घटना के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 238.28 | 27.86 |
| अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| लाभ का भुगतान | 324.00 | 110.21 |
| अधिग्रहण समायोजन | 0.00 | 0.00 |
| निपटान/दायित्व का स्थानांतरण | 0.00 | 0.00 |
| कटौती लागत | 0.00 | 0.00 |
| निपटान लागत | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यांकन तिथि को दायित्व का वर्तमान मूल्य | 646.25 | 573.04 |

# तालिका 2: प्रकट किए गए मद

## तालिका में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 221.73 | 133.37 |
| ब्याज से आय | 14.63 | 10.07 |
| नियोजन का अंशदान | 105.00 | 185.21 |
| हिस्सेदार का अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| अधिग्रहण / व्यापारिक संयोजन | 0.00 | 0.00 |
| निपटान लागत | 0.00 | 0.00 |
| लाभ का भुगतान | 324.00 | 110.21 |
| परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का असर | 0.00 | 0.00 |
| प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज से आय को छोड़कर योजनागत संपत्ति पर लाभ | (-)7.91 | 3.29 |
| मूल्यांकन अवधि के अंत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 9.45 | 221.73 |

# तालिका 3: प्रकट किए गए मद

## तुलन पत्र के साथ मिलान को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वित्त-पोषण स्थिति | (-)636.80 | (-)351.31 |
| अमान्य पूर्व सेवा लागत | 0.00 | 0.00 |
| इस अवधि के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि | 0.00 | 0.00 |
| मापन दिनांक के नाम नियोजन का अंशदान (अपेक्षित) | 0.00 | 0.00 |
| अप्राप्त अर्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत | 0.00 | 0.00 |
| वित्त-पोषण परिसंपत्ति | 9.45 | 221.73 |
| वित्त-पोषण देयता | 646.25 | 573.04 |

# तालिका 4: प्रकट किए गए मद

## योजना अनुमान को दर्शाती तालिका

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| छूट की दर | 6.60% | 7.55% |
| योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न | लागू नहीं | लागू नहीं |
| क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन परिवर्धन) | अधिकारी के लिए 9.00%<br>कर्मचारी के लिए 6.25% | अधिकारी के लिए 9.00%<br>कर्मचारी के लिए 6.25% |
| पेंशन वृद्धि दर | लागू नहीं | लागू नहीं |

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| औसतन अपेक्षित की भावी सेवा (कार्यकाल की शेष अवधि) | 12,11 | 12 |
| मृत्यु दर तालिका | IALM(2006-08) ULT | IALM(2006-08) ULT |
| पुरुष की सेवानिवृत्ति आयु | 60 | 60 |
| महिलाओं की सेवानिवृत्ति आयु | 60 | 60 |
| समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अक्षमता (सभी कारण संयुक्त) | 0.30% प्रति वर्ष | 0.30% प्रति वर्ष |
| स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति | उपेक्षित | उपेक्षित |

## तालिका 5: प्रकट किए गए मद

### लाभ या हानि के विवरण में मान्य व्यय को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वर्तमान सेवा लागत | 85.37 | 75.16 |
| पिछली सेवा लागत (निहित) | 0.00 | 0.00 |
| पिछली सेवा लागत (गैर-निहित) | 0.00 | 0.00 |
| शुद्ध ब्याज लागत | 12.50 | 26.31 |
| निपटान पर खर्च (नुकसान/(लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| कटौती पर लागत (हानि/(लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| बीमांकिक लाभ/हानि, केवल पिछले साल के लिए लागू है | 292.63 | 31.52 |
| कर्मचारी का अपेक्षित अंशदान | 0.00 | 0.00 |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव | 0.00 | 0.00 |
| लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में मान्य प्राप्त व्यय) | 390.50 | 132.99 |

## तालिका 6: प्रकट किए गए मद

### अन्य व्यापक आय को दर्शाती तालिका (लागू नहीं)

## तालिका 7: प्रकट किए गए मद

### मृत्युदर अवधि को दर्शाती तालिका

| आयु | मृत्यु दर (प्रति वर्ष) |
|---|---|
| 25 | 0.000984 |
| 30 | 0.001056 |
| 35 | 0.001282 |
| 40 | 0.001803 |
| 45 | 0.002874 |
| 50 | 0.004946 |
| 55 | 0.007888 |
| 60 | 0.011534 |
| 65 | 0.0170085 |
| 70 | 0.0258545 |

# तालिका 8: प्रकट किए गए मद

## संवेदनशीलता विश्लेषण को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | 31.03.2020 | |
|---|---|---|
| | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (-/+0.5%) | 620.32 | 674.20 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | (-)4.012% | 4.325% |
| वेतन वृद्धि (-/+0.5%) | 673.80 | 620.44 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | 4.264% | (-)3.994% |
| संघर्षण दर (-/+0.5%) | 647.84 | 644.65 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | 0.247% | (-)0.247% |
| मृत्यु दर (-/+10%) | 649.92 | 642.58 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में बदलाव % में | 0.568% | (-)0.568% |

# तालिका 9: प्रकट किए गए मद

## अनुमानित भावी भुगतान के लाभ संबंधी सूचना को दर्शाती तालिका

| वर्ष | (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 1 | 62.67 |
| 2 | 59.44 |
| 3 | 57.00 |
| 4 | 58.54 |
| 5 | 63.39 |
| 6 से 10 | 298.43 |
| 10 वर्षों से अधिक | 668.94 |
| विगत और भावी सेवा संबंधी बिना कटौती के कुल भुगतान | 0.00 |
| विगत सेवा संबंधी कुल अकुशल भुगतान | 1268.41 |
| ब्याज के लिए कम छूट | 622.16 |
| अनुमानित लाभ की बाध्यता | 646.25 |

# तालिका 10: प्रकट किए गए मद

## शुद्ध देयता के विभाजन को दर्शाती तालिका

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वर्तमान देयता | 60.70 | 58.25 |
| गैर-वर्तमान देयता | 585.55 | 514.79 |
| शुद्ध देयता | 646.25 | 573.04 |

### 1.5.4.2.1 अवकाश नकदीकरण वित्तपोषण

13 नवंबर, 2015 को संपन्न अपनी 322वीं बैठक में कोल इंडिया बोर्ड ने अवकाश नकदीकरण के दायित्व की राशि के वित्तपोषण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और आइआरडीएआइ (IRDAI) के साथ हुए समझौते पर अपना अनुमोदन दे दिया, जिसकी अनुपात 70:30 होगी। आइआरडीएआइ (IRDAI) द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के चयन का काम सीआइएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ठीक इसी समय सभी अनुषंगी कंपनियों को सीआइएल द्वारा यह परामर्श दिया गया कि अवकाश नकदीकरण की राशि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यू ग्रुप लीव इनकैशमेंट योजना को अपनाया जाय। तदनुसार, कंपनी जिस बीसीसीएल कर्मचारी न्यू ग्रुप लीव इनकैशमेंट प्लान में अपना अंशदान दे रही थी उसे एलआईसी के मास्टर प्रोपोजल 'न्यू ग्रुप लीव इनकैशमेंट एक्युम्यलेशन स्कीम (UIN512N282V01) नामक स्कीम द्वारा अंगीकार कर लिया गया। इस कथित योजना के अंतर्गत एलआईसी के पास शेष संचित राशि निम्नलिखित है :

[₹ करोड़ में]

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष | 221.73 | 133.37 |
| जोड़े : वर्ष के दौरान निवेश | 105.00 | 120.00 |
| जोड़े : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज | 7.14 | 14.14 |
| घटाएं : वर्ष के लिए एलआईसी को दिया गया शुद्ध प्रीमियम | 0.42 | 0.78 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा दिया गया अवकाश नकदीकरण निधि | 324.00 | 45.00 |
| वर्ष के अंत में अंत शेष | 9.45 | 221.73 |

### 1.5.4.3 सेवा निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा योजना का वित्तपोषण

01 जनवरी, 2007 से सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के बोर्ड स्तर एवं बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों से संबंधित "सेवा निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा योजना" के लिए पृथक फंड/ट्रस्ट में कार्यालय ज्ञापन सं. सीआईएल/सी-5ए(vi)/005/35/1210 दिनांक 2/7 मई, 2009 के पैरा 13 के अनुसार मूल वेतन एवं दैनिक भत्ता का 4% सेवांत लाभ के बराबर राशि अंशदान जमा की जाएगी। 10.01.2017 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके अधिकारियों के लिए इस लाभ के लिए राशि के प्रबंध हेतु कोल इंडिया बोर्ड ने 18 सितंबर, 2012 को संपन्न अपनी 249 वीं बैठक में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित समेकित केन्द्रीकृत समग्र निधि के सृजन के लिए अपना अनुमोदन दे दिया। "कोल इंडिया एक्जिक्यूटिवस स्कूपरेन्यूएशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट" के लिए ट्रस्ट डीड को कार्यान्वित कर 23 मार्च, 2018 को पंजीकृत कर दिया गया है। ऊपर उल्लिखित बोर्ड के निर्णय के अनुसार 01.01.2017 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके अधिकारियों के संबंध में 31.03.2017 तक के ₹ 92.63 करोड़ रुपये का नेट अंशदान 31.03.2020 को कॉरपस में जमा कर दिया गया है।

### 1.5.4.4 सीआइएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, 2007 का वित्तपोषण

सीआइएल बोर्ड ने दिनांक 06.03.2017 को संपन्न अपनी 337वीं बैठक में सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन, 2007 को लागू करने संबंधी प्रस्ताव की अनुशंसा कर दी और इसे अनुमोदन हेतु कोयला मंत्रालय (MOC), भारत सरकार के पास अग्रेषित करने की सलाह दी। कोयला मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 49016/1/2017 CSR&W दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन, 2007 को लागू करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया।

तदनुसार, 'सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट' का गठन किया गया और दिनांक 18 जुलाई, 2018 को इसका पंजीकरण किया गया है और 'सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2007' को लागू करने के लिए दिनांक 04 जनवरी, 2019 को आयकर विभाग से इस ट्रस्ट फंड को अनुमोदन मिल गया। जनवरी, 2007 से सितंबर, 2017 तक मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के 9.84% की दर से ₹187.44 करोड़ (₹ 6.25 करोड़ की निवल टीडीएस छूट) की राशि तथा अक्टूबर, 2017 से नवंबर, 2019 तक मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के 2.84% की दर से ₹16.20 करोड़ की राशि को 31.03.2020 तक भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट-बीसीसीएल" खाते में जमा किया गया है। इस प्रकार ₹ 209.89 करोड़ की सकल राशि को टिप्पणी -21 में दर्शाए गए प्रावधान के साथ उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है।

इसके अलावा, सीआइएल बोर्ड ने दिनांक 19.12.2019 को आयोजित अपनी 396वीं बैठक में, दिनांक 01.10.2017 से अधिकारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि में नियोक्ता-योगदान के आवंटन को संशोधित किया है, जिसमें कहा गया है कि सीआइएल के अधिकारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि के लिए संशोधित आवंटन, बेसिक एवं

महंगाई भत्ता (डीए) का 6.99% होगा। इस प्रकार, अक्टूबर 2017 से नवंबर 2019 तक 4.15% की दर से ₹ 23.44 करोड़ और दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक 6.99% की दर से ₹ 4.82 करोड़ की अंतर देयता "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट-बीसीसीएल" में जमा की गई है, जिसका रखरखाव दिनांक 31.03.2020 तक भारतीय स्टेट बैंक में किया गया।

इसके अलावा, सीआइएल की सलाह के आधार पर ₹ 3.10 करोड़ की राशि के भुगतान को प्रावधान के एवज में "ट्रांसफर इन ऐंड आउट" मामलों में समायोजित किया गया है।

## 1.6. संबंधित पार्टी प्रकटन (भारतीय एएस-24)

**1.6.1.** एक सरकारी कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी) होने के नाते इस कंपनी का नियंत्रक सरकार और इसके तहत आने वाले अन्य संस्थानों से संबंधित पार्टी के लेनदेन और बकाया राशि आदि के संबंध में सामान्य प्रकटन की बाध्यता से छूट प्राप्त है। हालांकि, उपर्युक्त छूट के बावजूद, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 24 के संदर्भ में आवश्यक है, निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

| संबंधित पार्टी का नाम | शीर्ष प्रभार | पुनर्वास व्यय | आईआईसीएम प्रभार | व्यापार देय | वर्तमान खाते से संबंधित अन्य देन-लेन |
|---|---|---|---|---|---|
| कोयला इंडिया लिमिटेड | 27.73 | 17.26 | 2.89 | 0.00 | 96.56 |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| सीएमपीडीआई लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 0.88 |
| नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |

### 1.6.2. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन के प्रमुख अधिकारियों को भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

[₹ करोड़ में]

| विवरण | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | | अन्य निदेशक एवं कंपनी सचिव | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष |
| **अल्पावधि कर्मचारी लाभ**<br>सकल वेतन | 0.31 | 0.30 | 1.49 | 1.96 | **1.80** | **2.26** |
| कार्य निष्पादन/दक्षता संबंधी वेतन | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | **0.16** | **0.19** |
| अनुलाभ | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0.16 | **0.41** | **0.20** |
| चिकित्सा लाभ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| एलटीसी/एलएलटीसी/लीव नकदीकरण | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.20 | **0.11** | **0.24** |
| **नियोजन उपरांत लाभ**<br>पीएफ और एफपीएफ योगदान | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | **0.17** | **0.15** |
| अवकाश नकदीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | **0.13** | **0.00** |

| विवरण | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | | अन्य निदेशक एवं कंपनी सचिव | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष |
| ग्रेच्युटि | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | **0.20** | **0.00** |
| **अन्य दीर्घकालिक लाभ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **सेवा समाप्ति लाभ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **कुल** | **0.51** | **0.43** | **2.47** | **2.61** | **2.98** | **3.04** |

## 1.6.3. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों को किए गए नाम-वार पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित है : -

[₹ करोड़ में]

| क्र. सं. | प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का नाम | वेतन | अवकाश नकदीकरण | पीएफ और एफपीएफ | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | 0.31 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | **0.51** |
| 2 | श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त) | 0.23 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | **0.33** |
| 3 | श्री के. एस. राजाशेखर, पूर्व निदेशक (वित्त) | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | **0.41** |
| 4 | श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | **0.60** |
| 5 | श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक) | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | **0.53** |
| 6 | श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी) | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | **0.21** |
| 7 | श्री बी. के. पारूई (कंपनी सचिव) | 0.27 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | **0.39** |
| | **कुल** | **1.80** | **0.11** | **0.17** | **0.90** | **2.98** |

## 1.6.4. 31 मार्च, 2020 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के ग्रेच्युटि , ईएल, एचपीएल का बीमांकिक मूल्यांकन निम्नलिखित है :-

[₹ करोड़ में]

| क्र. सं. | केएमपी का नाम | ग्रेच्युटि | | अर्जित अवकाश | | एचपीएल | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.20 | 31.03.19 | 31.03.20 | 31.03.19 | 31.03.20 | 31.03.19 | 31.03.20 | 31.03.19 |
| 1 | श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | **0.18** | **0.00** |
| 2 | श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | **0.00** | **0.39** |
| 3 | श्री के. एस. राजाशेखर, पूर्व निदेशक (वित्त) | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | **0.30** | **0.00** |
| 4 | श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | **0.44** | **0.00** |
| 5 | श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (कार्मिक) | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | **0.35** | **0.31** |
| 6 | श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी) | 0.17 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | **0.39** | **0.00** |
| 7 | श्री बी. के. पारूई (कंपनी सचिव) | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | **0.33** | **0.31** |
| | **कुल** | **0.94** | **0.47** | **0.44** | **0.16** | **0.61** | **0.38** | **1.99** | **1.01** |

1.6.5. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया नाम-वार बैठक शुल्क इस प्रकार है:-

[₹ करोड़में]

| क्र. सं. | स्वतंत्र निदेशकों का नाम | बैठक शुल्क | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
| 1 | श्री अशोक कुमार लोमस | 0.05 | 0.05 |
| 2 | डॉ एच एस यादव | 0.03 | 0.04 |
| 3 | श्री विष्णु प्रसाद दास | 0.05 | 0.04 |
| 4 | श्रीमती क्षमा देवी शंकर राव खोबरागड़े | 0.04 | 0.03 |
| 5 | श्री नरेंद्र सिंह | 0.04 | 0.00 |

## 1.6.6 . 31.03.2020 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों पर बकाया शेष:-

[₹ करोड़में]

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|---|
| i) | देय राशि | शून्य | शून्य |
| ii) | प्राप्ति योग्य राशि | शून्य | शून्य |

## 1.6.7 समान शासन के नियंत्रण में संस्थाएं:-

एक सरकारी कंपनी होने के नाते इस कंपनी को नियंत्रक सरकार और इसके तहत आने वाले अन्य संस्थानों से संबंधित पार्टी के लेनदेन और बकाया राशि आदि के संबंध में सामान्य प्रकटन की बाध्यता से छूट प्राप्त है। समान शासन के नियंत्रण के तहत आने वाले संस्थानों पर आर्म-लेंथ के आधार पर निम्नलिखित लेनदेन दर्ज किया गया है:-

[₹ करोड़में]

| कंपनी का नाम | लेनदेन | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक |
|---|---|---|---|
| एनटीपीसी | कोयले की बिक्री | 1417.09 | 982.59 |
| | देनदार | 574.32 | 227.33 |
| | अग्रिम | 0.00 | 64.58 |

## 1.7 प्रति शेयर आय (भारतीय लेखा मानक-33) लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में/शेयरों की संख्या)

| विवरण | निरंतर परिचालन से लाभ | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष |
| टैक्स के बाद लाभ / (हानि) | 918.68 | 288.77 |
| घटाएं : अधिमानी शेयर धारक को आरोप्य लाभ | 126.95 | 126.95 |
| इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ | 791.73 | 161.82 |
| बकाया इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या | 21740000 | 21180000 |
| रुपए में प्रति शेयर आधारित और मिश्रित आय (अंकित मूल्य ₹ 1000) | 364.18 | 76.40 |

## प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्ति (भारतीय एएस 37)

### 1.8.1 प्रावधान

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान दीर्घावधि/लघु अवधि के प्रावधानों में परिवर्तन/बदलाव का विवरण निम्नानुसार है: -

### 1.8.1.1. निम्नलिखित के लिए गैर-वर्तमान प्रावधान:

[₹ करोड़ में]

| टिप्पणी सं. | प्रावधान | 1 अप्रैल 2019 तक आरंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्रावधान/ जोड़ | वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन | 31 मार्च, 2020 तक अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ग्रेच्युटि | 137.25 | 431.42 | 0.00 | 568.67 |
| 21 | अवकाश नकदीकरण | 293.68 | 282.78 | 0.00 | 576.46 |
| 21 | अन्य कर्मचारी लाभ | 121.51 | 85.75 | 0.00 | 207.26 |
| 21 | भूमि पुनर्स्थापन / खदान बंदी | 473.86 | 49.29 | 98.39 | 424.76 |
| 10 | स्ट्रिपिंग गतिविधि का समायोजन | 402.52 | 323.91 | 351.14 | 375.29 |
| 21 | अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 व 10 | संदिग्ध पूंजी अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य जमा - अन्य गैर गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां | 4.93 | 0.00 | 0.17 | 4.76 |
| 9 व 10 | संदिग्ध जमा और प्राप्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | संदेहास्पद ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (हानि सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पूंजी डब्ल्यूआईपी (हानि सहित) | 44.13 | 2.95 | 0.47 | 46.61 |
| 3 | परिसंपत्तियों की हानि- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | 57.91 | 19.18 | 0.00 | 77.09 |
| | **कुल** | **1535.79** | **1195.28** | **450.17** | **2280.90** |

**1.8.1.2.** कंपनी ने वार्षिक संविदात्मक गुणवत्ता (एसीक्यू) के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए कोयला उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते के रूप में दीर्घकालिक करार किया है। इस ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत एसीक्यू के 90% से ऊपर कोयला आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है और 90% / 80% / 60% से नीचे कोयले की आपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जैसा भी मामला हो। प्रोत्साहन एवं दंड का निर्धारण वार्षिक आधार पर वर्ष के अंत में/उपभोक्तावार किया जाएगा। कंपनी ने लंबे समय के लिए कोई भी यौगिक अनुबंध नहीं किया है।

### 1.8.1.3. निम्नलिखित के लिए वर्तमान प्रावधान

[₹ करोड़ में]

| टिप्पणी सं. | प्रावधान | 1 अप्रैल 2019 तक आरंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्रावधान / जोड़ | वर्ष के दौरान भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन | 31 मार्च, 2020 तक अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ग्रेच्युटि | 388.17 | 14.69 | 0.00 | 402.86 |
| 21 | अवकाश नकदीकरण | 57.63 | 2.71 | 0.00 | 60.34 |
| 21 | अन्य कर्मचारी लाभ | 395.03 | 0.00 | 40.73 | 354.30 |
| 21 | पीआरपी | 120.03 | 73.38 | 31.47 | 161.94 |
| 21 | खदान बंदी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | कोयले की गुणवत्ता में अंतर | 205.17 | 6.67 | 206.60 | 5.24 |

| टिप्पणी सं. | प्रावधान | 1 अप्रैल 2019 तक आरंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्रावधान / जोड़ | वर्ष के दौरान भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन | 31 मार्च, 2020 तक अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | खराब और संदेहास्पद ऋण | 780.09 | 180.80 | 221.23 | 739.66 |
| 12 | माल-सूची- कोयला स्टॉक सूची | 434.74 | 0.00 | 25.65 | 409.09 |
| 12 | माल-सूची- स्टोर एवं पुर्जों की स्टॉक सूची | 57.79 | 2.90 | 0.49 | 60.20 |
| 11 | संदिग्ध अग्रिम, जमा और प्राप्तियां - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 9 | संदिग्ध जमा और दावे- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 4.99 | 0.00 | 0.04 | 4.95 |
| 8 | संदेहास्पद ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **2444.74** | **281.15** | **526.21** | **2199.68** |

### 1.8.2. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (ब्याज सहित, जहां भी लागू हो)

### 1.8.2.1 कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

**क) कानूनी विवादों/मुकदमेबाजी में विवादास्पद वैधानिक बकाया और अन्य दावे निम्नलिखित हैं:**

[₹ करोड़ में]

| विवरण | | विवाद की अनुमानित राशि | |
|---|---|---|---|
| | | **31.03.2020 को** | **31.03.2019 को** |
| केंद्र सरकार | आयकर | 881.07 | 799.63 |
| | बिक्री कर: सीएसटी | 568.18 | 595.43 |
| | केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 107.06 | 105.62 |
| | सेवा कर | 8.72 | 7.93 |
| | **उप-योग** | **1565.03** | **1508.61** |
| राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण | बिक्री कर : वैट | 491.50 | 484.42 |
| | एसजीएसटी | 0.04 | 0.00 |
| | रॉयल्टी | 300.00 | 294.70 |
| | होल्डिंग टैक्स | 252.23 | 252.23 |
| | समान हित वाले मामला के लिए क्षतिपूर्ति | 17344.46 | 17344.46 |
| | विद्युत प्रभार | 19.77 | 13.07 |
| | अन्य सांविधिक बकाया (सेस) | 21.31 | 114.42 |
| | **उप-योग** | **18429.31** | **18503.30** |
| केंद्रीय लोक उपक्रम | | 0.00 | 0.00 |
| | **उप- कुल** | **0.00** | **0.00** |
| अन्य | विवाद के तहत कंपनी के विरूद्ध मुकदमेबाजी | 469.63 | 441.88 |
| | मध्यस्थता संबंधित कार्यवाही | 71.12 | 88.21 |
| | विविध (भूमि) | 58.05 | 58.09 |
| | **उप-योग** | **598.80** | **588.18** |
| | **सकल योग** | **20593.14** | **20600.09** |

**2014 के 114 डब्ल्यू पी (सिविल) में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अर्थदंड समान हित वाला मामला:**

समान हित बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में 2014 के डब्ल्यू पी (सी) नं. 114 के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के फैसले के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 347 परियोजनाओं/खानों/कोलियरियों की कंपनी को रू. 17344.46 रकम की डिमांड नोटिस जारी की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि कोयला का उत्पादन या तो पर्यावरण संबंधी अनुमति, वन संबंधी अनुमति, परिचालन के लिए स्वीकृति के बिना किया गया और बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापन सहमति के किया गया है अथवा इन अनुमतियों के तहत दी गई उत्पादन की अनुमोदित सीमाओं से ज्यादा उत्पादन किया गया है। उपर्युक्त डिमांड नोटिस का अनुपालन अगले आदेश तक मिनरल कंसेशन नियम 1960 के नियम 55(5) जिसे एमएमडीआर की धारा 30 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर स्थगित किया गया है। तदनुसार उक्त रकम को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

| क्र. सं. | विवरण | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **01.04.2019 को आरंभिक शेष** | **1508.61** | **18503.30** | **0.00** | **588.18** | **20600.09** |
| 2. | वर्ष के दौरान वृद्धि | 121.71 | 47.41 | 0.00 | 11.52 | 180.64 |
| 3. | वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे | | | | | |
| | (क) आरंभिक शेष से | 65.29 | 121.40 | 0.00 | 0.90 | 187.59 |
| | (ख) वर्ष के दौरान हुई वृद्धि से | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (क+ख) | 65.29 | 121.40 | 0.00 | 0.90 | 187.59 |
| **4.** | **31.03.2020 को अंतिम शेष** | **1565.03** | **18429.31** | **0.00** | **598.80** | **20593.14** |

ख) कंपनी को यथोचित उम्मीद है कि कंपनी के खिलाफ कानूनी विवादों/मुकदमों में सभी दावों/सूट (अन्य कंपनियों द्वारा दायर मुकदमा सहित) का जब अंततः निष्कर्ष निकलेगा और निर्धारण होगा तो कंपनी के परिचालन के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

ग) क्षेत्रों के कोयला स्टॉक के कमी पर राजस्व से संबंधित कई प्रमाणन मामले, जिला खनन अधिकारी (D.M.O's) के कार्यालय में प्रमाणन अधिकारी के समक्ष लंबित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित जिला खनन अधिकारी को यह निदेश दिया है कि मुद्रास्फीति से हुई कमी, चोरी एवं कोयले उत्पादन की ओवर रिपोर्टिंग आदि के निर्धारण के बाद ही मांगे गये राजस्व की देय राशि को तय करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में, प्रमाणन मामले से संबंधित उक्त राशि को डी.एम.ओ. द्वारा अभी संशोधित/ सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः इस लेखा में इसको उपलब्ध नहीं कराया गया है, किंतु उपर्युक्त में दर्शाए गयी आकस्मिक देयता में यह विचारित है।

घ) कैप्टिव पावर प्लांट की लीज समझौते (पश्चिमी झरिया क्षेत्र) के कारण वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही (2014-15 के लीज रेंट बकाये पर पहली तीमाही के लिए सेवा कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है) से 2015-16 की तीसरी तिमाही (दिनांक 15.12.2016 को संयंत्र कंपनी को सौंप दिया गया) तक ₹ 1.06 करोड़ के सेवा कर की राशि को आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया गया है।

ङ) कंपनी ने धनबाद नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹ 252.23 के डिमांड नोटिस के विरूद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2015 में रिट याचिका सं. WP (T) 3583 दायर की है और चूंकि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसे होल्डिंग टैक्स के मद के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

**च) विवादित प्राप्य / देय खाता डीएलएफ**

मधुबन कोल वाशरी द्वारा डीएलएफ़ को (i) रिजेक्ट तथा (ii) स्टार्टअप/बैक-अप/आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के एवज में डीएलएफ से प्राप्तियां है। इसके अलावा डीएलएफ द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) से मधुबन कोल वाशरी को प्राप्त विद्युत के लिए डीएलएफ को विद्युत ऊर्जा लागत देय है। इस स्तर पर देय/प्राप्य ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया है चूंकि रिजेक्ट की कीमत/गुणवत्ता तथा इस विषय में सीपीपी द्वारा कम गारंटी विवाद होने के कारण मामला न्यायालयाधीन (एक मामला धनबाद न्यायालय में और दूसरा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में) है। तदनुसार, इस स्तर पर शुद्ध बकाया पर देय ब्याज / देय का लेखांकन नहीं किया गया है। हालांकि, 31 मार्च, 2020 तक 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डीएलएफ को शुद्ध देय ब्याज ₹30.12 करोड़ (मार्च, 2019 तक ₹28.40 करोड़) बनती है और यह आकस्मिक देयता में स्वीकृत है।

छ) पूर्ववर्ती 5% गैर-परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों पर नाममात्र का लाभांश देय नहीं था क्योंकि कंपनी संचित घाटे में थी।

### 1.8.2.2. कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी

[₹ करोड़ में]

| विवरण | रकम | |
|---|---|---|
| | As at 31.03.2020 | As at 31.03.2019 |
| वर्तमान परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार के विरूद्ध | 2.33 | 1.45 |

### 1.8.2.3. कंपनी द्वारा जारी साख-पत्र

[₹ करोड़ में]

| विवरण | राशि | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक |
| बैलेंस शीट की तारीख तक बकाया | 3.74 | 16.95 |

## 1.9 प्रतिबद्धता

### 1.9.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

[₹ करोड़ में]

| विवरण | राशि | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक |
| पूंजीगत लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी। | | |
| क) भूमि | 0.00 | 0.00 |
| ख) भवन इमारत | 278.68 | 363.02 |
| ग) संयंत्र और मशीनरी | 473.08 | 1900.87 |
| घ) अन्य | 1285.52 | 25.05 |

### 1.9.2. राजस्व / अन्य प्रतिबद्धताएं

[₹ करोड़ में]

| विवरण | राशि | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 तक | 31.03.2019 तक |
| राजस्व/ अन्य लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी। | | |
| क) भाड़े के एचईएमएम | 12322.64 | 11301.02 |
| ख) कोयला परिवहन | 296.91 | 512.81 |
| ग) अन्य | 61.79 | 112.85 |

## 1.10 ऑपरेटिंग सेगमेंट: (भारतीय एएस 108)

भारतीय लेखा मानक 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के प्रावधानों के संदर्भ में, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान आंतरिक निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है ताकि सेगमेंट को संसाधन आवंटित किए जा सकें और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। भारतीय लेखा मानक 108 के संदर्भ में निदेशक मंडल (बीओडी) कंपनी का प्रधान निर्णायक मंडल है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन क्षेत्र में काम करती है; और अन्य सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए, कंपनी के लिए कोई अन्य ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हैं।

निम्नलिखित ग्राहक के साथ लेनदेन की राशि राजस्व का 10 प्रतिशत या कंपनी के राजस्व से अधिक:-

| ग्राहक क्र. सं. | अवधि के दौरान कोयले की बिक्री की राशि | कुल बिक्री का प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| 1 | 3708.11 | 30.33% |
| 2 | 1417.09 | 11.59% |

## 1.11. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (भारतीय लेखा मानक-115)

**1.11.1** जब प्राप्ति की निश्चितता होती है तो अन्य दावों का हिसाब लगाया जाता है। तदनुसार, भूली टाउन प्रशासन के किरायेदारों से प्राप्त होने वाले हाउस रेंट के उप-न्यायिक मामले में, राजस्व का नकद आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

**1.11.2.** कर प्राधिकरणों से ब्याज के साथ-साथ धनवापसी/समायोजन का हिसाब अंतिम आकलन/ धनवापसी के आधार पर किया जाता है।

**1.11.3.** अंतिम नुकसान के आधार पर तरल क्षति और दंड की वसूली का हिसाब लगाया जाता है।

### 1.11.4 प्रथक (अलग-अलग) राजस्व सूचना:

ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व का निर्धारित अंतर निम्नलिखित है:

[₹ करोड़ में]

| | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **वस्तु या सेवा के प्रकार** | | |
| कोयला | 8967.56 | 9377.68 |
| अन्य | 0.00 | 0.00 |
| **ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय** | **8967.56** | **9377.68** |

| | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| | | |
| **ग्राहकों के प्रकार** | | |
| विद्युत क्षेत्र | 6984.21 | 6764.81 |
| गैर-विद्युत क्षेत्र | 1983.35 | 2612.87 |
| **ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय** | **8967.56** | **9377.68** |
| | | |
| **अनुबंध के प्रकार** | | |
| एफएसए | 6788.58 | 5702.20 |
| ई-नीलामी | 1577.34 | 3113.38 |
| अन्य | 601.64 | 562.10 |
| **ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय** | **8967.56** | **9377.68** |
| | | |
| **वस्तु या सेवा का समय** | | |
| एक ही समय पर माल/सेवा का स्थानांतरण | 8967.56 | 9377.68 |
| **ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय** | **8967.56** | **9377.68** |

## 2. पूंजीगत संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान, सीआइएल (बीसीसीएल का 100% शेयरधारक) द्वारा यथा अनुमोदित, 5% गैर-परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर ₹ 2539.00 करोड़ (भारतीय लेखा मानक के अनुसार उधार शीर्ष के तहत इसके पहले दर्शाया गया) के शेयरों को समतुल्य राशि के बराबर सं. वाले इक्विटी शेयरों (प्रत्येक ₹ 1000.00 के) में बदल दिया गया है।

पूर्ववर्ती 5% गैर-परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों पर नाममात्र का लाभांश देय नहीं था क्योंकि कंपनी संचित घाटे में थी।

## 3. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

### (क) वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया है। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का पक्ष में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियों, और नकद और सीधे अपने परिचालन से प्राप्त होने वाले नकदी समकक्ष को शामिल किया गया हैं।

कंपनी ने बाजार के जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने प्रबंधन को इन जोखिम से अवगत कराया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो वित्तीय जोखिमों पर परामर्श देने के साथ-साथ कंपनी के लिए उचित एवं शासकीय वित्तीय जोखिम से भी अवगत कराती है। यह जोखिम समिति निदेशक मंडल यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित हो रही है और यह वित्तीय जोखिम कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के आलोक में चिह्नित, मूल्यांकित एवं प्रबंध की जा रही है। निदेशक मंडल ने इन प्रत्येक जोखिमों की प्रबंधकीय व्यवस्था की समीक्षा की है और इसपर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसका सारांश निम्नलिखित है।

कंपनी ने बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। इस टिप्पणी में इक्विटी के जोखिम के स्रोतों को परिभाषित किया गया है और यह बताया गया है कि इन जोखिमों का प्रबंध कंपनी द्वारा कैसे किया जाएगा और वित्तीय विवरणी में इस बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव होगा।

| जोखिम | उजागर का स्रोत | मूल्यांकन | प्रबंध |
|---|---|---|---|
| ऋण जोखिम | नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियों, परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन | एजिंग विश्लेषण | सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण |
| तरलता जोखिम | उधारी और अन्य देनदारियां | आवधिक नकद प्रवाह | प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन और उधार लेने की सुविधा की उपलब्धता |
| बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा विनिमय | भविष्य वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और आईएनआर में शामिल नहीं की गई देनदारियों | नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण | वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से घड़ी और समीक्षा। |
| बाजार जोखिम ब्याज दर | नकद और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड | नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण | सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा। |

ख) कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश कवर करने वाली पालिसियों के लिए लिखित सिद्धांतों को उपलब्ध कराती है।

**I. ऋण जोखिम: :**

ऋण जोखिम नकद और नकदी समकक्ष, परिशोधित लागत और बैंकों और वित्तीय संस्थानों साथ-साथ बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न होती है।

**ऋण जोखिम प्रबंधन**

समष्टि- आर्थिक सूचना (जैसे विनियामक प्रभार) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। .

**ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए):**

जैसा कि एनसीडीपी (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के ग्राहकों के साथ कानूनी रूप से उचित वितरण व्यवस्था बनाने के लिए ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया है। हमारे ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत उपयोगी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (PPUs) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) से ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया गया है।
- गैर-विद्युत उद्योगों के उपभोक्ताओं (कैप्टिव पॉवर प्लांट CPPs)) के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs), और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs)

**ई-नीलामी योजना:**

इस कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत ग्राहकों तक सरल तरीके से कोयला पहुंचाने के लिए की गई है, जो पहले विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कोयला की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन होता था, उनकी कोयले की आवश्यकता मौसम की वजह से प्रभावित होती थी और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया गया था। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

**अपेक्षित क्रेडिट हानि:**

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध / खराब क्रेडिट संपत्ति के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि उपलब्ध कराती है।

**सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख की हानि:**

**31.03.2020 तक**

(₹ करोड़ में)

| काल अवधि | 2 महीने के लिए बकाया | 6 महीने के लिए बकाया | 1 वर्ष के लिए बकाया | 2 वर्ष के लिए बकाया | 3 वर्ष के लिए बकाया | 3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल वहन राशि | 1924.90 | 326.74 | 8.94 | 77.00 | 324.42 | 492.38 | 3154.38 |
| अनुमानित क्षति दर | 0.47% | 9.50% | 51.90% | 81.08% | 76.27% | 78.21% | 23.45% |
| अपेक्षित क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) | 9.04 | 31.04 | 4.64 | 62.44 | 247.44 | 385.06 | 739.66 |

**31.03.2019 तक**

(₹ करोड़ में)

| काल अवधि | 2 महीने के लिए बकाया | 6 महीने के लिए बकाया | 1 वर्ष के लिए बकाया | 2 वर्ष के लिए बकाया | 3 वर्ष के लिए बकाया | 3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल वहन राशि | 450.82 | 126.12 | 5.56 | 318.85 | 286.96 | 205.50 | 1393.81 |
| अनुमानित क्षति दर | 8.52% | 100.00% | 98.92% | 77.60% | 89.92% | 50.89% | 55.97% |
| उम्मीद की क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) | 38.41 | 126.12 | 5.50 | 247.44 | 258.04 | 104.58 | 780.09 |

**हानि भत्ता प्रावधान का मिलान- व्यापार प्राप्य**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| सकल वहन राशि | 3154.38 | 1393.81 |
| अनुमानित क्षति दर | 23.45% | 55.97% |
| अनुमानित क्रेडिट हानि भत्ता | 739.66 | 780.09 |

**महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि :**

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

**II. तरलता जोखिम**

विवेक पूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त राशि की उपलब्धता। अंतर्निहित कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी द्वारा राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट के तहत उपलब्धता बनाए रखने में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी के तरलता की स्थिति (आहरित नहीं की गई निम्नलिखित उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकद और नकदी समकक्ष पर नज़र रखता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति एवं सीमा के अनुसार कंपनी को स्थानीय स्तर पर संचालित करने वाले समूहों में किया जाता है।

**i. वित्तीय व्यवस्था**

कंपनी के पास समीक्षाधीन अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित नहीं की गई उधार सुविधाएं उपलब्ध है:

(₹ करोड़ में)

| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही है (ओवरड्राफ्ट सुविधाएं) | 44.19 | 279.00 |
| एक वर्ष से परे समाप्त हो रही है (बैंक ऋण) | 0.00 | 0.00 |

**ii. एक वर्ष से परे समाप्त हो रही है (बैंक ऋण)**

संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण निम्नलिखित है।

तालिका में प्रकटित राशि संविदात्मक गैर-मूल्यांकित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण 12 महीने के अंदर जमा शेष पिछले शेष के बराबर है।

(₹ करोड़ में)

| **31.03.2020 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं** | **3 माह से कम** | **3 माह से 6 माह तक** | **6 माह से 1 वर्ष तक** | **1 वर्ष से 2 वर्ष तक** | **2 वर्ष से 5 वर्ष तक** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उधारी | 583.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.07 |
| वित्तीय पट्टा के तहत दायित्व | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| व्यापार देनदारियां | 1635.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1635.45 |
| अन्य वित्तीय देनदारियां | 583.68 | 91.61 | 73.80 | 53.87 | 57.17 | 860.13 |
| **कुल** | **2802.20** | **91.61** | **73.8** | **53.87** | **57.17** | **3078.65** |
| **31.03.2019 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं** | **3 माह से कम** | **3 माह से 6 माह तक** | **6 माह से 1 वर्ष तक** | **1 वर्ष से 2 वर्ष तक** | **2 वर्ष से 5 वर्ष तक** | **कुल** |
| उधारी | 0.00 | 0.00 | 2350.92 | 0.00 | 0.00 | 2350.92 |
| वित्त पट्टा के तहत दायित्व | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| व्यापार देनदारियां | 1666.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1666.59 |
| अन्य वित्तीय देनदारियों | 554.95 | 111.71 | 62.01 | 28.43 | 98.59 | 855.69 |
| **कुल** | **2221.54** | **111.71** | **2412.93** | **28.43** | **98.59** | **4873.20** |

**III. बाजार जोखिम**

**क) विदेशी मुद्रा जोखिम**

कंपनी विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से प्रभावित हो सकती है। विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम नगण्य माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और इसके जोखिम पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है। कंपनी के एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाने की स्थिति में कार्यान्वित किया जाता है।

**ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम**

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा में ब्याज दर के बदलाव से होता है, जिसे कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम में प्रकट किया गया है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा को स्थिर दर पर बनाए रखना है।.

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग कर इस जोखिम का प्रबंधन करती है।

### 3.2 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के एक सरकारी संस्था होने के नाते वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

| ववरिण | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 4657.00 | 2118.00 |
| अधमिान शेयर पूंजी का इक्विटी भाग | 0.00 | 1057.52 |
| अधमिान शेयर पूंजी का ऋण भाग | 0.00 | 1481.48 |

### 3.3 उचित मूल्यांकन (भारतीय लेखा मानक 113)

#### (क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन/दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

| | 31 मार्च, 2020 | | | 31 मार्च, 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | परिशोधित लागत | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | परिशोधित लागत |
| वित्तीय संपत्ति | | | | | | |
| निवेश : | | | | | | |
| सुरक्षित बांड | | | | | | |
| अनुषंगी कंपनी में अधिमान शेयर | | | | | | |
| म्युचुअल फंड | 4.00 | | | 26.40 | | |
| ऋण | | | 0.07 | | | 0.15 |
| जमा एवं प्राप्य | | | 1107.56 | | | 802.59 |
| कारोबारी प्राप्य | | | 2414.72 | | | 613.72 |
| नकद और नकद समतुल्य | | | 34.30 | | | 86.49 |
| अन्य बैंक शेष | | | 1423.31 | | | 2015.02 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| उधारी | | | 583.07 | | | 2350.92 |
| व्यापार देनदारियां | | | 1635.45 | | | 1666.59 |
| प्रतिभूति जमा और बयाना राशि | | | 300.87 | | | 353.00 |
| अन्य देनदारियां | | | 559.26 | | | 502.69 |

#### (ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय साधनों में निर्धारित निर्णय और अनुमानों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं (क) उचित मूल्य पर मान्यता एवं मूल्यांकन (ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकन और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए कंपनी अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक स्तर की एक व्याख्या तालिका में निम्नलिखित है।

(₹ करोड़ में)

| उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियां- आवर्ती उचित मूल्य का मूल्यांकन | 31 मार्च, 2020 | | | 31 मार्च, 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्तर I | द्वितीय II | स्तर III | स्तर I | स्तर II | स्तर III |
| एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | | |
| निवेश | | | | | | |
| म्युचुअल फंड | 4.00 | | | 26.40 | | |
| | | | | | | |
| वित्तीय देनदारियां | | | | | | |
| अगर कोई मद हैं तो | | | | | | |

(₹ करोड़ में)

| परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं | 31, मार्च 2020 | | | 31, मार्च वर्ष 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्तर I | द्वितीय II | स्तर III | स्तर I | स्तर II | स्तर III |
| एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | | |
| निवेश | | | | | | |
| जेवी में इक्विटी शेयरों | | | | | | |
| म्युचुअल फंड | | | | | | |
| ऋण | | | 0.07 | | | 0.15 |
| जमा और प्राप्य | | | 1107.56 | | | 802.59 |
| प्राप्य योग्य व्यापार | | | 2414.72 | | | 613.72 |
| नकद और नकदी समकक्ष | | | 34.30 | | | 86.49 |
| अन्य बैंक शेष | | | 1423.31 | | | 2015.02 |
| वित्तीय देनदारियां | | | | | | |
| उधारी | | | 583.07 | | | 2350.92 |
| व्यापार देनदारियां | | | 1635.45 | | | 1666.59 |
| सुरक्षा जमा और बयाना पैसा | | | 300.87 | | | 353.00 |
| अन्य देनदारियां | | | 559.26 | | | 502.69 |

**स्तर 1:** स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत मूल्यों से प्राप्त मूल्यांकित वित्तीय साधनों को भी शामिल किया है। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है, जिसमें उद्धृत मूल्य और समापन एनएवी का उपयोग कर इसके मूल्य को जाना जाता है।

**स्तर 2:** वित्तीय साधनों के उचित मूल्य कि एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं मूल्यांकन तकनीक जो नमूदार बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करने और इकाई विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करते हैं, का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण उचित मूल्य के लिए सभी प्रविष्टियां आवश्यक है तो एक साधन देखा जाता हैं, यह साधन स्तर 2 में शामिल है।

**स्तर 3:** यदि एक या इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो यह साधन स्तर 3 में शामिल है। यह मामला गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के स्तर 3 में शामिल है।

**टिप्पणी:** उचित मूल्यांकन अनुक्रम के स्तर में परिवर्तन होने के मामले में इसका प्रकटन किया जाता है।

**(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग**

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण में इस्तेमाल होने वाले मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपकरणों की उद्धृत बाजार की कीमतों का उपयोग
- शेष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग कर किया जाता है।

**(घ)** उचित मूल्य का मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किया जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किसी भी उचित मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया हैं।

**(ड़) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य का मूल्यांकन**

व्यापार प्राप्तियां, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार देय के अल्पकालिक प्रकृति के कारण इन्हें इनके उचित मूल्यों के बराबर ही माना जाता है।

कंपनी यह मानती है कि "प्रतिभूति जमा" में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। यह महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप होगा और संविदा हेतु आवश्यक रकम का प्रतिधारण वित्तीय प्रावधानों अतिरिक्त कारणों के लिए होगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना, कंपनी के हित के लिए अपेक्षित है, ताकि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल रहने वाले ठेकेदार से निपटा जा सके। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की ट्रांजेक्शन लागत को आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में विचार किया जाता है और उसके बाद परिशोधित लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

**महत्वपूर्ण अनुमान:** किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारित मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया जाता है। किसी विधि का चयन करने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएं बनाने के लिए कंपनी अपने निर्णय का उपयोग करती है।

## 4. वैधानिक जानकारी

### 4.1 कच्चे माल की कुल खपत (टिप्पणी 12)

[₹ करोड़ में]

| विवरण | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष | | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | रकम | उपभोग का कुल% | रकम | उपभोग का कुल% |
| 1. वर्ष के दौरान वाशरियों में कच्चे कोयले की खपत | | | | |
| आयातित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| स्वदेशी | 509.40 | 100.00 | 491.93 | 100.00 |

### 4.2 कच्चे माल की कुल खपत (टिप्पणी 12)

(₹ करोड़ एवं मात्रा मीट्रिक टन में)

| | 31.03. 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.03. 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| आरंभिक स्टॉक | 9.13 | 1144.57 | 11.43 | 1448.44 |
| आरंभिक स्टॉक में समायोजन | 0.00 | 0.00 | (0.00) | 0.03 |
| उत्पादन | 29.27 | 9427.46 | 32.61 | 9601.89 |
| बिक्री | 28.66 | 8967.56 | 33.15 | 9377.68 |
| खुद की खपत | 0.19 | 55.48 | 0.03 | 11.26 |
| वाशरी कोयला के लिए प्रयुक्त कोयला | 1.54 | 509.40 | 1.58 | 491.93 |
| (कमी) / अधिशेष | 0.00 | 0.00 | (0.15) | (24.92) |
| अंतिम बचा हुआ माल | 8.01 | 1039.59 | 9.13 | 1144.57 |

## 4.3 निदेशकों का पारिश्रमिक, अग्रिम एवं सदस्यता

### 4.3.1 निदेशकों का पारिश्रमिक

[₹ करोड़ में]

| विवरण | 31.03. 2020 को समाप्त वर्ष में | 31.03. 2019 को समाप्त में |
|---|---|---|
| वेतन | 1.60 | 1.92 |
| उपदान | 0.20 | 0.00 |
| भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान | 0.15 | 0.13 |
| बैठक शुल्क (अंशकालिक निदेशक) | 0.21 | 0.16 |

हालांकि इसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कंपनी अस्पताल, आदि में प्रदान की मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसे अनुलाभ शामिल नहीं है।

### 4.3.2 नदिशकों को कयि गए अग्रमि भुगतान का वविरण

[₹ करोड़ में]

| विवरण | 31.03. 2020 को समाप्त वर्ष में | 31.03. 2019 को समाप्त वर्ष में |
|---|---|---|
| क. तुलन पत्र की तिथि तक निदेशकों के पास बकाया राशि | 0.00 | 0.00 |
| ख. अवधि / वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों के पास अग्रिम की अधिकतम राशि | 0.00 | 0.00 |

### 4.3.3 निदेशकों के लिए क्लब सदस्यता

[₹ करोड़ में]

| विवरण | 31.03. 2020 को समाप्त वर्ष में | 31.03. 2019 को समाप्त वर्ष में |
|---|---|---|
| क्लब के लिए सदस्यता | 0.00 | 0.00 |

## 5. विविध

### 5.1 कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य प्रतिभूतियां

कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों आदि से प्राप्त निधि आधारित निम्नलिखित सुरक्षा प्रतिभूति जमा है। जिसके लिए लेखांकन नहीं किया गया है।

| क्र. सं. | प्रतिभूति की प्रकृति | राशि (` करोड़ में) | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
| 1 | बैंक गारंटी | 1279.60 | 1017.18 |
| 2 | साख पत्र | 14.00 | 14.00 |
| 3 | एनएससी | 0.15 | 0.15 |
| 4 | एफडीआर/टीडीआर | 1.52 | 1.45 |

### 5.2 कंपनी द्वारा न्यायालय में दायर दावे

कंपनी (बीसीसीएल, कोलकाता कार्यालय) ने मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता के विरूद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक व्यावहारिक मुकदमा (2013 का जीए नंबर 2797/ 2013 का सी.एस. नं. 11) दायर किया गया है, जो इस बात के लिए है कि (i) यह कंपनी यह घोषित करे कि वह अपने वर्तमान कार्यालय परिसर 6, लियोन्स रेंज, कोलकाता 700001., कोलकाता की कानूनी मालिक है (ii) यह घोषित करें कि मकान मालिक के रूप में और इसमें रहने वाले पट्टेधारियों की बीच कोई संबंध नहीं है और (iii) कंपनी पहले ही न्यायिक आदेद्गा पर किराए आदि के रूप में ब्याज सहित ₹ 187.74 करोड़ का भुगतान मैसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता को कर चुकी है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (भुगतान कार्यालय, मुखयालय) का ₹ 0.04 करोड़ की राशि के दावे से संबंधित कुछ और मामला न्यायालय में लंबित है।

### 5.3 तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र का बकाया शेष

पीबी एरिया के अंकेक्षित खातों में प्रदर्शित तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की देनदारियां परीक्षण/ जांच के अधीन हैं। इसी तरह, तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र के अग्रिम, जमा और दावे इत्यादि भी सत्यापन/ जांच के अधीन है। परीक्षा/ जांच / सत्यापन / संवीक्षा के परिणाम के आधार पर, देनदारियों का प्रतिलेखन या भुगतान कर दिया जाएगा और उसी तरह अग्रिम आदि को समायोजित कर दिया जाएगा या बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

### 5.4 पी. बी. क्षेत्र में विलय किए गए तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा और आश्वासन प्रबंधन, कोयला खदानों की परिसंपतियों की भौतिक सत्यापन का काम को उस पर दिए गए के अवलोकन को देखते हुए पी. बी. क्षेत्र में विलय की गई तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की कोलियरी/ इकाइयों और उसके संपत्ति रजिस्टर / संयंत्र कार्ड आदि का मिलान करने के लिए इस काम को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को सौंपा गया था। इस फर्म ने अपने भौतिक सत्यापन के आधार पर यह जानकारी दी है कि सकल ब्लॉक को बढ़ाकर ₹ 9.63 करोड़ बताया गया है और विलय की तारीख को मूल्यह्रास प्रावधान के लिए खातें में ₹ 16.06 करोड़ दिखाया गया है। लेकिन इस फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि इस सूचित सीमा के तहत वर्तमान परिसंपत्तियों (प्राप्त) के भौतिक शुद्ध मूल्य की मुद्रस्फीति हुई है, यहां पर कोई विकल्प नहीं है, किंतु सकल मूल्य, मूल्यह्रास एवं लेखा में उसी रूप में दर्शाया गया शुद्ध मूल्य के अंकेक्षित आंकड़ों पर विचार करने के लिए इन्हें वास्तविक परिसंपत्तियों के रूप में ही दर्शाया गया है। प्रबंधन ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

### 5.5 पर्बतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान का अधिग्रहण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को पर्बतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान (बोकारो) का आवंटन दिनांक 31.03.2015 को रद्द कर दिया गया और इसके बाद कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी डीओ संख्या 13016/36/2015-सीए-III दिनांक 31.03.2015) के प्रावधानों के संदर्भ में तथाकथित खदान नामित अभिरक्षक यानी 'अध्यक्ष, कोल इंडिया' को सौंप दी गई। अध्यक्ष, सीआईएल ने सीआईएल की ओर से कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को अधिकृत किया (सीआईएल/सीएच/सीयूएसटीओडीआाइएएन/ 27/1608, दिनांक 31.03.2015) है। तदनुसार, पर्बतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान को बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है (कंपनी सचिव, बीसीसीएल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या बीसीसीएलःसीएसःएफ-17 (ए), दिनांक 03/04/2015)।

अब, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन No.13016 / 77/2015-CA-III दिनांक 06.10.2015 के माध्यम से पर्बतपुर (केन्द्रीय) कोयले की खान को मेसर्स सेल को आवंटित कर दिया गया है और मनोनीत अभिरक्षक यानी सीआइएल के अध्यक्ष को यह परामर्श दी गई थी कि वे इसे सेल को सौंप दें। तदनुसार जैसा कि पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अपने पत्र सं बीसीसीएल/जीएम/ईजेए2016/1429 दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से पुष्टि की है। इसे सेल को सौंप दिया गया है, जिसके साथ हैंडओवर एवं टेकओवर की रिपोर्ट भी संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने इस दौरान एक अभिरक्षक होने के नाते इस खदान के रखरखाव पर अब तक 28.07.2016 तक ₹ 5.08 करोड़ (पावर बिल ₹ 4.04 करोड़, मरम्मत और रखरखाव और अन्य पर ₹ 1.04 करोड़) खर्च कर चुकी है, जिसे लेखा में 'प्राप्य योग्य' के रूप में लिखा गया है। इस रकम को आवंटन प्राप्त करने वाली कंपनी यानी सेल से वसूल किया जाना है।

### 5.6 मार्च, 2011 से फरवरी, 2013 के दौरान राजस्व एवं सेस पर उत्पादन शुल्क

कंपनी ने पूर्व में राजस्व और एसईडी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था लेकिन सीआईएल की सलाह पर, कंपनी ने इस मद में 01.03.2011 से 28.02.2013 तक की अवधि के दौरान ₹ 73.99 करोड़ का भुगतान किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को राजस्व एवं एसईडी पर उत्पाद शुल्क के नियमिल बिल के अलावा पिछले अवधि के लिए ₹ 78.27 करोड़ की राशि का अनुपूरक बिल अलग से भेजा गया है। कंपनी ने अबतक (31.03.2020 तक) इस अनुपूरक बिल के एवज में ₹ 73.21 करोड़ की वसूली कर ली है और शेष ₹ 5.06 करोड़ की बकाया राशि की वसूली अभी तक नहीं हुई है। इस बकाया राशि में से अधिकांश ई-ऑक्शन उपभोक्ताओं से संबंधित है, इनमें से 17 उपभोक्ताओं ने कंपनी के इस मांग के विरूद्ध ₹ 0.35 करोड़ की राशि को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की है। ₹ 5.06 करोड़ की राशि के सामने, 31.03.2020 को ₹ 4.95 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

## 5.7 पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर संयंत्र

दिनांक 18 मार्च, 2010 को हुए पट्टे समझौते के अनुसार ₹ 6.60 करोड़/प्रतिवर्ष (कर सहित) की दर से पट्टेदार मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राइवेट लि. से पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए पट्टा किराया वसूली जाने वाली थी। यह पट्टा 20 वर्षों के लिए मान्य था, किंतु पट्टेधारी ने टैरिफ मूल्य आदि और इस पावर प्लांट के परिचालन को बंद करने के साथ-साथ पट्टे के किराए संबंधी विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाचक के निर्णय के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर, 2015 को यह प्लांट कंपनी को सौंप दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में, बकाया लीज रेंट वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 6.60 करोड़ और वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 4.67 करोड़ (15 दिसंबर, 2015) का लेखांकन नहीं किया गया।

## 5.8 मास्टर प्लान के तहत निधि

कंपनी को आग से निपटने और कंपनी पट्टाधृत कोयला धारित क्षेत्र/आग प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बने मास्टर प्लान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से निधि प्राप्त होती है। यह कंपनी आग से निपटने और कंपनी के आवासों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) बीसीसीएल आवासों में नहीं रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें बीसीसीएल एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी होने के नाते प्राप्त निधि को जेआरडीए को अग्रिम रूप में दे दिया जाता है और इस अग्रिम (टिप्पणी -11 में अन्य अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है) के साथ-साथ संबंधित निधि को जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरण के आधार पर समायोजित किया गया है। वर्तमान में जेआरडीए को 31 मार्च, 2020 तक ₹ 262.57 करोड़ (31 मार्च 2019 को ₹ 262.57 करोड़) की राशि अग्रिम दी गई है और समायोजन के लिए जेआरडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षाधीन है।

**31 मार्च, 2020 को मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि की स्थिति निम्नलिखित है:**

[₹ करोड़ म]

| विवरण | 31.03.2020 को | 31.03.2019 को |
|---|---|---|
| वर्ष/अवधि के आरंभ में मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष | 326.05 | 173.10 |
| अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि | 15.44 | 241.29 |
| अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन | 28.32 | 88.34 |
| अप्रयुक्त निधि का अंत शेष | 313.17 | 326.05 |

## 5.9 बीमा और वृद्धि दावा

प्रवेश/अंतिम विवरण के आधार पर बीमा और वृद्धि दावा का लेखांकन किया गया हैं।

## 5.10 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपतियां और गैर मौजूदा निवेश के अलावा अन्य परिसंपतियां सामान्य रूप से व्यवसाय में वसूली मूल्य हैं, जो कम से कम उस राशि के बराबर है, जिसमें वह वर्णित है।

## 5.11 वर्तमान देयताएं

जहां वास्तविक दायित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है वहां अनुमानित दायित्व दी गई है।

## 5.12 कोविड -19 (COVID-19)

कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों की उल्लेखनीय व्यवधान और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने कारोबारी संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, वित्तीय परिणामों

पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। हालांकि, कंपनी व्यापार प्राप्तियों से वसूली में कमी के कारण तरलता की कमी का सामना कर रही है, लेकिन बैंक वित्तपोषण से व्यापार के संचालन को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और इसके व्यवसाय पर प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

## 5.13 बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन

आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किये गए जांच के अनुसार पुराने / अनलिंक्ड / स्थिर / बिना दावे के / गैर-वसूली देयताओं / अग्रिम आदि के लिए निम्नलिखित प्रितिलेखन / बट्टे खाते में डालने को 'नॉट पेयबल' / 'नॉट रियलाइजबल' के रूप में दर्शाया गया है और प्रोग्रेसिव माइंस क्लोजर व्यय के विरुद्ध प्रतिवर्ती को चालू वर्ष के वित्तीय विवरणियों में विचारित किया गया है। इसे बीसीसीएल बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

[₹ करोड़ म]

| क्र. सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखन की गयी राशि (वर्तमान वर्ष) | | बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखन की गयी राशि (गत वर्ष) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रतिलेखन:<br>(क) देयताओं/प्रावधान<br>(ख) प्रगतिशील एमसी व्यय | 25 | 259.92<br>0.00 | 259.92 | 18.68<br>120.53 | 139.21 |
| 2 | बट्टे खाते :<br>(क) संदिग्ध अग्रिम<br>(ख) अन्य | 34 | 1.26<br>0.00 | 1.26 | 0.89<br>0.00 | 0.89 |
| 3 | संबंधित प्रावधान का प्रतिलेखन:<br>(क) संदिग्ध अग्रिम<br>(ख) अन्य | 34 | 0.19<br>0.00 | 0.19 | 0.04<br>0.00 | 0.04 |
| | लाभप्रदता पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव | | | 258.85 | | 138.36 |

## 5.14 तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण के सामने दर्शाए गए संबंधित टिप्पणी में निम्नलिखित प्रकटन किया गया है:-

| | विषय | टिप्पणी सं. |
|---|---|---|
| 1. | संपत्ति संयंत्र उपकरण | टिप्पणी 3 |
| 2. | चालू पूंजीगत कार्य | टिप्पणी -4 |
| 3. | अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां | टिप्पणी -5 |
| 4. | निवेश | टिप्पणी -7 |
| 5. | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | टिप्पणी -9 |
| 6. | वस्तुसूची (इन्वेंटरी) | टिप्पणी -12 तालिका - क |
| 7. | कारोबारी प्राप्य | टिप्पणी -13 |
| 8. | नकद एवं नकद समकक्ष | टिप्पणी -14 |
| 9. | अन्य बैंक जमाशेष | टिप्पणी -15 |
| 10. | इक्विटी शेयर पूंजी | टिप्पणी -16 |
| 11. | अन्य इक्विटी | टिप्पणी -17 |
| 12. | उधारी | टिप्पणी -18 |
| 13. | कारोबार देनदारियां | टिप्पणी -19 |

| विषय | | टिप्पणी सं. |
|---|---|---|
| 14. | प्रावधान | टिप्पणी -21 |
| 15. | अन्य गैर वर्तमान देयताएं | टिप्पणी -22 |
| 16. | अन्य वर्तमान देनदारियां | टिप्पणी -23 |
| 17. | परिचालन से राजस्व | टिप्पणी -24 |
| 18. | सीएसआर व्यय | टिप्पणी -29 |
| 19. | टैक्स व्यय | टिप्पणी -36 |

## 6. अन्य

### 6.1 बकाया शेष पुष्टीकरण

शेष राशि पुष्टि/पुनर्मिलान नकदी और बैंक की शेष राशि, व्यापार प्राप्तियों और कुछ ऋण एवं अग्रिमों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देयताओं की शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखा जाता है।

### 6.2 पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां निम्नानुसार पुनः समूहीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है :

| मद का विवरण | पुरानी टिप्पणी संख्या | पुनः समूहीकृत टिप्पणी संख्या | राशि [₹ करोड़ में] |
|---|---|---|---|
| उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा | 10 | 9 | 11.97 |
| स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन | 21 | 10 | 402.52 |
| एनसीडब्ल्यूए-X और अधिकारी वेतन संशोधन | 21 | 19 | 79.52 |
| अन्य देनदारियां | 23 | 19 | 281.23 |

6.3 टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कॉरपोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को दर्शाता है। टिप्पणी सं. 3 से 23, 31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का हिस्सा है और टिप्पणी सं. 24 से 37, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ-हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियों का दर्शाता है।.

**हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E**

**(सीए बी. के. विश्वास)**
**साझीदार**
**एम. संख्या - 055623**

**दिनांक: 08.06.2020**
**स्थान: धनबाद**

**बोर्ड की ओर से**

**(पी. एम. प्रसाद)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**
**डीआईएन- 08073913**

**(समीरन दत्ता)**
**निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ**
**डीआईएन- 08519303**

**(बी. के. बसाक)**
**महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)**

**(बी. के. पारूई)**
**कंपनी सचिव**

# भारत कोकगि कोल लमिटिड

**(एक मिनीरत्न कंपनी)**

**सीआईएन:U10101972GOI000918**

**सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का नियम 33**

**31.03.2020 को समाप्त तिमाही और / वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अनअंकेक्षित परिणाम का विवरण**

(शेयरों और ईपीएस को छोड़कर ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | तिमाही की समाप्ति पर | | | वर्ष की समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 अनअंकेक्षित | 31.12.2019 अनअंकेक्षित | 31.03.2019 अनअंकेक्षित | 31.03.2020 अनअंकेक्षित | 31.03.2019 अनअंकेक्षित |
| 1 | **परिचालन से राजस्व:** | | | | | |
| | (क) बिक्री (वैधानिक शुल्क के बाद) | 2,462.88 | 2,167.62 | 2,891.46 | 8,967.56 | 9,377.68 |
| | (ख) अन्य परिचालन राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) | 121.25 | 104.15 | 145.96 | 458.45 | 497.20 |
| | **परिचालन से राजस्व (क + ख)** | **2,584.13** | **2,271.77** | **3,037.42** | **9,426.01** | **9,874.88** |
| 2 | **अन्य आय** | 168.29 | 74.18 | 185.09 | 544.99 | 372.88 |
| 3 | **कुल आय (1 + 2)** | **2,752.42** | **2,345.95** | **3,222.51** | **9,971.00** | **10,247.76** |
| 4 | **व्यय:** | | | | | |
| | (क) खपत सामग्री की लागत | 122.15 | 95.62 | 142.17 | 397.15 | 517.78 |
| | (ख) तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन | (121.92) | (38.16) | (114.44) | 79.48 | 258.35 |
| | (ग) कर्मचारी लाभ व्यय | 1,574.31 | 1,416.15 | 1,652.51 | 5,761.35 | 5,866.95 |
| | (घ) विद्युत व्यय | 48.49 | 64.72 | 63.24 | 233.72 | 232.18 |
| | (ङ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय | 4.79 | 0.15 | 1.03 | 6.01 | 1.43 |
| | (च) मरम्मत | 80.23 | 44.31 | 78.52 | 201.49 | 224.49 |
| | (छ) संविदात्मक व्यय | 394.64 | 247.78 | 361.42 | 1,211.50 | 1,312.57 |
| | (ज) वित्त लागत | 61.58 | 55.49 | 49.60 | 221.83 | 200.66 |
| | (झ) मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि | 38.14 | 49.13 | 58.10 | 197.53 | 248.52 |
| | (ञ) प्रावधान | (48.99) | 18.39 | (4.09) | (35.11) | 38.92 |
| | (ट) बट्टे खाते | 0.19 | - | 0.85 | 1.07 | 0.85 |
| | (ठ) स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट | 39.04 | (8.12) | 85.95 | 49.72 | 100.64 |
| | (ड) अन्य व्यय | 170.04 | 155.14 | 171.04 | 654.14 | 687.37 |
| | **कुल व्यय (क से ड)** | **2,362.69** | **2,100.60** | **2,545.90** | **8,979.88** | **9,690.71** |
| 5 | **कर से पहले लाभ (हानि) (3-4)** | **389.73** | **245.35** | **676.61** | **991.12** | **557.05** |
| 6 | कर व्यय | 100.46 | 87.36 | 108.21 | 72.44 | 268.28 |
| 7 | **अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (5-6)** | **289.27** | **157.99** | **568.40** | **918.68** | **288.77** |
| 8 | **अन्य व्यापक आमदनी** | | | | | |
| | (i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | (64.65) | (74.43) | (2.67) | (308.64) | 134.85 |
| | (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे | (20.61) | (23.09) | (42.91) | (96.30) | - |
| | **कुल अन्य व्यापक आय (i-ii)** | **(44.04)** | **(51.34)** | **40.24** | **(212.34)** | **134.85** |

| क्र. सं. | विवरण | तिमाही की समाप्ति पर | | | वर्ष की समाप्ति पर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2020 अनअंकेक्षित | 31.12.2019 अनअंकेक्षित | 31.03.2019 अनअंकेक्षित | 31.03.2020 अनअंकेक्षित | 31.03.2019 अनअंकेक्षित |
| 9 | **कुल व्यापक आय / (हानि) (7 + 8)** | **245.23** | **106.65** | **608.64** | **706.34** | **423.62** |
| 10 | **प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000 / - प्रत्येक)** | **4,657.00** | **2,118.00** | **2,118.00** | **4,657.00** | **2,118.00** |
| 11 | **प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹1000 / - प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)** | | | | | |
| | क) बेसिक | 110.01 | 59.61 | 253.38 | 364.18 | 76.40 |
| | ख) डाइल्यूट | 110.01 | 59.61 | 253.38 | 364.18 | 76.40 |
| 12 | **उत्पादन (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)** | **9.09** | **6.96** | **9.55** | **27.74** | **31.04** |
| 13 | **ऑफटेक (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)** | **7.98** | **6.82** | **8.52** | **28.76** | **33.07** |

**हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

**(सीए बी. के. विस्वास)**
साझीदार
एम. संख्या - 055623

दिनांक: 08.06.2020
स्थान: धनबाद

**बोर्ड की ओर से**

**(पी. एम. प्रसाद)**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
**एवं सीईओ**
डीआईएन- 08073913

**(समीरन दत्ता)**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

**(बी. के. बसाक))**
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

**(बी. के. पारूई)**
कंपनी सचिव

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

**अन्य विवरण (अनुलग्नक)**

**टिप्पणी - 8 : ऋण**

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | **31.03.2020** | **31.03.2019** |
| **गैर-वर्तमान** | | |
| अन्य ऋण का खंडवार विवरण | | |
| कर्मचारियों को ऋण | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | 0.07 | 0.15 |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | - | - |
| - खराब साख | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **0.07** | **0.15** |
| अन्य ऋण | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | - | - |
| - खराब साख | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| **वर्तमान** | | |
| अन्य ऋण का खंडवार विवरण | | |
| कर्मचारियों को ऋण | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | - | - |
| - खराब साख | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| अन्य ऋण | | |
| - सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के | - | - |
| - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | - | - |
| - खराब साख | - | - |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| **टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** | | |
| **गैर-वर्तमान** | | |
| उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा | | |
| टेलीफोन | 0.81 | 2.14 |
| विद्युत | 11.89 | 10.02 |
| अन्य | - | 0.34 |
| | 12.70 | 12.50 |
| घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता | 0.36 | 0.53 |
| **कुल** | **12.34** | **11.97** |
| अन्य जमा | - | 0.01 |
| घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **0.01** |
| अन्वेषणात्मक कार्यों के लिए प्राप्य | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| अन्य प्राप्य | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| **टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** | | |
| **वर्तमान** | | |
| चालू खाता शेष: | | |
| धारक कंपनी / सीआइएल की अन्य अनुषंगी कंपनियां | - | - |
| - आईआईसीएम | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज | | |
| - निवेश | - | - |
| - बैंक जमा | 71.92 | 92.18 |
| -अन्य | - | - |
| **कुल** | **71.92** | **92.18** |
| अन्य जमा | - | - |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| दावे एवं अन्य प्राप्य | | |
| इनकमटैक्स / टीडीएस / टीसीएस से प्राप्तियां | 56.67 | 66.02 |
| वैट / सीएसटी / जीएसटी से प्राप्तियां | 136.01 | 0.40 |
| दातव्य निधि प्राप्य | 5.27 | 4.18 |
| रेलवे से विलंब शुल्क प्राप्तियां | 6.08 | 14.87 |
| पूर्व-मालिक पर सरकारी बकाया | - | 0.02 |
| डीएलएफ से प्राप्तियां | 3.89 | 3.89 |
| सेल से प्राप्तियां | 5.08 | 5.08 |
| कर्मचारियों से प्राप्तियां | 0.21 | 0.91 |
| बाहरी लोगों से किराए प्राप्तियां | 2.91 | - |
| अन्य | 6.64 | 7.86 |
| | 222.76 | 103.23 |
| घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए भत्ता | 4.95 | 4.99 |
| **कुल** | **217.81** | **98.24** |
| | | |
| **टिप्पणी 10 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां** | | |
| | | |
| उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा | | |
| टेलीफोन | - | - |
| विद्युत | - | - |
| अन्य | - | - |
| | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| | | |
| अन्य जमा एवं अग्रिमों का खंडवार विवरण | | |
| अन्य जमा | - | - |
| घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| | | |
| राजस्व के लिए अग्रिम | 0.36 | 0.38 |
| घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **0.36** | **0.38** |
| | | |
| पूर्वदत्त (प्रीपेड) व्यय | - | - |
| अन्य | - | - |
| कुल | - | - |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **कुल** | **0.36** | **0.38** |
| **टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां** | | |
| अन्य जमा एवं अग्रिमों का खंडवार विवरण | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | | |
| पीआरपी अग्रिम | - | 0.40 |
| चिकित्सा अग्रिम | 10.14 | 17.52 |
| चुनाव अग्रिम | 1.17 | 0.96 |
| अन्य | 6.20 | 11.49 |
| | 17.51 | 30.37 |
| घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **17.51** | **30.37** |
| अग्रिम- अन्य | | |
| जेआरडीए के लिए अग्रिम | 262.57 | 262.57 |
| डीएफओ के लिए अग्रिम | 3.09 | 2.54 |
| न्यायलय में जमा | 18.35 | 6.55 |
| सरकारी प्राधिकरणों में जमा | 2.39 | 0.03 |
| अन्य | 2.67 | 48.84 |
| | 289.07 | 320.53 |
| घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **289.07** | **320.53** |
| जमा- अन्य | | |
| आयकर/टीडीएस/टीसीएस | 739.18 | 698.16 |
| वैट (झारखंड एव प. बंगाल) | 66.00 | 60.09 |
| सीएसटी | 100.43 | 84.06 |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 11.36 | 11.45 |
| रॉयल्टी एवं सेस | 0.04 | 0.01 |
| विद्युत प्रभार | 5.72 | 5.82 |
| सेवाकर | 0.21 | 0.21 |
| जीएसटी | - | - |
| अन्य | - | - |
| | 922.94 | 859.80 |
| घटाएं: प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **922.94** | **859.80** |
| पूर्वदत्त व्यय | 0.21 | 0.26 |
| प्राप्तियां- अन्य | 0.25 | 5.55 |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| घटाएं: प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **0.46** | **5.81** |
| | | |
| **कुल** | **1,229.98** | **1,216.51** |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य का खंडवार विवरण | | |
| केंद्रीय वैट/वैट क्रेडिट प्राप्य | - | - |
| घटाएं: प्रावधान | - | - |
| कुल | - | - |
| | | |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य | | |
| आईजीएसटी | 19.51 | 5.21 |
| सीजीएसटी | 63.26 | 37.88 |
| एसजीएसटी | 410.03 | 415.79 |
| जीएसटी सेस | 0.25 | 0.40 |
| यूटीईजीएसटी | - | - |
| | 493.05 | 459.28 |
| घटाएं: प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **493.05** | **459.28** |
| | | |
| **कुल** | **493.05** | **459.28** |
| | | |
| **टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)** | | |
| | | |
| प्रावधानों का खंडवार विवरण | | |
| कोयले के अंतिम स्टॉक के लिए प्रावधान | 409.09 | 434.74 |
| स्टोर एवं स्पेयर्स के अंतिम स्टॉक के लिए प्रावधान | 60.20 | 57.79 |
| **कुल** | **469.29** | **492.53** |
| | | |
| कार्मशाला कार्यों का स्टॉक | 4.55 | 4.70 |
| कार्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **4.55** | **4.70** |
| | | |
| प्रेस कार्यों का स्टॉक | - | - |
| प्रेस कार्यों के लिए प्रावधान | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| **कुल** | **473.84** | **497.23** |
| | | |
| **टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्तियां** | | |
| | | |
| कोयला गुणवत्ता अंतर के लिए भत्ता | 5.24 | 205.17 |

## अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | |
|---|---|---|
| | **31.03.2020** | **31.03.2019** |
| **टिप्पणी 19 :व्यापार प्राप्तियां** | | |
| अन्य का खंडवार विवरण: | | |
| संविदात्मक व्यय: राजस्व | 533.40 | 482.91 |
| मरम्मत एवं रखरखाव | 101.82 | 103.18 |
| विलंबन शुल्क | 64.94 | 50.47 |
| जल किराया/दर | 21.38 | 18.42 |
| सुरक्षा व्यय | 25.28 | 25.31 |
| सीएमपीडीआइएल व्यय | 40.33 | 31.25 |
| लेखा परीक्षा/समीक्षा शुल्क देय | 1.42 | 1.08 |
| सिविल कार्य देय | 15.90 | 13.06 |
| वाहन किराया प्रभार देय | 7.10 | 2.39 |
| छपाई और लेखन-सामग्री शुल्क देय | 0.40 | 0.28 |
| विद्यालय अनुदान | 0.21 | 0.04 |
| पेशगी देय | 0.28 | 0.15 |
| विधिक शुल्क देय | 0.46 | 0.45 |
| अन्य देय | 2.32 | 6.28 |
| **कुल** | **815.24** | **735.27** |
| **टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं** | | |
| गैर-वर्तमान | | |
| अन्य का खंडवार विवरण: | | |
| लैपटॉप वापसी-खरीद के लिए सुरक्षा जमा | 0.39 | 0.40 |
| अन्य- प्रबंधन प्रशिक्षु सुरक्षा जमा, आदि | 6.78 | 5.86 |
| **कुल** | **7.17** | **6.26** |
| वर्तमान | | |
| अन्य का खंडवार विवरण: | | |
| ठेकेदार की वापसी | 108.70 | 86.71 |
| अन्य | 0.06 | - |
| **कुल** | **108.76** | **86.71** |
| सीआईएल के साथ चालू खाता: | | |
| सीआईएल (मुख्यालय) के पास शेष | 272.46 | 306.87 |
| आरएसओ के पास शेष | 0.05 | - |
| दिल्ली डेस्क कार्यालय के पास शेष | 0.43 | - |
| **कुल** | **272.94** | **306.87** |

## अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | Year Ended | |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| **टिप्पणी 21 : प्रावधान** | | |
| गैर-वर्तमान | | |
| अन्य कर्मचारी लाभ: | | |
| एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ बीमांकिक | 21.15 | 19.42 |
| एलसीएस बीमांकिक | 20.38 | 9.79 |
| निपटान भत्ता बीमांकिक | 26.70 | 25.76 |
| जीपीएआईएस बीमांकिक | 0.10 | 0.09 |
| चिकित्सा लाभ बीमांकिक | 130.04 | 42.35 |
| खान दुर्घटना क्षतिपूर्ति. बीमांकिक | 8.89 | 24.10 |
| **कुल** | **207.26** | **121.51** |
| वर्तमान | | |
| अन्य कर्मचारी लाभ: | | |
| एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ बीमांकिक | 24.59 | 18.09 |
| एलसीएस बीमांकिक | 2.57 | 2.44 |
| निपटान भत्ता बीमांकिक | 3.63 | 3.56 |
| जीपीएआईएस बीमांकिक | 0.03 | 0.03 |
| चिकित्सा लाभ बीमांकिक | 22.32 | 13.64 |
| खदान दुर्घटना राहत बीमांकिक | 1.27 | 3.24 |
| अधिकारी सेवानिवृति निधि (9.84%) | 9.05 | 19.68 |
| अधिकारी सेवानिवृति निधि (6.99%) | 1.60 | 51.52 |
| **कुल** | **65.06** | **112.20** |
| **टिप्पणी - 23 : अन्य वर्तमान देयताएं** | | |
| सांविधिक लेवियों का खंडवार विवरण | | |
| वस्तु और सेवा कर | 114.40 | 80.73 |
| जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर | 118.80 | 143.97 |
| बिक्री कर/वैट | 106.78 | 141.11 |
| कोयले पर राजस्व एवं उपकर | 260.09 | 195.54 |
| राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट | 3.45 | 2.89 |
| जिला खनिज फाउंडेशन | 48.50 | 27.40 |
| बाजार कर | 125.80 | 117.69 |
| वृत्ति कर | 2.22 | 2.18 |
| बंद / भूतल किराया | 3.86 | 3.21 |
| पथकर | - | - |
| अन्य पर राजस्व | 0.69 | 0.53 |
| रख-रखाव भत्ता | 32.01 | 24.20 |
| प्रबंधन शुल्क (झारखंड सरकार) | 0.81 | 0.81 |

**अन्य विवरण (अनुलग्नक)**

| | Year Ended | |
|---|---|---|
| | **31.03.2020** | **31.03.2019** |
| अन्य सांविधिक लेवियां | 1.82 | 1.70 |
| स्रोत पर आयकर कटौती/ संग्रह | 64.01 | 33.93 |
| **कुल** | **883.24** | **775.89** |
| | | |
| अन्य का खंडवार विविरण | | |
| सीआईएसपीए के लिए देयता | 2.52 | 1.74 |
| उपयोग न किए गए अनुदान | 313.17 | 326.05 |
| एलआईसी प्रीमियम | 22.79 | 17.36 |
| सी.टी.डी (डाकघर) | 1.32 | 1.17 |
| सहकारी समिति | 9.25 | 9.95 |
| दातव्य निधि (बेनवोलेंट फंड) | 1.06 | 0.54 |
| राहत कोष | 10.19 | 2.55 |
| ग्रेच्युटी के लिए एलआईसी से अतिरिक्त मृत्युदावा | 12.63 | 11.57 |
| सीपीआरएमएसई निधि से संबंधित देयता | 213.89 | 92.87 |
| क्लब वसूली | 0.57 | 0.53 |
| यूनियन वसूली | 1.70 | 1.78 |
| न्यायालय वसूली | 0.01 | 0.03 |
| स्क्रैप बिक्री के लिए देयता | 3.15 | 7.75 |
| रेलवे साइडिंग प्रभार ते लिए देयता | 13.24 | 9.30 |
| आईआईसीएम शुल्क के लिए देयता | - | - |
| अन्य विविध देयताएं | 8.46 | 8.65 |
| **कुल** | **613.95** | **491.84** |

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
## (एक मिनीरत्न कंपनी)

### अन्य विवरण (अनुलग्नक)

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष के समापन पर 31.03.2020 | वर्ष के समापन पर 31.03.2019 |
|---|---|---|
| **टिप्पणी - 24 : परिचालन से राजस्व** | | |
| सांविधिक लेवियों का खंडवार विवरण | | |
| रॉयल्टी | 1,115.49 | 1,139.07 |
| वस्तु एवं सेवा कर | 529.83 | 545.02 |
| जीएसटी क्षतिपूर्ति सेवाकर | 1,146.19 | 1,326.06 |
| कोयले पर सेवाकर | 20.44 | 59.88 |
| राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट | 22.31 | 22.78 |
| जिला खनिज फाउंडेशन | 334.65 | 341.71 |
| बाजार कर | 85.15 | 86.60 |
| प्रबंधन शुल्क | 2.85 | 3.36 |
| अन्य लेवियां | - | -2.18 |
| **कुल** | **3,256.91** | **3,522.30** |
| कोयले के गुणवत्ता अंतर के लिए प्रावधान | -199.93 | -126.84 |
| **टिप्पणी 25 : अन्य आय** | | |
| ब्याज आय का खंडवार विवरण | | |
| बैंकों में जमा | 132.50 | 133.05 |
| निवेश | - | - |
| ऋण | - | 0.01 |
| समूह में जमा निधियां | - | - |
| आयकर वापसी पर ब्याज | - | - |
| एस्क्रो खाते में जमा राशि पर ब्याज | 26.74 | 20.12 |
| **कुल** | **159.24** | **153.18** |
| लाभांश आय का खंडवार विवरण | | |
| अनुषंगी कंपनियों में निवेश | - | - |
| म्यूचुअल फंड में निवेश | 4.13 | 25.63 |
| सरकारी प्रतिभूतियां (8.5% कर मुक्त विशेष बांड) | - | - |
| **कुल** | **4.13** | **25.63** |
| विविध आय का खंडवार विवरण | | |
| बाहरी लोगों से किराया | 0.78 | 1.09 |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | वर्ष के समापन पर |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| जुर्माना/परिसमापन (लिक्विडेट) क्षति की वसूली | 33.12 | 10.09 |
| स्क्रैप की बिक्री | 1.92 | 1.77 |
| मकान किराए की वसूली | 19.98 | 27.22 |
| स्कूल बस प्रभार की वसूली | 0.08 | 0.10 |
| अस्पताल प्रभार की वसूली | 0.67 | 0.74 |
| अन्य की वसूली | 3.56 | 1.87 |
| निविदा शुल्क | 0.02 | 6.75 |
| अन्य गैर-परिचालन आय | 56.67 | (9.14) |
| **कुल** | **116.80** | **40.49** |
| **टिप्पणी 26 : खपत सामग्रियों की लागत** | | |
| अन्य खपत योग्य स्टोर्स और स्पेयर्स का खंडवार विवरण | | |
| अन्य स्टोर्स पी ऐंड एम | 12.22 | 10.53 |
| अन्य खपत योग्य स्टोर्स और स्पेयर्स | 32.34 | 41.43 |
| **कुल** | **44.56** | **51.96** |
| **टिप्पणी 27 : तैयार माल, जारी कार्य एवं बिक्री के लिए माल सूची (इनवेंटरी) में परिवर्तन** | | |
| **कोयले के स्टॉक के लिए प्रावधान का खंडवार विवरण** | | |
| कोयले के आरंभिक स्टॉक के लिए प्रावधान | 434.74 | 479.97 |
| आरंभिक स्टॉक का सामायोजन | - | - |
| कोयले के मूल्य में गिरावट | 434.74 | 479.97 |
| कोयले के अंतिम स्टॉक के लिए प्रावधान | 409.09 | 434.74 |
| कोयले के मूल्य में गिरावट | 409.09 | 434.74 |
| आरंभिक चालू कार्य के प्रावधान के लिए सामायोजन | - | - |
| आरंभिक स्टॉक सामायोजन | - | - |
| प्रावधान | - | - |
| अंतिम जारी कार्य के प्रावधान के लिए सामायोजन | - | - |
| प्रावधान | - | - |
| प्रेस आरंभिक कार्य | - | - |
| i) तैयार माल | - | - |
| ii) जारी कार्य | - | - |
| प्रेस अंतिम कार्य | - | - |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर 31.03.2020 | वर्ष के समापन पर 31.03.2019 |
|---|---|---|
| i) तैयार माल | - | - |
| ii) जारी कार्य | - | - |
| **टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय** | | |
| वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते, बोनस आदि का खंडवार विवरण | | |
| वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते, बोनस आदि | 3,793.54 | 3,783.18 |
| एनसीडब्ल्यूए X प्रावधान | 7.85 | 0.28 |
| अधिकारी वेतन संशोधन | 1.18 | 29.63 |
| अनुग्रह राशि | 279.17 | 273.91 |
| प्रदर्शन आधारित भुगतान | 73.38 | 96.93 |
| **कुल** | **4,155.12** | **4,183.93** |
| भविष्यनिधि एवं अन्य निधियों में अंशदान का खंडवार विवरण | | |
| भविष्यनिधि एवं और अन्य निधियों में अंशदान | 647.57 | 784.26 |
| उपदान (ग्रेच्युटी) | 240.04 | 390.23 |
| छुट्टी नकदीकरण | 220.24 | 163.61 |
| सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय | 113.25 | 18.17 |
| मौजूदा कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय | 67.11 | 52.15 |
| **कुल** | **1,288.21** | **1,408.42** |
| कर्मचारी कल्याण व्यय का खंडवार विवरण | | |
| वीआरएस | 0.06 | - |
| कर्मचारी क्षतिपूर्ति | -15.48 | -0.45 |
| स्कूलों और संस्थाओं को अनुदान | 2.02 | 3.31 |
| खेल एवं मनोरंजन | 1.11 | 1.00 |
| कैंटीन और क्रेच | 0.23 | 0.04 |
| विद्युत- टाउनशिप | 155.14 | 138.45 |
| बस, एम्बुलेंस आदि का किराया प्रभार | 1.31 | 1.56 |
| एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ | 31.08 | 10.51 |
| एलसीएस | 15.97 | 4.51 |
| जी पी ए आइ एस | 0.01 | - |
| बंदोबस्त भत्ता | 5.75 | 3.23 |
| पेंशन | - | 0.33 |
| अधिकारी सेवानिवृत लाभ ( 6.99% / 2.84 %) | 29.49 | 13.13 |
| रखरखाव भत्ता | 46.74 | 56.22 |
| गैस आपूर्ति / सिलेंडर (एलपीजी आदि) | 12.73 | 12.93 |
| वर्दी | 0.25 | 0.35 |
| पानी की खरीद | 30.01 | 28.23 |
| विधवा पेंशन | 0.86 | 0.52 |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर 31.03.2020 | वर्ष के समापन पर 31.03.2019 |
|---|---|---|
| अन्य कल्याण व्यय | 0.74 | 0.73 |
| **कुल** | **318.02** | **274.60** |
| **टिप्पणी 30 : मरम्मत** | | |
| अन्य का खंडवार विवरण: | | |
| वाहन | 0.89 | 1.10 |
| फर्नीचर और कार्यालय उपकरण | 0.81 | 0.57 |
| अन्य | 0.78 | 1.44 |
| **कुल** | **2.48** | **3.11** |
| **टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय** | | |
| परिवहन शुल्क | 0.01 | 0.96 |
| - बालू | 199.72 | 206.19 |
| - कोयला | 0.03 | 0.08 |
| **- स्टोर एवं अन्य** | **199.76** | **207.23** |
| कुल | | |
| वैगन लोडिंग | 20.00 | 28.69 |
| अन्य संविदात्मक व्यय | | |
| क्रशिंग प्रभार | 11.05 | 8.70 |
| विविध खनन और बचाव के लिए संविदात्मक कार्य | 77.50 | 37.35 |
| भूतल (Surface) नौकरियों के लिए संविदात्मक कार्य | 7.42 | 6.28 |
| अन्य संविदात्मक कार्य | 28.86 | 28.26 |
| **कुल** | **124.83** | **80.59** |
| **टिप्पणी 32 : वित्त लागत** | | |
| अन्य का खंडवार विवरण: | | |
| प्रबंधन प्रशिक्षु बॉण्ड राशि पर ब्याज | 0.36 | 0.40 |
| सांविधिक बकाये पर ब्याज | - | - |
| अन्य ब्याज (पेंशन) | 0.92 | 0.88 |
| **कुल** | **1.28** | **1.28** |
| **टिप्पणी 33 : प्रावधान** | | |
| अन्य के लिए किये गए प्रावधान: | | |
| पूंजीगत चालू कार्य (WIP) | 2.95 | 3.84 |
| **कुल** | **2.95** | **3.84** |

अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर 31.03.2020 | वर्ष के समापन पर 31.03.2019 |
|---|---|---|
| अन्य के लिए प्रावधान विपर्यय: | | |
| पूंजीगत चालू कार्य (WIP) | 0.02 | - |
| **कुल** | **0.02** | **-** |
| **टिप्पणी 35 : अन्य व्यय** | | |
| यात्रा व्यय का खंडवार विवरण | | |
| घरेलू | 12.97 | 8.95 |
| विदेशी | 0.09 | 0.03 |
| **कुल** | **13.06** | **8.98** |
| विविध व्यय का खंडवार विवरण | | |
| दान/सदस्यता | - | - |
| बैंक प्रभार | 0.12 | 0.10 |
| गेस्ट हाउस व्यय | 0.95 | 1.08 |
| भूमि/फसल मुआवजा | 0.01 | - |
| मुद्रण एवं स्टेशनरी | 2.95 | 3.03 |
| ई-नीलामी शुल्क | 5.61 | 2.01 |
| परीक्षण एवं नमूना शुल्क | 11.10 | 11.07 |
| पृथक्करण और वेंटिलेशन | 0.04 | - |
| सम्मेलन एवं बैठकें / आकस्मिक बैठक | 1.27 | 0.96 |
| धर्मकांटा (तुलाचौकी) शुल्क | 1.67 | 1.87 |
| पुस्तकें और पत्रिकाएँ | 0.01 | 0.01 |
| लाइसेंस शुल्क | 0.01 | - |
| अन्य | 5.36 | 4.80 |
| **कुल** | **29.10** | **24.93** |
| दरों और करों का खंडवार विवरण | | |
| दरें एवं कर | 6.50 | 4.90 |
| रॉयल्टी एवं उपकर | 110.43 | 97.19 |
| **कुल** | **116.93** | **102.09** |
| किराए का खंडवार विवरण | | |
| किराया | - | - |
| पट्टा किराया | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |
| विनिमय दर अंतर से हानि का खंडवार विवरण | | |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर हानि | - | - |
| विनिमय दर अंतर से हानि | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |

## अन्य विवरण (अनुलग्नक)

| | वर्ष के समापन पर | वर्ष के समापन पर |
|---|---|---|
| | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
| अवधि / वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि: | | |
| उपदान (ग्रच्युटी) | | |
| अधिकारी | 28.57 | 33.92 |
| कर्मचारी | 405.76 | 415.43 |
| अवकाश नकदीकरण | | |
| अधिकारी | 35.36 | 37.49 |
| कर्मचारी | 118.39 | 103.33 |
| पी आर एम बी | | |
| अधिकारी | 0.23 | -0.89 |
| कर्मचारी | - | 2.54 |
| मूल्यहास का पुनर्मिलान | | |
| लाभ-हानि का सामने मूल्यहास / परिशोधन / हानि | 197.53 | 248.52 |
| मूल्यहास / परिशोधन / हानि (CWIP) के लिए प्रावधान | 2.95 | 3.84 |
| विकास खंडों के लिए पूंजीकृत मूल्यहास | - | - |
| **कुल (क)** | **200.48** | **252.36** |
| टिप्पणी-3,4,5,6 (ख) में मूल्यहास / परिशोधन / हानि | 200.48 | 252.36 |
| जांचें (क = ख) | - | - |

**हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

**(सीए बी. के. विस्वास)**
साझीदार
एम. संख्या - 0556233

दिनांक: 08.06.2020
स्थान: धनबाद

**बोर्ड की ओर से**

**(बी. के. बसाक)**
महाप्रबंधक (वित्त/ प्रभारी)

**(समीरन दत्ता)**
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 08519303

**Bharat Coking Coal Limited**
A Mini Ratna Company

Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad – 826005
Jharkhand

**www.bcclweb.in**